नवम माला, खंड 9, अंक 13

मंगलवार, 28 अगस्त, 1990
6 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 28 अगस्त, 1990/6 भाद्र, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (ख)	2	"बिजला" के स्थान पर "बिजली" पढ़िये ।
7	नीचे से पंक्ति 11	"श्री एस॰एस॰गुरुपाद स्वामी" के स्थान पर "श्री एन॰एस॰गुरुपाद स्वामी" पढ़िये ।
9	7, 10	"श्री एन॰एस॰गुरुपाद स्वामी" के स्थान पर "श्री एम॰ एस॰ गुरुपाद स्वामी" पढ़िये ।
20	6	शीर्षक में "दल्ली" के स्थान पर "दिल्ली" पढ़िये ।
56	15	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्तः स्थापित करिए ।
71	3	"श्री कंकर मुंजारे" के स्थान पर "श्री कंकर मुंजारे" पढ़िये ।
85	13	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्तः स्थापित करिए ।
106	नीचे से पंक्ति 11	मंत्री के नाम के पश्चात (क) "अन्तः स्थापित करिये ।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
133	16	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्तः स्थापित करिये ।
141	13	"(क) से (ग)" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये ।
142	प्रथम पंक्ति	शीर्षक में "स्थापित" के स्थान पर "विस्थापित" पढ़िये ।
166	4	मंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्तः स्थापित करिये ।
293	9	"परिवहन" के स्थान पर "परिवेहन" पढ़िये ।
	अंतिम पंक्ति	"ग्यरह" के स्थान पर "ग्यारह" पढ़िये ।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 9, तीसरा सत्र, 1990/1912 (शक)

अंक 13, मंगलवार, 28 अगस्त, 1990/6 भाद्र, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 263 और 265 से 267		**1—18**
प्रश्नों के लिखित उत्तर		**18—168**
तारांकित प्रश्न संख्या 264 और 268 से 282	...	18—31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3050 से 3200 और 3202 से 3286		31—167
मंत्री द्वारा वक्तव्य	....	**168—197**
बजट घाटा		
प्रो० मधु दण्डवते		168—197
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में		197—200
सभा पटल पर रखे गए पत्र		201
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	...	**201**
तीसरा प्रतिवेदन-प्रस्तुत		
कार्य मंत्रणा समिति		**201 207**
सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत		
राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के बारे में	...	**207—209** **214—216**
मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सभा में विपक्ष के नेता के विचारों के दूरदर्शन पर प्रसारण के बारे में		**209—214**

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

			पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	...		216—221
(एक) आर्कोनम और मद्रास के बीच बिजली से चलने वाले इन्जनों से रेलगाड़ियां चलाए जाने की मांग			
श्री आर० जीवरत्नम			216—217
(दो) कर्नाटक की ऊपर भद्रा परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने की मांग			
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा	....	...	217
(तीन) रोमेडा, बिहार में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की मांग			
श्री दसई चौधरी		....	
(चार) चम्पारन का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने की मांग			
श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा		...	217—218
(पांच) चिकित्सा की इलेक्ट्रोपैथी पद्धति को मान्यता दिए जाने की मांग			
श्री जगन्नाथ सिंह			218
(छः) देश में, विशेषकर बीकानेर, राजस्थान में साइकिल दौड़ प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए समुचित कदम उठाये जाने की मांग			
श्री शोपत सिंह मक्कासर			219
(सात) केरल में कोट्टायम जिले के मीनाचिल तालुक में मेलुकावू के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास किए जाने की मांग			
श्री पी० सी० थामस	—	...	220—221
(आठ) मैसर्स बंगाल इनेमल वर्क्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल का पुनरुद्धार किये जाने की मांग			
डा० देवी प्रसाद पाल	...		221
प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक	...	...	221—293
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री ए० एन० सिंह देव	...	...	221—226
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	....	....	226—231

			पृष्ठ
श्री मान्धाता सिंह	....	....	231—236
श्री पी० सी० थामस	....	....	236—238
श्री राम कृष्ण यादव	...	....	238—240
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	....	....	240—244
श्री रामेश्वर पाटीदार	....	....	244—247
डा० देवी प्रसाद पाल		....	247—251
श्री रूप चन्द पाल		...	251—255
श्री चित्त बसु	....	....	255—259
श्री बृज भूषण तिवारी	....	...	259—262
श्री सन्तोष मोहन देव	....	....	262—266
श्री इन्द्रजीत	...	....	269—275
श्री कृपाल सिंह	...	...	275—278
प्रो० सैफुद्दीन सोज	...	....	278—282
श्री अनन्तराव देशमुख	....	...	282—285
श्री नानी भट्टाचार्य	...	....	285
श्री नन्दू थापा	....	...	285—286
डा० तम्बि दुरै	...	....	286—288
श्री सन्तोष कुमार गंगवार	....	...	289
श्री मोरेश्वर सावे		...	289—291
श्री पलाई के० एम० मैथ्यू		....	291—293
डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव		....	293

लोक सभा

मंगलवार, 28 अगस्त, 1990/6 भाद्र, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हैदराबाद विमान पत्तन का दर्जा बढ़ाया जाना

[अनुवाद]

\+

*263 श्री एम० बागा रेड्डी
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी } : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश से खाड़ी के देशों को जाने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद विमान पत्तन को एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

श्री एम० बागा रेड्डी : महोदय, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हैदराबाद विमानपत्तन के विकास के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेशक ने एक विकास योजना तैयार की है तथा इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने के उद्देश्य से 11 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं ? द्वितीय, क्या यह सच है कि भविष्य में माल की ढुलाई और यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हैदराबाद विमानपत्तन में एक नया इंटीग्रेटिड कार्गो काम्पलेक्स और अन्तर्राष्ट्रीय यात्री ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है ? तृतीय, क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय ब्लॉक और माल परिसर के निर्माण में अनुमानतः पांच करोड़ रुपये लगेंगे और एक वर्ष के अन्दर इनका निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ? चतुर्थ ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बागा रेड्डी जी, आप दो प्रश्न कर सकते हैं। आपको दो प्रश्न करने का अधिकार है लेकिन आप एक समय में एक ही प्रश्न कर सकते हैं।

श्री एम० बागा रेड्डी : ठीक है, महोदय ! मैं माननीय मन्त्री महोदय से जवाब देने का अनुरोध करूंगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : महोदय, माननीय सदस्य ने हैदराबाद विमानपत्तन में दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं का उल्लेख किया है जो कि बिलकुल सच है। हैदराबाद विमानपत्तन में पहले से ही एक बड़ा टर्मिनल भवन तथा सम्बन्धित अन्य सुविधाएं हैं। अन्य सुविधाएं हैं—'हाई फ्रीक्वेन्सी रेडियो टेलीफोनी, नान-—डाईरेक्शनल बीकन, होपलर फ्रीक्वेन्सी आफ ओमनी रेंज, डिस्टेंस मेजरिंग इक्युपमेन्ट, इन्सट्रूमेन्टल लैंडिंग सिस्टम। महोदय, यह भी सच है कि 1985 में एअर इण्डिया ने ए बी-310 हवाई जहाज द्वारा हैदराबाद के लिए तथा वहां से कुछ सीमित अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की हैं। विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन हेतु वर्तमान टर्मिनल भवन में सुधार लाया गया था। इस समय ए—310 हवाई जहाज द्वारा एअर इण्डिया हैदराबाद हवाई अड्डे से बम्बई के लिए दो अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर रहा है। इस हवाई अड्डे पर उपलब्ध सुविधाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये कुछेक प्रकार के विमानों को छोड़कर अतिरिक्त उड़ानों का संचालन किया जा सकता है।

माननीय सदस्य महोदय ने भविष्य की जिन योजनाओं का उल्लेख किया है उन्हें भी लागू किया जा रहा है। उन सभी सुविधाओं के लिये प्रयास किया जा रहा है जो कि नियमों के अनुकूल हैं अथवा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाव) के नियमों के अनुसार जिनकी आवश्यकता है तथा उपलब्ध सुविधाओं में निरन्तर सुधार लाने के प्रयास चल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री एम० बागा रेड्डी : माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात को तसलीम किया है यह बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है। हैदराबाद एक महत्वपूर्ण जगह है और वहां पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। खाड़ी देशों से आने वाले और जाने वाले यात्रियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इसको अपग्रेड करने के लिये जो फैसिलिटीज क्रिएट की हैं और मन्त्री महोदय ने यह भी कहा कि सप्ताह में दो फ्लाइट्स पालम से हैदराबाद आती हैं, इसमें इजाफा किया जायेगा, यह एक अच्छी बात है।

दूसरे इन्होंने फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिये उनको प्रोवाइड किये जाने की बात कही, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह तमाम सुविधाएं कब तक पूरी होंगी और फुल फ्लैज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की उम्मीद हम कितने दिन में कर सकते हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : यकीनी तौर पर हैदराबाद की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, वह बहुत अहम् शहर है। हमारे पास इस वक्त चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। हमारी मजबूरी यह है कि अगर किसी भी एयरपोर्ट को हम इंटरनेशनल बैनुलअक्वामी एयरपोर्ट बनाते हैं तो उसके लिये इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन "इकाव" से कुछ हिदायतें हैं कि इतनी सहूलियत उस एयरपोर्ट पर जरूर होनी चाहिये। उन सहूलियात को पैदा करने के लिये जितना रुपया लगना है, जितनी लागत आनी है वह बहुत ज्यादा है, वह पैसा थोड़ा नहीं है। इस वक्त हमारे पास चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उसमें मिसाल के तौर पर मद्रास और कलकत्ता की जो कैपेसिटी है उसका अभी भी अन्डर युटिलाइजेशन है, उस कैपेसिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इतना पैसा लगाने के बाद अगर हम उस कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकें तो फिर यह सोचने के लिये मजबूर होना पड़ता है कि कितना वक्त लगेगा जिससे हम उतना पैसा और संसाधन मुहैया करा सकें उन सहूलियात को पैदा करने के लिये जो कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चलाने के लिये जरूरी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ऐलान किये बगैर हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी सहूलियतें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद होनी चाहिएं वे हैदराबाद एयरपोर्ट पर जल्दी से जल्दी पूरी करें। दो फ्लाइट्स पहले से ही हैदराबाद एयरपोर्ट से चलाई जा रही हैं। हमारा यह भी इरादा है कि इन फ्लाइट्स का नम्बर खाली हैदराबाद के लिये नहीं, बल्कि त्रिवेन्द्रम एयरपोर्ट या दक्षिण भारत में ऐसे एयरपोर्ट हैं उनसे भी हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स चला सकें।

[अनुवाद]

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम से खाड़ी देशों के लिये सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। आपने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है। यह सच है कि हैदराबाद में अत्यधिक अंडों का उत्पादन किया जाता है। यदि एअर इण्डिया द्वारा खाड़ी देशों के लिये नियमित उड़ान की व्यवस्था की जाये तो मुझे विश्वास है कि खाड़ी देशों में अधिक अण्डे और सब्जियां जाने लगेंगे। इससे कृषकों और अन्य लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। क्या माननीय मन्त्री महोदय खाड़ी देशों के लिये नियमित हवाई सेवा उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विचार करेंगे ? इस बीच जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं "हम आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हुये हैं" हम ऐसा मान लेते हैं कि सरकार उचित समय पर इस हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने पर विचार कर रही है। लेकिन, इस बीच वे चाहते हैं कि यात्रियों और माल ढुलाई की सुविधा हेतु सरकार अधिक उड़ानों की व्यवस्था करे। क्या माननीय मन्त्री महोदय मध्य-पूर्व के देशों के लिये अधिक उड़ानों की व्यवस्था किये जाने के मुद्दे पर विचार करेंगे ?

दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि देश में इन दोनों राज्यों के निवासियों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और इस अर्जित विदेशी मुद्रा के कारण इस हवाई

अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। क्या माननीय मन्त्री महोदय इस पर भी विचार करेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : महोदय, 1985 से एअर इण्डिया हैदराबाद हवाई अड्डे से दो उड़ानों का संचालन कर रहा है और महोदय, जहां तक मैं जानता हूं ये उड़ानें नियमित हैं। माननीय सदस्य महोदय संभवतः यह कहना चाहते थे कि उड़ानों की संख्या में वृद्धि की जाए जिससे हैदराबाद हवाई अड्डे मे जल्दी-जल्दी उड़ानें हो सकें। और अन्य हवाई अड्डों के लिये भी स्थिति में सुधार हो सके, जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं। हम सभी सुविधाओं के विकास करने, उन्हें एक स्तर तक अथवा 'इकाव' के नियमों के अनुरूप करने और इन हवाई अड्डों से अधिक उड़ानें शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं किसी सर्वेक्षण के बारे में नहीं जानता। उन्होंने विदेशी मुद्रा का उल्लेख किया है जो कि इन दो राज्यों के निवासियों द्वारा अर्जित की गई है। इस प्रकार के किसी सर्वेक्षण के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन, बम्बई हवाई अड्डे पर भीड़-भाड़ कम करने के उपाय सुझाने हेतु सरकार ने जनवरी, 1985 में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति की सिफारिशों के अनुपालन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दो या अधिक हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित करने हेतु त्रिवेन्द्रम हैदराबाद, अहमदाबाद, नागपुर और मंगलौर हवाई अड्डों पर यातायात सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था। "भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सितम्बर, 1985 में यह सर्वेक्षण पूरा किया गया था। सरकार के निर्देश पर बाद में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बंगलौर हवाई अड्डे पर भी यातायात सर्वेक्षण का कार्य किया गया जिसकी रिपोर्ट अप्रैल 19 6 में सरकार को सौंप दी गई थी। इन छः हवाई अड्डों पर किये गये सर्वेक्षण के अनुसार साप्ताहिक अन्तर्राष्ट्रीय यात्री यातायात के आंकड़े इस प्रकार थे : –

	हवाई अड्डा	साप्ताहिक अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय यात्री यातायात
1.	त्रिवेन्द्रम	7,900
2.	हैदराबाद	4,700
3.	बंगलौर	2 600
4.	अहमदाबाद	1700
5.	मंगलौर	1550
6.	नागपुर	170

यह अर्जित की जा रही विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में माननीय सदस्य महोदय द्वारा उठाये गए प्रश्न का उत्तर हो सकता है क्योंकि यह कुल साप्ताहिक अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय यात्री यातायात के अड्डे हैं। (व्यवधान)

श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : क्या मन्त्री महोदय उड़ानों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर विचार करेंगे ? (व्यवधान)

श्री माणिक सान्याल : महोदय, यह बहुत ही विशिष्ट प्रश्न है। यह हैदराबाद हवाई अड्डे के विकास से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि इसका विकास आवश्यक है लेकिन साथ ही मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत के अन्य हवाई अड्डों जैसे कि बगडोगरा हवाई अड्डे पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सान्याल जी, यह हैदराबाद के बारे में है।

[अनुवाद]

श्री माणिक सान्याल : महोदय, चूंकि यह हवाई अड्डा दो पड़ोसी देशों को जोड़ता है और असम तथा दिल्ली एवं पश्चिमी बंगाल के अन्य भागों को भी जोड़ता है····(व्यवधान) इस हवाई अड्डे के विकास से यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिलती है। वहां प्रतिदिन यात्रियों की भीड़ होती है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि बगडोगरा हवाई अड्डे के विकास के लिए क्या कोई विकास परियोजना शुरू की गई है ताकि इससे न केवल नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके बल्कि पड़ोसी राज्यों जैसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम की भी पूर्ति हो सके ? यही मेरा प्रश्न है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : जी हां, महोदय। बगडोगरा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है और महोदय, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि हम इन सब हवाई अड्डों का विकास करने और अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने, उनका दर्जा बढ़ाने के लिये, विशेषरूप से बगडोगरा जैसे हवाई अड्डों का, जिनसे कि दूरदराज के क्षेत्रों में सहायता पहुंचती है, बहुत ही उत्सुक है। मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं पहले ही संसाधनों की कमी के बारे में कह चुका हूं। हम संसाधनों की व्यवस्था कर रहे हैं और जैसे ही हम इस समस्या का समाधान कर लेंगे, हम निश्चित रूप से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के इस प्रश्न पर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री भानु सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मेरा प्रश्न हैदराबाद हवाई अड्डे से सम्बन्धित तो नहीं है, परन्तु उससे बहुत कुछ मिलता-जुलता है। जब दिल्ली में वैदर खराब होता है तो यहां से फ्लाइटस को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जब आप यहां से फ्लाइटस को डाइवर्ट करते हैं तो दिल्ली के आसपास कोई दूसरा ऐसा एअरपोर्ट होना चाहिये, जो इन्टरनेशनल एअरपोर्ट की समस्त फैसलिटीज रखने वाला हो इसके लिये आपने जयपुर हवाई अड्डे का चयन किया है और उसे आल्टरनेट हवाई अड्डे के रूप में डैवलप करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में शायद आपने विचार करके निर्णय भी ले लिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में बाहर से जितने पर्यटक आते हैं, वे यहां आने के बाद सबसे पहले राजस्थान जाना चाहते हैं, इसे देखते हुए जब आप जयपुर एअरपोर्ट को एक आल्टरनेट एअरपोर्ट के रूप में डैवलप करना चाहते हैं, जहां इन्टरनेशनल एयरपोर्ट की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों और तीन दिन पहले

आपके इण्डियन एअरलाइन्स के ऑफिस के उद्घाटन के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा है, उनका स्टेटमेंट है....

अध्यक्ष महोदय नाथू सिंह जी यह सवालों का समय है, सवाल कीजिये।

श्री नाथू सिंह : मैं सवाल ही कर रहा हूं सर। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जमीन एक्वायर करके सारी फैसिलिटीज देने को तैयार है। उसके आधार पर क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कब तक जयपुर हवाई अड्डे को, इन्टरनेशनल फैसिलिटीज के साथ, डेवलप कर दिया जायेगा, कितना पैसा आप इस प्रयोजन के लिये खर्च करने का विचार रखते हैं, आपने एस्टीमेट बनाया है। जब राजस्थान सरकार आपके सहयोग के लिये तैयार है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। जल्दी से जल्दी आप कब तक इसे पूरा करा देंगे।

श्री भजन लाल : इसके साथ हरियाणा के बारे में भी बता देना, क्योंकि उससे भी ज्यादा नजदीक हरियाणा पड़ता है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन् जयपुर हमारे लिये काफी महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : जैसे बागडोगरा था, बागडोरा भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान मान्यवर, जो बात माननीय सदस्य ने कही है, वह बिल्कुल सही है। दिल्ली एअरपोर्ट के विकल्प में किसी आसपास के एअरपोर्ट को डेवलप किया जाना आवश्यक समझा गया जहां सभी सुविधाए उपलब्ध हों और इस दिशा में हम कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन दिल्ली और बम्बई को आधुनिक बनाने के लिये, दोनों एअरपोर्टस को अपग्रेड करने के लिये, ज्यादा सुविधाएं वहां उपलब्ध हो सकें, ज्यादा नहीं बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड हैं उसके अनुसार दोनों एअरपोर्टस पर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उसके सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष जी मैं यहां पहले भी बता चुका हूं और इस साल हम उस योजना को कार्यान्वित करने जा रहे हैं। जयपुर के सम्बन्ध में हमारी जो योजना है, उसका प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है और हम बहुत जल्दी उस एअरपोर्ट को वैकल्पिक एअरपोर्ट के रूप में विकसित करके, जो सुविधाए होनी चाहियें, वे सभी सुविधाएं मुहैया करने जा रहे हैं।

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न हैदराबाद से जुड़ा हुआ है.... **(व्यवधान)**... हैदराबाद से जुड़ा हुआ प्रश्न ही मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हैदराबाद को पटना से जोड़ने के लिये आपके पास कोई योजना है या नहीं; क्या आप हैदराबाद को उत्तर भारत या बिहार से बिल्कुल काट कर रखना चाहते हैं; दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि जहां आप बम्बई और दिल्ली को अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार आधुनिक विमानपत्तन बनाना चाहते हैं, बहुत धन्यवाद, वहीं क्या आप पटना हवाई अड्डे को राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप विकसित करने का विचार भी कर रहे हैं या नहीं। पटना हवाई अड्डा आज सबसे गया-गुजरा हवाई अड्डा है, जहां कोई भी सामान्य सुविधा तक उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते कोई भी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति पटना हवाई अड्डे पर जाना तक पसन्द नहीं करता। मंत्री महोदय ने स्वयं उसकी हालत देखी होगी। क्या वे सदन को आश्वस्त करना चाहेंगे

कि पटना हवाई अड्डे पर कम से कम सामान्य राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जायेंगी, पटना हवाई अड्डे को आप कैसे सुधारेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : माननीय अध्यक्ष जी, पटना एयरपोर्ट पर भी वे सुविधाएं उपलब्ध हों जिनसे हवाई जहाज की उडानों को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके, हमारा यह पूरा प्रयास है। केवल राष्ट्रीय नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हों, ..

डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : पहले राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दे दीजिए फिर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं की बात करूंगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : इसलिए पटना हवाई अड्डे से तो पहले ही दो अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, जो नेपाल के लिए वहां से चलती हैं। श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा है—हमारे लिए, खास-तौर से ये हवाई अड्डे जो प्रदेश की राजधानियों में हैं, खास महत्व रखते हैं। निश्चित तौर पर वहां पर सुविधाएं होनी ही चाहिए और हमारा पूरा प्रयास रहता है, लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया, समस्या है संसाधन उपलब्ध कराने की। संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए जो आवश्यक सुविधाएं हैं, वे उपलब्ध कारवाई जाएंगी।

माननीय सदस्य ने जो कहा है, उस पर भी पूरा गौर करेंगे।

रसोई गैस की पाइप लाइन से सप्लाई

+

*265 **श्री फूलचन्द वर्मा**
श्री संजय लाल } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के अनेक बड़े शहरों में रसोई गैस की सप्लाई पाइप-लाइन से करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य को शुरू करने हेतु कुछ भारतीय और विदेशी फर्मों के साथ सम्पर्क स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। एल. पी. जी. की पाइप लाइन से आपूर्ति व्यवहार्य नहीं है। तथापि, बड़ोदा, भरुच-अंकलेश्वर, सिबसागर, दुलियाजन और मोरन को घरेलू ईंधन की तरह प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है। नगर आपूर्ति योजनाओं के लिए अगरतल्ला, बम्बई और सूरत में प्राकृतिक गैस के लिए आवंटन किये गए हैं। गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि० द्वारा कुछ अन्य नगरों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किये जाने के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन किये जा रहे है।

(ग) और (घ) जी, हां। गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि० ने बम्बई के संबंध में फ्रांस की मैसर्स सोफागाज और दिल्ली, नोएडा तथा कानपुर के सम्बन्ध में मैसर्स ब्रिटिश गैस के सहयोग से तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया है। जबकि बम्बई, दिल्ली और नोएडा के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, मैसर्स ब्रिटिश गैस द्वारा कानपुर के अध्ययन को अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय मानतीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उससे ऐसा लगता है कि या तो ये मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाए हैं या जानबूझकर सदन में गलत जानकारी दे रहे हैं। मेरे प्रश्न के भाग "क" में स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि "क्या सरकार का देश के अनेक बड़े शहरों में रसोई गैस की सप्लाई पाइप-लाइन से करने का विचार है और "ख" भाग में पूछा गया है "यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है" मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर माननीय मन्त्री महोदय ने दिया है—"जी, नहीं," लेकिन मेरे प्रश्न "ग" और "घ" के उत्तर में मंत्री जी कहते हैं—"जी हां। गैस अथॉरिटी आफ इण्डिया लि० ने बम्बई के सम्बन्ध में फ्रांस की मैसर्स सोफ्रांगाज और दिल्ली, नोएडा तथा कानपुर के सम्बन्ध में मैसर्स ब्रिटिश गैस के सहयोग से तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया है। जब कि बम्बई, दिल्ली और नोएडा के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, मैसर्स ब्रिटिश गैस द्वारा कानपुर के अध्ययन को अंतिम रूप दिया जाना है।" अध्यक्ष महोदय, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो मन्त्री जी कह रहे हैं कि पाइप-लाइन से गैस ले जाने का सरकार का कोई विचार नहीं है, दूसरी ओर सरकार इस बारे में बात कर रही है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कांडला-भटिंडा पाईप-लाइन का वह प्रोजेक्ट 917 करोड़ का था लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण, लाल फीताशाही के कारण आज उसकी कीमत 1062 करोड़ रुपये हो गई है लगभग 145 करोड़ रुपये गवर्नमेंट को ज्यादा पड़ेंगे। इतना ही नहीं, ब्रिटिश कम्पनी से हमारा जो समझौता हुआ था उसमें यह है कि यदि हमने समय पर इसको नहीं किया तो हमको कमिटमेंट चार्ज के रूप में 0.3 लाख डालर प्रति वर्ष उनको देना पड़ेगा। मन्त्री महोदय यह बात स्पष्ट करें कि यह किसलिए हुआ है, यह कांडला प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हुआ है। आज देश में सप्लाई की बहुत कमी है। यह पाईप लाइन कब तक पूरी हो जाएगी और सरकार इस बारे में कब तक विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, इस बारे में मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। इन्होंने पूछा है कि क्या सरकार का पाइप लाइनों के द्वारा देश के कई शहरों में एल० पी० जी० की आपूर्ति करने का कोई विचार है। एल०पी०जी० की आपूर्ति पाइपलाइन द्वारा नहीं बल्कि सिलेण्डर द्वारा की जाती है पाईपलाइन के द्वारा हम केवल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करते हैं। माननीय सदस्य एल०पी०जी० और प्राकृतिक गैस के बीच अन्तर समझें। हम विभिन्न उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करना चाहते हैं और घरेलू उपभोक्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अब ये एकदम कांडला-भटिण्डा पाइपलाइन परियोजना की बात पर आ गए हैं। यह इस प्रश्न में शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

श्री फूल चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो 30 प्रतिशत आउटपुट था उसकी कीमत 1400 करोड़ रुपये है। मंत्री जी ने बताया है कि 1994-95 में यह करीब 50 मिलियन टन हो जाएगा। मैं जानना

चाहता हूं कि देश में प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में मंत्री जी ने जो कहा है, यह किन बड़े शहरों में सरलता से उपलब्ध हो जाएगी, क्या ऐसा कोई टारगैट है ? बड़े शहरों में ही नहीं, बड़े कस्बों में भी पहुंचे, उसके लिए सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या आउटपुट रखा है ? साथ ही मध्य प्रदेश में 550 किलोमीटर गैस की पाइप लाइन जाती है। मध्य प्रदेश के सुदूर इलाके बस्तर, रायपुर जो पिछड़े इलाके हैं, उनको प्राकृतिक गैस का फायदा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, इन्होंने अनेक विषयों को मिला दिया है। मैं समझता हूं कि स्पष्टीकरण के लिए मुझे इनसे प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल इस प्रश्न से सम्बन्धित मुद्दों का उत्तर दें।

श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी इन्होंने पूछा है कि क्या भारत में पैदा की जाने वाली प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रभावी रूप से किया जा रहा है और क्या इस गैस को देश के विभिन्न भागों में विभिन्न उपयोग के लिए ले जाया जा रहा है। जहां तक घरेलू उपयोग का सम्बन्ध है, मैंने कुछ क्षेत्रों जैसे दिल्ली, मुम्बई, नोएडा, कानपुर अगरतला इत्यादि का जिक्र पहले ही अपने उत्तर में किया है।

श्री सूरजभानु सोलंकी : महोदय, इन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : उनकी ओर से कृपया आप स्पष्ट कर दें। यदि ये एच०बी० जे० पाईपलाइन की बात कर रहे हैं तो सभी सदस्य यह जानते हैं कि यह इस प्रश्न में नहीं आता। इसके लिए अलग सूचना चाहिए और उस पर मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं।

मैं सदस्य महोदय को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम घरेलू प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करना चाहते हैं। इसके लिए कई तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन किए जा रहे हैं। हम बड़ौदा और भरुच में घरेलू इस्तेमाल के लिए पहले ही गैस की आपूर्ति कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री संजय लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने क और ख के उत्तर में कहा है : "गैस एथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा कुछ अन्य नगरों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किये जाने के संबंध व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है।" तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन से नगर हैं और बिहार में भी कौन-कौन से नगर हैं।

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि भविष्य में इसके अन्तर्गत और अधिक शहर शामिल किए जाएं। हम प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराकर इसे घरेलू उपभोक्ताओं व्यावसायिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए इसकी आपूर्ति करना चाहते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : माननीय मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि नगर आपूर्ति योजना के अन्तर्गत अगरतला, मुम्बई और सूरत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का वचन दिया है। आपने कहा है कि प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए वचन दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह वचन कब दिया गया था और इस बारे में क्या प्रगति हुई है। क्या प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के मूल्यों पर राज्य सरकार की सहमति से अन्तिम निर्णय ले लिया गया है। यदि नहीं, आप इस पर अन्तिम निर्णय कब लेंगे ? (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जायें।

[**अनुवाद**]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैंने पहले ही कहा है कि जिन नगरों को गैस की आपूर्ति की जा रही है, उनके अतिरिक्त सूरत, अगरतला और मुम्बई को गैस की आपूर्ति का वचन दिया गया है। तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसके बारे में, मैं अपने उत्तर में पहले ही जिक्र कर चुका हूं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आपने वचन कब दिया था और गैस आपूर्ति की क्या दर निर्धारित की गई थी। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है और मैंने आपको एक पत्र भी लिखा था। आपने उस पत्र का नकारात्मक उत्तर दिया था। आपका उत्तर और सदन में दिया गया उत्तर एक ही होना चाहिए।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : ये गैस के लिए मूल्य अर्थात् दर की बात कर रहे हैं। इस पर विचार किया जा रहा है। हमने पूर्ण गैस आपूर्ति पर विचार करने के लिए विभाग में एक समिति का गठन किया है और इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ इसकी कीमत पर भी विचार किया है। हम इस प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र इस पर निर्णय लेने वाले हैं।

श्री एम०एम० पल्लम राजू : यदि कोई भी व्यक्ति भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के पास प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए जाता है तो वे यह शर्त रखते हैं कि वे इस तारीख तक गैस की सप्लाई दे देंगे। परन्तु यदि सम्बन्धित व्यक्ति गैस का इस्तेमाल न करे तो भी उसे उसका भुगतान करना पड़ता है। परन्तु वे इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि यदि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड निर्धारित तारीख तक गैस की आपूर्ति नहीं कर पाया तो यह इसके लिए क्षति पूर्ति देगा। ये इस उत्तरदायित्व को लेने को तैयार नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : आप घरेलू उपभोक्ता की बात कर रहे हैं या औद्योगिक, व्यापारिक की।

श्री एम० एम० पल्लम राजू : मैं औद्योगिक इस्तेमाल की बात कर रहा हूं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, यह सवाल मूल प्रश्न से अलग है। इसके लिए मैं अलग से नोटिस चाहता हूं।

श्री एम० एम० पल्लम राजू : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय में मन्त्री महोदय उत्तर देना नहीं चाहते हैं।

श्री के० एस० राव : आन्ध्र प्रदेश के सभी तटीय जिलों में घरेलू उपभोग के लिए जलाने की लकड़ी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। वहां इसकी कमी है। अत: निम्न मध्यमवर्ग, और यहां तक कि कुछ गरीब लोगों समेत वहां की सम्पूर्ण जनसंख्या अब गैस आपूर्ति पर निर्भर करती है और कुछ स्थानों पर गैस की खपत काफी बढ़ गई है। तटीय जिलों में गैस की उपलब्धता बहुत कम है। वहां और अधिक एजेन्सियों की मांग भी बार-बार की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त तटीय क्षेत्र में गैस की उपलब्धता पहले से ही पता लगाए गए तेल की तुलना में काफी अधिक है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से केवल यह जानना चाहता हूं कि तटीय जिले में गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और जलाने की लकड़ी की कमी के कारण उस उपलब्ध गैस को वहां के लोगों की शीघ्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्या ये विशाखापट्टनम में या विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच कुछ और एल पी०जी० भरने के संयंत्र लगाने पर विचार करेंगे और इस क्षेत्र में और अधिक एजेन्सियां खोलेंगे ताकि और अधिक लोग जल्दी ही इसका उपयोग कर सकें।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हमारे देश में गैस भरने की पर्याप्त क्षमता है। परन्तु एल०पी०जी० की उपलब्धता की कमी है। हम इसका भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं, परन्तु हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है। अत मांग को पूरा कर पाना अत्यन्त कठिन है। परन्तु मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हमारा प्रयास यथासंभव अधिकाधिक संख्या में लोगों को एल.पी.जी. सिलेण्डर की आपूर्ति करना है ताकि वनों और अन्य प्राकृतिक सम्पदा को बचाया जा सके।

श्री के० एस० राव : क्या हम गैस सिलेण्डरों का भी आयात कर रहे हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हम सिलेन्डरों का बिल्कुल भी आयात नहीं कर रहे हैं। इनका निर्माण देश में ही किया जाता है। हमने गैस भरने के संयंत्र लगाए हुए हैं जो लगभग पर्याप्त हैं। परन्तु हम एल०पी०जी० गैस का भारी मात्रा में आयात कर रहे हैं।

श्री रूपचन्द पाल : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने त्रिपुरा से इसके साथ लगते हुए राज्यों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में कोई अध्ययन किया है। और क्या भारत सरकार ने कभी बंगलादेश से होते हुए इस उद्देश्य के लिए लाइनें बिछाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए बंगलादेश की सरकार से विचार विमर्श किया है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, आपकी सप्लीमेंट हो चुका है।

श्री राघव जी : अध्यक्ष महोदय, इस देश के महानगर में तो गैस को पाइप लाइनों द्वारा पहुंचाने की बात की जा रही है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में पिछले दो महीनों से गहरा संकट आया हुआ है। कस्बों और शहरों में गैस पहुंच नहीं रही है और न ही मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है। इसलिये लोगों को खाना पकाने में बहुत मुश्किल हो रही है। क्या माननीय मन्त्री जी मध्य प्रदेश में कुकिंग गैस की आपूर्ति को बढ़ाएंगे।

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जी, नहीं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंजय लाल जी आप बैठ जाएं। मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मन्त्री के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जब कभी देश में गैस की सप्लाई में कमी आती है मुख्य वितरण मुख्य भूमि तक ही सीमित रहता है और सामान्यतः दूरदराज के क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अण्डमान और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्र भी हैं। मैं लक्षद्वीप से हूं,····**(व्यवधान)** हमारी आबादी मुख्यरूप से मछलीपालन के काम में लगी रही है। जो भी लकड़ी आग जलाने वाली उपलब्ध है वह घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी कारण आग जलाने वाली लकड़ी की कमी का हम सामना कर रहे हैं। अतः भारत सरकार ने बहुत पहले यह विश्वास दिलाया था कि तीन या चार मुख्य द्वीपों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा एक द्वीप की मांग को आंशिक रूप से पूरा किया गया और बाकी बचे तीन या चार द्वीपों को अभी तक रसोई गैस का एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया है क्या मन्त्री महोदय जो कि मेरे अच्छे मित्र भी हैं और मेरे गृहक्षेत्र को भी जानते हैं इस सम्बन्ध में कुछ छूट देंगे?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। यह सही है कि अण्डमान और निकोबार द्वीपों में रसोई गैस की मांग बढ़ रही है····**(व्यवधान)** बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए हमारी सप्लाई अपर्याप्त है। हम इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है हम कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है यह हमारे विचारार्थ है।

[हिन्दी]

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि भारत का विदेशी फर्मों के साथ संपर्क स्थापित हुआ है। इसमें उन्होंने बताया है कि फ्रांस और ब्रिटेन की फर्मों से संपर्क स्थापित हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके अलावा भी किसी देश की किसी फर्म के साथ संपर्क स्थापित किया जा रहा है और अगर किसी और देश की फर्म के

साथ संपर्क स्थापित हुआ है तो सरकार को इस बारे में उस फर्म से क्या जवाब मिला है। क्या सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन की फर्म से ही सपर्क स्थापित हुआ है या और किसी देश की अन्य किसी फर्म से भी सपर्क हुआ है, अगर हुआ है तो उस देश तथा उस फर्म का क्या नाम है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, मैसर्स सोफ्रेगैज एक कम्पनी है जिसे मन्त्रालय ने बम्बई में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करने को कहा है। उन्होंने प्रतिवेदन दे दिया है और उसे पी० आई० बी० को विचारार्थ भेज दिया गया है। पी० आई बी० ने कुछ आपत्तियां उठाईं हैं।

[हिन्दी]

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : कौन-कौन से देश हैं ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हम उन आपत्तियों का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस समय यह स्थिति है। हम यह चाहते हैं कि बम्बई और अन्य शहरों को न केवल घरेलू कार्यों अपितु वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए व्यापक अधिक मात्रा में गैस सप्लाई की जाए।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय की तरफ से सवालों के जवाब ठीक नहीं आ रहे हैं माननीय सदस्यों का संरक्षण करिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

पंजाब में पवन चक्की परियोजनाओं की स्थापना

*266 **श्री कमल चौधरी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में पवन चक्की परियोजनाओं की स्थापना के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और अब तक इस सम्बन्ध में कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है, और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान पंजाब के किन-किन जिलों में ऐसी परियोजनाएं कार्यान्वित करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब में सतह्त्तर जल पम्पन पवन चक्कियां लगाई गई थीं। 1990-91 के दौरान राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि राज्य में पवन संभाव्यता कम है।

श्री कमल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मन्त्री महोदय को उनके विभाग द्वारा दिया गया उत्तर गलत है।

अध्यक्ष महोदय : इस पचड़े में न पड़े। कृपया मन्त्री महोदय की बात सुनिये। वह इसका उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री कमल चौधरी : ऐसा लगता है कि इस उत्तर को या तो आतंकवादी या मंडल कमीशन के शिकार व्यक्ति ने तैयार किया है। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि किस किस वर्ष में इन 77 वाटर पम्पों पर कितना खर्चा आया ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : 1980-81 से 1984-85 के दौरान सभी 77 पानी निकालने की पवन चक्कियों को लागू कर दिया गया। प्रत्येक पानी निकालने की पवन चक्की पर आने वाला कुल व्यय 12000/- रुपए का है। कुल व्यय 9 लाख रुपए का आया है।

श्री कमल चौधरी : जैसा कि मैंने कहा है उत्तर ठीक नहीं है। मैंने पंजाब की सभी हवाई पट्टियों और पश्चिमी क्षेत्र की अधिकांश हवाई पट्टियों पर कार्य किया है। मुझे पवन की गति का पता है। शाम से पहले पवन शांत होती है। वह दिन में तेज चलती है और शाम होने तक कम हो जाती है। पवन की गति के दबाव से भी प्रभावित होती है भूमध्य सागर पर बनने वाले कम दबाव से उत्तर भारत के पश्चिमी हिस्से पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला दबाव जो उत्तर एशिया की ओर बढ़ता है इससे पंजाब भी प्रभावित होता है। तीसरी बात उत्तर भारत पर पवन के दबाव से राष्ट्र के इस भाग पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन चलने वाली पवन का वेग पवन चक्कियां चलाने के लिए पर्याप्त होता है। मन्त्री जी यह पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्येक पवन चक्की पर 12,000 रुपए का खर्चा आया है। यह ऊर्जा का सबसे सस्ता साधन है। मैं मन्त्री महोदय से दूसरा प्रश्न नहीं पूछूंगा। लेकिन क्या मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव दे सकता हूं कि वह इस परियोजना को जारी रखें और उन गांवों में जहां बिजली मात्र चार से आठ घन्टे के लिए ही उपलब्ध होती है वहां इन पवन चक्कियों को उपयोग में लाया जाए।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : महोदय, मुझे मालूम है कि माननीय सदस्य एक अनुभवी पाइलेट हैं और उनके अनुभव व उनकी जानकारी के बारे में मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है वह वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है जिसे विशेषज्ञों के दल द्वारा तैयार किया गया है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं यह 77 पानी निकालने वाली पवन चक्कियां छठी योजना के दौरान पंजाब में स्थापित की गई थीं। लेकिन अपर्याप्त पवन वेग के कारण आज भी इनको स्थापित करने के पश्चात इनके कार्यों को संतोषजनक नहीं पाया गया। इसी कारण सातवीं योजना के दौरान और पम्पिंग सेट लगाए गए क्योंकि पहले लगाए गए पम्पिंग सेटों का कार्य संतोषजनक नहीं था। इसी कारण सातवीं योजना में इस कार्यक्रम को बन्द कर दिया गया। सिंचाई और पेयजल के लिए पवन पम्प परियोजना स्थापित करने के लिए 12 किलोमीटर की औसत रफ्तार से हवा चलनी चाहिए यह महत्वपूर्ण है। पवन पर आधारित खेती परियोजनाओं के लिए जहां ग्रिड को

सप्लाई के लिए बिजली का उत्पादन भी किया जाता है वहां पवन की औसत रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घन्टा होनी चाहिए। भारत के पवन ऊर्जा सम्बन्धी आंकड़ों की पुस्तिका, जिसे 1983 में ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने की परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशित किया था, में मौसम विभाग की वेधशालाओं द्वारा पवन सम्बन्धी आंकड़े दिए थे उसमें पंजाब में पवन का औसत गति 10 किलोमीटर से प्रति घन्टे से कम है। राज्य में कहीं भी बड़े पहाड़ी क्षेत्र नहीं हैं जहां स्थानीय कारकों से अधिक पवन वेग की आशा की जा सके। पंजाब में जिलेवार पवन के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। अमृतसर में पवन वेग 7.9 किलोमीटर प्रति घन्टा है, भटिण्डा में 4 किलोमीटर प्रति घन्टा, चण्डीगढ़ में 6.0, फिरोजपुर में 2.9, लुधियाना में 4.0 पटियाला में 8.1 और पठानकोट में 6.6 किलोमीटर प्रति घन्टे के वेग से बहती है। यदि अपर्याप्त पवन वेग के कारण हम यहां अधिक संख्या में पम्प स्थापित नहीं कर रहे हैं, तो इसका आशय यह नहीं है कि गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विभाग के अन्तर्गत हम पंजाब में अन्य परियोजनाएं स्थापित नहीं कर रहे हैं। वास्तव में बायोगैस विकास कार्यक्रम जैसी अन्य परियोजनाओं को पंजाब में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इसके अलावा विकसित चूल्हा कार्यक्रम भी है। यहां औसत संभावनाएं राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। फिर सामुदायिक संस्थागत बायोगैस संयंत्र हैं विशेषकर चावल पुआल परियोजना केवल पंजाब में ही चलाई जा रही है।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या बिजली और डीजल की कमी को देखते हुए पंजाब के अलावा भी अन्य प्रदेशों में पवन चक्की परियोजना लागू करने का सवाल है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी कोशिश है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उपलब्ध करा सकें। अगर पारम्परिक स्रोतों से उपलब्ध नहीं करा सकते तो गैर-पारम्परिक स्रोतों से उपलब्ध करायेंगे जिसमें पावन चक्की शामिल है लेकिन सारी समस्याएं उसी बात की हैं कि संसाधनों की कमी है। जो मैंने कार्यक्रम पहले बताए हैं तो केवल पंजाब के लिए नहीं हैं पंजाब के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया था और वहां से सम्बन्धित आंकड़े बताएं। यह कार्यक्रम पूरे देश में ही लागू किया जा रहा है और हम इसको और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

श्री डी० अमात : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या पंजाब के अलावा नई दिल्ली स्थित गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने उड़ीसा में भी ऐसी कुछ परियोजनाएं प्रायोजित की हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के कम से कम एक गांव में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा जैसे ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाया जाए।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : जी हां, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का आशय ऊर्जाग्राम कार्यक्रम से है। विभाग गांव स्तर पर विकेन्द्रीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, जिसे ऊर्जा ग्राम भी कहा जाता है, लागू कर रहा है। ऊर्जाग्राम में गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों और प्रक्रियाओं के मिले-जुले रूप को गांव की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाया जाता है। ऊर्जा ग्राम परियोजना की ऊर्जा में स्थानीय रूप से उपलब्ध ऊर्जा संसाधन और गांव की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। 50 गांवों में ऊर्जा सर्वेक्षण की परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है।

मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा कि राष्ट्र में 127 ऊर्जाग्रामों को पूरा किया जा चुका है और 221 अभी लागू किए जा रहे हैं। मेरे पास राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य इच्छुक हों तो मैं उन्हें यह जानकारी दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि पंजाब में विंड मिल सफल नहीं हो सकी है और उसका कारण बताया कि हवा की स्पीड जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। यह बुनियादी बात है कि इतनी स्पीड होनी चाहिए हवा की तो बिना सोचे-समझे हवा की स्पीड न होने के बावजूद क्यों लगाया गया यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मूल उत्तर में कहा है कि बुनियादी तौर पर यह डिमान्सट्रेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत किया गया है और सभी राज्यों में डिमान्सट्रेशन प्रोग्राम के तहत बहुत सारे ऐसे विंड-मिल लगाए गए हैं, उसके बाद वे आंकड़े उपलब्ध हो गए और जिस बारे में मैंने बताया तो साइन्टिफिक स्टडी कराई गई थी और जो आगे का कार्यक्रम है और जो हमें जानकारी उपलब्ध हुई उस सर्वेक्षण से उसके आधार पर आगे के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। जहां पर हवा कम उपलब्ध है तो वहां दूसरे गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं तो वहां के कार्यक्रम हैं।.... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चार्ल्स फर्नांडीज : महोदय ऊर्जा के स्त्रोतों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों जैसे तेल के मुकाबले गैर परम्परागत ऊर्जा के स्त्रोत जैसे पवन चक्की बहुत उपयोगी है। यह समझा जाता है कि कुछ वर्षों पहले इस सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण हुआ था कुछ ऊंचाई पर पवन चक्कियां 16 घन्टे तक 1500 आर पी, एम पर सारे राष्ट्र में विशेषकर दक्षिण भारत में चलाई जा सकती है।

मैं माननीय मन्त्री से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पवन ऊर्जा शक्ति के उपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाएं क्योंकि ऊर्जा के अतिरिक्त स्त्रोतों में से यही स्त्रोत सबसे अच्छा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं। जो ऊर्जा गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों से पैदा होती है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि

यह प्रदूषण नहीं फैलाती। माननीय सदस्य के सुझावों पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री गोपाल सिंह नक्कावत : मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान का वह सीमावर्ती क्षेत्र जहां तेज हवाएं चलती हैं और वह रेगिस्तानी इलाका बिजली के लिहाज से अविकसित है क्या आप उसकी तरफ ध्यान देंगे जिससे सबसे सस्ती बिजली उस इलाके में दी जा सके और उसको प्राथमिकता मिले ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देंगे।

भोपाल बकानिया बाटलिंग संयंत्र की क्षमता बढ़ाना

[हिन्दी]

*267. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल बकानिया रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र की क्षमता दुगनी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ?

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री सूरजभानु सोलंकी : मन्त्री जी ने आराम से कह दिया कि कोई प्रपोजल नहीं है। मध्य प्रदेश में कुकिंग गैस की इतनी कमी है कि वहां के खाद्य मन्त्री खुद एजेंसीज पर जाकर जांच कर रहे हैं कि 20-25 दिन की शार्टेज चल रही है उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे मीट किया जाये। हमने पूछा था कि उसका प्रपोजल डबल का है या नहीं, सीधे मना कर दिया कि नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आप बाद में सवाल पूछें।

श्री फूलचन्द वर्मा : मध्य प्रदेश के लिए रसोई गैस की व्यवस्था कराएं।

अध्यक्ष महोदय : वर्मा जी आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री सूरजभानु सोलंकी : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भोपाल बाटलिंग प्लांट की जो केपेसिटी है वह मध्य प्रदेश के इंडियन आयल के उपभोक्ताओं की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही है ? दूसरा प्रश्न यह है कि अगर उसकी केपेसिटी डबल नहीं की जा सकती और बड़ौदा बाटलिंग प्लांट से मध्य प्रदेश की सप्लाई मिल रही है और जो हमारे यहां 20-25 दिन की कमी है उसे कब तक नार्मल कर देंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस गुरुपादस्वामी : महोदय इस समय मध्य प्रदेश में बाटलिंग संयंत्र की क्षमता 1 66 लाख मीट्रिक टन है जो कि 117 लाख सिलेंडर प्रति वर्ष निकालती है। मध्य प्रदेश में सिलेंडर की औसत उत्पादन संख्या 40,000 प्रति दिन सिलेंडर है। मध्य प्रदेश में इन सिलेंडरों को दुबारा भरने की प्रति दिन की मांग 24,000 सिलेंडर है। आवश्यकता से अधिक क्षमता है···· **(व्यवधान)** प्रश्न बाटलिंग संयंत्र और बाटलिंग क्षमता से संबंधित है न कि रसोई गैस सिलेंडरों से। कृपया दोनों को मिलाइए मत। वहां बाटलिंग क्षमता अधिक है। जबकि प्रति दिन औसत उत्पादन 40,000 सिलेंडर है वहीं प्रतिदिन की आवश्यकता 24,000 सिलेंडर की है।··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : आप पता लगाइये कि चालीस हजार सिलेंडर रोज भरे जाते हैं या नहीं।

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यदि आपका आशय रसोई गैस सिलेंडर की मांग से है, तब मैं यह कह सकता हूं, कि मध्य प्रदेश सहित सारे भारत में मांग बढ़ रही है। यह सही है कि मांग बढ़ रही है। लेकिन यह प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं है। यह बाटलिंग क्षमता से सम्बन्धित है··· **(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लघु औद्योगिक एककों के आधुनिकीकरण के लिए शीर्ष निकाय

[अनुवाद]

*264. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लघु औद्योगिक एककों का आधुनिकीकरण करने हेतु एक शीर्ष निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नए ढांचे के गठन से पहले खादी ग्रामोद्योग आयोग सहित मौजूदा आधारभूत ढांचे में सुधार लाने और इसका पुनर्गठन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : क) और ख) जी, हां। लघु तथा कृषि उद्योगों के संवर्धन के लिए नीति सम्बन्धी उपायों में लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) में एक सर्वोच्च प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र के अधीन प्रौद्योगिकी केन्द्रों, औजार कक्षों, प्रक्रिया तथा उत्पाद विकास केन्द्रों, परीक्षण केन्द्रों आदि की स्थापना करने का प्रस्ताव शामिल है। यह प्रस्ताव आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए कार्यक्रम शुरू करने की दृष्टि से किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लघु क्षेत्र में निर्मित उत्पादों की प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार होगा।

(ग) ग्राम्य तथा कुटीर उद्योगों में बड़ी संख्या में कार्यरत कारीगरों की मदद करने के उद्देश्य से के०वी०आई०सी० और के०वी०आई० बोर्डों का विस्तार किया जायेगा और अपने उत्तरदायित्व को अधिक कारगर रूप से निभाने के लिए इन संगठनों को मजबूत किया जायेगा। ग्रामीण कारीगरों को अपना माल बेचने में और कच्चे माल की आपूर्ति करने में भी मदद करने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर विशेष विपणन संगठन बनाए जाएंगे। रियायती दर पर ऋण देने के अतिरिक्त, कारीगरों के समूहों को प्रशिक्षण सुविधाएं तथा परामर्शीय सेवाएं प्रदान की जायेगी। लघु तथा कृषि उद्योगों के विकास व फैलाव को अपेक्षित सहायता देने के लिए केन्द्र, राज्य और जिला स्तर के मौजूदा आधारभूत ढांचे को पूरी तरह से अनुकूल बनाया जायेगा।

रेलवे में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

*268. **श्री के० कोलका राव**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कितनी रही; और

(ख) सरकार ने खपत में कमी करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) भारतीय रेलों पर 1985-86 से 1989-90 तक पांच वर्ष की अवधि के दौरान डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की हुई वर्षवार खपत नीचे दी गई है :—

वर्ष	कर्षण के लिए डीजल की खपत-लाख किलोमीटर में	गैर-कर्षण के लिए डीजल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खपत (लाख किलोमीटर में)
1985-86	14.63	1.06
1986-87	15.36	0.85
198 -88	15.96	0 82
1988-89	1 .53	0.80
1989-90 (अनंतिम)	16.77	0.78

(ख) खपत में कटौती करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

(1) उपयुक्त रख-रखाव तथा उनका हिसाब रखना।

(2) रेल इंजनों में डीजल की खपत पर ड्राइवरवार तथा इंजन-वार निगरानी रखना।

(3) रेल इंजनों को यांत्रिक दृष्टि से अच्छी हालत में रखना।

(4) रेल पथों तथा पहिया फ्लैंजों का स्नेहन आदि।

दल्ली राजहरा-जगदलपुर रेल लाइन

[हिन्दी]

*269. श्री मानकूराम सोढ़ी
श्री रेशम लाल जांगड़े } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में दल्ली राजहरा-जगदलपुर रेल लाइन के सम्बन्ध में अंतिम सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा इसकी अनुमानित लागत क्या होगी; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी हां।

(ख) 1987-88 के मूल्य स्तर के अनुसार 235 कि॰मी॰ लंबी लाइन पर 218 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) इस समय यह बताना कठिन है कि इस परियोजना को कब स्वीकृति दी जायेगी।

कांति ताप विद्युत संयंत्र, मुजफ्फरपुर को कोयले की सप्लाई

[अनुवाद]

*270 **श्री ए॰ के॰ राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर में कांति ताप विद्युत संयंत्र को पत्थर मिला कोयला सप्लाई किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) मुजफ्फरपुर में कांति ताप विद्युत संयंत्र को यदाकदा कुछ विजातीय सामग्री वाला कोयला प्राप्त हुआ है। गत तीन वर्षों के दौरान, वैगनों के संबंध में जिनमें इस प्रकार का कोयला प्राप्त हुआ, विद्युत केन्द्र से प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या 91 है।

देश में इस विद्युत संयंत्र समेत विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए गए कोयले की गुणवत्ता की संबंधित एजेंसियों द्वारा सतत् रूप से मानीटरिंग की जाती है। स्थिति में सुधार करने के लिए समुचित ग्रेडिंग तथा तदनुसार इसकी बिलिंग किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। खान स्थलों पर ही, कोयला भेजने से पूर्व जहां तक सम्भव होता है बीनने योग्य पत्थर/सलेटी पत्थर आदि को चुनकर अलग-अलग कर दिया जाता है।

रेलवे के जम्मू विंग में रिक्त पद

*271. **श्री प्यारे लाल हांडू** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1990 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे के जम्मू विंग में कितने रिक्त पद थे;

(ख) इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार का उत्तर रेलवे के लिए श्रीनगर में एक अलग भर्ती सेल स्थापित करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) सामान्यतः, इस तरह की सूचना मंडल-वार और क्षेत्रीय रेलवे-वार रखी जाती है न कि क्षेत्र-वार अथवा राज्य-वार। तथापि, उत्तर रेलवे के जम्मू-कठुआ खंड में सीधी भर्ती के कोटे के अंतर्गत 1.7.1990 को कुल रिक्त पदों की संख्या 15 है।

(ख) रेल भर्ती बोर्ड, जम्मू द्वारा उपर्युक्त रिक्तियों के लिए पहले ही चयन आयोजित किया जा चुका है। तथापि, रिक्तियों (अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, डाक्टरी की दृष्टि से अशक्तता, त्याग-पत्र, सेवा से हटाने, मृत्यु, आदि के कारण) का उत्पन्न होना और सीधी भर्ती, विभागीय पदोन्नति, नैमित्तिक श्रमिकों समाहन आदि जसी निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से इन्हें भरना एक सतत् प्रक्रिया है, इस प्रकार किसी दिये गये समय पर कुछ पद हमेशा रिक्त रहेंगे। अतः रिक्त पदों को भरने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा बताना व्यावहारिक नहीं है।

(ग) उत्तर रेलवे के लिए श्रीनगर में एक अलग भर्ती कक्ष की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जम्मू और कश्मीर में एक रेलवे भर्ती बोर्ड पहले से ही कार्य कर रहा है जो अन्य के साथ-साथ उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के लिए ग्रुप "सी" के कर्मचारियों की भर्ती करता है।

हासन-अरासिकेरे मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*272. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हासन-अरासिकेरे मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रेल लाइन को बदलने का कार्य कब शुरू होगा ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में नैमित्तिक श्रमिक

[हिन्दी]

+273. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में इंडियन लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसियेशन द्वारा नैमित्तिक श्रमिकों को वापस बुलाये जाने हेतु कोई आंदोलन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती में भ्रष्टाचार की जानकारी प्रकाश में आई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन रेलवे लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन ने इस बात के लिए आन्दोलन चला रखा है कि मुरादाबाद मण्डल में असली उम्मीदवारों के हकों की उपेक्षा करके जाली रिकार्डों के आधार पर लोको क्लीनरों के रूप में 285 व्यक्तियों को तथाकथित रूप से लगाया गया है। उन्होंने मांग की है कि जाली रिकार्डों के आधार पर तथाकथित रूप से लगाये गये उम्मीदवारों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और उनकी एसोसिएशन के अनुसार असली उम्मीदवारों को उनके स्थान पर लगाया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के सन्दर्भ में, उत्तर रेलवे के मुरादाबाद लोको शेड में कथित जाली दस्तावेजों के आधार पर लोको क्लीनरों के रूप में की गयी नियुक्ति के 44 मामलों की उत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है। इन 44 मामलों में से 13 मामलों के सम्बन्ध में जांच पूरी कर ली गई है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्यवाई की जा रही है। शेष 31 मामलों के संबन्ध में सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है। इन शिकायतों में उल्लिखित शेष मामलों की अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की जा रही है।

इस समय की जा रही जांच के पूरा हो जाने के बाद, जांच के परिणामों के आधार पर रेल प्रशासन द्वारा यथा आवश्यक आगे कारंवाई की जायेगी।

आरक्षित डिब्बों में प्रवेश करने पर जुर्माना

*274. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार का कोई आदेश जारी किया गया है कि वैध टिकट लेकर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के आरक्षित डिब्बों में प्रवेश करने पर उनसे जुर्माना वसूल किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का यात्रियों की कठिनाइयों और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस आदेश को वापस लेने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) यदि कोई यात्री बिना आरक्षण के आरक्षित सवारी डिब्बे में प्रवेश करता है या किसी अन्य यात्री के लिए आरक्षित शायिका या सीट ग्रहण कर लेता है और कहे जाने पर उसे खाली करने से इनकार करता है तो उस पर रेल अधिनियम, 1989 की धारा 155 के अंतर्गत 500 रुपये तक जुर्माना करने का प्रावधान है ।

(ख) ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि उन यात्रियों को जिनके लिए स्थान आरक्षित है, असुविधा न हो ।

(ग) रेल अधिनियम के उक्त उपबन्ध में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रिग्स् और ड्रिलिंग मशीनों को किराए पर लेना

*275. **श्री छोटूभाई गेवजीभाई गामित** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल और गैस की खोज और ड्रिलिंग के लिए सरकार ने कितने रिग्स और ड्रिलिंग मशीनें किराए पर ली हैं;

(ख) प्रत्येक रिग्स् और ड्रिलिंग मशीन के लिए किराये के रूप में कितना वार्षिक भुगतान किया गया और इन मशीनों के किराए के रूप में विदेशों को अब तक कुल कितना भुगतान किया गया है; और

(ग) इनमें से कितने रिग्स् और ड्रिलिंग मशीनों को अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया है और इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड अपनी प्रचालनगत आवश्यकताओं के अनुसार रिग किराये पर लेते या नहीं लेते हैं । फिलहाल किराये भाड़े पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि० द्वारा लिये गये रिगों की संख्या 33 है ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान विदेशी और भारतीय कम्पनियों से किराये भाड़े पर लिये गये रिगों के किराये भाड़े के प्रभार के रूप में उन्हें दिये गये वार्षिक भुगतान के बारे में ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) किराये के सभी रिगों का इस्तेमाल वेधन के लिए किया गया था।

विवरण

रिग का नाम		किराये भाड़े का वार्षिक भुगतान 1989-90 (लाख रुपये)
1	2	3
क. विदेशी कम्पनियों से किराये पर लिये गये रिग		
1.	सेपेम	574.0
2.	डी एस टी	479.0
3.	भारत सोवियत सहयोग के अंतर्गत 5 रिग	4289.78
4.	फारेक्स नेप्च्युन	571.96
5.	डी आर स्टेवार्ट	899.60
6.	डी० के० मैक इन्टोश	797.0
7.	ट्राइटॅट-II	885.57
8.	सी/इटजा	1058.56
9.	उक्समल	996.21
10.	हाकुर्यू-9	971.60
11.	सेडको-445	80.97
12.	डी०एफ-95	425.30
13.	रिचटर रिग	328.09
14.	ड्यूटिंग रिग	489.70
	योग :	12847.34

ख. भारतीय कम्पनियों से भाड़े पर लिए गए रिग

1. इसार-II	115.22
2. इसार-III	308.22
3. इसार-I	373.59
4. त्रिवेनी के 3 चलन्त रिग	945.50
5. इसार के 4 चलन्त रिग	1910.35
6. अबन के 4 रिग	697.32
7. केदारनाथ	651.78
8. बद्रीनाथ	107.86
9. बोनीटो-I	1216.65
10. बोनीटो-II	1182.84
11. हिटव्रिब	1019.85
12. इले डी एम्सटरडम	933.35
13. एक्स्प्लोरर	745.01
14. जी ए-III	608.10
15. जी ए-II	717.0
16. डेनवुड आइस	81.05
17. जी एम पी-III	1193.29
18. ड्यूअल 38	1156.92
19. जैगसन-II	1265.70
20. जैक्सन-III	1157.02
21. वाइकिंग ड्रीलर	607.45
22. इ०डी० होस्ट	939.74
23. पैरोनेबो	813.69
योग :	18747.50

कोयला उत्पादन

*276 प्रो० रासा सिंह रावत }
श्री नकुल नायक } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में, कोयले की कितनी अनुमानित मांग और कोयले का कितनी मात्रा मे उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई दीर्घावधि नीति तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। किन्तु योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयले तथा लिग्नाइट पर कार्यकारी दल ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1994-95) तक कच्चे कोयले की मांग 315 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया है। उक्त कार्यकारी दल ने वर्ष 1994-95 के लिए 310.31 मिलियन टन कोयला उत्पादन किए जाने की सिफारिश की है और मांग तथा उपलब्धता के बीच की कमी को खान-मुहाना भंडारों से कोयला प्राप्त करके तथा इस्पात क्षेत्र के लिए अपेक्षित कोककर कोयले का निर्यात करके पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। कोयला उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता, विद्यमान खानों से उक्त उत्पादन तथा चालू खानों के उत्पादन में वृद्धि करके और नई खानों के विकास के द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

विमान टैक्सियां चलाना

[अनुवाद]

*277. श्री शांताराम पोटदुखे }
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स के व्यस्त मार्गों पर कुछ गैर-सरकारी विमान टैक्सियां चलाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय वायु परिवहन क्षेत्र में गैर सरकारी चालकों को अनुमति देने के पीछे क्या औचित्य है;

(ग) इन विमान कम्पनियों को अपनी विमान-सेवा चलाने की अनुमति किन शर्तों पर दी गई है और उनकी किराये की दरों को किस आधार पर स्वीकृति दी गयी है;

(घ) इन गैर-सरकारी विमान टैक्सी प्रचालकों को विमान पत्तनों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिये सरकार को तथा सबंधित पत्तन प्राधिकरणों को क्या प्रभार अदा करना पड़ता है;

(ङ) विमानों की उड़ान-उपयुक्तता और उनके दैनिक प्रचालनों पर महानिदेशक, नागर विमानन तथा संबंधित सरकारी एजेन्सियों द्वारा रखे गये नियन्त्रणों का ब्योरा क्या है; और

(च) क्या इन गैर-सरकारी कम्पनियों के विमानों में यात्रा करने वाले व्यक्ति किसी दुर्घटना होने की स्थिति में, इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे के समान ही मुआवजा पाने के अधिकारी हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) देश में अनुसूचित परिचालनों के लिए खुले हुए सभी हवाई अड्डों को, सम्बन्धित हवाई अड्डा प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति लेने पर हवाई टैक्सी सेवा परिचालित की जा सकती है। हवाई टैक्सी प्रणाली से, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बिना पूंजी निवेश के और विदेशी मुद्रा बहिर्गमन के यात्री क्षमता में वृद्धि और पर्यटन क्षेत्र में भी राजस्व वृद्धि होने की आशा है। इससे अन्तर्देशीय क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न होगी। हवाई टैक्सी परिचालक सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने किराए निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(घ) हवाई टैक्सी प्रचालक हवाई अड्डों के प्राधिकारियों को उनके द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार सभी प्रभारों की अदायगी करेंगे।

(ङ) नागर विमानन महानिदेशक, वायुयान अधिनियम और नियमों के अंतर्गत उनकी शक्तियों के तहत यह सुनिश्चित करेंगे कि सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए।

(च) हवाई टैक्सी से यात्रा करने वाले यात्री हवाई वाहन अधिनियम, 1972 अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति पाने के हकदार होंगे। तथापि, यदि प्रचालक चाहें तो वे क्षतिपूर्ति की बड़ी रकम भी दे सकते हैं इस समय इण्डियन एयरलाइन्स दुर्घटना के कारण मरने वालों के मामले में, हवाई वहन अधिनियम, 1972 के अधीन निर्धारित राशि से अधिक क्षतिपूर्ति दे रही है।

भारतीय सीमेंट निगम के एककों में धूल नियंत्रक उपकरण लगाना

*278. श्री पी० नरसा रेड्डी
श्री मनोरंजन भक्त } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम के एककों में धूल नियंत्रक उपकरण लगाये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इन एककों में प्रदूषण नियंत्रण के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रसोईगैस के चूल्हों और रेगुलेटरों का निर्माण

*279. श्री इरा अम्बारासु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस के चूल्हों और रेगुलेटरों के निर्माण के लिए कोई लाइसेंस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां तो क्या निर्माता नकली और घटिया किस्म के गैस चूल्हों और रेगुलेटरों का निर्माण करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे निर्माताओं के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नकली और घटिया क्वालिटी के गैस स्टोवों और रेगुलेटरों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुवाहाटी और अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटनाओं से सम्बन्धित जांच

[हिन्दी]

*280. **श्री हरिशंकर महाले : क्या नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 में गुवाहाटी और अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए एक जांच आयोग गठित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच जांच-रिपोर्टें प्राप्त हो गई; और

(ग) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के अनुसार इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे और इस सम्बन्ध में आगे और क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) गुवाहाटी और अहमदाबाद में हुई दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए दो अलग जांच न्यायालयों की स्थापना की गयी थी। दोनों जांच रिपोर्टें प्राप्त हो गयी हैं।

2. 19-10-1988 को गुवाहाटी में वायुदूत एफ-27 विमान की दुर्घटना का कारण गुवाहाटी में उपस्कर अवतरण प्रणाली की "लेट-डाउन" प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन न किया जाना था। विमान यातायात नियंत्रक द्वारा विमान को आउटर मार्कर इनबाउंड पर उस समय गलत क्लीयरेंस देना भी एक कारण था जब कैप्टन-इन-कमांड ने ग्लाइड स्लोप के उपलब्ध न होने के बारे में बताया था।

3. 19-10-1988 को अहमदाबाद के निकट हुई इण्डियन एयरलाइन्स के बी-737 विमान की दुर्घटना कमान पायलेट और को-पायलेट द्वारा खराब दृष्यता की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण हुई थी।

4. सरकार ने विमान परिचालनों की सुरक्षा के लिए सुझायी गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। जांच रिपोर्टों की प्रतियां लोक सभा पुस्तकालय में रख दी गई है।

उड़ीसा में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

*281. **श्री रवि नारायण पाणि : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) उड़ीसा में रेलवे स्टेशनों पर चल रहे कार्य :—

(आंकड़े लाख रुपए में)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	प्रत्याशित लागत	1990-91 के लिए परिव्यय
1	2	3	4
1.	भुवनेश्वर-आदर्श स्टेशन के रूप में विकास	94.64	17.64
2.	खालियापाली, पटासाही, चांदीपोष और चंपाझरन स्टेशनों का विद्युतीकरण	12.00	5.00
3.	राउरकेला-दो वातानुकूल कक्षों सहित दो बिस्तर वाले 8 विश्राम कक्ष	9.61	5.11
4.	खोरधा रोड-पानी की सप्लाई में सुधार लाने के लिए 50,000 गैलन क्षमता वाली प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की ऊपरी टंकी	9·96	8.46
5.	भद्रक-मौजूदा पुल के बदले ऊपरी पैदल पुल	21.19	5.00
6.	राउरकेला लाइन सं० 5-ए पर पटरी की सतह वाले प्लेटफार्म	8.12	4.42
7.	धानमंडल प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा करना	9.86	0.50
8.	धानमंडल-प्लेटफार्म सायबानों की व्यवस्था	6.47	1.00
9.	कटक-प्लेटफार्म सं० 1 को ऊंचा करना	6.61	0.50
10.	कटक-गाड़ी संसूचक बोर्ड	3.74	0.50
11.	पानपोश-प्लेटफार्म पर सायबान	3.71	1.50
12.	धेनकेनाल-प्लेटफार्म सं० 1 को ऊंचा करना	2.04	0.50
13.	मंचेश्वर-द्वीप प्लेटफार्म को ऊंचा करना	6.25	1.00
14.	वैतरणी रोड-प्लेटफार्म को ऊंचा करना	4.61	0.75
	जोड़	198.81	51.88

(ख) 1990-91 के कार्यक्रम में शामिल किये गये कार्य :—

1	2	3	4
15.	बरपाली-स्टेशन पर एक नलकूप	4.37	2.00
16.	वाणिविहार-दूसरे दर्जे के प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था	3.17	1.66
17.	लिंगराज टेम्पल रोड-दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था	2.02	2.02
18.	तालचेर थर्मल पैसेंजर हाल्ट-दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था	3.17	1.50
19.	दुलाखापटना, आगंल, गोलाबाई और मुक्तेश्वर स्टेशनों का विद्युतीकरण	9.09	3.40
20.	मोतारी दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का विस्तार	3.00	2.00
21.	कटक-स्टेशन में सुधार	15.01	4.00
22.	हिमगिर-यार्ड पर ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	9.17	2.00
23.	बालंगीर-ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	3.11	1.00
24.	केसिंगा-पटरी की सतह वाले प्लेटफार्म को ऊंचा करना	7.61	1.00
	जोड़	59.72	20.58
	कुल जोड़	258.53	72.46

नर्मदा एक्सप्रेस रेलगाड़ी में अतिरिक्त रेल डिब्बे जोड़ना

[हिन्दी]

*282. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर से चलने वाली सभी रेलगाडियां अपनी पूर्ण क्षमता से चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन्दौर और बिलासपुर के बीच चलने वाली 8233/8234 नर्मदा एक्सप्रेस रेलगाड़ी में भोपाल के स्थान पर इन्दौर स्टेशन पर अतिरिक्त रेल डिब्बे जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) फिलहाल नहीं।

सेब के जूस की खरीद

[अनुवाद]

*3050. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चर मार्किटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन द्वारा उत्पादित सेब का जूस खरीदने और इसे रेल विभाग की दुकानों के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों को कहा गया है कि वे जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चर मार्केटिंग एवं प्रोसेसिंग कारपोरेशन द्वारा उत्पादित सेब के रस की बिक्री विभागीय व्यवस्था करके तथा खान पान/लाइसेंसधारी फेरी वालों द्वारा अपनी संस्थापनाओं के माध्यम से बिक्री करने की अनुमति प्रदान करें।

धन का दुरुपयोग

3051. **श्री सुखेन्दु खां** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रमाणित समितियां खादी ग्रामोद्योग आयोग से ऋण मुक्त ब्याज के रूप में जो धनराशि प्राप्त कर रही है, उसका वे अन्य व्यापारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) के.वी.आई.सी. राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी समितियों के खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमो के कार्यान्वयन के लिए ऋण के रूप में निधियों और अनुदान वितरित है। खादी ऋण ब्याज मुक्त हैं जबकि ग्रामोद्योग ऋणों पर चार प्रतिशत ब्याज है। ऐसे कार्यान्वयन अभिकरणों से खरीद उपयोगिता प्रमाणपत्रों के जरिये, अभीष्ट उद्देश्य के लिए निधियों की सही उपयोगिता की सीमा सुनिश्चित की जाती है। जहां कहीं उपयोगिता प्रमाणपत्रों से निधियों के दुरुपयोग का पता चलता है तो सम्बन्धित संस्थाओं से उक्त राशि वसूलने के लिए उपाय किए जाते हैं।

मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड में कामगारों के वेतन में संशोधन

3052 **श्री हाराधन राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के रिफैक्ट्री एण्ड सिरामिक ग्रुप के कामगारों के लिए वेतन सम्बन्धी समझौता पिछली बार कब किया गया था;

(ख) क्या कामगारों ने वेतन में संशोधन इत्यादि के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो कब तथा क्या वेतन सम्बन्धी समझौता कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के रिफैक्टरी एककों के कामगारों के बारे में पिछले मजदूरी समझौते की तारीखें निम्न प्रकार हैं :—

(1) रानीगंज ग्रुप आफ वर्क्स	24-10-79
(2) गुलफरबाड़ी वर्क्स	24-10-79
(3) जबलपुर वर्क्स	22-9-79
(4) निवाड़ वर्क्स	11-9-79
(5) सलेम वर्क्स	17-8-87

(ख) से (घ) यूनियनों ने मजदूरी संशोधन के लिए निम्न प्रकार से अपने मांग-पत्र प्रस्तुत किये हैं।—

(1) रानीगंज ग्रुप आफ वर्क्स	16-5-83
(2) गुलफरबाड़ी वर्क्स	17-1-83
(3) जबलपुर वर्क्स	25-1-83
(4) निवाड़ वर्क्स	1-1-83
(5) सलेम वर्क्स	15-2-90

सलेम के अलावा बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के सभी रिफैक्टरी एकक लगातार भारी घाटा उठा रहे हैं। कम्पनी इन लगातार घाटों और वित्तीय दबावों को देखते हुये इन घाटा उठाने वाले एककों की मजदूरी में संशोधन करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी, कठिनाई को कम करने की दृष्टि से कामगारों को दिनांक 1-4-84 से 1.65 रु० प्रति प्वाइंट की दर से परवर्ती महंगाई भत्ता दिया गया है।

बिहार के आदिवासियों की भर्ती के लिए विशेष अभियान

[हिन्दी]

3053. श्री साइमन मिरांडी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने बिहार में आदिवासियों के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है, और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक डिवीजन में कितने-कितने आदिवासी भर्ती किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी हां।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के आबंटन के सम्बन्ध में शिकायतें

3054. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों के आबंटन के मामले में भारी अनियमितताएं किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कारंवाही की गई है; और

(ग) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिये सरकार क्या सुधारात्मक कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिपों के लिए चयन उच्च-न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष रूप से गठित तेल चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान किसी प्रकार की घोर अनियमितता की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के खिलाफ प्राप्त शिकायत की विधिवत् जांच की जाती है तथा जहां आवश्यक होता है वहां उपचारी कारंवाई की जाती है।

रेलवे में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध

[अनुवाद]

3055. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेलगाड़ियों, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रतिबन्ध को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जाने हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सभी रेलवे अस्पतालों, स्वास्थ्य यूनिटों, वातानुकूल शयनयानों/वातानुकूल कुर्सी यानों तथा उपनगरीय गाड़ियों में धूम्रपान करना निषेध कर दिया गया है,

(ग) रेलवे अस्पतालों तथा स्वास्थ्य यूनिटों में "धूम्रपान न करें" के सूचना पट्ट लगा दिए गए हैं तथा व्यक्तिगत रूप से संपर्क, संदेश तथा परामर्श के माध्यम से प्रतिबन्ध लागू किया जाता है। इसी तरह के सूचना पट्ट वातानुकूल शयनयानों/वातानुकूल कुर्सी यानों तथा उपनगरीय गाड़ियों के सवारी डिब्बों में प्रदर्शित किये जाते हैं। इन सवारी डिब्बों में धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर रेल अधिनियम, 1989 के उपबन्धों के अनुसार 100 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

हावड़ा और समस्तीपुर के बीच ट्रेन चलाना

[हिन्दी]

3056. **श्री मोहिन्द्र लाल : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हावड़ा और समस्तीपुर के बीच एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) हावड़ा और समस्तीपुर के बीच छः जोड़ी एक्सप्रेस गाडियां पहले ही उपलब्ध हैं । इन दोनों स्टेशनों के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कालीकट-मद्रास-त्रिवेन्द्रम-बंगलोर के बीच वायुदूत सेवा

[अनुवाद]

3057. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट-मद्रास-त्रिवेन्द्रम-बंगलौर और दक्षिण में स्थित किसी अन्य हवाई अड्डे के बीच वायुदूत सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) वायुदूत लिमिटेड मद्रास-बंगलोर-कालीकट-कोचीन-त्रिवेन्द्रम और वापसी के मार्गों पर पहले से ही सप्ताह में तीन बार की डोर्नियर सेवा का परिचालन कर रहा है और कम्पनी की निकट भविष्य में नई सेवा के शुरू करने की कोई योजना नहीं है ।

इस्लामी देशों से पेट्रोलियम का आयात

3058 **श्री एस० सी० वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान देश में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक-पृथक रूप से कितनी मात्रा में आयात किया गया और इसमें से कितना आयात मध्य पूर्व खाड़ी देशों से किया गया;

(ख) भारत में सन् 2001 तक वर्ष-वार प्रस्तावित आयात और पेट्रोलियम का प्रस्तावित उत्पादन कितना होगा; और

(ग) विद्युत उत्पादन और डीजल रेल-इंजनों द्वारा कितनी मात्रा में तेल की खपत की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) वित्तीय वर्ष 1987-88, 1988-89 और 989-90 के दौरान मध्य पूर्व देशों सहित कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात निम्न प्रकार से था :—

मात्रा : मि० टन
मूल्य : करोड़ रुपए

	1987-88		1988-89		1989-90×	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
क्रूड तेल	17.73	2986	17.81	2863	19.49	4090
पेट्रोलियम उत्पाद	3.95	979	6.26	1515	6 54	2228
योग :	21 68	3965	24 07	4378	26.03	6318

× अस्थायी

खरीद स्पाट के साथ-साथ आवधिक करार दोनों ही द्वारा की जाती हैं। स्पाट खरीद देशवार नहीं की जाती हैं। इसलिये इस्लामी देशों के हिस्से को निर्दिष्ट करना कठिन है।

(ख) ईस्वी सन् 2001 तक के लिये वर्षवार आयात मांग और देशी उत्पादन के अंतराल पर निर्भर करेगा। 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही इन्हें निश्चित रूप से कहा जा सकता है।

(ग) विद्युत उत्पादन में तेल की खपत का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(000 टन)

वर्ष	एच एस डी	एल डी ओ	एल एस एच	एस एफ ओ
1986-87	161	273	1489	712
1987-88	209	251	1659	636
1988-89	134	338	1572	607

वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के लिये लोकोमोटिव में तेल की खपत का विवरण नीचे दिया गया है :

(000 टन)

वर्ष	मात्रा
1986 87	1309
1987-88	1375
1988-89	1440

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित औषधियों का मूल्य

3059. श्री के०एस० राव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित औषधियों के मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड की औषधियों की बिक्री को बढ़ावा देने के विचार से उनके मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से उनके अधीन अस्पतालों तथा रक्षा, रेल, श्रम मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड से औषधियां खरीदने का परामर्श देने का अनुरोध किया था।

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अस्पतालों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड से कितने मूल्य की औषधियां खरीदी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनमन बेहेरा) : (क) आई डी पी एल द्वारा उत्पादित औषधों की कीमतें डी पी सी आर, 193 के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार द्वारा या कंपनी द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

(ख) सरकार ने इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि सरकार के खरीदने वाले विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निविदाएं आमंत्रित किए बिना सरकारी क्षेत्र की औषध और भेषज कंपनियों द्वारा निर्मित लेकिन लघु क्षेत्र में न बनी औषधों और भेषजों की खरीद के लिए अपने आदेश दिए जाने चाहिएं।

(ग) और (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रतिरक्षा, कर्मचारी राज्य बीमा (श्रम), रेलवे, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों और अन्यों को आई डी पी एल की सस्थागत बिक्री निम्न प्रकार है :—

वर्ष	(रुपये करोड़ों में)
1987-88	35.00
1788-89	46 14
1989-90	48 43

दिल्ली के आस-पास सैटलाइट रेलवे स्टेशनों का विकास

3060. श्री जे० पी० अग्रवाल
श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री जनार्दन पुजारी
: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे द्वारा अपने माल को बाहर से बाहर भेजने में व्यवसायियों और व्यापारियों को भारी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली के आस-पास माल और यात्री सैटलाइट रेलवे स्टेशनों का विकास करने की कोई योजना बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) ये स्टेशन कब से कार्य करना शुरू कर देंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) दिल्ली में व्यवसायियों और व्यापारियों को अपना माल बाहर के नगरों को बुक कराने के लिए किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

(ख) से (ङ) ढोलंबी कलां, बिजवासन और आनन्द विहार में 3 सैटेलाइट टर्मिनलों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, परन्तु अभी समय अनुसूची को कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मृत्तिका-शिल्प (सिरेमिक) उद्योग को कोयले की सप्लाई

3061. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मृत्तिका-शिल्प (सिरेमिक) उद्योग को कोयले की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को कोयले की नियमित और निर्बाध सप्लाई के लिए इस उद्योग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) कोल इण्डिया लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरात के मृत्तका उद्योग को कोयले का रेल द्वारा वर्ष 1989 की इसी अवधि के दौरान 3480 चार पहिया वैगनों की तुलना में जनवरी से जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान 3422 चार पहिया वैगनों द्वारा प्रेषण किया गया। रेल प्रेषण में कमी वर्ष 1989 की इसी अवधि के दौरान 16322 मिट्रिक टन की तुलना में जनवरी से जुलाई, 1990 के दौरान 65419 मिट्रिक टन के सड़क संचलन द्वारा काफी हद तक पूरी की गई।

गुजरात मृत्तका उद्योग संघ, मृत्तका उद्योग को कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने, उनके लिए कोरिया-कोलियरी के उत्पादन को आरक्षित रखने और मृत्तका उद्योग को कोयले की आपूर्ति कंकड़, स्लैक तथा पत्थर रहित किए जाने का सुनिश्चय करने के लिए अभ्यावेदन किया है।

कोयला कंपनी को गुजरात के मृत्तका उद्योग तथा अन्य उपभोक्ताओं को कोरिया-कोलियरी द्वारा उत्पादित कोयले का समान वितरण किए जाने का सुनिश्चय करने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी कर दिए गए हैं और मृत्तका उद्योग को स्वीकार्य वैकल्पिक स्रोतों से अतिरिक्त कोयले की

मात्रा मुहैया कराए जाने के लिए कोरिया कोलियरी से कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने और कोयले की ठीक मात्रा का सुनिश्चय किए जाने के संबंध में प्रयास किए जाएं।

सूरत वाराणसी रेलगाड़ी में बड़ौदा से एक यात्री डिब्बे का नियतन

3062. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने सूरत-वाराणसी रेलगाड़ी में बड़ौदा से एक यात्री डिब्बा और जोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल और डीजल के लिए दोहरी मूल्य पद्धति

3063. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल और डीजल के लिए दोहरी मूल्य पद्धति अपनाने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में विजयपुर में गैस क्रैकर संयंत्र की स्थापना

3064. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में गैस क्रैकर संयंत्र तथा डाउन स्ट्रीम उद्योगों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनकी प्रस्तावित क्षमता और अनुमानित लागत सहित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में विजयपुर नामक स्थान पर गैस क्रैकर संयंत्र तथा डाउन-स्ट्रीम एककों की स्थापना करने के लिए किसी प्रस्ताव की परिकल्पना नहीं की गई है।

टेनरी एण्ड फुट वीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर में श्रमिकों की हड़ताल

3065. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री ऐम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेनरी एण्ड फुट वीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर के श्रमिक हड़ताल पर हैं;

(ख) क्या कच्चे माल की सप्लाई न मिलने के कारण जनवरी, 1990 से कम्पनी के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास निगम को इस निगम का गहराई से अध्ययन करने का काम सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के दो कारखानों में अधिकांश तकनीकी कर्मचारी दिनांक 28-7 90 से कारखाना संख्या में और दिनांक 30-7-90 से कारखाना स०-2 मे हड़ताल पर चले गये और अभी भी हैं।

(ख) उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले अनेक कारणों में से एक कारण वित्तीय कठिनाई के कारण कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता है। गतिरोधों के बावजूद, कम्पनी का उत्पादन, जनवरी-जुलाई, 1990 के दौरान 394.06 लाख रुपये तक बढ़ गया, जबकि गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में यह 359.87 लाख रुपये था।

(ग) और (घ) सरकार ने आई० डी० बी० आई० से टैफको की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन करने का अनुरोध किया है। कम्पनी के प्रचालनों की व्यवहार्यता की जांच करना और "टैफको" की पुन: जंव्यता के लिए उपायों और साधनों के सुझाव देना, इस अध्ययन में संदर्भ-विषय हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स/एअर इंडिया से कर्मचारियों के विरुद्ध तस्करी का आरोप

3066. श्री डी० अमात
श्री प्रकाश बी० पाटिल } : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तस्करी के अभियोग में इण्डियन एयरलाइन्स और एअरइण्डिया के कितने-कितने कर्मचारी गिरफ्तार किये गये; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रवृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तस्करी के आरोप में एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइन्स
1987	4	3
1988	9	1
1989	3	1

(ख) तस्करी में लगे हुए स्टाफ/कर्मचारियों के विरुद्ध सीमा शुल्क विभाग द्वारा मुकद्दमा चलाया जाता है तथा संबंधित संगठनों द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। प्रवेश का विनियमन स्टाफ की जामा तलाशी और ए०पी०यू० और शौचालय के पैनलों को बन्द करने का कार्य किया जा रहा है।

रेल लाइनें बिछाने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

2067. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा भूमि अधिग्रहण न किये जाने के कारण कुछ राज्यों में रेल लाइनें बिछाने के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ ऐसे राज्यों को विशेष सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) निम्नलिखित परियोजनाओं के मामले में भूमि के अधिग्रहण में विलब हुआ है :—

1. असम: जोगीघोपा-गुवाहाटी, नयी बड़ी लाइन।
2. हिमाचल प्रदेश : उना से आगे भूमि, नंगलडैम-तलवाड़ा, नई बड़ी लाइन परियोजना।
3. कर्नाटक : बेंगलूर-मैसूर, आमान परिवर्तन परियोजना।
4. पंजाब : ब्यास-गोइंदवाल, नयी बड़ी लाइन।
5. उत्तर प्रदेश : रामपुर-न्यू हल्दवानी, नयी बड़ी लाइन।
6. पश्चिम बंगाल : तामलुक-दीघा, नयी बड़ी लाइन।

(ग) और (घ) चूंकि रेल परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि, रेलों की ओर से, राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहित कर ली गयी है इसलिए किसी विशेष सहायता की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है।

भारत कोकिंग कोल लि० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

[अनुवाद]

3068. **श्री शिबू सोरेन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० में श्रेणी-वार कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विस्थापितों के श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ग) भारत कोकिंग कोल लि० में रोजगार के लिए विस्थापित व्यक्तियों के कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(घ) विस्थापित व्यक्तियों के सभी लम्बित मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा; और

(ङ) भारत कोकिंग कोल लि० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बकाया रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) दिनांक 31-7-90 की स्थिति के अनुसार, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कुल 166653 कर्मचारी कार्यरत हैं।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है :

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
"क"	56	13
"ख"	52	16
"ग"	35639	12850
"घ"	14120	3676
सफाई कर्मचारी	2072	—
	51939	16555

भारत कोकिंग कोल लि० में अब तक 2328 भू-वंचित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ) भारत कोकिंग कोल लि० में भू-वंचित व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने से सम्बन्धित 3192 मामले लम्बित पड़े हैं। उक्त व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण के पश्चात् भूमि का कब्जा सौंपे जाने के साथ ही नियुक्ति के प्रस्ताव जारी कर दिए जाएंगे।

(ङ) भारत कोकिंग कोल लि॰ द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पिछले रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और कम्पनी द्वारा इस सम्बन्ध में रिक्त पदों को भरे जाने के लिए सरकारी निर्देशों के अनुसार कारवाई की जा रही है।

स्कूटरों का निर्यात

3069. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर कम्पनियों द्वारा विभिन्न देशों को स्कूटर निर्यात किये जाते हैं,

(ख) इन कम्पनियों द्वारा स्कूटर किस वर्ष में निर्यात किये जा रहे हैं,

(ग) वर्ष 1990-91 में स्कूटर के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(घ) स्कूटरों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में प्रमुख स्कूटर निर्माताओं द्वारा दी गई निर्यात निष्पादन सम्बन्धी सूचना निम्न प्रकार है :—

	कंपनी का नाम	निर्यात आरम्भ करने का वर्ष	निर्यात लक्ष्य 1990-91	विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना-1990-91
1	2	3	4	5
1.	मै. बजाज आटो लि.	1973	12 करोड़ रु. (मोटर साइकिल तिपहियों तथा अतिरिक्त पुर्जों सहित)	12 करोड़ रु.
2.	मै. एल. एम. एल. लि. (वैस्पा कार कं. सहित)	1987	7500	8 करोड़ रु.
3.	मै. कायनेटिक होंडा मोटर्स लि.	1986-87	700	0·85 करोड़ रु.
4.	मै. गुजरात नर्मदा आटो लि.	1988-89	500	51 33 लाख रु.

आशय पत्र जारी करना

[हिन्दी]

3070. श्री कैलाश मेघवाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्यमियों का उद्योगों सहित ब्यौरा क्या है जिनसे 1 जुलाई, 1989 से 30 जून, 1990 तक राजस्थान में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) उन आवेदकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आशय पत्र जारी किये गये हैं/रद्द किये गये हैं, और इस समय सरकार के विचाराधीन हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) 1.7.89. से 30.6.90 तक की अवधि के दौरान राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये 68 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 12 प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है और आशय पत्र स्वीकृत कर दिए गए हैं। शेष 56 आवेदन पत्रों में से 25 नामंजूर कर दिए गए हैं या अन्यथा निपटा दिए गए हैं और 31 आवेदन पत्र प्रक्रिया की विभिन्न अवस्था में है। आवेदकों के नाम, स्थापना-स्थल, निर्माण की मद (दें) और सभी आशयपत्रों के सम्बन्ध में क्षमता जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जा रही हैं। जब तक सरकार लंबित आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लेती तब तक उनके ब्यौरे प्रकट नहीं किये जाते।

ऋण लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया जाना

[अनुवाद]

3071. श्री कल्पनाथ राय : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औषधि उद्योग में ऋण लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने का विचार है,

(ख) क्या लाइसेंस प्रणाली अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी तथा जापान सहित अन्य सभी देशों में प्रचलित है,

(ग) यदि हां, तो देश में ऋण लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने के क्या कारण हैं,

(घ) सरकार का इन यूनिटों की अधिष्ठापित क्षमता का किस तरह उपयोग करने का विचार है, और

(ङ) क्या सरकार ऋण लाइसेंस प्रणाली समाप्त किये जाने से बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां। यह निर्णय लिया गया है कि ऋण लाइसेंस प्रणाली को 31.12.1991 से समाप्त कर दिया जायेगा।

(ख) से (ङ) संविदात्मक विनिर्माण प्रणाली अनेक देशों में विद्यमान है। इसे इस देश में समाप्त करने के कारणों में अच्छी विनिर्माण प्रथा (अ. वि. प्रा.) के सुनिश्चित करने की आवश्यकता और योजना के अंतर्गत दी गई सुविधाओं के गलत प्रयोग की रोकथाम शामिल हैं। विद्यमान अधिष्ठापित क्षमताओं के उपयोग के प्रस्तावों को सरकार हर संभव सहायता देगी। इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त समय दिया गया है ताकि अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति ऋण लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति के समय परिवर्तित स्थिति से निपटने के लिए संभावित विकल्पों को तैयार कर सकें।

दिल्ली-मुरादाबाद के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाना और इसका विद्युतीकरण करना

3072. **श्री पी० एम० सईद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुरादाबाद बरास्ता हापुड़ के बीच इकहरी रेल लाइन को दोहरी रेल लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या उपर्युक्त रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का भी प्रस्ताव है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) दिल्ली-गाजियाबाद खण्ड पहले ही दोहरी लाइन वाला खण्ड है तथा गाजियाबाद से मुरादाबाद तक दोहरी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) दिल्ली-गाजियाबाद खण्ड पहले ही विद्युतीकृत है। गाजियाबाद से मुरादाबाद तक विद्युतीकरण का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठना।

(घ) गाजियाबाद-मुरादाबाद खण्ड पर यातायात के घनत्व को देखते हुये फिलहाल इसमें दोहरी लाइन बिछाने या इसके विद्युतीकरण करने का औचित्य नहीं है।

थाणे "क्रीक ब्रिज"

[हिन्दी]

3073. **श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के अन्तर्गत मानखुर्द और बालापुर रेलवे स्टेशन के बीच थाणे "क्रीक ब्रिज" का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई थी, और

(ख) इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) मार्च, 1991।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत द्वारा उड़ान कार्यक्रम में परिवर्तन

[अनुवाद]

3074. **श्री ए० चार्ल्स :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी विमान सेवाओं की समय सारिणी में कितनी बार परिवर्तन किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सुस्थापित प्रथा/मार्गनिर्देश विमान हैं; और

(घ) विमानों को निर्धारित समय पर चलाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वायुदूत ने अपनी संशोधित उड़ान समयावली को 9 बार मुद्रित किया है ।

(ख) और (ग) समय-समय पर यातायात की मांग और संगठन के अधिक वाणिज्यिक हित में उड़ान समयावली में परिवर्तन किया जाता है ।

(घ) विमान क्षमता की कठिनाइयों के अन्तर्गत घोषित उड़ान समयावली में बने रहने के लिये वायुदूत सभी प्रयास करता है ।

सूरतगढ़ विद्युत परियोजना को कोयले की सप्लाई

[हिन्दी]

3075. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़ विद्युत परियोजना को कोयले की सप्लाई के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सूरतगढ़ विद्युत परियोजना को स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सूरतगढ़ विद्युत परियोजना (2×210 मेगावाट) के लिये नार्थ करणपुरा कोलफील्ड से कोयला सयोजन दे दिया गया है और वर्ष 1995-96 से कोयले की आपूर्ति शुरू किये जाने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

चोलन एक्सप्रेस रेलगाड़ी में वातानुकूलन की व्यवस्था का प्रावधान

[अनुवाद]

3076. **श्री एस० सिंगरावडीवेल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजावूर और मद्रास के बीच मुख्य रेल मार्ग पर लम्बी दूरी की किसी भी रेलगाड़ी में वातानुकूलन की व्यवस्था नहीं है,

(ख) क्या चोलन एक्सप्रेस रेलगाड़ी और विशेष रूप से रामेश्वरम एक्सप्रेस रेलगाड़ी में वातानुकूलन की व्यवस्था के लिए कोई मांग की गई है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ मांगें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) वातानुकूल सवारी डिब्बों की पर्याप्त अनुपलब्धता के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

[हिन्दी]

3077. **श्री रामकृष्ण यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यदि हां, तो इसके औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का उद्योग विहीन जिला आजमगढ़ में कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंस जारी करने का विचार है अथवा क्या इस जिले में कुटीर उद्योग विकसित करने के लिए कोई त्वरित कार्यक्रम बनाया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) किसी राज्य में किसी जिले विशेष का उद्योगीकरण करने का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है । तथापि, केन्द्र सरकार केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता, रियायती वित्त आदि जैसे कुछ प्रोत्साहन देकर उनके प्रयासों में मदद करती है । पूर्वी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले केन्द्र द्वारा पिछड़े घोषित किये गये हैं और ये उपर्युक्त प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं :—

1. आजमगढ़
2. बहराइच
3. बलिया
4. बस्ती
5. देवरिया
6. फैजाबाद
7. गाजीपुर
8. गोंडा
9. जौनपुर
10. प्रतापगढ़
11. सुल्तानपुर

आजमगढ़ जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए जब भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उन पर वर्तमान लाइसेंस नीति के अनुसार गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा ।

हावड़ा और नैहाटी के बीच यात्री रेल सेवा में संचालन सम्बन्धी कठिनाइयां

[अनुवाद]

3078. **श्री अमल दत्त** : क्या रेल मंत्री हावड़ा और नैहाटी के बीच यात्री रेल सेवा आरंभ करने के बारे में 7 जुलाई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में हावड़ा और नैहाटी के बीच यात्री रेल सेवा आरंभ करने में आड़े आ रही संचालन संबंधी कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसकी व्यवहार्यता जांच कब और किसके द्वारा की गई; और

(ग) क्या रेलवे ने ऐसी रेल सेवा की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए यातायात संबंधी कोई सर्वेक्षण किया है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) हावड़ा-नैहाटी गाड़ी का मार्ग बंडेल के रास्ते होगा। इस समय नैहाटी बंडेल खण्ड पर 17 जोड़ी ई एम यू गाड़ियां, जिनके लिए एक ई एम यू रेक है, और 3 जोड़ी और ई एम यू पैसेंजर गाड़ियां चल रही हैं। मुख्य लाइन को कोई बाधा पहुंचाए बिना ये गाड़ियां बंडेल और नैहाटी दोनों स्टेशनों पर एक बे प्लेट फार्म पर संभाली जाती हैं। बंडेल के रास्ते हावड़ा और नैहाटी के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने में दिशा का उलटाव होगा जिसमें लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। बंडेल के रास्ते प्रस्तावित हावड़ा-नैहाटी गाड़ी को बंडेल स्टेशन पर प्लेटफार्म नं. 2 और 3 पर लेना भी आवश्यक होगा, जहां से बहुत सी ई एम यू गाड़ियां प्रारंभ/समाप्त होती हैं तथा इन यू गाड़ियां गुजरती हैं। जब बहुत-सी गाड़ियां इन प्लेट-फार्म लाइनों से होकर गुजरेंगी तो एक रेक द्वारा प्लेटफार्म को घेरने से अनेक परिचालनिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। नैहाटी और बंडेल के बीच प्रत्येक दिशा में चालन समय 20 मिनट है। बंडेल और नैहाटी में दिशा का उलटाव करने के लिए पर्यतक समय को ध्यान में रखते हुए, हावड़ा और नैहाटी के बीच प्रस्तावित गाड़ी के लिए 60 मिनट का अतिरिक्त समय अपेक्षित होगा। दिन के समय में बंडेल में किसी भी ई एस यू रेक का 60 मिनट से अधिक का पड़ाव नहीं होता है इसलिए प्रस्तावित गाड़ी के लिए अतिरिक्त रेक की आवश्यकता होगी जो फिलहाल ई एस यू सवारी डिब्बों की अत्यधिक कमी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

(ख) किसी एक अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई थी। हावड़ा-नैहाटी गाड़ी चलाने की मांग एक पुरानी मांग है और स्टेशन के मास्टर चार्ट/खाके, आदि के आधार पर पूर्व रेलवे द्वारा इसकी कई बार जांच की गई है।

(ग) जुलाई, 1990 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला था कि हावड़ा-बंडेल खण्ड के स्टेशनों से बंडेल-नैहाटी खण्ड स्टेशनों तक प्रति दिन नैहाटी-बंडेल खंड चलने वाली 40 गाड़ियों से प्रति गाड़ी औसतन केवल 111 यात्री यात्रा कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश को मिट्टी के तेल का आबंटन

[हिन्दी]

3079. **श्री हर्षवर्धन :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को जनवरी, 1990 जुलाई, 1990 तक, प्रतिमाह कितनी मात्रा में मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : जनवरी से जुलाई, 1990 के दौरान उत्तर प्रदेश को आबंटित प्रत्येक माह की मिट्टी के तेल की मात्रा निम्नलिखित है :—

महीना	नियमित आबटन	तदर्थ आबंटन	कुल आबंटन
			(आंकड़े टन में)
1	2	3	4
जनवरी, 1990	75790	2000	77790
फरवरी, 1990	75790	1000	76790
मार्च, 1990	66192	5848	72040
अप्रैल, 1990	66192	5848	72040
मई, 1990	66192	5848	72040
जून, 1990	66192	5848	72040
जुलाई, 1990	70593	5848	76441

राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

3080. **श्री राघवजी**
श्री सूर्य नारायण यादव } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार, राज्य सरकारों को उनकी मांग की तुलना में कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल आबंटित किया जा रहा है और वास्तविक रूप से कितना सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने अपने आबंटित कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम॰एस॰ गुरुपादस्वामी) : (क) से (ङ) राज्यों/संघ क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकताओं का आकलन, पिछले वर्ष की उसी अवधि में किए गए आबंटन में उपयुक्त वृद्धि-दर देकर किया जाता है और तदनुसार, आबंटन किया जाता है। नियमित आबंटनों के अतिरिक्त, राज्य सरकारों के अनुरोध पर अतिरिक्त तदर्थ आबंटन भी किए जाते हैं ताकि बाढ़, सूखा, एल॰ पी॰ जी॰ की कमी, आदि जैसी विशेष परिस्थितियों से निपटा जा सके।

मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आबंटन के लिए अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अनुरोध किए थे जिन पर विचार किया गया और यथासंभव अतिरिक्त आबंटन किया गया।

वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए मिट्टी के तेल के नियमित आबंटन, तदर्थ आबंटन तथा दिये गये मिट्टी के तेल का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1987, 1988 एवं 1989 के दौरान राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को मिट्टी के तेल के आवंटन तथा उन्हें प्रेषित तेल का ब्यौरा

(आंकड़े टन में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम		1987			
		नियमित आबटन	अतिरिक्त तदर्थ आबटन	कुल आबंटन	प्रषण
1	2	3	4	5	6
1.	असम	199302	16833	216135	218187
2.	आन्ध्र प्रदेश	473038	9862	482900	437251
3.	बिहार	342094	81577	423671	404147
4.	गुजरात	630402	15663	646065	647464
5.	हरियाणा	122114	9687	131801	132617
6.	हिमाचल प्रदेश	27590	5000	32590	32740
7.	जम्मू और काश्मीर	51748	5002	56750	77478
8.	कर्नाटक	358588	18957	377545	371771
9.	केरल	202414	24832	227246	221182
10.	मध्य प्रदेश	283298	46181	329479	320205
11.	महाराष्ट्र	1198854	27066	1225920	1226571
12.	मणिपुर	16654	1971	18625	177822
13.	मेघालय	12254	2631	14885	14859
14.	नागालैंड	8128	972	9100	10182

1	2	3	4	5	6
15.	उड़ीसा	113374	17986	131360	125221
16	पंजाब	258242	5338	263580	266916
17.	राजस्थान	197318	25050	222368	216782
18.	सिक्किम	5928	132	6060	11083
19.	तमिलनाडु	529768	11382	541150	541857
20.	त्रिपुरा	16722	9508	20230	18238
21.	उत्तर प्रदेश	677042	89162	766204	769847
22.	वेस्ट बंगाल	593020	29790	622880	624935
23.	अंडमान और निकोबार	2820	900	3720	2599
24.	अरुणाचल प्रदेश	7520	1160	8680	12293
25.	चंडीगढ़	116872	368	7240	14650
26.	दादर और नगर हवेली गोवा, दमन और दीव	26762	598	27360	28384
27.	दिल्ली	192693	4038	196730	193166
28.	मिजोरम	4836	664	5500	6503
29.	पाण्डिचेरी	11742	448	12190	11814
30.	लक्षद्वीप	690	20	710	20

(आंकड़े टन में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम		1988			
		नियमित आबंटन	अतिरिक्त तदर्थ आबंटन	कुल आबंटन	प्रेषण
1	2	3	4	5	6
1.	असम	217184	12806	229990	237679
2.	आन्ध्र प्रदेश	515450	4650	520100	462671
3.	बिहार	372792	54760	427352	428081
4.	गुजरात	686910	5365	692275	696054
5.	हरियाणा	133060	4595	137655	137411
6.	हिमाचल प्रदेश	30090	4800	34890	35279
7.	जम्मू और काश्मीर	56436	4349	60785	61759
8.	कर्नाटक	390728	8197	398925	404782
9.	केरल	220588	18054	238642	239446

1	2	3	4	5	6
10.	मध्य प्रदेश	308730	37872	346602	345823
11.	महाराष्ट्र	1306330	5210	1311540	1320481
12.	मणिपुर	18180	605	18785	20511
13.	मेघालय	13388	2802	16190	17644
14.	नागालैंड	8844	836	9680	10972
15.	उड़ीसा	123548	17501	141049	140864
16.	पंजाब	281414	6066	287480	285754
17.	राजस्थान	214994	22592	237586	238347
18.	सिक्किम	6470	40	6510	8663
19.	तमिलनाडु	577270	4310	581580	581422
20.	त्रिपुरा	18240	2035	20275	21466
21.	उत्तर प्रदेश	737762	73986	811748	819845
22.	वैस्ट बंगाल	646276	11544	657820	662818
23.	अंडमान और निकोबार	3104	866	3970	3884
24.	अरूणाचल प्रदेश	8170	1400	9570	13553
25.	चंडीगढ़	18406	84	18490	15256
26.	दादर और नगर हवेली गोवा, दमन और द्वीव	30323	122	30445	29266
27.	दिल्ली	209986	884	210850	200353
28.	मिजोरम	5290	1040	6330	7017
29.	पाण्डिचेरी	12814	106	12920	12977
30.	लक्षद्वीप	766	4	770	242

(आंकड़े टन में।)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम		1979			
		नियमित आबंटन	अतिरिक्त तदर्थ आबंटन	कुल आबंटन	प्रेषण
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	548260	2511	550771	539520
2.	असम	231020	4471	235491	239366
3.	बिहार	434706	19635	454341	454828

1	2	3	4	5	6
4.	गुजरात	731305	4602	735907	739042
5.	हरियाणा	141410	1169	142579	143188
6.	हिमाचल प्रदेश	34030	1486	35516	36941
7.	जम्मू और काश्मीर	60120	5613	65733	71714
8.	कर्नाटक	415490	5223	420713	421599
9.	केरल	246736	4519	251255	250274
10.	मध्य प्रदेश	353596	9369	362965	362206
11.	महाराष्ट्र	1388760	27082	1415842	1419937
12.	मणिपुर	19360	750	20110	21599
13.	मेघालय	14230	1336	15566	16739
14.	मिजोरम	5650	973	6023	8930
15.	नागालैंड	9410	497	9907	10896
16.	उड़ीसा	144020	6285	150305	156722
17.	पंजाब	298980	1470	300450	312750
18	राजस्थान	246120	5036	251164	253278
19.	सिक्किम	6940	126	7066	13188
20.	तमिलनाडु	613690	9883	623573	628154
21.	त्रिपुरा	19450	1393	20843	2[illegible]779
22.	उत्तर प्रदेश	842364	38703	881067	890[illegible]49
23.	वैस्ट बंगाल	686960	11596	698556	708873
24.	अंडमान और निकोबार	3300	523	3823	137
25.	अरूणाचल प्रदेश	8700	889	9589	15082
26.	चण्डीगढ़	19590	93	19683	17472
27.	दिल्ली	223380	1014	224394	209257
28.	गोवा	25420	126	25546	6953
29.	पाण्डिचेरी	13660	307	1396	13872
30.	लक्षद्वीप	822	---	822	183
31.	दमन और द्वीव, दादर और नगर हवेली	5670	80	5750	5737

रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल

[अनुवाद]

3081. श्री राम दास सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेलवे स्टेशनों पर प्राइवेट पार्टियों को आवंटित सभी बुक स्टालों की तर्क संगत व्यवस्था करने के लिए उनके मंत्रालय के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय आवंटित बुक स्टालों की ज़ोन-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह सच है कि इन बुक स्टालों से अधिक मूल्यों पर पुस्तकें बेची जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सिलवासा में स्थापित उद्योगों को केन्द्रीय निवेश राज सहायता

[हिन्दी]

3082. **श्री काशीराम राणा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिलवासा, दादर और नागर हवेली में स्थापित उद्योगों को केन्द्रीय निवेश राज सहायता देने की घोषणा की है;

(ख क्या निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी राज सहायता सम्बन्धी आवेदनों पर स्वीकृत दी गयी हालांकि जिला उद्योग केन्द्रों में ये फार्म निर्धारित समयावधि के भीतर ही प्राप्त हो चुके थे; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 1-10-1988 से समाप्त कर दी गई थी। सरकार ने अपने 21.7.1989 के पत्र द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी थी कि वे गैर-निर्माणकारी कार्यकलापों के लिए 30 सितम्बर, 89 तक और निर्माणकारी कार्यकलापों के लिए 31 दिसम्बर, 89 तक राज सहायता का वितरण कर दें बशर्ते कि ये योजनाएं राज्यस्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति द्वारा 30.9.88 को अथवा इससे पहले अर्थात् केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना की वैधता अवधि के भीतर मंजूर की गई हों।

दादर और नगर हवेली प्रशासन ने 77 एककों के लिए 7.67 करोड़ रु० की राशि के दावे प्रस्तुत किये थे। क्योंकि उपर्युक्त सभी मामलों में राज्य स्तरीय समिति द्वारा राजसहायता 30.9.88 के बाद मंजूर की गई थी, अतः संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को यह राशि नहीं दी गई है।

कलकत्ता से हल्दिया तक वायुदूत सेवा

[अनुवाद]

3083. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से हल्दिया तक वायुदूत सेवाएं आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) विमान क्षमता की कमी और अन्य संसाधनों की तंगी के कारण वायुदूत लिमिटेड के लिए निकट भविष्य में और अधिक सेवाएं चलाना संभव नहीं है।

अवनीश्वरम में ऊपरी पुल का निर्माण

3084. **श्री कोडीक्कुन्नील सुरेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का क्विलोन-त्वेनकोट्टब मीटर गेज लाइन पर अवनीश्वरम में ऊपरी पुल का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी हां।

(ख) अवनीश्वरम और कोट्टारकरा के बीच कि मी 729/7-8 पर कुरी के निकट 39.38 लाख रुपये की लागत पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य रेलों द्वारा निक्षेप शर्तों पर पहले ही शुरू किया जा चुका है।

भुवनेश्वर में सेन्ट्रल टूल रूम प्रोजेक्ट, कलकत्ता के उप-केन्द्र की स्थापना

3085. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भुवनेश्वर में सैन्ट्रल टूल रूम प्रोजेक्ट, कलकत्ता के एक उप-केन्द्र की स्थापना करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) आरम्भ में सरकार का सैन्ट्रल टूल रूम प्रोजेक्ट कलकत्ता के एक उप-केन्द्र की स्थापना करने का विचार था, तत्पश्चात, सिद्धांत रूप में भुवनेश्वर में एक पूर्ण विकसित सैन्ट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित करने का निर्णय किया गया।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भुवनेश्वर में इस केन्द्र के स्थापित करने की सम्भावना है।

आनन्द विहार में रेलवे स्टेशन

3086. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आनन्द विहार (यमुनापार) के निकट रेलवे स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क से (ग) आनन्द विहार में पहले से ही एक हाल्ट स्टेशन है, आनन्द विहार और तिलक ब्रिज स्टेशनों के बीच नये हाल्ट स्टेशन खोलने की भी मांग की गयी थी, जिसकी जांच की गई थी परन्तु औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

तथापि, आनन्द विहार में विशिकीय टर्मिनल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करने तथा उसे रेलवे को सौंप दिए जाने के बाद ही अंतिम रूप दिया जा सकेगा।

कुवैत में एअर इंडिया के पायलट और चालक दलों के सदस्य :

3087. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के अनेक पायलट और चालक दलों के सदस्य कुवैत में फसे हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया के इन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन व्यक्तियों को कुवैत से वापस लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या एअर इंडिया के पायलटों ने भारी क्षोभ व्यक्त किया है, और जब तक उनके साथी कुवैत से नहीं लौट आते, तब तक विमान उड़ाने से इंकार कर दिया है, और

(च) क्या सरकार ने इस मामले को संबंधित अधिकारियों के पास भेजा है और यदि हां तो इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (च) कुवैत में रुके एयर इंडिया के विमानचालक और कर्मीदल के सदस्य भारत वापिस आ गए हैं।

"डीजल मल्टीपल यूनिट"

3088. **श्री सत्यनारायण जटिया**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री बनवारी लाल पुरोहित
: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्रुतगति की अंतर-नगरीय रेल गाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए "इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट" (ई. एम. यू.) और 'डीजल मल्टीपल यूनिट (डी. एम. यू.) की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में कोई संभाव्यता परीक्षण किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन रेल मार्गों के नाम क्या हैं जिन पर ये रेलगाड़ियां चलाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) फिलहाल ई.एम.यू./डी एम.यू. किस्म की किसी नई अन्तः नगरीय यात्री सेवाओं को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । यद्यपि बम्बई और अहमदाबाद के बीच ई.एम.यू. सेवाएं चलाने के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है ।

कोंकण और अन्य रेल लाइनों के लिए बांड जारी करना

3089. **श्री पी० सी० थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेलवे परियोजना के निर्माण कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसके लिए अभी तक कितनी धनराशि जुटाई गई है और कितनी और धनराशि जुटाने का विचार है, तथा किस स्त्रोत से यह धनराशि जुटाई जायेगी;

(ग) क्या इसी प्रकार धनराशि जुटाकर और नई रेल लाइनों के निर्माण का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : कोंकण रेल परियोजा के निर्माण के लिए, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड 19 जुलाई 1990 को पंजीकृत की गई थी । कारपोरेशन को कार्य शुरू करने का प्रमाण-पत्र कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा 20 अगस्त, 1990 को ही जारी किया गया है ।

(ख) अभी तक कंपनी के लियें कोई धनराशि नहीं जुटाई गई । तथापि, कोंकण रेल परियोजना के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था इस प्रकार होगी :—

(i) लागत का 25% हिस्सा केन्द्र सरकार, तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल की राज्य सरकारों द्वारा समेकित सहभागिता द्वारा जुटाया जाएग; तथा

(ii) शेष 75% सार्वजनिक बांड जारी करके ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लंबित आवेदन-पत्र

3090. **श्री माणिक साम्याल** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (2) (ख) के अन्तर्गत एअर इंडिया से संबंधित कितने आवेदन-पत्र प्राधिकारियों के पास लंबित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान श्रम न्यायाधिकरण/न्यायालय और श्रम आयुक्तों द्वारा कितने आवेदनों को अनुमोदित किया गया और कितनों को अस्वीकृत किया गया;

(ग) क्या एअर इंडिया ने अब ऐसे आवेदन करना बंद कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) अनुमोदन के लिये लंबित आवेदनों की संख्या 36 है।

(ख) अनुमोदित आवेदनों की संख्या 30 तथा अस्वीकृत की संख्या 21 है। यह आंकड़े 1-4-1987 से अब तक की अवधि के लिये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि इस समय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान लागू नहीं हैं अतः निगम कोई भी अनुमोदन आवेदन दाखिल नहीं कर रहा है।

रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

3091. **श्री बलवंत मणवर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र की क्षमता पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) देश में 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की वर्तमान एल पी जी बाटलिंग क्षमता, वर्ष 1990-91 की 2.2 मिलियन टन की पैक की गई एल पी जी की मांग को पूरी करने के लिये पर्याप्त है।

रेल पटरियों की लंबाई का राष्ट्रीय औसत

3092. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां रेल पटरियों लंबाई, रेल पटरियों की वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अथवा प्रति 1,00,00 जनसख्या (1981) अथवा दोनों के हिसाब से राष्ट्रीय औसत से कम है, और

(ख) क्या मन्त्रालय ने इस पारस्परिक असमानता को कम करने के लिये कोई दीर्घकालिक योजना बनाई है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं:

1. आंध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. बिहार
4. गोवा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू और कश्मीर
7. कर्नाटक
8. केरल
9. मध्य प्रदेश
10. महाराष्ट्र
11. मणिपुर
12. मेघालय
13. मिजोरम
14. नागालैंड
15. उड़ीसा
16. राजस्थान
17. सिक्किम
18. तमिलनाडु
19. त्रिपुरा
20. उत्तर प्रदेश
21. पश्चिम बंगाल
22. अंडमान और निकोबार
23. चंडीगढ़
24. दिल्ली
25. दादरा और नगर हवेली
26 दमन और दीव
27. लक्षदीप
28. पांडिचेरी

(ख) जी नहीं।

तेल चयन बोर्ड (पूर्व) में बिहार का प्रतिनिधित्व

[हिन्दी]

3093. श्री हुकमदेव नारायण यादव : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को तेल चयन मण्डल (पूर्व) (आयल सलेक्शन बोर्ड) में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने बिहार को तेल चयन बोर्ड (पूर्व) में अपेक्षित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) छः तेल चयन बोर्डों (ओ एस बी) के सदस्यों का चयन (बोर्ड) जो बिहार राज्य को नियंत्रित करता है, में अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं और दो प्रख्यात व्यक्ति इसके सदस्य हैं। बिहार राज्य में डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिये उम्मीदवारों के चयन में यह पूरा न्याय करेगा।

सीमेंट का मूल्य

3094. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह सीमेंट उत्पादकों से स्वेच्छा से सीमेंट के मूल्य नियन्त्रित करने को कहे,

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस अनुरोध पर विचार कर लिया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और)ग) प्रश्न नहीं उठता।

व्यापार-लाभ (ट्रेड मार्जिन) के संबंध में भट्टी समिति के निष्कर्ष

[अनुवाद]

3095. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार-लाभ (ट्रेड मार्जिन) के सम्बन्ध में भट्टी समिति के निष्कर्ष क्या हैं और इन्हें कब प्रस्तुत किया गया था,

(ख) इस समिति पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है,

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने इस समिति के निष्कर्षों की प्रतीक्षा किये बिना व्यापार-लाभ में संशोधन कर दिया था,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) मसौदा रिपोर्ट जिसे मार्च, 1990 में प्रस्तुत किया गया था, सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) इस अध्ययन की लागत 5.6 लाख रुपए है।

(ग) और (घ) उद्योग के लिए उपलब्ध एम ए पी ई में वृद्धि को दृष्टिगत रखकर व्यापार लाभ को औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के अन्तर्गत मार्च, 1988 में बढ़ाया गया था। डा० विजय केलकर, अध्यक्ष, बीआईसीपी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों को देखते हुए यह वृद्धि की गई थी। किन्तु सरकार द्वारा भाटी समिति सितम्बर, 1988 में नियुक्त की गई थी।

बल्लारपुर स्थित खुली मुहाने की कोयला खान

[हिन्दी]

309६. डा० खुशाल परशराम बोपचे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में बल्लारपुर स्थित खुली मुहाने की कोयला खान में 18.6.1990 को वर्षा का पानी भर गया था;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां। अप्रत्याशित वर्षा के कारण बल्लारपुर ओपेनकास्ट खान दिनांक 18.6 1990 जलप्लावित हो गई।

(ख) वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा खान के जलप्लावित होने की घटनाओं की जाँच करने के लिए एक जांच समिति गठित की है। खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है।

(ग) दिनांक 18 6 1990 से 22-8-1990 तक की अवधि के दौरान लगभग 66,200 टन के उत्पादन का घाटा हुआ है।

क्यूबा के शिष्टमंडल की भारत यात्रा

[अनुवाद]

3097. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1990 में क्यूबा का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत की यात्रा पर आया था,

(ख) यदि हां, तो उसके साथ किन-किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या-क्या निर्णय लिए गए,

(ग) क्या क्यूबा भारत में अखबारी कागज परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु सहमत हो गया है, और

(घ) देश में अखबारी कागज परियोजनाओं के लिए क्यूबा की प्रौद्योगिकी का किस सीमा तक उपयोग किया जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्यूबा के शिष्टमंडल के सदस्यों ने मै पंजाब एग्रो न्यूज प्रिंट मिल्स लि०, द्वारा लगाए जाने वाले अखबारी कागज संयंत्र के लिए क्यूबा की प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के किये जा रहे प्रस्ताव के सम्बन्ध में मै. पंजाब एग्रो न्यूजप्रिंट मिल्स लि तथा पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था।

(घ) जब तक देश में क्यूबा की प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक परीक्षण नहीं किया जाता, तब तक ऐसा कोई अनुमान नही लगाया जा सकता है।

"पैलेस ऑन व्हील" रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाना

[हिन्दी]

3098. **श्री गुलाबचन्द कटारिया :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "पैलेस आन व्हील" रेलगाड़ी नियमित रूप से चलाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सात दिवसीय यात्रा क्रम वाली "पैलेस आन व्हील" गाड़ी 1982-83 से अक्तूबर और मार्च के बीच नियमित रूप से चलती आ रही है। इस समय इस गर्मी के महीनों के दौरान चलाना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि यह बहुत ही पुराने सैलूनों का गैर-वातानुकूलित रेक है।

पंजाब ट्रेक्टरस लिमिटेड के आनुषंगिक एकक

[अनुवाद]

3099. **बाबा सुच्चा सिंह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब ट्रेक्टरस लिमिटेड के कितने आनुषंगिक एकक पंजाब से बाहर स्थित हैं;

(ख) पंजाब और पंजाब क्षेत्र के आस-पास स्थित आनुषंगिक एककों की कितनी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है; और

(ग) स्थानीय एककों को राज्य से बाहर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) मै० पंजाब ट्रैक्टर्स लि० ने सूचित किया है कि पंजाब और चण्डीगढ़ के बाहर इक्कीस एककों की तुलना में पंजाब में दो सौ पंद्रह लघु एकक हैं जो इन्हें हिस्से पुर्जों की आपूर्ति कर रहे हैं। इन इक्कीस एककों में से दस एकक 40 कि. मी. की परिधि के भीतर स्थित हैं। निर्माताओं ने यह भी सूचित किया है कि वे अपने निकट आपूर्तिकर्त्ताओं को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं और इनके लघु आपूर्तिकर्त्ताओं के पास काफी आर्डर्स हैं।

नागालैंड एक्सप्रेस को पुन: आरम्भ करना

3100. **श्री शिकिहो सेमा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी और दीमापुर के बीच चलने वाली नागालैंड एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बन्द कर दिया गया है और कामरूप एक्सप्रेस रेलगाड़ी में कुछ डिब्बे जोड़ दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रेल गाड़ी को कब से पुन: चलाया जाएगा ?

रेलमंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं। 5807/5808 दिमापुर-गुवाहाटी एक्सप्रेस के चालन को स्थगित नहीं किया गया है। यह गाड़ी 5905/5906 कामरूप एक्सप्रेस के साथ चलाई जाती है।

(ख) दो गाड़ियों के संयुक्त चालन से रेल इंजन, कर्मीदल और रेलपथ में बचत होती है जिससे परिहार्य खर्च में कमी होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अजन्ता के लिये हैलीकाप्टर सेवा

[हिन्दी]

3101. **श्री पुंडलिक हरी दानवे** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजन्ता गुफाओं के लिये हैलीकाप्टर सेवा आरंभ करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या गुफाओं के निकट एक हैलीपेड के निर्माण के लिये भूमि अधिगृहीत कर ली गई है;

(ग) क्या भूस्वामियों को पर्याप्त मुआवजा अदा कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) अजन्ता गुफाओं के लिए हैलीकाप्टर सेवाए अभी तक प्रारम्भ नहीं की गई हैं।

(ख) से (घ) अजन्ता गुफाओं के विकास के लिए जनरल मास्टर प्लान में गुफाओं के निकट हैलीपेड के निर्माण कार्य का प्रावधान है। उक्त प्रयोजन के लिए भूमि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अभी तक अर्जित नहीं की गई है।

गोंदिया रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र

3102. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर डिवीजन के अन्तर्गत गोंदिया रेलवे स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार किया गया है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) किसी आदर्श स्टेशन पर क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और गोंदिया स्टेशन पर उनमें से क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ?

रेलमंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां;

(ख) इस योजना की संपूर्ण लागत 36.90 लाख रुपया है जिसमें से अब तक 8.00 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) आगामी वर्षों में यात्री यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए माडल स्टेशनों पर की जा रही सुविधाओं में पीने का पानी, शौचालय, प्लेटफार्मों में सुधार; प्रतिक्षालयों/प्रतीक्षा गृहों, बुकिंग सुविधाओं में सुधार परिचालन क्षेत्र में सुधार, विश्राम कक्ष, ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था करने की योजना है।

कोल्हापुर में ऊपरी-पुल

[अनुवाद]

3103 श्री उदयसिंह राव नानासाहेब गायकवाड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर स्टेशन पर पहले प्लेटफार्म तक जनता के आने जाने के लिए कोई ऊपरी पुल नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार, वहां कोई ऊपरी पुल बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) इस समय कोल्हापुर पर कोई ऊपरी पैदल पुल नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने के कार्य को, 1990-91 के दौरान 7.5 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बिना पारी के कार्य के रूप में स्वीकृत किया जा रहा है।

केरल में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

3104. प्रो० पी० जे० कुरियन :
श्री टी० बशीर : } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रेल लाइनों के विद्युतीकरण की सम्भावित लागत के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष के दौरान केरल में किसी रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) वित्तीय दृष्टि से विद्युतीकरण का औचित्य सिद्ध करने के लिए केरल राज्य में आने वाले खण्डों पर यायायात घनत्व अपर्याप्त समझा जाता है।

वेस्टलैंड हेलीकाप्टर के बारे में हुसैनी समिति की रिपोर्ट

3105. **श्री शंकर सिंह वघेला**
डा० ए० के० पटेल } : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के संचालन/सुरक्षा संबधी पहलू के सम्बन्ध में हुसैनी समिति की रिपोर्ट की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों और की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा संचालन और खोज कार्य/तेल प्राप्ति के कार्य हेतु किराये पर हेलीकाप्टर लेने पर व्यय की जा रही भारी धनराशि और अनेक बार निर्णायक समय पर हेलीकाप्टर की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अपने पर्याप्त संख्या में हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के स्थान पर दूसरे हेलीकॉप्टर प्राप्त करने के लिए उनके बेचने का कोई प्रस्ताव है अथवा उनकी पूरी तरह से मरम्मत करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां। रिपोर्ट की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के निपटान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। समिति द्वारा सुझाए गए उपयुक्त संशोधन और सुधारों को करने के बाद इन्हें दोबारा सेवा में लगाने का निर्णय किया गया है।

डीजल के साथ मिट्टी के तेल की मिलावट

3106. **श्री रामसागर (सैदपुर)**
श्री राम नाईक
श्री कैलाश मेघवाल } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्देश दिया है कि राज्यों में मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश प्रख्यापित

किया जाये जिसमें डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट तथा इसकी कालाबाजारी के निवारण हेतु उपबंध किया जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अब तक इन आदेशों को प्रख्यापित किया गया है;

(ग) क्या इस समय ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट को रोका जा सके;

(घ) यदि हां, तो नये आदेश जारी करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार मिलावट को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में रंग मिलाने का भी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने, डीजल में मिट्टी के तेल आदि की मिलावट को रोकने के लिए मिट्टी के तेल के नियंत्रण आदेश जारी करने के लिए राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं, फिर भी आवश्यक सामग्री अधिनियम, 1955 के अधीन राज्य सरकारों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में नियंत्रण आदेश जारी कर दिए हैं।

डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट के मामलों का निपटान, पता चलने पर तेल कम्पनियों द्वारा "विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों" के तहत तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके द्वारा नियमों/आदेशों के तहत किया जाता है।

(ङ) विभिन्न आपूर्ति-स्थलों पर डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिए, "फुरफुरल" नामक एक रसायन को मिट्टी के तेल में चरणवार तरीके से मिलाने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

बिहार की कोयल-कारो परियोजना

[हिन्दी]

3107. **श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) कोयल-कारो परियोजना इस समय किस स्थिति में है, इसे कब तक पूरा किया जायेगा और इस पर अब तक कितनी धन-राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या इस परियोजना से प्रभावित आदिवासियों एवं अन्य लोगों को मुआवजा-राशि का भुगतान किया गया है तथा क्या उनके पुनर्वास के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी मुआवजा-राशि का भुगतान किया गया है और कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो मुआवजा राशि देने के लिए क्या नीति अपनाई जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कोयलकारो परियोजना के कार्य स्थल पर अभी तक विद्यमान स्टाफ के लिए आवासीय क्वार्टरों; कार्यालय भवनों

एवं स्टोर शेडों जैसी प्रारम्भिक आधारभूत सुविधाओं का निर्माण किया गया है। भूमि-अधिग्रहण सम्बन्धी समस्याओं के कारण मुख्य परियोजना का कार्य शुरू नहीं किया जा सका। परियोजना का वन सम्बन्धी स्वीकृति जुलाई, 1990 में दी गई और निवेश सम्बन्धी निर्णय हेतु परियोजना की अद्यतन लागत अनुमानों पर कार्यवाही की जा रही है। परियोजना को, संशोधित लागत अनुमानों को निवेश सम्बन्धी अनुमोदन दिए जाने की तिथि से 7½ वर्षों के अन्तर्गत पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। परियोजना पर जुलाई, 1990 तक 8.53 करोड़ रु० की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ख) से (घ) स्थानीय लोगों द्वारा दायर की गई याचिका पर जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्वास के उदार उपाय अपनाए जाने की मांग की गई थी, उच्चतम न्यायालय द्वारा 6-2-1989 को फैसला सुना दिया गया जिसमें पुनर्वास के माध्यम से विस्थापितों एवं परियोजना से प्रभावित लोगों को यथासम्भव रोजगार एवं भूमि दिए जाने के पक्ष में निदेश दिए गए थे। उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार पुनर्वास व्यवस्था की जा रही है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अभी तक बिना विस्थापन के केवल 47 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई है एवं प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति के रूप में 30 लाख रुपए की राशि दी गई थी। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित विस्तृत पुनर्वास योजना में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान किया गया है। इस पुनर्वास योजना से आवास हेतु भूमि एवं रोजगार के अवसरों के रूप में 7000 परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है।

पर्वतीय क्षेत्रों में रेलवे भूमि का आवंटन

3108. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय क्षेत्रों में रेलवे की कितनी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा है;

(ख) किराये पर दी गई भूमि का क्षेत्रफल कितना है; और

(ग) रेलवे भूमि के आवंटन के बारे में वर्तमान सरकार की क्या नीति है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 35.67 हेक्टेयर।

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 635 हेक्टेयर रेलवे भूमि लाइसेंस के अन्तर्गत है।

(ग) रेलवे भूमि रेल द्वारा ढोये गए सामान का ढेर लगाने, कर्मचारी कल्याण उपायों जैसे रेलवे संचालन सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए ही लाइसेंसों पर दी जाती है। 1984 में इस नीति के निर्धारण से पहले दिए गए लाइसेंसों का रेलवे संचालन से सम्बद्ध न होने पर भी उस समय तक हर वर्ष नवीकरण कर दिया जाता है जब तक यह भूमि रेलों के विकासात्मक कार्यों के लिए अपेक्षित न हो।

रेलगाड़ियों के लिए अतिरिक्त यात्री डिब्बे

3109. **श्री मानिकराव होडल्या गावीत**
श्री आर० एम० राकेश } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में अतिरिक्त यात्री डिब्बे जोड़कर और प्रत्येक डिब्बे में सीटों की क्षमता में वृद्धि करके यात्री गाड़ियों में यात्रियों को ले जाने की क्षमता में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने/कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) गाड़ियों की वहन क्षमता में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है बशर्ते कि परिचालनिक व्यावहारिकता ससाधनों की उपलब्धता और वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण हो।

ग्वालियर हावड़ा चम्बल एक्सप्रेस का प्रारम्भिक स्टेशन

3110 **श्री आर०एन० राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर हावड़ा (चम्बल एक्सप्रेस) तथा ग्वालियर-बम्बई (लश्कर एक्सप्रेस) ग्वालियर की बजाय आगरा से चलाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रारम्भिक स्टेशन को बदलने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन्हें आगरा की बजाये ग्वालियर से पुनः आरम्भ करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी हां। परन्तु सप्ताह में तीन दिन चलने वाली चंबल एक्सप्रेस तीन में से केवल एक दिन आगरा तक/से चलती है।

(ख) यातायात की बढ़ती हुए आवश्यकता को पूरा करने तथा परिसंपत्तियों का और अधिक गहन उपयोग करने के लिए इसके विस्तार की व्यवस्था की गयी है।

(ग) जी नहीं, क्योंकि संशोधित व्यवस्था और अधिक लोकप्रिय है तथा अच्छी सेवा प्रदान कर रही है।

लघु उद्योगों को बढ़ावा देना

3111. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर 1990 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में उद्योगों के पंजीकरण संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान उस राज्य में स्थापित किए गए बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ग) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है जिससे सहायक उद्योगों को भी विकसित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान में इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) 31-12-1989 तक उद्योग निदेशालय, राजस्थान में पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 58367 है। जनवरी, 1990 से बाद की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1985 से 1990 (मार्च तक) के दौरान राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए जारी किए गए आशय-पत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों और डा० जी० टी० डी० पंजीकरणों की संख्या क्रमश: 219, 96 और 274 है।

(ग) और (घ) सरकार राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में लघु उद्योग और अनुषंगी उद्योग लगाने को प्राथमिकता दे रही है। "लघु और कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति सम्बन्धी उपायों तथा औद्योगिक अनुमोदनों के लिए कार्यविधियों में परिवर्तनों" के बारे में एक पत्र 31.5.1990 को लोक सभा के सभा-पटल पर रखा गया था।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिला मुख्यालयों में रसोई गैस की सुविधायें

[हिन्दी]

3112. श्री हरीश रावत : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में रसोई गैस की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में ऐसे कितने ब्लाक मुख्यालय हैं जहां पर रसोई गैस उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या इस वर्ष के अन्त तक इन सभी मुख्यालयों को रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं। फिलहाल, कोई भी ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के 89 ब्लाक मुख्यालयों में से 28 में एल पी जी का विपणन नहीं किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू-ऊधमपुर रेल लाइन

[अनुवाद]

3113. श्री धर्मपाल शर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-ऊधमपुर रेल लाइन के निर्माण कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस पर अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) 21%

(ख) 3/90 तक 40 करोड़ रुपये।

विश्रामपुर की कोयला खानों में मशीनों का डूब जाना

[हिन्दी]

3114 श्री ए० नरेन्द्र साव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्रामपुर की एक कोयला खान में बाढ़ का पानी भर गया था जिसमें परिणाम-स्वरूप अनेक मशीनें डूब गईं;

(ख) यदि हां, तो कोयला खान से पानी तथा मशीनों के निकालने पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) पानी भरे रहने के कारण कोयला खान कितने दिन बंद रही और इसके कारण कितनी धनराशि का नुकसान हुआ;

(घ) क्या मशीनें खान से बाहर निकाल ली गई हैं और कोयला खान को काम करने योग्य बना दिया गया है; और

(ङ यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ङ) 6 तथा 7 मई, 1990 को भारी वर्षा के कारण पसंग नाले में अचानक बाढ़ आ गई जिसके परिणाम स्वरूप बिसरामपुर कोलियरी की खान संख्या 7 में पानी भर गया। तीन शॉवेलों, दो ड्रिल तथा एक क्रेन डूब गए। जल निकासी का पूरा कार्य विभाग की उपलब्ध श्रमशक्ति तथा संसाधनों के माध्यम से किया गया। किंतु प्रयोग की अतिरिक्त विद्युत के कारण 1.06 लाख रु० की राशि का अतिरिक्त व्यय हुआ और मशीन को ठीक करने तथा खानों में इस तरह के संकट की स्थिति में ये नए पम्प तथा फिटिंग्स पर 4.65 लाख रुपए (लगभग) का व्यय किया गया। किंतु साउथ ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लि० की अन्य खानों में इस तरह के संकट की स्थिति में ये नए पम्प तथा फिटिंग्स प्रयोग में लाए जाने के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। खान में से पानी को दिनांक 22-5-90 को निकाल दिया गया और इसके कारण 30,000 टन कोयले का कुल नुकसान होने का अनुमान है।

नई औषध नीति

[अनुवाद]

3115. श्री अजित कुमार पांजा
श्री भवानी शंकर होता
श्री नकुल नायक
श्रीमती गीता मुखर्जी
डा० रामचन्द्र डोम

: क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक नई औषध नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पुरः स्थापित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) इस समय सरकार औषध नीति, 1986 की पुनरीक्षा कर रही है। यह कार्य प्रगति पर है।

मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेन्सियों के विरुद्ध शिकायतें

[हिन्दी]

3116. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस एजेन्सियों के आबंटन में दिशा निर्देशों और घोषित नीति का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मध्य प्रदेश में गत एक वर्ष के दौरान राजगढ़, गुना, विदिशा, शाजापुर और देवास जिलों से नई गैस एजेन्सियां आबंटित करने के बारे में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) एल०पी० जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए चयन उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में विशेष रूप से गठित तेल चयन बोर्डों (ओ०एस०बी०) द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, चयन-नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देशों के उल्लंघन में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, नीति के रूप में, एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के विरुद्ध प्राप्त किसी भी शिकायत की विधिवत जांच की जाती है और जहां आवश्यक समझा जाता है, सुधार की कार्रवाई की जाती है।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान, इन जिलों में किसी एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटर शिप का विज्ञापन नहीं दिया गया।

विदर्भ एक्सप्रेस रेलगाड़ी की बारम्बारता

[अनुवाद]

3117. **श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ एक्सप्रेस (मध्य रेलवे में नागपुर-बम्बई-नागपुर) की बारम्बारता में वृद्धि करने तथा इसे एक दैनिक रेलगाड़ी बनाने की मांग की गई है; और

(ख) क्या गोंदिया (पूर्वी महाराष्ट्र के अन्तिम महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन) से महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई तक दैनिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की काफी मांग की जा रही है; यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब तक चलाई जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) जी हां। लेकिन परिचालनिक/संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

नई औद्योगिक नीति पर प्रतिक्रियायें

3118. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी
श्री ककर गुंबारे
श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़
डा० सुधीर राय
श्री हरिन पाठक
श्री परसराम भारद्वाज
श्री मनोरंजन भक्त
श्री इरा अम्बारासु
श्री समरेन्द्र कुन्डू
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
श्री ए० के० थामस
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति
श्री कल्पनाथ राय
श्री जी० एस० बासवराज
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्रीमती बासव राजेश्वरी
प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री हरीश पाल
डा० बंगाली सिंह

: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपनी नई औद्योगिक नीति की व्यापक आलोचना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो आलोचना के मुख्य मुद्दे क्या हैं और इन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार का नई औद्योगिक नीति की पुनः जांच करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) "लघु तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के संवर्धन हेतु नीति सम्बन्धी उपाय और औद्योगिक अनुमोदनों के लिए प्रक्रियाओं में परिवर्तन" शीर्षक में उपायों के पक्ष और आलोचना दोनों में टिप्पणियां हुई हैं, जिन्हें 31 मई, 1990 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था। आलोचना की मुख्य बातें ये हैं :—(1) भुगतान संतुलन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है (2) साधारण प्रौद्योगिकी, अनावश्यक उत्पादों के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आसानी से प्रवेश (3) विदेशी तकनीकी सहयोगों तक आसान पहुंच होने के कारण हमारे अनुसंधान तथा विकास के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव (4) उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में घरेलू निवेश का मार्गीकरण (5) प्रक्रियाओं में परिवर्तन होने से बड़े घरानों को अत्यधिक लाभ होगा।

घोषित उपाय औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 की विस्तृत रूपरेखा और समय-समय पर इसमें किए गए विस्तार के अंतर्गत किए गए हैं। लघु क्षेत्र के लिए इन नीति सम्बन्धी उपायों में सहायता देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उत्पादनकारी रोजगार सृजन की वृद्धि पर जोर देना है, जबकि

औद्योगिक अनुमोदनों में परिवर्तनों से अनावश्यक अफसरशाही नियंत्रण कम करने और इसके परिणाम स्वरूप विलम्ब और भ्रष्टाचार को कम करने पर मुख्य बल दिया गया है। वास्तव में प्रस्तावित उपाय-पैकेज मझौले आकार के एककों को प्रोत्साहित करने तथा उद्योग में एक नयी श्रेणी के अधिक उद्यमियों के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, जिससे उद्योग में निवेश प्रतिमान में विविधता आयेगी।

घोषित उपायों में गैर-पिछड़े क्षेत्रों में केवल 25 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए और पिछड़े क्षेत्रों में 75 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए लाइसेंस न लेने की छूट की व्यवस्था है, बशर्ते कि कुछ निर्दिष्ट मानदण्ड व शर्तें पूरी होती हों। लाइसेंस न लेने की छूट, विदेशी तकनीकी सहयोग करने की स्वतन्त्रता, स्वतः आधार पर विदेशी निवेश केवल कुछ मदों पर लागू होंगे और इन पर पूंजीगत माल, कच्चे-माल और कम्पोनेन्टों के आयात, एकमुश्त तथा रायल्टी भुगतान और इक्विटी की भागीदारी की सीमा के बारे में मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी लागू होंगे। इन सुरक्षा उपायों से आलोचना की मुख्य बातें पूरी हो जायेंगी।

(ग) औद्योगिक नीति की जांच करना एक निरन्तर प्रक्रिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा बेची गयी औषधों के मूल्य

3119. **श्री के० मानवेन्द्र सिंह :** क्या पेट्रोलियम **और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड विटामिन बी-1, विटामिन बी-2, विटामिन बी-6 और फोलिक ऐसिड को किन-किन मूल्यों पर बेच रहा है;

(ख) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 लागू होने से पहले इन औषधों के मूल्य क्या थे और इनमें से कितनी औषधों पर मूल्य नियंत्रण लागू नहीं है;

(ग) इन औषधों को मूल्य नियंत्रण आदेश, से मुक्त रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1986-87 से 1989-90 के दौरान इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा इन औषधों में से प्रत्येक की कितनी मात्रा का आयात किया गया और आयातित औषधों की लागत, बीमा, भाड़ा सहित मूल्य क्या था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) आई०डी०पी०एल० विटामिन बी-1, विटामिन बी-2, विटामिन बी 6 और फालिक एसिड को नीचे बताये गए मूल्यों पर बेच रही है :—

	(रुपए प्रति किलोग्राम)
विटामिन बी-1 (एच०सी०एल०)	1453/-
विटामिन बी-1 (मोनो)	1550/-
विटामिन बी-2	2912/-
विटामिन बी-6	1400/-
फौलिक एसिड	2640/-

(ख) डी०पी०सी०ओ०, 1987 से पहले इन औषधों के मूल्य निम्न प्रकार थे :—

(रुपए प्रति किलोग्राम)

विटामिन बी-1 (एच०सी०एल०)	950.00
विटामिन बी-1 (मोनो)	1011.50
विटामिन बी-2	2098 00
विटामिन बी-6	1200.00
फोलिक एसिड	2631 62

उपर्युक्त सभी प्रपुंज औषधों को डीपीसीओ, 1987 के अन्तर्गत मूल्य नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है।

(ग) इन औषधों को केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल्य नियंत्रण से बाहर रखा गया था। तथापि विटामिनों के सम्मिश्रण सूत्रयोग मूल्य नियंत्रित है।

(घ) आईडीपीएल द्वारा किए गए आयातों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(रुपए प्रति किलोग्राम)

औषध का नाम	वर्ष	आयातित मात्रा	आयात का सीआईएफ मूल्य
विटामिन बी 1 (एचसीएल)	1987-88	15000	457.79
विटामिन बी 1 (मोनो)	1987-88	5000	449.00
विटामिन बी 2	1987-88	5000	680.00
	1988-89	3000	672.35
विटामिन बी 6	1988-89	3000	517.78

कुछ क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

3120. **श्री बर्नम्मा मोहम्मा साबुल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने देश के आर्थिक विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के ढांचे में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा कुछ उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में जून, 1990 तक अनिवासी भारतीयों ने कितना पूंजी निवेश किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार की विद्यमान औद्योगिक नीति के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर जैसाकि 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प में प्रतिपादित किया गया तथा जिसका समय-समय पर विस्तार किया गया, सरकार ने हाल ही में कुछ निर्णय लिए हैं जिन्हें 31 मई, 1990 को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर दस्तावेज के रूप में रख दिया

गया है। यह दस्तावेज का शीर्षक "लघु उद्योग तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति उपाय तथा औद्योगिक अनुमोदनों हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन" है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के प्रतिरूप (पैटर्न) में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है।

अनिवासी भारतीय निवेश नीति की भी निरंतर समीक्षा की जा रही है। सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग में एक परामर्श समिति का गठन किया है जो अनिवासी भारतीय निवेश से सम्बन्धित विभिन्न नीति तथा प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों की जांच करती है। इस समिति में विचार-विमर्श के बाद, नीति तथा प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों जैसे अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) उद्यमियों के लिए वीसा मानदण्ड, विदेशी स्थापना स्थान पर अंशदान संकलन खाता खोलना तथा भारत में लाये बिना वहां, से धन की वापसी, गैर-देश प्रत्यावर्तन आधार पर विदेशी मुद्रा नामित बांड, होटल तथा हवाई टैक्सियों इत्यादि में निवेश शुरू किये गये हैं। जिससे भारत में निवेश के वातावरण में सुधार हो सके।

औषध कंपनियों को नोटिस

3121. **श्री सोमजी भाई डामोर : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध मूल्य समानीकरण खाते के अंतर्गत किन-किन उत्पादों के लिए नोटिस किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1986 के दौरान जिन कंपनियों को नोटिस दिए गए उन सबके नाम क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) वर्ष 1983 से 1986 के दौरान लगभग 100 कंपनियों को पत्र जारी किए गए थे। उन औषधियों के नाम जिनके सम्बन्ध में पत्र जारी किए गए थे संलग्न विवरण में दिये जाते हैं।

विवरण

1. इथम्बुटोल
2. एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट/एनहाइड्रस
3. एमोक्सीसिलिन
4. विटा. सी
5. ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल
6. फिनोबारबिटोन
7. पाइरेन्टल पेमोएट
8. पिपराजाइन और इसके लवण
9. टेट्रासाइक्लीन
10. जेन्टामाइसिन
11. मेट्रोनिडाजोल

12. क्लोरोक्वीन फास्फेट

13. डोक्सीसाइक्लीन

14. नेप्रोक्सिन

15. ओक्सीफिनब्यूटाजोन

16. डेक्सामेथाजोन

17. एनालजिन

18. क्लोरमफैनिकोल

19. रिफैम्पिसिन

20. इब्युपोफिन

21. डिपइरेडिमोल

22 सालुबुटामोल

23. क्लोफाजामाइन

मुम्बई नासिक यातायात के लिए पृथक जोन बनाना

3122. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-नासिक औद्योगिक क्षेत्र से मुम्बई-नासिक यातायात के लिए एक अलग उपशहरी यातायात जोन बनाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजमार्ग संख्या 27 पर निम्बोला क्रांसिंग पर ऊपरी पुल का निर्माण

[हिन्दी]

3123. **श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्बोला रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यह प्रस्ताव किस स्तर पर लम्बित पड़ा हुआ है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव प्रायोजित किया गया है।

(ख) प्रस्ताव के लिए योजना बनाई जा रही है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने अभी तक रेलवे को नक्शे तथा अनुमान नहीं भेजे हैं।

आंध्र प्रदेश में भारतीय सीमेंट निगम की येरागुन्टला परियोजना

[अनुवाद]

3124. **श्री नाथू सिंह : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने आंध्र प्रदेश में येरागुन्टला के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वियन में विलम्ब के क्या कारण हैं।

(ग) विलम्ब के कारण परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार का परियोजना कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा विलंब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया येरागुन्टला, आंध्र-प्रदेश में प्रति वर्ष दस लाख टन सीमेंट का उत्पादन करने के लिए एक परियोजना का कार्यान्वियन कर रहा है।

(ख) ठेकेदारों और मशीनों के सम्भरकों से विवादों सहित विभिन्न कारणों से परियोजना के कार्यान्वियन में देरी हुई है।

(ग) यह मानकर कि ठेकेदारों/सम्भरकों के साथ विवादों का निपटान तुरन्त हो जाएगा, अब परियोजना की लागत 220 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(घ) इस परियोजना का कार्यान्वियन विभिन्न पार्टियों, विशेषकर मैसर्स "विल" के साथ विवादों के समाधान से सम्बद्ध है जो कि विचाराधीन है। सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया इस विषय को विवाचन में तथा पार्टियों के साथ दोनो जगहों पर उठा रहा है। इस परियोजना को प्रशासनिक मन्त्रालय द्वारा तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मन्त्रालय द्वारा लगातार मोनिटर किया जा रहा है तथा जहां आवश्यक होता है, समुचित उपाय किए जाते हैं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रानीपेट स्थित एकक का विस्तार

3125. **श्री आर० जीवरत्नम : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में रानीपेट में स्थित भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एकक का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, उन लोगों के प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रानीपेट एकक में उपयुक्त रोजगार दिया जाना था;

(ग) यदि हां, तो इसका लाभ कितने परिवारों को प्राप्त हुआ और अभी कितनों को रोजगार नहीं दिया गया है; और

(घ) शेष परिवारों को रोजगार न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख से घ) अभी तक 569 भूमिदाताओं को "भेल" द्वारा नियोजित किया जा चुका है एवं नियोजनार्थ 747 आवेदन लंबित हैं क्योंकि इस एकक में अकुशल कोटि की जनशक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है।

पश्चिमी सीमा क्षेत्रों के लिए रेल सेवाएं

[हिन्दी]

3126. **श्री गुमानमल लोढा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान से लगे पश्चिमी सीमा क्षेत्रों के लिए सीधी रेल से प्रदान कर इन क्षेत्रों को उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण भारत से जोड़ने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कालीकट से निर्धारित विमान उड़ानें रद्द करना

[अनुवाद]

3127. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या **नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कालीकट विमानपत्तन पर कितनी निर्धारित विमान-उड़ानें रद्द की गईं;

(ख) कालीकट विमानपत्तन से निर्धारित उड़ानें रद्द करने के कारण कितने यात्री प्रभावित हुए; और

(ग) इस प्रकार उड़ानें रद्द किए जाने से कुल कितनी निवल हानि हुई ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कालीकट के लिए वहां से होकर इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें 13 अप्रैल, 1988 से आरंभ की गई थीं। अप्रैल, 1988 से जुलाई, 1990 की अवधि में कालीकट से होकर इंडियन एयरलाइन्स की कुल 496 उड़ानों में से, 8 उड़ानों को रद्द किया गया था।

जहां तक वायुदूत का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) कालीकट/बम्बई सेवा पर उपरोक्त वर्णित अवधि में, प्राप्त किए गए औसत वार्षिक सीट फैक्टरों के आधार पर इस प्रकार के निलंबन के कारण प्रभावित होने वाले यात्रियों की संख्या 836 थी।

जहां तक वायुदूत का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इन उड़ानों को रद्द किए जाने के कारण, हानि की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियों में, काफी संख्या में यात्री इंडियन एयरलाइन्स की वैकल्पिक सेवा से यात्रा कर लेते हैं, तथापि, इंडियन एयरलाइन्स ने यात्रियों पर होटल आवास, भोजन और परिवहन पर खर्च किया। इस अवधि में इस संबंध में किए गए खर्च का अनुमान 0.65 लाख रुपए है।

जहां तक वायुदूत का संबंध है, सूचना एकत्रित की जारी रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनावश्यक दवाइयों का उत्पादन

3128. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध उद्योग में आधारावस्था से बल्क औषध निर्माण कर ध्यान देने एवं क्षय रोग, दस्त, कुष्ठ रोग इत्यादि के लिए जीवनरक्षक दवाइयां बनाने के स्थान पर इसके संसाधनों को बर्बाद किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो आवश्यक दवाइयों का निर्माण करने के लिए औषध उद्योग को अनुशासित करने पर विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) देश में प्रपुंज औषधों के उत्पादन में पिछले दशक में वृद्धि हो रही है। 1982-83 में प्रपुंज औषधों के उत्पादन का मूल्य संलग्न विवरण में दिया जाता है। बड़ी संख्या में प्रपुंज औषधों का उत्पादन मूल स्तर से किया जाता है और देश अनेक आवश्यक और महत्वपूर्ण औषधों में आत्म-निर्भर है। कुछ प्रपुंज औषधों जैसे क्षयरोग और कुष्ठ रोग के लिए रिफैंपसीन के लिए मूल स्तर के उत्पादन की प्रौद्योगिकी प्राप्त करना कठिन है। कुछ विदेशी सहयोग स्वीकृतियां अनुमोदित की गई हैं। सूत्रयोगों का उत्पादन संगठित क्षेत्र में प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के उत्पादन के बीच मूल्यों के अनुपात लागू करके कंपनी के कुल कारोबार के आधार पर विनियमित किया जाता है। संगठित क्षेत्र में किसी कंपनी को अनुपात पैरामीटरों द्वारा निर्धारित प्रपुंज औषध कार्यकलाप किए बिना सूत्रयोगों के उत्पादन की अनुमति नहीं दी जाती है।

विवरण

वर्ष		उत्पादन (रुपए करोड़ में)
1982-83	—	345
1983-84	—	355
1984-85	—	377
1985-86	—	416
1986-87	—	458
1987-88	—	480
1988-89	—	555
1989-90	—	610
×1990-91	—	675

×अनुमानित

बंगलौर विमानपत्तन पर विमानों के आगमन और प्रस्थान की कन्नड़ में घोषणा

3129. **श्री एच० सी० कान्तय्या :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर विमानपत्तन पर विमानों के आगमन और प्रस्थान की सूचना कन्नड़ भाषा में घोषित की जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो कन्नड़ भाषा में भी उनकी घोषणा कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स बंगलौर हवाई अड्डे पर अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त कन्नड़ भाषा में भी घोषणाएं करती है। तथापि, वायुदूत बंगलौर में कन्नड़ भाषा में घोषणाएं नहीं करती थी लेकिन हाल ही में कंपनी ने कन्नड़ भाषा में घोषणाएं करने के आदेश जारी किए हैं।

इन्चैक टायर्स लिमिटेड का टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया में विलय

3130. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्चैक टायर्स लिमिटेड का टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया में विलय कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले के इन्चैक टायर्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर धारियों को नए कारपोरेशन का शेयरधारी बनाया गया है; और

(ग यदि नहीं, तो सरकार ने इन्चैक टायर्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारियों के शेयर धनराशि के संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) दो कंपनियों यानि मेसर्स इन्चैक टायर्स और नेशनल रबर मेन्युफैक्चरर्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण इन्चैक टायर्स लिमिटेड एवं नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1984 के कारण किया गया था। इन दोनों में से प्रत्येक कंपनी का अधिकार, स्वामित्व एवं हित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड में निहित किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इक्विटी शेयरधारकों के दावों सहित, विभिन्न दावे भुगतान आयुक्त के द्वारा निपटाए जाते हैं जिनकी नियुक्ति इस कार्य हेतु इन्चैक टायर्स लिमिटेड एवं नेशनल रबर मेन्युफैक्चरर्स लिमिटेड राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1984 के उपबन्धों के अधीन की गई है।

खजुराहो हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने की सुविधाएं

3131. **कुमारी उमा भारती :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खजुराहो हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने की सुविधाएं हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस हवाई अड्डे पर ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं है।

नई जलपाईगुड़ी-कलकत्ता और दिल्ली के बीच नई रेलगाड़ी चलाना

[हिन्दी]

3132. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई जलपाईगुड़ी स्टेशन से 50 वर्ष पूर्व एक रेलगाड़ी कलकत्ता के लिए और दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली के लिए चलाई गई थी और इस स्टेशन से अन्य कोई यात्री गाड़ी नहीं चलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उनकी मन्त्रालय बढ़ती हुई जनसंख्या तथा दार्जिलिंग सिलीगुड़ी आदि के औद्योगिक कार्य-कलापों को ध्यान में रखते हुए नई जलपाईगुड़ी से एक अतिरिक्त रेलगाड़ी कलकत्ता के लिए और दूसरी दिल्ली के लिए तुरन्त प्रारम्भ करने हेतु कोई कार्यवाही करेगा ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन 1964 में बड़ी रेल लाइन के निर्माण के बाद अस्तित्व में आया था। इसके पहले, मनिहारीघाट में आमान यानान्तरण करने के बाद सिलीगुड़ी टाउन से कलकत्ता तक मीटर लाइन पर दार्जिलिंग मेल चला करती थी। सिलीगुड़ी टाउन और दिल्ली के बीच उस समय कोई गाड़ी नहीं चलती थी। अब बड़ी लाइन पर दार्जिलिंग मेल न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह तक प्रतिदिन चलती है।

(ख) इस समय 3 दैनिक और 3 साप्ताहिक गाड़ियां न्यू जलपाईगुड़ी को कलकत्ता से और 3 दैनिक गाड़ियां न्यू जलपाईगुड़ी को दिल्ली/नई दिल्ली से जोड़ती हैं। परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण न्यू जलपाईगुड़ी से कलकत्ता अथवा दिल्ली तक कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली/नई दिल्ली में खुदरा पंपों के लिए आशय-पत्र जारी करना

3133. **श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न तेल कम्पनियों ने दिल्ली/नई दिल्ली में पेट्रोलियम/डीजल के खुदरा पम्प खोलने के लिए कोई आशय पत्र जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये आशय-पत्र किन-किन पार्टियों के पक्ष में तथा किन-किन तिथियों को जारी किए गए हैं; और

(ग) ये खुदरा पम्प कब से अपना कार्य शुरू कर देंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

(ग) न्यायालय में अनिर्णीत पड़े एक मामले को छोड़कर, अन्य सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों को चालू करने का काम उपयुक्त भूमि प्राप्त होने में कठिनाई के कारण रुका पड़ा है। अत: इन खुदरा बिक्री केन्द्रों के चालू होने का संभावित समय बता पाना संभव नहीं है।

क्रम संख्या	पार्टियों का नाम	तारीख
1	2	3
1.	श्रीमती प्रोमिला शर्मा	12.02.1990
2.	श्री दीपक सरीन	08.03.1990
3.	श्रीमती नीलम गोयल	04.04.1990
4.	सुश्री देव सेना	13.02.1985
5.	श्री सुनील आर० मसीह	09.05.1985
6.	श्रीमती नोमी सेठी	16.03.1990
7.	श्रीमती मीना मोगल	08.11.1989
8.	श्रीमती पुष्पालता एम कुलकर्णी	26.07.1990
9.	श्रीमती मयूनी शर्मा	17.11.1989
10.	श्री चन्दन दास	08.11.1989
11.	श्री प्रकाश राम	08.11.1989
12.	श्री एस. सी. त्रिपाठी	26.06.1990

महाराष्ट्र में प्राकृतिक गैस की खपत

3134. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र गत तीन वर्षों के दौरान गैस अथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा विपणन की जाने वाली प्राकृतिक गैस वितरण और खपत की विकास-दर क्या रही है; और

(ख) महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों के लिए और अधिक प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि० फिलहाल महाराष्ट्र में किसी भी गैस का विपणन नहीं कर रही है। यह कार्य तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है। इस समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग महाराष्ट्र में 10.5 एम एम एस सी एम डी प्राकृतिक गैस की सप्लाई कर सकता है जबकि पिछले

तीन वर्षों के दौरान उन पार्टियों द्वारा उठान निम्नलिखित रही जिन्हें गैस के लिए वचन दिया गया है —

वर्ष	औसत उठान
	एम एम एस सी एम डी)
1987-88	9.76
1988-89	9.12
1989-90	10.04

(ख) उरन से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और उरन के तटवर्ती टर्मिनल की क्षमता तक महाराष्ट्र में और अधिक गैस की सप्लाई सीमित है। उरन टर्मिनल की 16 एम एम एस सी एम डी की अधिकतम क्षमता की तुलना में लगभग 18 एम एम एस सी एम डी के लिये पहले ही वचन दिया गया है। आगे की वचनबद्धता गैस संसाधन, संपीड़न एवं परिवहन सुविधाओं तथा दूसरे तटवर्ती टर्मिनल पर लिये जाने वाले पर्याप्त निर्देश पर निर्भर करती है।

धनबाद से सुदामडीह तक रेलगाड़ी चलाना

3135. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धनबाद आद्रा से सुदामडीह के बीच वारास्ता पाथरडीह एक यात्री रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल जटा उद्योग में मन्दी

3136. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग को मन्दी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई कार्य योजना विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निरन्तर आधार पर, कयर बोर्ड, कयर उद्योग के चौमुखी विकास का बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। कयर उद्योग के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए कयर बोर्ड के लिए 1989-90 के दौरान 619 लाख रु० की तुलना में, 1990-91 के लिए 795 लाख रु० का बढ़ा हुआ बजट सम्बन्धी प्रावधान किया गया है।

खुरदा से पुरी के बीच दोहरी लाइन बिछाना और खड़गपुर से पुरी के बीच विद्युतीकरण किया जाना

3137. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के लोगों द्वारा खुरदा से पुरी के बीच दोहरी लाइन बिछाने और दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर से पुरी खण्ड का विद्युतीकरण करने के बारे में लम्बे समय से मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और इस उद्देश्य के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय दृष्टि से दोहरीकरण और विद्युतीकरण का औचित्य सिद्ध करने के लिए खोरधा रोड-पुरी और खड़गपुर-पुरी खंडों पर यातायात का घनत्व बहुत कम है। इसलिए खोरधा से पुरी तक दोहरीकरण और खड़गपुर-पुरी खण्ड के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

नागपुर हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण

3138. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और विस्तार का कार्य आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पूरी तरह से नए टर्मिनल भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया है। जिसमें मौजूदा धावनपथ और सहायक पवमेंटों को मजबूत किया जाएगा तथा नागपुर हवाई अड्डे पर मौजूदा एप्रेन का विस्तार किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 9 50 करोड़ रुपए होगी।

विमानन मार्ग निगरानी राडार और स्वचलित संदेश स्वीचिंग प्रणाली भी 15.32 करोड़ रु० की कुल अनुमानित लागत पर स्थापित की जा रही है।

जबकि विमान मार्ग निगरानी राडार और स्वचलित संदेश प्रणाली वर्ष 1991 के दौरान लगाए जाने की आशा है हवाई अड्डे पर सिविल निर्माण कार्य इसे शुरू किए जाने की तारीख से दो वर्षों में पूरा किया जाएगा।

भोपाल में गैस से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण

3139. **श्री बबनराव ढाकणे** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में गैस से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण कराने के लिए एक विशेषज्ञ दल की सेवाएं प्राप्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या केन्द्रीय सरकार को इस सर्वेक्षण के पूरे निष्कर्ष और सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण प्राप्त हो गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) यूनियन कार्बाइड संयंत्र, भोपाल से गैस रिसाव के प्रभावों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश सरकार के लिए 1985 में टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई (टीआईएसएस) द्वारा किया गया था। टीआईएसएस ने कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की थी। तथापि, एकत्र किये गये आंकड़ों का मेसर्स आपरेशनस रिसर्च ग्रुप, बड़ौदा से संगणक विश्लेषण कराया गया था। सरकार को कराये गए सर्वेक्षण अनुसूची और एकत्र की गई जानकारी के संगणक सार की एक प्रति प्राप्त हो गई है।

संसद सदस्यों तथा मन्त्रियों की सिफारिश पर रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों का आवंटन

3140. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों तथा मंत्रियों की सिफारिश पर रसोई गैस एजेन्सियों और पेट्रोल पम्पों के आबंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस मानदंड में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) 1 दिसम्बर, 1989 से आज तक, उनकी सिफारिशों पर, अलग-अलग कितनी रसोई गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल पम्प आबंटित किए गए तथा पांच वर्षों के दौरान किए गये आबंटनों की तुलना में यह कितना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : तेल चयन बोर्ड द्वारा चयन किये गये उम्मीदवारों को खुदरा बिक्री केन्द्र (डीजल/पेट्रोल) डीलरशिपें/एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें दी जाती हैं। तथापि, व्यक्तिगत मामलों की गुणवत्ता के आधार पर कुछ डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सरकार के विवेक के आधार पर दी जाती हैं। ऐसे मामलों के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन और कोचीन हाई में ड्रिलिंग कार्य

3141. श्री रमेश चेन्नीथाला : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा-गोदावरी बेसिन और कोचीन हाई में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की तेल की खोज सम्बन्धी गतिविधियों का तत्सम्बन्धी परिणाम सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बिजली और रसोई गैस की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिये दक्षिण भारत में बड़ी मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक गैस का उपयोग करके वहां गैस पर आधारित बिजली घर तथा बाटलिंग प्लांट स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : वर्ष 1989-90 के दौरान, कृष्णा गोदावरी बेसिन के विभिन्न भागों में चार विभागीय दलों द्वारा कुल 8104 एल० एल० के भू-कम्पीय सर्वेक्षण किये गये। इसके अतिरिक्त, एक ठेके के दल ने तटवर्ती क्षेत्र में 370 जी एल के तथा अपतटीय क्षेत्रों में 3 डी के 3583 एल के भूकम्पीय सर्वेक्षण किया। इस समय कृष्णा-गोदावरी तटवर्ती बेसिन में 8 रिंग लगाए गये हैं। और दो रिंग कृष्णा-गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में लगाये गये हैं।

"कोचीन हाई", "केरल कोंकण" अपतटीय बेसिन का एक भाग है। वर्ष 1987-88 तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने "कोचीन-हाई-1 (सी एस-1-1) नामक पूर्वेक्षण स्थल पर ड्रिलिंग किया परन्तु यह सूखा निकला। हाल में, "कोचीन हाई-1" के उत्तर में एक दूसरे सी एस पी-1 नामक कूप में ड्रिलिंग की गई परन्तु यह भी सूखा निकला।

परन्तु, ड्रिलिंग के परिणामों से स्थितियों के बारे में जो संकेत मिले हैं वे हाइड्रोकार्बन के उत्पादन की सम्भावना को बल देते हैं और उन्होंने ऐसे भंडार चट्टानों के होने का प्रमाण दिया है जिसमें हाइड्रोकार्बन हो सकता है।

(ख) और (ग) सरकार ने पहले ही कृष्णा-गोदावरी बेसिन में विजेश्वरन बिजली घर के लिए 0. एम एम एस सी एम डी गैस के लिये वायदा किया है। इसके अतिरिक्त उसी बेसिन में स्थापित किये जाने वाले दो बिजली संयंत्रों, (एक केन्द्रीय और दूसरा राज्य क्षेत्र में), प्रत्येक को 1.5 एम एम एस सी एम डी के सयोजन पर सहमति हुई है। इसके अतिरिक्त, कावेरी बेसिन में बिजली संयंत्रों को 2.0 एम एम एस सी एम डी गैस देने के संयोजन पर भी सहमति हुई है। यह मात्र एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं होगा और स्थान-वार वास्तविक उपलब्धता तथा कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में अभी निश्चित किया जाना है। इस समय, प्राकृतिक गैस पर आधारित, दक्षिण में कोई एल पी जी रिकवरी संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोचीन हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण

3142. प्रो० के० वी० थामस क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण और इसकी वर्तमान स्थिति में इसका विस्तार किया जायेगा अथवा एक नये हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) एयरबस परिचालनों के लिए मुख्य धावनपथ का विस्तार और उसे मजबूत करने, नौसेना परिचालनों के लिए इस समय उपयोग में लाये जा रहे सहायक धावनपथ का पुन: रेखांकन करने और वैकल्पिक स्थान पर नए हवाई अड्डे के निर्माण सहित कई विकल्पों की जांच की गई है। सहायक धावनपथ के पुन: रेखांकन के विकल्प को प्राथमिकता दी गई है। तथापि, इस परियोजना में कई सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। इसमें अन्तर्ग्रस्त एजेंसियों के पास संसाधनों की कमी के कारण परियोजना को शुरू करना संभव नहीं है।

रेल कर्मचारियों की मांग

[हिन्दी]

3143. श्री सूर्य नारायण सिंह
श्री राम नाईक
श्री धावेन्द्र दत्त
श्री पी० एस० सईद
: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल कर्मचारियों के संघों की ओर से, हाल ही में अपनी मांगें/शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) रेल कर्मचारियों की विभिन्न यूनियन समय-समय पर अपनी मांगें/शिकायतें प्रस्तुत करती हैं जिन पर सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन प्रश्न में किसी विशिष्ट यूनियन या किसी विशिष्ट विषय का हवाला न दिए जाने के कारण कोई विशिष्ट टिप्पणी प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

नांगल डैम एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में परिवर्तन

3144. श्री महेश्वर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगल और दिल्ली के बीच सांय 8 बजे और 9 बजे के बीच चलने वाली नांगल डैम एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में परिवर्तन किये जाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) पंजाब में कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण।

नीलगिरी पर्वत श्रेणी में गैस की खोज

[अनुवाद]

3145. **श्री सी० श्रीनिवासन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में नीलगिरि पर्वत श्रेणी और पड़ोसी जिलों में तेल/गैस का पता लगाने के लिये, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के भोपाल स्थित एकक द्वारा निर्मित यन्त्र "हैवी रिग पावर पैक" से कोई खोज कार्य किया है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तमिलनाडु में नीलगिरि तथा आसपास के जिसे पूर्व कैम्ब्रियन युग के खुले आग्नेय और स्थानान्तरित चट्टानों से बने शील्ड क्षेत्र में अवस्थित हैं। इस क्षेत्र में परतदार आवरण नहीं होता है जो तेल एवं प्राकृतिक गैस के पैदा होने और जमाव के लिए अनिवार्य है।

तमिलनाडु में वैगई और तम्बरावरानी नदी बेसिनों में "ड्रिलिंग" कार्य

3146. **श्री आर० पी० एस० वेंकटेशन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तमिलनाडु में वैगई और तम्बरावरानी नदी बेसिनों में तेल/गैस होने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए इस क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण और ड्रिलिंग कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने रामनाड उप-बेसिन के नाम से ज्ञात वैगई नदी बेसिन में अन्वेषण-कार्य किया है। तथापि, ऐसे कार्य तम्बारावरानी नदी बेसिन में नहीं किए गए हैं।

(ख) रामनाड उप-बेसिन में भूकंपीय सर्वेक्षण, सूचना और अन्वेषी ड्रिलिंग-कार्य अभी चल रहा है।

(ग) तम्बाराबरानी नदी द्वारा बहा दिए गए क्षेत्र की तलछटी मोटाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण किया जाना उचित ठहराया जाए।

आठवीं योजना में तेल शोधन कारखानों का निर्माण

3147. **श्री बाल गोपाल मिश्र :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना में कितने तेल शोधक कारखानों के निर्माण का विचार है तथा इनके स्थापना स्थलों क्षमताओं और इनमें होने वाले पूंजी निवेशों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख क्या सरकार का इनमें से कुछ तेल शोधक कारखानों को संयुक्त क्षेत्र अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) आठवीं योजना के दौरान देश में अतिरिक्त परिशोधन क्षमता के सृजन तथा उसके स्थान का मामला उस योजना के परिव्यय पर निर्भर करेगा जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

केलकर समिति की रिपोर्ट

3148. **श्री बसन्त साठे :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारित करने के लिए डा० केलकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी;

(ख) समिति द्वारा क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इनके बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) जी हां। रिपोर्ट प्राप्त हुई है और फिलहाल यह सरकार के विचाराधीन है।

तिरूर में नवयुग रेलगाड़ी का रुकना

3149. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तवी-मंगलौर नवयुग एक्सप्रेस रेलगाड़ी का केरल के मलापुरम जिले में किसी भी स्थान पर कोई "स्टापेज" नहीं है;

(ख) क्या कम से कम तिरूर में एक "स्टापेज" की व्यवस्था करने के बारे में कोई मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 1.9.90 से नवयुग एक्सप्रेस तिकूर में ठहराया जा रहा है।

अनिवासी भारतीयों के प्रस्तावों को स्वीकृति

3150. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों को दिल्ली और अन्य महानगरों, जहां उन्हें सुविधाएं दी जा सकती हैं, में कुछ केन्द्र स्थापित करके उनकी परियोजनाओं की स्वीकृति देने और पूंजी निवेश करने के लिये उन्हें प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कोई सुविधा दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्र किन-किन स्थानों में स्थापित किए जाएंगे और कब से कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, अनिवासी भारतीय निवेश नीति की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है। सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग में एक परामर्शदायी समिति गठित की है जो अनिवासी भारतीय निवेश से सम्बद्ध अनेक नीति तथा पद्धति से संबंधित मामलों की जांच करनी है। इस समिति के विचार विमर्श के परिणामस्वरूप भारत में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनिवासी भारतीय उद्यमियों के लिए वीसा मानक, विदेशों में अंशदान एकत्रीकरण लेखे खोलना, और भारत में लाये बिना देश में वापस न भेजने के आधार पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेटेड बान्ड वापस लेना, होटलों और एयर टैक्सी इत्यादि में निवेश जैसे नीति और कार्यविधि सम्बन्धी कई उपाय शुरू किये गये हैं।

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात और खपत

3151. **श्री टी० बशीर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी खपत होने का अनुमान है,

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में कितनी कितनी मात्रा में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन होने तथा प्रत्येक देश से कितनी-कितनी मात्रा में इनका आयात किये जाने का अनुमान है; और

(ग) इसी अवधि के दौरान इनके देश में उत्पादन से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है तथा इनके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) वर्ष 1990-91 के लिए 58.87 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का अनुमान लगाया गया है।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए लगभग 35.9 मिलियन टन कच्चे तेल (एन जी एल सहित) के देशी उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। खपत और देशी उत्पादन के बीच के अन्तर को आयात करके पूरा करने की योजना है। आयात दोनों तरीकों से किए जाते हैं अर्थात् तेल उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ आवधिक-संविदा के तहत और स्पाट-खरीद के आधार पर।

(ग) वर्ष 1990-91 के लिए, कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए 7000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आबंटित की गई है। वर्ष 1990-91 के दौरान 1.722 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात किये जाने की आशा है। निर्यात की गई इन वस्तुओं का विदेशी मुद्रा में मूल्य, उन उत्पादों की चालू अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करेगा।

रसोई गैस की उपभोक्ताओं को सीधी सप्लाई

3152. श्री बर्मेश प्रसाद वर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रसोई गैस की सप्लाई प्राइवेट एजेंटों के माध्यम से करने की बजाए सीधी उपभोक्ताओं को करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्राइवेट एजेंटों द्वारा रसोई गैस की सप्लाई किये जाने से उपभोक्ताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जबकि तेल कंपनियां घरेलू उपभोक्ताओं को एल पी जी की थोक मात्रा की आपूर्ति सीधे कर रही है, फिलहाल तेल कंपनियों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को पैक की हुई एल पी जी की सीधी आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) देश में एल पी जी के उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए, तेल कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को पैक की हुई एल पी जी की सीधी आपूर्ति किया जाना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) और (घ) मोटे तौर पर, डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा उपभोक्ताओं को एल पी जी की आपूर्ति उन्हें बिना किसी असुविधा पहुंचाए की जाती है। तथापि, कभी कभार एल पी जी की उपलब्धता में कमी, परिवहन संबंधी असुविधाओं, औद्योगिक संबंधों की समस्याओं, नागरिक अशांति तथा अन्य अप्रत्याशित घटनाओं जैसे कतिपय कारणों से उपभोक्ताओं को की जाने वाली आपूर्ति प्रभावित होती है।

यूनियन कारबाइड का मामला

3153. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यूनियन कारबाइड के मामले पर विचार कर रही उच्चतम-न्यायालय की पूर्ण संविधान पीठ द्वारा की गई इस आशय की टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है कि जब कंपनी और सरकार के बीच समझौते के भाग के रूप में अंतरिम राहत की धनराशि निश्चित की गई थी, तो भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के अप्रैल, 1986 की रिपोर्ट, जिसमें गैस पीड़ितों की अनुमानित संख्या दी गई थी, न्यायालय के ध्यान में कभी नहीं लाई गई;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार गेस से प्रभावित व्यक्तियों की वास्तविक संख्या का कोई संशोधित अनुमान तैयार किया है; और

(ग) तदनुसार अन्तरिम राहत की राशि में कुल कितनी वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के मामले में 14 और 15 फरवरी, 1989 के समझौता आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षा याचिकाओं पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा रही है और मामला न्यायाधीन है।

चन्द्रपुर-बालाघाट-जबलपुर और बालाघाट-तिरोड़ी छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलना

[हिन्दी]

3154. **श्री शंकर मुंजारे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रपुर-गोंदिया-बालाघाट-जबलपुर और बालाघाट-कांटागी-तिरोड़ी छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की जनता की बढ़ती मांग को देखते हुए इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) जबलपुर-गोंदिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1980 में किये गये सर्वेक्षण को अद्यतन किया गया है ताकि एक वैकल्पिक उत्तर-दक्षिण मार्ग के रूप में इसकी अर्थक्षमता की जांच की जा सके। प्रतिफल की ऋणात्मक दर सहित आमान परिवर्तन की अद्यतन लागत का अनुमान 185.35 करोड़ रुपए लगाया गया है। इसी बीच, दक्षिण पूर्व रेलवे जबलपुर गोंदिया-चांदा फोर्ट छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण का सुझाव दिया है ताकि यह एक वैकल्पिक उत्तर-दक्षिण-मार्ग के रूप में सेवित कर सके। यह सर्वेक्षण अनुमोदित कर दिया गया है।

उद्योगों को महानगरों और शहरों से दूर स्थापित करना

[अनुवाद]

3155. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों को महानगरों और शहरों से दूर स्थापित करने के बारे में 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक स्थापना स्थलों का विनियमन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जो स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं और उनकी अपनी स्थानिक विकास योजनाओं, क्षेत्रीय तथा नगर नियोजन कानूनों को ध्यान में रख कर किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार उद्योगों को दूर दूर स्थापित करने के उद्देश्य से औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एकक लगाने वाले उद्यमियों को कई प्रोत्साहन देती है जैसे लाइसेंसीकरण में प्राथमिकता, रियायती वित्त इत्यादि।

बिहार को कोयले की सप्लाई

[हिन्दी]

3156. श्री जनार्दन तिवारी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान बिहार में विभिन्न लघु उद्योगों को कितनी मात्रा में कोयला सप्लाई किया गया;

(ख) क्या कोयले की नियमित सप्लाई न किए जाने के कारण लघु उद्योग बन्द होने की स्थिति में आ गए हैं;

(ग) इस समय बिहार में कोयले की वार्षिक मांग कितनी है; और

(घ) सरकार बिहार को कोयले की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की सूचना के अनुसार, कोल इंडिया लि० ने वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान बिहार के विभिन्न लघु उद्योगों को की गई कोयला/हार्ड कोक की कुल आपूर्ति को नीचे दर्शाया गया है :—

(लाख टन में)

1987-88	21.23
1988-89	26.46
1989-90	25.88

(ख) कोल इण्डिया लि० ने ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त होने के बारे में इन्कार किया है।

(ग) कोयले की मांग का हिसाब क्षेत्रवार लगाया गया है और न कि राज्यवार। किंतु कोल इण्डिया लि० ने बिहार राज्य के गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 1989-90 में 60.37 लाख टन कोयले की आपूर्ति की थी।

(घ) बिहार में उद्योगों को कोयले की नियमित आपूर्ति का सुनिश्चय किए जाने के संबंध में उठाए गए कदमों में राज्य सरकार के प्राधिकारियों से प्राप्त रेल अथवा सड़क द्वारा प्रायोजनों

के अनुसार कोयले का संचलन शामिल है। इसके अलावा कोल इंडिया सड़क द्वारा प्रत्येक आवेदन-कर्ता को 500 मिट्रिक टन तक विनिर्दिष्ट कोलियरियों से बिना किसी प्रायोजन दस्तावेज के प्रस्तुत किए कोयले की आपूर्ति करता है।

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पेट्रोलियम भंडार का पाया जाना

[अनुवाद]

3157. **श्री उत्तमराव पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के जलगांव जिले के चोपड़ा ताल्लुक में पेट्रोलियम भंडार पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) महाराष्ट्र के जलगांव जिले के चोपड़ा ताल्लुक में कोई तेल अथवा गैस भंडार अभी स्थापित नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देवघर में बासकुप्पी कोयला खान में खनन कार्य

[हिन्दी]

3158. **श्री जनार्दन यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देवघर जिले में बासकुप्पी कोयला खान में खनन कार्य आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) बासकुप्पी नाम की कोई कोलियरी विद्यमान नहीं है। किन्तु सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० की सेंट्रल जयन्ती कोलियरी के पट्टेदारी क्षेत्र के अंतर्गत एक बासकुप्पी नामक ग्राम स्थित है। जयन्त कोयला क्षेत्र में खनन कार्य किए जाने की संभाव्यता की जांच की गई है किन्तु इस स्थान पर कोई आर्थिक रूप से लाभकारी कोयले के भंडार होने का सुनिश्चय नहीं हो सका है।

अमृतसर-लुधियाना रेलगाड़ी को शटल गाड़ी में बदलना

[अनुवाद]

3159. **श्री कृपाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अमृतसर-लुधियानों रेलगाड़ी को शटल गाड़ी में बदलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ी के समय सहित तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) अमृतसर-लुधियाना पैसेंजर गाड़ी को शटल गाड़ी में वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों के मूल्य पर से नियंत्रण हटाना

3160. **श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में औषधियों की लाभप्रदता में वृद्धि और मूल्यों के विनियंत्रण के कारण आवश्यक औषधों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र (केन्द्रीय और राज्य दोनों द्वारा) द्वारा औषधियों के कुल उत्पादन की कितनी मात्रा की सरकार द्वारा खरीद की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम॰ एस॰ गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) देश में औषधों के उत्पादन में लगभग 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। मानीटर की गई प्रपुंज औषधों के उत्पादन के आंकड़े इस मंत्रालय के वार्षिक कार्य-निष्पादन बजट में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) यह मंत्रालय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई खरीद को मानीटर नहीं करता है।

खजुराहो हवाई अड्डे के स्थान में परिवर्तन

3161. **श्री लोकेन्द्र सिंह** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खजुराहो हवाई अड्डा 737 बोइंग इत्यादि विमानों से बड़े विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए उपयुक्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस हवाई अड्डे को बड़े विमान उतरने के काबिल बनाने के लिए निकट के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, नहीं।

थाणे (महाराष्ट्र) में मध्य रेलवे के प्रति शिकायतें

3162. **प्रो॰ राम गणेश कापसे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें थाणे (महाराष्ट्र) में मध्य रेलवे के अन्तर्गत गुड्स पार्सल (खराब होने वाली वस्तुएं) का कार्यालय बन्द किये जाने के कारण जनता से प्राप्त शिकायतों के बारे में चैम्बर आफ स्माल इण्डस्ट्री एसोसिएशन, थाणे (महाराष्ट्र से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे, थाणे पार्सल कार्यालय को बंद करने के बारे में विचार नहीं कर रही है। पार्सल कार्यालय को स्टेशन की पश्चिम दिशा की ओर स्थानांतरित करने का सुझाव व्यावहारिक नहीं समझा गया है। क्योंकि यात्रियों को असुविधा पहुंचाये बिना इसे स्थापित करने के लिए कोई स्थान उपयुक्त नहीं है।

ट्यूब लाइटों को लोकप्रिय बनाना

[हिन्दी]

3163. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरों में ट्यूब लाइट लगाने के लिए प्रचार किया जा रहा है जिससे कि बिजली की खपत न्यूनतम हो सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी आवासों में बल्बों के कनेक्शनों के साथ ट्यूब लाइट के कनेक्शन उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में दक्षतापूर्ण रोशनी प्रणाली के उपयोग सहित विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रचारित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा की जा सके।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में निर्मित किए जाने वाले टाइप-1, 2 तथा 3 सामान्य पूल क्वार्टरों में ट्यूबलाइट की व्यवस्था की जाएगी।

बिहार के सहरसा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण

3164. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सहरसा जिले के कितने गांवों में अब तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है तथा कितने गांवों में बिजली पहुंचाया जाना बकाया है; और

(ख) इन बकाया गांवों में कब तक बिजली पहुंचा दी जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिहार के सहरसा जिले में कुल 954 आबाद गांवों में से 31.3.1989 की स्थिति के अनुसार 774 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और 180 शेष गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण के सम्बन्ध में जिलेवार कार्यकरणों को, राज्य स्तर पर, निधियों की उपलब्धता एवं राज्य सरकार द्वारा नियत पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। तथापि विद्युतीकरण के लिए शेष रह गए सभी गांवों को आठवीं योजना अवधि के दौरान, यदि निधियां एवं अन्य निवेश उपलब्ध रहे तो, विद्युतीकृत कर दिए जाने की सम्भावना है।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा ली गई पूंजीगत निधि

[अनुवाद]

3165. डा० असीम बाला : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा गत चार वर्षों के दौरान ली गई पूंजीगत निधि का ब्योरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पूंजीगत कार्यों पर वर्षवार वस्तुतः कितना व्यय किया गया है और यदि कोई अतिरिक्त धनराशि प्राप्त की गई, तो कितनी;

(ग) सरकारी उपक्रमों को पूंजीगत निधि जारी किए जाने की क्या प्रक्रिया है;

(घ) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० के मामले में यह प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ङ) राजस्व व्यय के लिए पूंजीगत निधि के अन्यत्र उपयोग की स्वीकृति कौन अधिकारी दे सकता है;

(च) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा० लि० द्वारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त की गई थी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई/करने/का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण बेहेरा) : (क) पिछले चार वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आई०डी०पी०एल० को दी गई योजना धन राशियां निम्न प्रकार हैं :—

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	दी गई राशि
1986-87	4 00
1987-88	7.30
198×-89	9.50
1989-90	8.00

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान आई०डी०पी०एल० द्वारा पूंजीगत कार्यों पर किया गया वास्तविक खर्च निम्न प्रकार है :—

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक खर्च
1986-87	1.03
1987-88	1.05
1988-89	2.82
1989-90	3.52

सम्बन्धित वर्षों के लिए बजट में किए गए प्रावधानों के अलावा आई०डी०पी०एल को कोई अधिक राशि नहीं दी गई थी।

(ग) और (घ) धनराशियां देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद आई. डी० पी० एल० को राशियां दी गई थी।

(ङ) से (छ) नकद हानियों को पूरा करने, सांविधिक भुगतान आदि के लिए कंपनी द्वारा पूंजीगत- धनराशियों में से कुछ राशि का प्रयोग किया गया है क्योंकि नकद हानियों के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं था।

कोणार्क एक्सप्रेस में आरक्षण

3166. श्री ए० एन० सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोणार्क एक्सप्रेस में ब्रह्मपुर (गंजम) से मुंबई तक एक द्वितीय श्रेणी की स्लीपर बोगी के आरक्षित किये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब प्रदान की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) आरक्षित स्थान की सीमित उपलब्धता और स्टेशनों पर आबंटित मौजूदा कोटे का पूरा उपयोग होने के कारण, ब्रह्मपुर में कोणार्क/मीनार एक्सप्रेस गाड़ियों का मौजूदा कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एअर इण्डिया द्वारा यात्री विमानों को माल वाहक विमानों के रूप में इस्तेमाल किया जाना

[हिन्दी]

3167. श्री शिव शरण वर्मा
श्री हरीश पाल
श्री छेदी पासवान
: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया का विचार अपने विमानों को आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभकारी बनाने के विचार से अपने यात्री विमानों को माल वाहक विमानों में परिवर्तित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

मांड कोयला क्षेत्र से, मांड ताप विद्युत परियोजना के लिए कोयला

3168. **श्री छवि राम अर्गल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांड कोयला क्षेत्र से मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना मांड ताप विद्युत परियोजना के लिये अब कोयले का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मांड कोयला क्षेत्र से राज्य की एकमात्र परियोजना के लिए कोयला कब तक आवंटित किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) मंड ताप विद्युत गृह (2 × 210 मेगावाट) की स्थापना का प्रस्ताव मंड-रायगढ़ कोयला क्षेत्र से कोयला की उपलब्धता के आधार पर रखा गया है। उक्त कोयला क्षेत्र में अब तक किए गए अन्वेषण कार्य से प्रस्तावित मंड ताप विद्युतगृह की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त कोयला उत्पादन की संभावनाओं की पुष्टि नहीं होती है।

संयंत्रों और उपकरणों के आयात हेतु पूंजीगत सामान की स्वीकृति

3169. **श्री एम. एस. पाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से बांदा के उद्योग रहित जिले में बारगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में "कान्टीनेन्टी फ्लोर ग्लास प्रोजेक्ट" के लिए 59 करोड़ रुपये मूल्य के संयंत्रों और उपकरणों के आयात हेतु पूंजीगत सामान की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 16.4.1990 को मैं. कान्टिनेन्टल फ्लोट ग्लास लि०, को 49.53 करोड़ रु० का आवश्यक पूंजीगत माल अनुमोदन पत्र जारी किया गया है ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत होटलों के विरुद्ध शिकायतें

3170. **श्री शीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई शिकायत दर्ज की गई है; और यदि हां, तो होटलवार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रकार के कितने मामले लम्बित पड़े हैं और वे कब से लम्बित हैं; और

(घ) इन मामलों का कब तक निपटान किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह): (क) से (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग महानिदेशक, जांच तथा पंजीकरण ने 1.1.1987 से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत, होटलों के विरुद्ध 11 शिकायतें प्राप्त की हैं । (8) आठ शिकायतों का निपटान कर दिया गया है और केवल तीन (3) शिकायतें आयोग के अन्तिम आदेशों के लिए लम्बित हैं । इन मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

एक न्यायिक कल्प निकाय होने के कारण, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत समुचित आदेश पारित करने की शक्तियां प्राप्त हैं तथा अधिनियम के अन्तर्गत मामलों के निपटान हेतु आयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । मामलों के निपटाने में लिया गया समय शामिल मुद्दों की प्रकृति, पक्षकारों के व्यवहार आदि पर निर्भर करते हुए एक मामले से दूसरे मामले में भिन्न होता है ।

विवरण

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत होटलों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में

क्र.सं.	होटल का नाम	शिकायत की प्रकृति	की गई कार्रवाई	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
		निपटान किये गये मामलों की सूची		
1.	एशियन होटल लि०, नई दिल्ली।	शिकायत नवम्बर, 1987 में प्राप्त हुई जिसमें आरोप था कि होटल ने उपभोक्ताओं को संतोषजनक सेवा प्रदान नहीं की थी।	शिकायत की महानिदेशक (जांच एव पंजीकरण) द्वारा जांच की गई गई।	जांच रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों पर विचार करने के बाद मामला समाप्त कर दिया गया।
2.	यू०पी० होटल्स लि०, नई दिल्ली।	कम्पनी द्वारा अपने शेयरों को बेचने के उद्देश्य से इसके शेयर धारकों को सम्बन्धित प्रस्ताव पत्र में इसके शेयरों के बाजार मूल्य के बारे में निवेशकों को गलत सूचना देने के आरोप के बारे में महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) ने, जून, 1988 में एम. आर. टी. पी. एक्ट की धारा 36 ख ग) के अन्तर्गत एक आवेदन दायर किया।	महानिदेशक को आवेदन 1988 के यू टी.पी. जांच संख्या 336 के रूप में पंजीकृत किया गया।	आयोग ने जांच समाप्त करने हेतु एक आदेश पारित किया "चूंकि शेयर, आबंटन से पूर्व एम. आर. टी. पी. एक्ट, 1969 में दी गई "वस्तुओं" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते इसलिए आयोग मामले की जांच करने में पूर्णतः असमर्थ है।"

1	2	3	4	5
3.	होटल मी मेरीडन, नई दिल्ली।	होटल के नववर्ष की पूर्व संध्या समारोह में शिकायतकर्ता द्वारा जीता गया पुरस्कार उसे न दिए जाने के आरोप के बारे में जून, 1988 में शिकायत प्राप्त हुई।	शिकायत, अभियोगी होटल को उसकी टिप्पणी हेतु भेजी गई थी।	अभियोगी द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि शिकायतकर्ता को पुरस्कार दे दिया जाएगा। कार्यवाईयां समाप्त कर दी गई थी।
4.	होटल ओबेराय क्लार्कस शिमला।	महानिदेशक (जांच एवं पंजी-करण) ने जून, 1988 में एक शिकायत प्राप्त की जिसमें आरोप गया था कि होटल स्थान के शुल्क के साथ भोजन का भी शुल्क ले रहा है।	महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) ने अभियोगी के मामले को उठाया।	अभियोगी के उत्तर की प्राप्ति होने पर महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) द्वारा संतोषजनक समझा गया, और कोई कार्रवाही नहीं की गई।
5.	अरुण गोयल प्रापराइटर, मैसर्स अजेयमेरू इन्टरनेशनल, अजमेर।	अभियोगी ने असत्य दावा किया कि यह होटल वालों के व्यापार के साथ संबद्ध था और पहले से ही, अजमेर में स्थित-होटलों के वैलकम समूह के प्रबन्ध के अन्तर्गत एक होटल-अजेयमेरू के निर्माण कार्य शुरू कर दिया था।	यू.टी.पी. जांच संख्या 401/1988 में जांच स्थापित की गई।	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 36 घ (1) के अन्तर्गत आयोग ने एक आदेश पारित किया कि "प्रतिवादी संख्या 1 (अरुण गोयल, प्रापराइटर मैसर्स अजेय मेरू इंटरनेशनल) अब कभी अनुचित व्यापार प्रथा की पुनरावृत्ति नहीं करेगा....."
6.	होटल क्लार्क्स अवध लखनऊ	नवम्बर 1988 में प्राप्त शिका-यत में आरोप लगाया था कि होटल ने अपने स्तर के बारे में अयथार्थ विवरण दिया।	महानिदेशक (जांच एवं पंजी-करण) द्वारा शिकायत की जांच की गई।	रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों पर विचार करने के बाद आयोग ने कार्यवाही बन्द कर दी।

1	2	3	4	5
7.	दि ओबेरॉय, ताज इन्टर नेशनल एवं अन्य पांच सितारा होटल	दिसम्बर, 1988 में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पांच सितारा होटलों में टेलीफोन के भाड़े में हेर फेर की जा रही थी।	महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) द्वारा शिकायत सूचना की जांच की गई।	रिपोर्ट में दिये गये निष्कर्षों पर विचार करने के बाद आयोग ने कार्यवाई बन्द कर दी।
8.	ताज पैलेस इन्टरकान्टिनेन्टल होटल, नई दिल्ली	महानिदेशक (जांच एव पंजीकरण) द्वारा जून, 1990 में एक शिकायत प्राप्त की गई थी जिसमें आरोप था कि होटल ने उपहार देने के लिए फैवर्ड गेस्ट क्लब योजना चालू की इस योजना के अन्तर्गत हकदार शिकायतकर्ता को उपहार देने से इन्कार कर दिया गया।	महानिदेशक ने शिकायत अभियोगी को भेजी।	अभियोगी द्वारा शिकायतकर्ता से मामले पर समझौता होने पर महानिदेशक) जांच एवं पंजीकरण) ने शिकायत समाप्त कर दी।

क्र.सं.	होटल का नाम	शिकायत की प्रकृति	की गई कारंवाई	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
		लम्बित मामलों की सूची		
1.	एम एम बी होटल जयपुर।	दिनांक जून, 1988 की शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि ग्राहकों को दी गई सेवाओं की गुणवत्ता और स्तर के बारे में होटल ने झूठे और भ्रामक दावे किये थे।	1989 की यू टी पी जांच संख्या 64 में जांच स्थापित की गई थी और 22 मई, 1989 को प्रतिवादी को जांच का नोटिस जारी किया गया।	7 दिसम्बर, 1990 को शिकायतकर्ता के साक्ष्य के लिए आयोग के समक्ष जांच प्रस्तुत की जानी है।
2.	होटल मोरादियाज प्राइवेट लि०, बम्बई	मार्च 1990 में प्राप्त शिकायत में आरोप था कि अभियोगी ने तीर्थयात्रियों को स्थान देने हेतु सीमित व्यक्तियों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक स्कीम शुरू करके पांच वर्ष के लिए 5,000 रुपये के अग्रिम भुगतान पर, जो कि आंशिक रूप से लौटा दिया जाता, से संबंधित एक भ्रामक विज्ञापन जारी किया था।	महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) को 6 अप्रैल, 1990 को निदेश दिया गया कि शिकायत की जांच करके 60 दिनों के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।	जांच प्रगति पर है।

1	2	3	4	5
3.	बड़ौदा के होटल	मार्च, 1990 में एक शिकायत प्राप्त की गयी जिसमें आरोप था कि बड़ौदा के होटल अनुचित व्यापार प्रथा में लिप्त थे।	शिकायतकर्ता से निम्नलिखित विषयों पर सूचना एकत्र करने को कहा गया। (1) प्रत्येक होटल में हो रही अनुचित व्यापार प्रथा का स्वरूप। (2) बिल्स, पुस्तिका और विज्ञापनों के रूप में प्रमाण, और अनुचित व्यापार प्रथा में लिप्त प्रत्येक होटल का पूरा पता।	शिकायतकर्ता ने मामले का कोई जवाब नहीं दिया।

राजरप्पा "कोल वाशरी प्लांट" में चिकित्सा सुविधाएं

3171. प्रो० [illegible] : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सेंन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के अधीन चल रही राजरप्पा परियोजना के समक्ष आ रही समस्याओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सेंन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के कर्मचारी संघ ने इस संबंध में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की है; और

(घ) राजरप्पा कोल वाशरी प्लांट में चिकित्सा सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

राजकोट-वेरावल रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

[अनुवाद]

3172. **श्री जयन्ती लाल वीरचन्दभाई शाह**
श्री बलवन्त मनवर } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने रेल विभाग से राजकोट-वेरावल मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा इस लाइन को कोडीनार तक बढ़ाने के लिए निवेदन किया है;

(ख) क्या परियोजना अर्थक्षम है और योजना आयोग ने इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना को, विशेषत: जब कि इस लाइन के आस-पास अनेक औद्योगिक परियोजनायें हैं, लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राजकोट से वेरावल तक की आमान परिवर्तन परियोजना को वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम पाया गया था और योजना आयोग ने विनिश्चय किया है कि आठवीं योजना के दौरान ही आरम्भ करने के बारे में विचार किया जा सकता है। जहां तक कोडिनार तक इसके विस्तार का सम्बन्ध है, जिसमें वेरावल से नाभीय स्थल तक बड़ी लाइन का केवल लगभग 19 कि० मी० का विस्तार करना है, को आमान परिवर्तन योजना में शामिल कर लिया गया है। उपयोगकर्ता उद्योगों के लिए इस नाभीय स्थल से आगे साइडिंगों की व्यवस्था उनकी लागत पर की जा सकती है।

मारुति वाहनों का गायब होना

3173. श्री नन्द लाल मीणा
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान कारखाना परिसर से बड़ी संख्या में मारुति वाहन गायब पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इन वाहनों को खोजने के मामले में कोई प्रगति हुई है;

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) सरकार को इस स्थिति से किस प्रकार निपटने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

मालाप्पुरम, केरल स्थित चेलारी में रसोई गैस संयंत्र

3174. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मालाप्पुरम जिले में चेलारी में रसोई गैस संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है और इसमें उत्पादन कब शुरू हो जाएगा; और

(ग) इस संयंत्र कम्पनी द्वारा प्रतिदिन कितने गैस सिलिंडरों का निर्माण किया जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : जी, नहीं।

(ख) चेलारी के बाटलिंग संयंत्र के नवम्बर, 1991 तक पूरा हो जाने की आशा है और दिसम्बर, 1991 से बाटलिंग शुरू होने की सम्भावना है।

(ग) संयंत्र की स्थापित-क्षमता 10,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है जो लगभग 2,400 एल. पी. जी. सिलिंडर प्रतिदिन होती है।

गया से पटना तक वायुदूत सेवा

[हिन्दी]

3175. **डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत सेवा द्वारा गया, राजगीर और नालन्दा को पटना से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) विमान क्षमता की कमी और अन्य संसाधनों की तंगी के कारण वायुदूत लिमिटेड के लिए निकट भविष्य में और अधिक सेवाएं चलाना सम्भव नहीं है।

बिहार में विद्युत की मांग और उपलब्धता

3176. **श्री खेवी पासवान :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विद्युत की दैनिक मांग की स्थिति क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने सरकार से विद्युत की अधिक मात्रा सप्लाई करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) अप्रैल-जुलाई, 1990 की अवधि के दौरान बिहार में ऊर्जा की प्रतिदिन औसत मांग करीब 17·3 मि० यू० थी जब कि कुल उपलब्धता 13.1 मि० यू०/प्रतिदिन थी।

(ख) और (ग) उत्तरी ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली की सप्लाई किए जाने हेतु बिहार सरकार द्वारा अक्तूबर, 1989 में अनुरोध किया गया था। बिहार को, उत्तरी ग्रिड के केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से बिजली का कोई निश्चित आबंटन करना सम्भव नहीं हो सका जिससे उत्तरी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी है। बिहार पूर्वी ग्रिड के क्षेत्र में पड़ता है। तथापि, बिहार को जब कभी प्रणालीगत स्थितियां अनुकूल रही, उत्तरी ग्रिड से सहायता दी जाती रही है। वर्ष 1989-90 और 1990-91 (जुलाई, 90 तक) के दौरान बिहार को उत्तरी ग्रिड से क्रमशः 234 मि० यू० एवं 179 मि० यू० बिजली प्राप्त हुई यह उत्तरी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से बिहार को दी गई सहायता के अलावा थीं।

मध्य पूर्व देशों से कच्चे तेल का आयात

[अनुवाद]

3177. **डा० सी० सिलेवरा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस महीने के दौरान मध्य पूर्व के कुछ देशों से लगभग चार लाख टन कच्चा तेल आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और तेल किन-किन देशों से आयात किया गया है;

(ग) इसकी सप्लाई और भुगतान के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार कच्चे तेल की कुछ और सप्लाई मध्य पूर्व के कुछ और देशों से प्राप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ङ) अगस्त माह के लिए मध्य पूर्व के देशों से किए जा रहे आयात सहित नियोजित कच्चे तेल के आयात की मात्रा एक मिलियन टन से भी अधिक थी। ये आयात तेल उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ आवधिक करार और स्पाट बाजार के अन्तर्गत की गई खरीद के द्वारा किये जाते हैं। विभिन्न करारों के अंतर्गत सहमत भुगतान शर्तों के अनुसार भुगतान किए जाते हैं। मध्य पूर्व में हाल की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न कच्चे तेल की कमी का सामना करने के लिए, मध्य पूर्व के देशों सहित विभिन्न तेल उत्पादक देशों से कच्चे तेल की अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। इन प्रयासों के अन्तिम परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त होने में अभी समय लगेगा।

मनमाड-औरंगाबाद रेल लाइन

[हिन्दी]

3178. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमाड-औरंगाबाद-परभनी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य को आरंभ करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(ङ) इस रेल लाइन का निर्माण कार्य कब पूरा होगा ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 30.6.90 तक मनमाड़-औरंगाबाद भाग पर 65.1% कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लगभग 148 करोड़ रुपये।

(ङ) 1991-92 के दौरान मनमाड़ से औरंगाबाद तक आमान परिवर्तन का कार्य पूरा करने की योजना बनाई गई है। बहरहाल, इस परियोजना के शेष भाग का काम पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

एकलाखी-बालुरघाट रेल लाइन

[अनुवाद]

3179. श्री पलास बर्मन : क्या मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में एकलाखी से बालुरघाट तक नई बड़ी लाइन बिछाने संबंधी निर्माणाधीन परियोजना पर निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और कितना निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) एकलाखी-बालुरघाट नई बड़ी रेल लाइन परियोजना पर 1983-84 में कार्य शुरू किया गया था अब तक एकलाखी तथा गजोल के बीच मिट्टी सम्बन्धी कार्य पर 3.04 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। 1985-86 से, संसाधनों की तंगी के कारण, इस परियोजना के लिये केवल 1000 रुपये की सांकेतिक धनराशि की व्यवस्था की जा सकी है।

कालीकट हवाई अड्डे का विस्तार

3180. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कालीकट हवाई अड्डे के रनवे (हवाई पट्टी) के विस्तार से सम्बन्धित अपना अध्ययन कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) क्या निकट भविष्य में इस हवाई अड्डे के विस्तार का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

3181. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) इस राज्य में कितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(ग) क्या अब तक बिहार में विद्युतीकरण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो बिहार में शेष गांवों के विद्युतीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) बिहार राज्य में कुल 67546 आबाद गांवों में से (1981 की जनगणना के अनुसार) 31 मई, 1990 की स्थिति के अनुसार 46,205 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा शेष 21341 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने 2300 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने के लक्ष्य की तुलना में 2449 आबाद गांवों का विद्युतीकरण किया।

(घ) प्रत्येक राज्य की संसाधनों की स्थिति, आधारभूत सुविधाओं, विद्युत की उपलब्धता आदि तथा संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित की गई पारस्परिक प्राथमिकता को मद्देनजर रखते हुए ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। तथापि, बिहार राज्य के शेष गांव जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युतीकृत किए जाने की आशा है बशर्ते निधियां एवं अन्य विवेश उपलब्ध हों।

पेट्रोल पंपों पर कदाचार

[अनुवाद]

3182. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोल पम्पों के खुलने और बन्द होने के समय पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद उनके विरुद्ध दर्ज किए गए कदाचार के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) खुदरा बिक्री केन्द्रों के कार्य समय को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में तेल कम्पनियों द्वारा डीलरशिप समझौते के तहत अनुदेश जारी किए गए हैं और किसी भी डीलर द्वारा इन अनुदेशों के पालन नहीं किए जाने के किसी भी मामले को सम्बन्धित तेल कम्पनियों द्वारा उक्त समझौते के तहत निपटाया जाएगा। इस प्रकार के उल्लंघन और अनियमितता के कुछ मामले में डीलरशिप समझौते तथा विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

कोयंबटूर के लिये एयर बस सेवा

3183. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बटूर होते हुए एक एयर बस चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां। कोयंबटूर के लिए/वहां से होकर ए-320 विमान का परिचालन का एक प्रस्ताव था।

(ख) और (ग) एयरबस ए-320 विमानों का परिचालन बन्द करने के कारण, इंडियन एयरलाइन्स इस प्रकार के विमान से कोयंबटूर के लिए सेवाएं शुरू नहीं कर सकी। कोयंबटूर हवाई अड्डा एयरबस-300 परिचालनों के लिए उपयुक्त नहीं है।

केरल के पिछड़े जिलों में केन्द्रीय निवेश

3184. श्री पलाई के० एम मैथ्यू : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान उद्योग के विकास के लिए केरल के पिछड़े जिलों में कितना केन्द्रीय निवेश किया गया;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इडुक्की और पथानामथीट्टा पिछड़े जिलों के लिए इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का इडुक्की, पथानामथीट्टा और कोट्टायम के नकदी फसल और रबड़ उत्पादक जिलों में उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय निवेश करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान केरल राज्य में केन्द्र सरकार क्षेत्र के उद्यमियों में ग्रास ब्लाक रूप में निवेश 222.44 करोड़ रुपए है।

(ख) से (घ) केरल के पिछड़े जिलों में केन्द्र सरकार द्वारा निवेश करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, 8वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

अजमेर खंडवा अनुभाग पर यात्री सुविधाएं

[हिन्दी]

3185. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों के दौरान अजमेर-खंडवा (मीटर लाइन) अनुभाग में यात्री और माल यातायात में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस अनुभाग के विभिन्न स्टेशनों पर प्लेटफार्म, शेड, प्रतीक्षालय और अन्य कई सुविधाओं का अभाव है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित अतिरिक्त यात्री सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अजमेर-खंडवा (मीटर लाइन) खंड पर अधिकतर स्टेशनों पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं।

11 स्टेशनों पर बुकिंग एवं प्रतीक्षा प्रबन्धों, 45 स्टेशनों पर साफ-सुथरे शौचालयों, 8 स्टेशनों पर बैंचों, 13 स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर सायबान, 20 स्टेशनों पर हैंड पंपों, 9 स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों के विस्तार, 5 स्टेशनों पर पटरी सतह वाले प्लेटफार्मों का विस्तार और 13 स्टेशनों पर मध्यम सतह वाले प्लेटफार्मों के विस्तार की व्यवस्था करने के कार्यों को 1990-91 के रेल निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव

[अनुवाद]

3186. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार की सीमा 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या लक्ष्य प्राप्त होंगे; और

(ग) यह प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस कनैक्शन

3187. **डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत आठ वर्षों से एटा और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में रसोई गैस कनैक्शनों के लिए पंजीकृत आवेदनकर्ताओं को रसोई गैस कनैक्शन नहीं दिए गए, जबकि गैस कनैक्शनों की कालाबाजारी हो रही है; और

(ख यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई जांच करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : क) और (ख) उत्तर प्रदेश में कार्यरत कुछ एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां ग्राहकों की प्रतीक्षा सूची आठ वर्षों से अधिक पुरानी है। कालाबाजार में गैस कनैक्शनों की बिक्री संबंधी सभी शिकायतों की जांच की जाती है और विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुरूप समुचित कार्रवाई की जाती है।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

3188. **श्री राजमोहन रेड्डी : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में ओंगोल के कितने गांवों में अभी बिजली नहीं पहुंची है;

(ख) क्या ओंगोल के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है, यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1981 की जनगणना की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश राज्य में मार्च, 1990 के अंत तक गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण किया जा चुका है।

व्हीलसेटों का निर्माण

3189. **श्री आर० गुण्डू राव :**
श्री आर० एन० राकेश } **: क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्हील्स एंड एक्सल प्लांट, बंगलौर ने गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने व्हीलसेटों का निर्माण किया है तथा सरकार ने इस अवधि के दौरान कुल कितने व्हीलसेटों का आयात किया है;

(ख) क्या सरकार ने देश में व्हीलसेटों की निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों अर्थात 1987-88 से 1989-90 के दौरान पहिया एवं धुरा संयंत्र बेंगलूर द्वारा तैयार किये गये पहिया सेटों की कुल संख्या तथा उन पहिया सेटों की कुल संख्या जिनके आयात के आदेश दिए गए थे क्रमश 63422 और 35239 है।

(ख) और (ग) देश में पहिया सेटों का निर्माण पहिया एवं धुरा संयंत्र, बेंगलूर (प धु.सं.) और दुर्गापुर इस्पात कारखाना दुर्गापुर (दु. इ. का.) में किया जा रहा है। आठवीं योजना के अन्त तक नीचे दिए गये अनुसार इनकी क्षमता बढ़ाने की योजना तैयार की गई है :—

यूनिट	पहियों के हिसाब से सप्लाई का वार्षिक स्तर	
	वर्तमान	विस्तार के बाद
पहिया एवं धुरा संयंत्र	60,000	84,000
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	25,000	80,000

अहमदाबाद से वीरग्राम तक लंबी दूरी की रेलगाड़ियां

3190. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेल मार्गों पर रैलवे द्वारा अहमदाबाद से वीरग्राम और अहद तक लम्बी दूरी की चलाई जा रही नई रलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बड़ी रेल लाइन पर अहमदाबाद से वीरग्राम, हापा और गांधीधाम तक रेल पथ की उपयोग प्रतिशतता का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) 1269/1270 राजकोट-अहमदाबाद-भोपाल एक्सप्रेस का अप्रैल 1988 से, 2997/2998 हापा-राजकोट-अहमदाबाद-जम्मू तवी एक्सप्रेस का मई 1990 से, 2603/2604 त्रिवेन्द्रम-अहमदाबाद और 2731/2732 सिकन्दराबाद-अहमदाबाद एक्सप्रेस गाडियों का राजकोट तक विस्तार मई 1989 से, 9153/9154 अहमदाबाद-राजकोट अन्तर्नगरीय एक्सप्रेस का (नवंबर, 1989 से सप्ताह में तीन दिन और मई 1990 से सप्ताह में 6 दिन) हापा तक विस्तार किया गया था।

(ख) 1989-90 के चालन के आधार पर रेलपथ क्षमता का उपयोग इस प्रकार है।

अहमदाबाद-वीरमगांव-हापा खंड

अहमदाबाद-साबरमती—62.4 प्रतिशत
साबरमती-वीरगांव—65.5 ,,
वीरगांव-सुरेन्द्रनगर—76.5 ,,
सुरेन्द्रनगर-वांकानेर—76.5 ,,
वांकानेर-राजकोट—77.5 ,,
राजकोट हापा—62.0 ,,

वीरमगांव-गांधीधाम खंड

वीरमगांव-झुंड—72.1 प्रतिशत

झुंड-धांगध्रा — 67.4 ,,

ध्रांगध्रा-हलवद—69.7 ,,

हलवद-मलियामियाणा—70.0 प्रतिशत

मलियामियाणा-गांधीधाम—63.0 प्रतिशत

विद्युत क्षेत्र में विदेशी सहयोग

[हिन्दी]

3191. **श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार को विद्युत योजनाओं में सहयोग के लिए प्रत्येक राज्य से कुल कितने-कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा विदेशी सरकारों और विद्युत उपकरण निर्माण कंपनियों से कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) इनमें से किन-किन प्रस्तावों पर सरकार ने गत सात महीनों के दौरान विचार किया है; और

(ग) सरकार ने इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों में आरक्षण

[अनुवाद]

3192. **श्री आर० प्रभु** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विमानों की कमी के कारण इण्डियन एयर-लाइन्स के विमानों में आरक्षण प्राप्त करने में अनेक यात्रियों को कठिनाई हो रही है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) एयरबस ए-320 परिचालन को बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

— शेष विमान बेड़े की पूर्ण उपयोगिता ताकि संपूर्ण प्रणाली के समग्र भार गुणक में खास सुधार हो सके।

— एयर इण्डिया से अतिरिक्त क्षमता लीज पर लेना।

— अन्य विमान कम्पनियों/लीजिंग कम्पनियों से और क्षमता लीज पर लेने का भी प्रयास किया जा रहा है।

दिल्ली-बागडोगरा विमान सेवा

3193. **श्री नन्दू थापा** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागडोगरा हवाई अड्डे द्वारा विशाल क्षेत्र के लोगों को विमान सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और बागडोगरा के बीच बरास्ता पटना होकर जाने वाली विमान सेवा आरंभ करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब आरंभ किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां। इण्डियन एयरलाइन्स का पटना से होकर दिल्ली-बागडोगरा उड़ान के शुरू किए जाने के बारे में तीन अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस समय इंडियन एयरलाइन्स की उक्त सेवा के शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

रेलगाड़ियों का समय पर चलना और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं

3194. **श्री समरेन्द्र कुन्डू** :
श्री धर्मन्ना मोण्डय्या सादुल :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
: क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान रेलगाड़ियों के समय पर चलने और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या प्राधिकारी रेलगाड़ियों की समय-बद्धता बनाये रखने और यात्रियों को पर्याप्त सुविधाए देने में पूर्णरूप से असफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो पूरे देश में रेलगाड़ी सेवाओं में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदमों/उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (अजय सिंह) : (क) और (ख) असम, पंजाब और तमिलनाडु में बन्द, खतरे की जंजीर खींचे जाने आदि, 26-6-90 को पश्चिम बंगाल में पूर्णतः बिजली न होने और कुछ उपस्करों की खराबी के अलावा पूर्व तट पर तूफान द्वारा तबाही मचाने और आंध्र प्रदेश तथा बम्बई क्षेत्र में असाधारण भारी वर्षा होने जैसे अपरिहार्य कारणों का गाड़ियों के समय पालन पर प्रभाव पड़ा था तथापि यात्रियों के लिए सुविधाएं सुलभ करायी जा रही हैं।

(ग) समय पालन में सुधार लाने के लिए निगरानी रखना तथा कड़ी चौकसी करना जारी है।

कटिहार में रेल माल डिब्बा कारखाने की स्थापना

[हिन्दी]

3195. **श्री युवराज** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने रेल माल डिब्बा कारखाने की स्थापना के लिए कटिहार मीशाखा के निकट 100 एकड़ से अधिक भूमि अधिगृहीत की है;

(ख) क्या यह भूमि उक्त कारखाने की स्थापना के लिए उपयुक्त है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक प्रस्थापित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1962 में 109,192 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी जिसमें से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा अति उच्च आवृत्ति वाले सर्व दूरी के स्टेशन की स्थापना करने के लिये 55 एकड़ भूमि छोड़ने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक द्वारा "डेसू" से बकाया धनराशि की वसूली

[अनुवाद]

3196. श्री अरविन्द नेताम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) की बकाया धनराशि के असंतोषजनक वसूली के लिए नोटिस जारी किया है;

(ख) क्या यह सच है कि यदि वसूली विश्व बैंक के निदेश के अनुसार नहीं की जाती है तो विश्व बैंक द्वारा पेशकश किए गए 600 लाख डालर का ऋण निरस्त हो जाएगा; और

(ग) सरकार 600 लाख डालर का ऋण प्राप्त करने हेतु कौन से कदम उठाएगी और बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की 400 के० वी० पारेषण रिंग परियोजना के लिए विश्व बैंक 60 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया था। विश्व बैंक के साथ हुए समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रतिबन्ध था कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अपनी वित्तीय व्यवहार्यता संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाएगा तथा 29 फरवरी, 1988 तक अपनी सशक्त वित्तीय स्थिति के बारे में समुचित योजना बैंक को प्रस्तुत करेगा। चूंकि इस शर्त का निर्धारित तारीख तक अनुपालन नहीं किया जा सका इसलिए विश्व बैंक ने इस ऋण का वितरण जनवरी, 1989 में निरस्त कर दिया था।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की वित्तीय वसूली संबन्धी योजना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31 3-1989 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र को देय राशियों/सरकारी ऋणों पर ब्याज की बकाया राशियों में छूट देने तथा इन ऋणों को स्थायी ऋणों के रूप में माना जाने के लिए अगस्त, 1989 में सरकार ने अनुमोदन कर दिया था। तथापि, विश्व बैंक ऋण निरस्त किए जाने को नहीं रोक पाया तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अपनी निर्धारित निवल परिसम्पत्ति पर कम से कम :% की दर से लाभ अर्जित करना सुनिश्चित किए जाने हेतु वित्तीय वसूली योजना के क्रियान्वयन पर जोर डाला। चूंकि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अपनी वर्तमान अमितव्ययी टैरिफ में समुचित संशोधन किए जाने तथा दिल्ली

विद्युत सप्लाई समिति/दिल्ली नगर निगम द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय न लिए जाने के कारण वित्तीय व्यवहार्यता सम्बन्धी स्थिति प्राप्त नहीं कर सका इसलिए विश्व बैंक द्वारा अब ऋण निरस्त कर दिया गया है।

मराठवाड़ा रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु डिबेंचर

3197. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा रेल परियोजना प्रारम्भ करने हेतु डिबेंचर जारी करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्ताव कोंकण रेल परियोजना से कुछ मिलता-जुलता है;

(घ) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर अभी तक कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री अजयसिंह) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सुझाव दिया था कि वह आमान परिवर्तन परियोजनाओं की प्रगति तेज करने के लिए डिबेन्चर जारी करके धन जुटाना चाहती है। रेलें इस बात के लिए महमत हो गई थीं कि यह अंशदान रेलवे के वार्षिक योजना परिव्यय के अलावा तथा पूर्णत: भिन्न होगा तथा इसके परिणामस्वरूप ब्याज के भुगतान या डिबेंचरों के ऋणमोचन अथवा किसी भी रूप में रलों को कोई अतिरिक्त वित्तीय दायिता नहीं होगी। इस आधार पर राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने एक पत्र में यह मत प्रकट किया है कि यदि इन परियोजनाओं को योजना से इतर डिबेंचर जारी करके वित्त पोषित किया जाता है तो इस प्रकार के अनुरोध स्वीकार करने के लिए केन्द्र सरकार को ऋण कार्यक्रम में उसी सीमा तक कटौती करने के लिए सहमत होना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि इन आमान परिवर्तन परियोजनाओं को शीघ्र निष्पादित करने का एकमात्र उपाय यह है कि इन परियोजनाओं के लिए रेलों के योजना परिव्यय के अन्तर्गत पर्याप्त प्रावधान किया जाए।

कोल इंडिया लि० के ईस्टर्न कोलफील्ड्स यूनिट में घाटा

[हिन्दी]

3198. **डा० बंगाली सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० का ईस्टर्न कोलफील्ड्स यूनिट घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1986-87 तथा वर्ष 1987-88 के दौरान, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का क्रमश: 142.19 करोड़ रु० तथा 48.74 करोड़ रु० का घाटा हुआ। वर्ष 1988-89 के दौरान,

कोल इण्डिया लि० के परीक्षित लेखा के अनुसार, ई० को० लि० को कोयला कीमत विनियमन लेखा (सी० पी० आर० ए०) के पश्चात् 33.75 करोड़ रु० का लाभ प्राप्त हुआ। वर्ष 1988-89 में सी० पी० आर० ए० के पूर्व ई० को० लि० को 129.58 करोड़ रु० का घाटा हुआ।

उक्त घाटे के होने का मुख्य कारण उत्पादन लक्ष्य प्राप्त न किया जाना और राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-IV के लागू किए जाने के फलस्वरूप लागत में हुई वृद्धि है।

घाटे में चल रही कोयला खानों के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं : –

1. श्रमशक्ति को युक्तिसंगत करना।
2. श्रमशक्ति का पुनर्नियोजन।
3. कार्य-कुशलता में वृद्धि लाने के लिए प्रशिक्षण।
4 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना।
5. उत्पादकता में सुधार।
6. उच्च ग्रेड के कोयले यदि उपलब्ध हो, के उत्पादकता में वृद्धि।
7. विनिर्दिष्ट खानों की गहन जांच।

अलार्म चेन की पुनः व्यवस्था करना

[अनुवाद]

3199. **श्री एल० बी० सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ी में अलार्म चेन के ठीक से कार्य न करने के कारण 383 अप मोकमाह-आरा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी में आग लगने से 16 अप्रैल, 1990 को कई लोगों की मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का चलती गाड़ियों में अलार्म चेन की पुनः व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) पूर्वी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त, जिन्होंने जांच की थी, की प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार आग लगने के तुरन्त बाद गाड़ी रोक दी गयी थी लेकिन तब तक आग तेजी से पूरे डिब्बे में फैल गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप भारी जन हानि हुई।

(ख) कुछ यात्री गाड़ियों में (जिन में सदभावीन गाड़ी भी शामिल है) खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि होने तथा इसके दुरुपयोग किये जाने के कारण रेल अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत खतरे की जंजीर हटा दी गयी है।

तूनी और विशाखापत्तनम के बीच शटल रेल सेवा

3200. **श्री राम कृष्ण कोंताला** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में तूनी और विशाखापत्तनम (दक्षिण मध्य रेलवे) के बीच शटल रेल सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में नई रेलगाड़ियां आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजीतसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख. प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ प्रश्न नहीं उठता।

खलीलाबाद-बलरामपुर रेल लाइन

[हिन्दी]

3202. **श्री राम प्रसाद चौधरी**
श्री बृज भूषण तिवारी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977-78 के दौरान खलीलाबाद, बस्ती डूमरियागंज, उत्रोल और बलरामपुर का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार डूमरियागज-बलरामपुर बारास्ता खलीलाबाद रेल मार्ग पर रेल लाइन बिछाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) जी हां। लेकिन, सर्वेक्षण 1979 में किया गया था।

(ख) उस समय के मूल्यों के आधार पर लाइन के निर्माण पर 16.17 करोड़ की लागत आने का अनुमान लगाया गया था। प्रत्याशित प्रतिफल 4.08 प्रतिशत था।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक

[अनुवाद]

3203. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बिना चौकीदार वाले कितने रेलवे फाटक हैं;

(ख) मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे में गत तीन वर्षों के दौरान बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश में खरगोन और मन्दसौर जिले में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) बिना चौकीदार वाले 1710 समपार हैं जिनमें मवेशी तथा नहर समपार शामिल नहीं हैं।

(ख) दुर्घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

रेलवे	87-88	88-89	89-90
मध्य	4	3	4
दक्षिण पूर्व	4	7	1
पश्चिम	7	4	6

(ग) रेलें केवल ऐसे समपारों पर चौकीदार तैनात करती है जिनका यातायात की मात्रा या अन्य विशेष पहलुओं से औचित्य बनता हो। इस समय मंदसौर और खरगोन जिलों में वर्तमान बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्वालियर-शिवपुरकला छोटी लाइन को मीटर गेज लाइन में बदलना तथा इसे सवाई-माधोपुर तक बढ़ाना

[हिन्दी]

3204 **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय ग्वालियर से शिवपुरकला के लिए छोटी रेल लाइन उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का इस लाइन को मीटर गेज लाइन में बदलने तथा इसे सवाई-माधोपुर तक बढ़ाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है तथा आकलन तैयार किया गया है; यदि हां, तो इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) क्या इसे प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है और इस पर कब से निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ग्वालियर-शिवपुरकलां छोटी लाइन को बड़ी लाइन (मीटर लाइन में नहीं) में बदलने तथा इसका कोटा के निकट दिगोद तक विस्तार करने के लिए सर्वेक्षण कार्य 20 लाख रुपये की लागत से 1989-90 में अनुमोदित किया गया है। झांसी से शिवपुरी तक तथा आगे शिवपुरकलां और सवाई माधोपुर तक नई बड़ी लाइन के लिए एक और सर्वेक्षण कार्य को भी 18.13 लाख रुपये की लागत से 1989-90 में अनुमोदित किया गया है।

(घ) जी नहीं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा उपभोक्ता बिलों का जारी किया जाना

[अनुवाद]

3205. **श्री मदनलाल खुराना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा नए उपभोक्ताओं को बिजली का कनेक्शन देने के बाद बिजली का पहला बिल भेजने में औसतन 3 माह से 45 माह तक का समय लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इस तरह दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की कितनी धनराशि अवरुद्ध हो जाती है ।

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) डेसू के अनुसार बिजली के नए कनेक्शनों के सम्बन्ध में प्रथम बिल जारी करने में कई औपचारिकताएं पूरी करने के कारण अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है । डेसू द्वारा बिजली के बिल तैयार करने की प्रणाली में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप प्रथम बिल जारी करने में अब सामान्यतया दो से तीन माह का समय लगता है । 2-3 महीने में ही प्रथम बिल जारी करने के लिए समयान्तराल में कमी करने से डेसू की राशि अवरुद्ध होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली का उत्पादन

3206. **डा० वेंकटेश काबडे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली का उत्पादन नियोजित क्षमता 38,000 मेगावाट की बजाय 30,000 मेगावाट होगा;

(ख) क्या यह सातवीं योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्य से भी कम होगा;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिजली के उत्पादन को मांग के अनुरुप बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है और ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का कहां तक उपयोग किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिष्ठापित की जाने वाली अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि आठवीं योजना के लिए विद्युत सम्बन्धी कार्य-दल की रिपोर्ट के अनुसार सातवीं योजना के 22,245 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में योजना अवधि में 38369 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है ।

(घ) प्रतिष्ठापित क्षमता का इष्टतम समुपयोजन, विद्यमान विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, पारेषण और वितरण हानियों को कम करने, वक्षभार प्रबन्ध तथा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन आधार पर ऊर्जा संरक्षण किए जाने के जरिए विद्युत उत्पादन में अभिवृद्धि हेतु अनेक

उपाय भी किए गये हैं। जहाँ तक संभव है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करने के लिये भी उपाय किए जा रहे हैं। आठवीं योजना के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पश्चिम बंगाल को मिट्टी के तेल की सप्लाई

3207. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल द्वारा गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार मिट्टी के तेल की कितनी मात्रा की मांग की गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा वस्तुतः कितनी सप्लाई की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की जरूरतों का आंकलन, गत वर्ष की इसी अवधि में किये गये आबंटन पर उपयुक्त वृद्धि दर देकर किया जाता है और तदनुसार आबंटन किया जाता है। नियमित आबंटनों के अतिरिक्त राज्य सरकारों के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों यथा बाढ़, सूखा, चक्रवातों, एल पी जी की कमी आदि से निपटने के लिए अतिरिक्त तदर्थ आपूर्ति भी की जाती है।

पश्चिमी बंगाल को गत दो वर्षों के दौरान किये गये मिट्टी के तेल के आबंटन तथा की गई आपूर्ति का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(आंकड़े टन में)

वर्ष	नियमित आबंटन	तदर्थ आबंटन	कुल आबंटन	आपूर्ति
1988	646276	11544	657820	662818
1989	686960	11596	698596	708873

रुग्ण औद्योगिक एकक

3208. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कुल कितने औद्योगिक एकक रुग्ण हैं तथा इनमें बैंकों से ऋण-स्वरूप ली हुई कितनी धनराशि रुकी पड़ी है; और

(ख) छोटे, बड़े तथा मझोले कितने रुग्ण एककों के अलाभप्रद घोषित किये जाने तथा बन्द किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजीत सिंह) : (क) देश में बैंकों से सहायता पाने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों के बारे में आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनायी गई रुग्णता की परिभाषा के अनुसार एकत्र किये जाते हैं। जून, 1988 के अन्त में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार उड़ीसा में गैर लघु औद्योगिक क्षेत्रों में 12 रुग्ण एकक और लघु औद्योगिक क्षेत्र में 9125 रुग्ण एकक हैं और उन पर बकाया राशि क्रमशः 36.52 करोड़ रुपये और 33.41 करोड़ रुपये है।

(ख) उड़ीसा में रुग्ण एककों की जीव्यता-वार स्थिति नीचे दर्शाई गयी है :—

श्रेणी	जीव्य एककों की सं०	गैर जीव्य एककों की सं०	उन एककों की सं० जिनके सम्बन्ध में जीव्यता के बारे में अभी निर्णय किया जाना है।
लघु औद्योगिक रुग्ण एकक	2:6	8,876	33
गैर लघु औद्योगिक रुग्ण एकक	6	5	1

जहां तक बन्द होने वाले एककों की संख्या का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी सूचना नहीं रखता है।

इथाइलीन आक्साइड की कमी

3209. **श्री हरिन पाठक** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथाइलीन आक्साइड का देश में उत्पादन; इसकी मांग की तुलना में कम है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या इथाइलीन आक्साइड की अनुपलब्धता के कारण इस पर आधारित कई उद्योगों के बन्द होने की स्थिति पैदा हो गई है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या सरकार वास्तविक प्रयोक्ताओं को इथाइलीन आक्साइड के आयात की अनुमति देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) इथाइलीन आक्साइड का स्वदेशी उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ज्वलनशील और खतरनाक होने के कारण कमी को पूरा करने के लिए इथाइलीन का आक्साइड का आयात नहीं किया जा सकता है। तथापि कुछ और परियोजनाओं के शुरू होने से निकट भविष्य में स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

मुजफ्फरपुर और नरकाटियागंज के बीच बड़ी रेल लाइन

[हिन्दी]

3210. **श्री राधा मोहन सिंह** : रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुजफ्फरपुर और नरकाटियागंज जंक्शन के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू किया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन (161 कि० मी० लम्बी) में बदलने पर 86.76 करोड़ रुपयों की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। संसाधनों की अत्यधिक तंगी और की गई भारी वचनबद्धताओं के कारण इस समय यह बताना कठिन है कि इस परियोजना का कार्य कब शुरू होगा।

सरसौल, कानपुर में दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस को रोकना

[अनुवाद]

3211. **श्री केशरी लाल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस (12 डाउन) को सरसौल, कानपुर में रोकने की लगातार मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसे कब तक रोके जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) 3012 दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस को कानपुर के निकट सिरसौल में ठहराने की मांग है।

(ख) मांग की जांच की गई है लेकिन औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा से गैस की ढुलाई

3212. **श्री चित्त बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा से अन्य खपत केन्द्रों तक प्राकृतिक गैस की ढुलाई करने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में यदि कोई अड़चनें हैं तो वह क्या हैं; और

(ग) इन अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) गैस अथारिटी आफ इंडिया (गेल) ने प्राकृतिक गैस के त्रिपुरा से अन्य उपभोग केन्द्रों पर परिवहन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं के सहयोग से एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराने का प्रस्ताव किया है। यदि कोई अड़चन होगी, तो उसका प्रस्तावित अध्ययन में पता लगाया जाएगा।

त्रिवेन्द्रम केन्द्रीय रेलवे स्टेशन का विकास

3213. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम केन्द्रीय रेलवे स्टेशन का विकास एक माडल स्टेशन के रूप में करने के लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) इस स्टेशन को पूरा करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?
65.15 लाख रुपये।

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) मार्च 1990 तक 65.15 लाख रुपए।

(ख) 1992-93 में इस कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है।

वायुदूत निदेशालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति

[हिन्दी]

3214. श्री राम लाल राही क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने वायुदूत निदेशालय को वायुदूत सेवाओं में नियुक्तियों पर रोक लगाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया गया था और नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों के नाम पर विचार किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं है।

वायदूत जांच आयोग

[अनुवाद]

3215. श्री राम नाईक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जांच करने वाले कुछ व्यक्तियों को बदलने हेतु "एडवोकेट्स एसोसियेशन आफ वैस्टन इंडिया" से कोई अनुरोध मिला है; और

घ) यदि हां, तो जांच पूरी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जांच न्यायालय ने अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं की है।

(ग) और (घ) जी, हां। इसके बाद, बम्बई उच्च न्यायालय ने और आगे जांच करने पर रोक लगा दी है। मामला अब न्यायाधीन है।

बिहार में गैस रेगूलेटरों की कमी

[हिन्दी]

3216. **श्री राज मंगल मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में गैस रेगूलेटरों की कमी को दूर करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को उपभोक्ताओं द्वारा असली रेगूलेटरों के उपलब्ध न होने के कारण नकली रेगूलेटरों का प्रयोग करने की जानकारी है; और

(ग) क्या सरकार का असली रेगूलेटर उपलब्ध कराने का विचार है; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) इस समय बिहार में एल. पी. जी. प्रेशर रेगूलेटरों की कोई कमी नहीं है। तेल कंपनियों द्वारा स्वीकृत निर्माताओं से प्राप्त ऐसे असली प्रेशर रेगूलेटर जो बी आई एस की विशिष्टता के अनुरूप है, सभी एल.पी.जी. के जायज कनेक्शनों के लिए दिए जाते हैं और इसलिए नकली रेगूलेटरों का इस्तेमाल आवश्यक नहीं है।

पौड़ी गढ़वाल में रसोई गैस की एजेंसियां

[अनुवाद]

3217. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में रसोई गैस की कितनी एजेंसियां किन-किन स्थानों पर कार्य कर रही हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त जिले में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत रसोई गैस की कितनी एजेंसियां किन-किन स्थानों पर आवंटित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) रुद्रप्रयाग के विस्तार बिन्दू को डिस्ट्रीब्यूटरशिप के स्थान के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। चूंकि इस जिले में एल पी जी को विपणन कार्य राज्य सरकार के उप-

क्रम, गढ़वाल मण्डल विकास निगम को सौंपा गया है। इसलिए इस मामले में कोई भी श्रेणी निर्धारण लागू नहीं किया गया है।

विवरण

डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए स्थान

1. पोड़ी
2. श्रीनगर
3. लांसडोन
4. कोटवारा
5. कालांगढ़

विस्तारण बिन्दू

1. रुद्र प्रयाग
2. दुगाड़ा
3. पदमपुर
4. झांडी चौक
5. लालपानी कसहेतरा
6. गुनखल
7. सतपुल्ली
8. गीता भवन
9. स्वर्ग आश्रम

लोनन्द शोलापुर रेल लाइन

3218. श्री एस० बी० थोरट : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बरास्ता पंढारपुर लोनन्द-शोलापुर नई रेल लाइन के निर्माण पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रारूप परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है और इसे मंजूरी दी गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोल इंडिया लि० द्वारा भूमि अधिग्रहण

3219. श्री रवि नारायण पाणि : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कंपनी ने उन सभी किसानों का मुआवजा अदा कर दिया है, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में कोयला परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	अधिग्रहीत की गई भूमि एकड़ में
1987-88	1183.367
1988-89	392.290
1989-90	682.119

(ख) और (ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गई भूमि पट्टेदारों को दिए जाने के लिए मुआवजे की मूल्यांकित राशि सम्पूर्णतः राज्य सरकार के सम्बद्ध विशेष भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों के पास जमा कर दी गई है। कोयलाधारी क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कोल इंडिया लि० का कार्यकरण

3220. **श्री रवि नारायण पाणि** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कार्यरत खुली कोयला खानों तथा अन्य कोयला खानों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या कोल इण्डिया लि० के कार्यकरण में इस कोयला खान क्षेत्र की आम जनता की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) वर्तमान में उड़ीसा राज्य की इब घाटी की 8 ओपेनकास्ट तथा 7 भूमिगत खानें (ओरिएट सं० 1,2,3 तथा 4 को एक खान मानते हुए) तथा तलचर कोयला क्षेत्र के संचलन में हैं।

(ख) जी, नहीं। कोल इंडिया लि० द्वारा भुवनेश्वर में केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान लि० (के०खा०आ०डि०सं०लि०) का एक क्षेत्रीय संस्थान स्थापित किया गया है। उड़ीसा राज्य के अन्तर्गत किए जाने वाले सारे अन्वेषण तथा योजना के कार्य उक्त क्षेत्रीय संस्थान द्वारा किया जा रहा है जो कि अन्वेषण तथा योजना कार्य के स्तर से ही सामान्य जन की सुरक्षा का सुनिश्चय करती है।

उड़ीसा राज्य के कोयला क्षेत्रों के संचलन तथा कोयला परियोजनाओं की देखरेख के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में निदेशक (तकनीकी) के एक पद, जिसका मुख्यालय संबलपुर में है, का भी सृजन किया गया है।

पिट खानों और खुले मुहानों की परियोजनाओं में कार्यरत श्रमिक

3221. श्री हाराधन राय : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिट खानों और खुले मुहानों की परियोजनाओं में लिपिकीय, पर्यवेक्षक कर्मचारियों तथा अधिकारियों के अतिरिक्त भूमि के नीचे तथा सतह पर कार्य कर रहे कामगारों की वास्तविक संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों की मुहाना खानों तथा ओपनकास्ट परियोजनाओं में लिपिकों, पर्यवेक्षक कर्मचारी तथा अधिकारियों के अलावा भूमिगत तथा सतही खनन-कार्य में कार्यरत श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई है :—

भूमिगत श्रमिक	सतही श्रमिक	ओपनकास्ट श्रमिक
408432	59276	89413

गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा खुले मुहाने की परियोजनाओं का खनन

3222. श्री हाराधन राय : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा किन-किन खुले मुहाने की परियोजनाओं का खनन किया गया;

(ख) राज्य-वार ब्योरा क्या है और इससे कितने श्रमिक सम्बद्ध हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ठेकेदारों के श्रमिकों को नियमित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

घोरी परियोजना में ठेका मजदूरों को न्यूनतम मजूरी

[हिन्दी]

3223. श्री साइमन मरांडी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०" के अधीन घोरी परियोजना में ठेका मजदूरों को न्यूनतम मजूरी के बजाय प्रतिदिन मात्र 15-16 रुपए दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० इस संबंध में वर्तमान समझौता-4 का पूरी तरह से पालन कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) ठेकेदारों द्वारा छोरी परियोजना के ठेके के मजदूरों को, प्रबंधकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है। ठेकेदारों द्वारा रखे जाने वाली तत्संबंधी पुस्तिकाओं तथा रजिस्टरों की श्रम प्रवर्तन प्राधिकारी (केन्द्रीय) द्वारा भी जांच की जाती है।

(ग) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-4 में ठेके के श्रमिक को मजदूरी की अदायगी किए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वाष्प इंजनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना

3224. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस शताब्दी के अन्त तक सभी वाष्प इंजनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कुल कितने इंजन हैं; और

(ग) इन सभी इंजनों को समाप्त करने पर अनुमानत: कितना पूंजी परिव्यय होगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 3322 भाप रेल इंजन।

(ग) भाप रेल इंजनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने में कोई विशिष्ट पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है। इन पुराने और अप्रचलित रेल इंजनों को किसी भी मामले में बदलना अपेक्षित होगा और उत्तरोत्तर रूप से यह काम उन्हें डीजल/बिजली रेल इंजनों से बदल कर किया जा रहा है।

केरल में रसोई गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

3225. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के प्रत्येक जिले में 30 जून, 1990 को रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या कितनी थी; और

(ख) केरल के प्रत्येक जिले में 30 जून, 1990 तक रसोई गैस कनेक्शन हेतु कितने आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(30.6.90 की स्थिति के अनुसार)

क्र० सं०	जिला	एलपीजी के उपभोक्ताओं की संख्या	प्रतीक्षा सूची पर व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	त्रिवेन्द्रम	71226	16148
2.	कीलोन	27016	9662
3.	पथनानथिट्टा	24177	14441
4.	अलेप्पी	32535	15328
5.	कोट्टायम	38936	17385
6.	इडुकी	6376	3655
7.	अर्नाकुलम	129164	34266
8.	त्रिचुर	53964	14554
9.	पालघाट	31061	9537
10.	मल्लापुरम	12256	3353
11.	कालीकट	33196	11167
12.	कन्नानूर	31200	8288
13.	विनाड़	2829	398
14.	कसारगोडे	12113	5761
	कुल	506049	163943

कालीकट और शारजाह के बीच वायुदूत सेवा

3226. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री के. मुरलीधरन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कालीकट और शारजाह (खाड़ी के देशों) के बीच वायुदूत सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या मालाबार क्षेत्र और केरल के अन्य जिलों से खाड़ी के देशों के यात्रियों की औसत संख्या का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार ने वायुदूत के लिए केवल एक अन्तर्देशीय भूमिका निर्धारित की है।

(ग) और (घ) केरल-गल्फ मार्ग पर यातायात की नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है जिससे इस सेक्टर पर पर्याप्त विमान क्षमता प्रदान की जा सके।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल की एक सहायक इकाई की स्थापना

[हिन्दी]

3227. **श्री एस० सी० वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल ने गत दस वर्षों के दौरान किसी नई सहायक इकाई की स्थापना के लिये कोई स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में गठित संयंत्र स्तरीय समिति की बैठक त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) बी० एच० ई० एल० भोपाल के 48 सहायक एकक हैं। इसके अतिरिक्त 220 लघु एकक भी स्थापित किये गये हैं जिन्हें कच्चे माल, लोड आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं।

(ग) और (घ) सहायक एककों, लघु एककों, राज्य सरकार तथा बी० एच० ई० एल० के प्रतिनिधियों वाली उपसमिति आवश्यकतानुसार वर्ष में 8-10 बार अपनी बैठक करती है। उपसमिति विचार-विमर्श/निर्णयों को संयंत्र स्तरीय समिति को भेजती है जो वर्ष में दो बार अपनी बैठक करती है।

मध्य प्रदेश में सिहोर सिटी में उपरिपुल

3228. **श्री एस० सी० वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सिहोर सिटी में रेलवे उपरिपुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उपरिपुल के निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है और रेल विभाग तथा राज्य प्रशासन द्वारा क्रमश: कितना-कितना खर्च वहन किया जाएगा; और

(घ) इस उपरिपुल का निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी नहीं। रेलवे को अभी तक इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का कार्य निष्पादन

[अनुवाद]

3229. **श्री के० एस० राव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने वर्ष 1989-90 के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक उपलब्धियां हासिल की हैं;

(ख) वर्ष 1989-90 के लिए अतिरिक्त क्षमता, आपरेशन्स और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्धारित लक्ष्य क्या-क्या थे और कितने-कितने प्राप्त किये गये; और

(ग) इस निगम द्वारा समझौता ज्ञापन में वर्ष 1989-90 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : जी, हां।

(ख) और (ग) विवरण निम्नानुसार है :—

	वर्ष 1989-90 हेतु समझौता ज्ञापन में लक्ष्य	वर्ष 1989-90 में उपलब्धि
क्षमता अभिवृद्धि	1634 मेगावाट	2095 मेगावाट
विद्युत उत्पादन	37300 मि० यू०	40893 मि० यू०
पारेषण लाइनें	2917 सर्किट कि० मी०	3116 सर्किट कि०मी०
लाभ (कर से पहले)	207.64 करोड़ रु०	404.51 करोड़ रु० (अनन्तिम)

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

3230. **श्री के० एस० राव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के प्रबन्ध मण्डल ने अपने यहां मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्रीय सरकार की नीति के प्रतिकूल नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भजमन बेहेरा) : (क) से (ग) कम्पनी की अत्यधिक रुग्णता की स्थिति, आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों और बहुत अधिक मजदूरी बिल को देखते हुए अपने मृत कर्मचारियों के परिवारों के आश्रितों को रोजगार देने की आईडीपीएल की नीति आस्थगित रखी गई है। जब भी स्थिति सुधरेगी, पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को रोजगार दिया जाएगा।

औषध निर्माताओं को लाइसेंस जारी करना

3231. **श्री के० एस० राव।** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध निर्माताओं को लाइसेंस जारी करने की नीति उदार बनायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उदारीकरण की नीति से लघु औषध निर्माता एककों के बीच हानिकर प्रतिस्पर्धा आरम्भ हो गई है;

(ग) क्या लाइसेंस जारी करने से पहले विपणन सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) इस हानिकर प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपादस्वामी) : (क) जी; हां। लगभग सम्पूर्ण भेषज क्षेत्र लाइसेंस मुक्त है।

(ख) लघु क्षेत्र से कोई हानिकर प्रतिस्पर्धा नहीं है।

(ग) उचित मूल्यों पर आवश्यक दवाओं की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करने के विचार से उदारता प्रदान की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन एयरलाइन्स/एयर इण्डिया के कर्मचारियों के वेतन संबंधी न्यायाधिकरण

3232. **श्री शान्तारान पोतदुखे** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन तथा कार्य की शर्तों के सम्बन्ध में इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया के कर्मचारियों की मांगों की जांच करने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस न्यायाधिकरण के गठन का स्वरूप क्या है;

(ग) इसके निदेश पद क्या हैं; और

(घ) यह कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के बीच वेतन संरचना की सापेक्षता सहित एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के वेतन ढांचे की जांच करने के लिए सरकार एक न्यायाधिकरण के गठन के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

गुजरात में पश्चिम रेलवे की कर्मशालाओं को बन्द किया जाना

3233. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में पश्चिम रेलवे की कुछ कर्मशालाओं को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें बन्द किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दो वर्षों की अवधि के दौरान अर्थात् अगस्त, 1988 से जुलाई, 1990 तक गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे के केवल एक कारखाने को बन्द किया गया था। मोरवी कारखाना जिसे 30-6-1990 को बन्द कर दिया गया है, मीटर और छोटी लाइनों के सवारी और माल डिब्बों का एक छोटा सा कारखाना था जो पश्चिम रेलवे के एक छोटे खण्ड पर सीमित संख्या में स्टाक सचालन की आवश्यकता पूरी करता था । तत्कालीन रियासती रेलवे की आवश्यकता पूरी करने के लिए 100 वर्षों से अधिक समय पहले इस कारखाने की स्थापना की गयी थी। इस कारखाने की संरचनाएं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी और मशीनें पुरानी हो गयी थीं । रेलवे के लिए इस कारखाने की आगे कोई उपयोगिता नहीं थी और इस छोटे कारखाने की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए अवसंरचना का नवीकरण करने पर भारी निवेश करना व्यावहारिक नहीं था ।

(ग) मोरवी कारखाने को बन्द करने के कारण कोई कर्मचारी बेरोजगार नहीं हुआ है । इस कारखाने में केवल 160 कर्मचारी थे जिनमें से 89 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए विकल्प दिया है। इन कर्मचारियों के लगभग 70 आश्रितों को रोजगार दे दिया गया गया है और शेष कर्मचारी सौराष्ट्र क्षेत्र के निकटवर्ती कारखानों से स्थानान्तरित कर दिये गये हैं :

अल्फा आन्दोलन के कारण क्षति

[हिन्दी]

3234. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में युनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट द्वारा आन्दोलन के कारण तेल के उत्पादन और सफाई में आई बाधा के परिणामस्वरूप कुल कितनी क्षति हुई है; और

(ख) गुवाहाटी तेल शोधन शाला के महाप्रबन्धक के अपहरण की अवधि के दौरान उपर्युक्त गतिविधियों का तेल शोधनशाला पर क्या प्रभाव पड़ा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) चालू वर्ष 1990-91 (अप्रैल से 21 अगस्त, 1990) में असम में बन्द और रुकावटों की वजह से कच्चे तेल के उत्पादन में करीब 99,000, टन का घाटा हुआ। यह निर्दिष्ट करना संभव नहीं है कि युनाइटेड लिबरेशन फ्रन्टा (उल्फा) के कार्यकलापों की वजह से कितनी क्षति हुई।

(ख) गुवाहाटी रिफाइनरी के महाप्रबन्धक श्री एच० के० एल० दास के अपहरण की अवधि के दौरान कर्मचारियों के दिमाग में अत्याधिक आशंका और असुरक्षा की भावना थी। तथापि, रिफाइनरी का प्रचालन जारी रखा गया।

केन्द्रीय श्रम न्यायाधिकरण के विनिर्णय के विरुद्ध अपील

[अनुवाद]

3235. **श्री ए० के० राय : ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत कोयला कम्पनियों के लिए नियमानुसार यह आवश्यक है कि वे केन्द्रीय श्रम न्यायाधिकरण के विनिर्णय के विरुद्ध कोई अपील करने से पूर्व उनके मंत्रालय की अनुमति और मंजूरी प्राप्त करें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियम का 1 जनवरी 1990 से पालन किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन पंचाटों में इनका पालन नहीं किया गया और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) केन्द्रीय श्रम अधिकरण के फैसले के विरुद्ध अपील दायर करने से पूर्व राष्ट्रीयकृत कोयला कम्पनियों द्वारा सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पूर्व अनुमति लिए जाने सम्बन्धी कोई नियम नहीं है। किन्तु श्रम मन्त्रालय के निर्देशानुसार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किसी श्रमिक न्यायालय/न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय आदि के अधिनिर्णय अथवा फैसले के विरुद्ध अपील दायर करने से पूर्व सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय से विचार-विमर्श करना अपेक्षित है। इस संबन्ध में सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय, विधि मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय के परामर्श से मामले की जांच करता है और उक्त मन्त्रालय उपक्रम को अपनी राय से अवगत करता है।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उपरि-पुलों का निर्माण

3236. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने यह भी अनुरोध किया है कि आसोकपुरी के साथ बड़ोदा

स्टेशन के पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने वाले पैदल उपरि-पुल का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार किया गया है?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि गुजरात सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। पैदल ऊपरी पुल का कार्य शुरू किया जा चुका है और यह पूरा होने वाला है।

राजकोट-भोपाल सुपरफास्ट रेलगाड़ी को जबलपुर तक चलाया जाना

3237. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राजकोट-भोपाल सुपरफास्ट रेलगाड़ी को जबलपुर तक चलाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, अन्य उपयोगकर्ताओं से मांगें प्राप्त हुई हैं, लेकिन परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण सुझाव को कार्यान्वित करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

गैस क्रैकर इकाइयां स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता

3238 **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गैस क्रैकर परियोजना के लिए अपेक्षित धन की अधिकांश कमी को पूरा करने हेतु बाजार से धन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) गैस क्रैकर इकाई स्थापित करने के लिए कितना धन प्राप्त कर लिया गया है?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) आमतौर पर देश में बड़े गैस क्रैकर यूनिटों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे वे अपने ही आंतरिक स्रोतों और पूंजी बाजार से रुपया संसाधनों को जुटा सकें।

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

3239. **श्री डी० अमात**
श्री प्रकाश वी० पाटिल } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में हुई पिछली वृद्धि से इनकी खपत में कोई कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम.एस. गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि 20 मार्च, 1990 से की गई थी। दिए पिछले दो वर्षों की उसी अवधि अर्थात् अप्रैल-जुलाई की तुलना में अप्रैल- जुलाई, 1990 के दौरान इन उत्पादों की खपत के सम्बन्ध में रिकार्ड की गई वृद्धि निम्नलिखित है : —

अप्रैल-जुलाई अवधि के दौरान प्रतिशत वृद्धि

वर्ष	पेट्रोल	डीजल
1990 1989 की तुलना में	9.1	4.2
1989 1988 की तुलना में	14.4	12.6

परन्तु, अप्रैल-जुलाई, 1990 के दौरान पेट्रोल तथा डीजल की खपत में रिकार्ड की गई कम वृद्धि का कारण केवल इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि नहीं हो सकता।

कुटीर उद्योग का विकास

3240. **श्री डी० अमात**
श्री प्रकाश बी. पाटिल } : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुटीर उद्योग के विकास के लिए हाल ही में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कुम्हारों और मोचियों के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन व्यवसायों को करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनकी समस्याओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) सरकार की वर्तमान नीति में कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया जाता है। के० वी० आई० क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए वर्ष 1990-91 के लिए योजनागत परिव्यय के अन्तर्गत 205 करोड़ रु० के आबंटन का प्रावधान किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और अधिक गावों को शामिल करके के० वी० आई० क्षेत्र के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों के विकास की गति को तेज किया जायेगा। खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए के०वी०आई०सी० कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता, ब्याज राजसहायता, खरीद में प्राथमिकता, उत्पाद शुल्क से छूट, कारीगरों को प्रशिक्षण, विपणन में सहायता इत्यादि जैसी विभिन्न सुविधाएं देता है।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि के० वी० आई० क्षेत्र में चमड़ा और पौट्री उद्योगों में लगे व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 2.93 लाख और 3.54 लाख है।

लघु उद्योग सेवा संस्थान को पुन: खोलना

3241. **प्रो० प्रेम कुमार धूमाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालंधर (पंजाब) में लघु उद्योग सेवा के संस्थान के विस्तार केन्द्र को पुन: खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र को दुबारा खोलने सम्बन्धी मुद्दे पर पंजाब सरकार से परामर्श करके विचार-विमर्श किया गया है तथा इसे दुबारा ना खोलने का निर्णय किया गया है।

दक्षिण बिहार में पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेन्सियां

[हिन्दी]

3242. **श्री शिबू सोरेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण बिहार में कितने प्रतिशत पेट्रोल पम्प और रसोई गैस एजेन्सियां अनुसूचित जन-जतियों को आबंटित की गई हैं;

(ख) दक्षिण बिहार में भविष्य में किन-किन स्थानों पर रसोई गैस एजेन्सियां और पेट्रोल पम्प आबंटित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इनमें से कितने प्रतिशत अनुसूचित जन-जातियों को आबंटित की जाएगीं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पैराक्सिलीन पर सीमा शुल्क निर्धारण

[अनुवाद]

3243. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैराक्सिलीन पर सीमा शुल्क का स्तर निर्धारित किए जाने के संबंध में इस बीच कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पैराक्सिलीन को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अन्तरित कर दिया है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अपनी घरेलू आवश्यकता पूरी करने के पश्चात व्यापारिक बिक्री हेतु 1990-91 और वर्ष 1991-92 के दौरान इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लि० से कितनी फालतू पैराक्सिली उपलब्ध होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम एस गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) आयात शुल्क में परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और स्वदेशी माल के उचित बिक्री मूल्य दोनों से सम्बन्धित हैं। हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि पैराजाइलीन समेत कुछ पेट्रो-रसायन मदों का अतिरिक्त लाइसेंस, जिनका आसानी से विनिमय होता है और जो उदारतापूर्वक इन मदों के आयात के लिए प्रयोग में लाये जा सकते हैं, पर आयात किया जा सकता है।

(ङ) पर्याप्त फीडस्टाक की उपलब्धता पर लगभग 13,000 टन अधिशेष पैराजाइलीन उपलब्ध होने की आशा है। किन्तु फीडस्टाक की कठिनाई के कारण वर्तमान अधिक्य सीमित हो सकता है।

पैराक्सिलीन के निर्माण हेतु इंडियन पैट्रोकेमिकल्स लि० का संयंत्र

3244. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० के नये संयंत्र में पैराक्सिलीन का उत्पादन किस तिथि से आरम्भ होगा;

(ख) इसमें यदि कोई बिलम्ब हो रहा है तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लि० के विस्तार के पश्चात वर्ष 1990-91 में इसका अनुमानित उत्पादन कितना होगा;

(घ) 1990-91 और 1991-92 के दौरान देश में पैराक्सिलीन के कुल उत्पादन में इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लि० का उत्पादन कितने प्रतिशत होगा; और

(ङ) इस नए संयंत्र के पैराक्सिलीन को उत्पादन लागत और इसका उचित बिक्री मूल्य क्या क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) आई० पी०सी०एल० के जाइलीन विस्तार संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन मई, 1990 में प्रारम्भ हुआ था। वाणिज्यिक उत्पादन में देरी इस कारण हुई कि अन्त: सम्पर्क क्रियाकलापों का ओलेफिन्स और डाउनस्ट्रीम संयंत्रों में काम बन्द होने के बीच सामन्जस्य स्थापित किया जाना था और उपस्करों की खरीद और फीडस्टाक की प्राप्ति में बिलम्ब के कारण भी देरी हुई।

(ग) से (ङ) संयंत्र में 1990-91 और 1991-92 में प्रत्येक वर्ष 55,000 टन कुल जाइलीन का उत्पादन होने की उम्मीद है बशर्ते फीडस्टाक की अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता उपलब्ध हो इसलिए इन्डियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लि० की शेयर की प्रतिशतता उनके वास्तविक उत्पादन, और अन्य उत्पादकों के उत्पादन स्तरों पर निर्भर करेगी। चूंकि पैराजाइलीन की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है, प्रचलित बाजार स्थिति को ध्यान में रखकर कम्पनी अपने बिक्री कीमत निर्धारित करती है।

डी एम टी का लागत और उचित मूल्य अध्ययन

3245. श्री कांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोम्बे डाईग के डी एम टी संयंत्र का लागत और उचित मूल्य अध्ययन किस एजेंसी ने किया था;

(ख) इस अध्ययन के अनुसार बोम्बे डाईंग द्वारा उत्पादित डी एम टी की उत्पादन लागत और उचित बिक्री मूल्य क्या है;

(ग) डी एम टी उत्पादन एफ० एम० टी० में फीडस्टाक (पैराक्सीलीन) की लागत क्या थी; और

(घ) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि०, बोम्बे डाईंग और बोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि० द्वारा उत्पादित डी०एम०टी० के उचित बिक्री मूल्य की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) बम्बई डाईंग के डी०एम०टी० संयंत्र का बी०आई०सी०पी० द्वारा लागत अध्ययन किया गया था। पेट्रो-रसायन मदें जैसे डी एम टी आदि पर कोई सांविधिक मूल्य नियंत्रण नहीं है। लागत अध्ययन किए जाते हैं ताकि शुल्क स्तरों, आयात नीति आदि के लिए निर्णय लेने में उनका उपयोग किया जा सके और ऐसे लागत अध्ययनों के ब्यौरे प्रकट नहीं किए जाते हैं।

औषधों का अलाभकारी मूल्य

3246. श्री पी० नरसा रेड्डी
श्री मनोरंजन भक्त } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक औषधों का बहुत ही अलाभकारी मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या औषध मूल्य संबंधी नीति को उदार बनाया जाएगा ताकि इस उद्योग को अनुरूप लाभ प्राप्त हो सके ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के उपबन्धों के अंतर्गत उचित और उपयुक्त मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान औषध नीति का पुनरीक्षण करते समय सभी दृष्टिकोणों पर विचार किया जाएगा ?

पौंग बांध के कारण विस्थापित हुए लोग

[हिन्दी]

3247. प्रो० प्रेमकुमार धूमाल : क्या ऊर्जा मंत्री पौंग बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के बारे में 17 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या-5254 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित लोगों की समस्यायें अब किस हद तक दूर कर दी गई हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) 31 जुलाई, 1990 तक 5352 विस्थापितों को पुनर्वासित किया जा चुका है।

विस्थापितों की समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं की राजस्थान सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ बार-बार समीक्षा की जाती है ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

बिजली और उर्वरकों के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग

[अनुवाद]

3248. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई "गैस उपयोग नीति" में उर्वरकों और विद्युत के लिए प्राकृतिक गैस के उपयोग को वरीयता दी है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली और उर्वरकों के लिए प्राकृतिक गैस के आबंटन हेतु ऐसी वरीयता देने के बारे में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है और ऐसा निर्णय लेने का औचित्य क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) व्यापक "गैस उपयोग नीति" के प्रावधानों की फिलहाल जांच चल रही है।

भारतीय होटल निगम का गैर सरकारीकरण

3249 श्री के० एस० राव
श्री हन्नान मौल्लाह } : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय होटल निगम के अंतर्गत इस समय कितने होटल चलाये जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन होटलों को हुए हानि/लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एअर इंडिया ने हाल में भारतीय होटल निगम का गैर-सरकारीकरण करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय होटल निगम के गैर-सरकारीकरण किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) भारतीय होटल निगम के चार पांच सितारा होटल हैं जो बम्बई, दिल्ली और श्रीनगर में स्थित हैं। 1987-88 से आगे प्रत्येक होटल की हानि/लाभ नीचे बताया गया है।

लाभ/हानि
(करोड़ रुपयों में)

होटल का नाम	1987-88	1988-89	1989-90
सैंटार होटल, बम्बई हवाई अड्डा, बम्बई	2.45	1.85	2.09
सैंटार होटल, जुहू बीच, बम्बई	(1.51) हानि	(1.24) हानि	(1.47) हानि
सैंटार होटल, दिल्ली हवाई अड्डा दिल्ली	(0.41) हानि	(1.81) हानि	(1.22) हानि
सैंटार लेक व्यू होटल, श्रीनगर	(2.58) हानि	(2.93) हानि	(3.65) हानि

(ग) और (घ) किसी प्रसिद्ध होटल श्रृंखला द्वारा इक्विटी भागीदारी में पूंजी लगाकर और प्रबन्ध विशेषज्ञता देकर इस कम्पनी के निष्पादन में सुधार हो सकता है और इससे एयर इंडिया पर वित्तीय बोझ कम होगा।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

3250. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निश्चित किये गये लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग सातवीं योजना के दौरान झांसी और ललितपुर जिले के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 17,283 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं और 127,222 पम्पसैट ऊर्जित किए जा चुके हैं जबकि 17 405 गांवों के विद्युतीकरण एवं 120,200 पम्पसैटों के ऊर्जन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) निधियों संबंधी कठिनाइयों के कारण ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका ।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सातवीं योजना अवधि के दौरान झांसी जिले के 122 गांवों और ललितपुर जिले के 119 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की सूचना दी है ।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को अर्थक्षम बनाना

[अनुवाद]

3251. **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने और इस एकक के कर्मचारियों की सेवाएं संरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(ख) इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में विलम्ब होने के क्या कारण है; जिसके फलस्वरूप परिहार्य राष्ट्रीय हानि हो रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में बजाज आटो लिमिटेड को एकक बेचने के बारे में पहले किये गये प्रस्ताव के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के अध्ययन का कार्य इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया को सौंपा है । अध्ययन के लिए संदर्भ के निबन्धन में. अन्य बातों के साथ-साथ, देश में 2/3 पहियों वाले वाहनों के विद्यमान उत्पादन के लिए चालू बाजार स्थिति का अध्ययन, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के लिए किसी उत्पादन करने की क्षमता और उत्पादन के लिए विपणन जो, विद्यमान ब्रांड प्रमुखों के साथ सफलतापूर्वक स्पर्धा में आ सके, विविधीकरण के क्षेत्रों आदि का अध्ययन शामिल है । आई.डी.बी.आई. से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी अध्ययन रिपोर्ट अधिमानत: 30 सितम्बर, 1990 से पहले प्रस्तुत कर दें ।

स्कूटर इण्डिया लिमिटेड को परियोजनाएं सौंपना

3252 **श्रीमती सुभाषिनी अली** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर इण्डिया लिमिटेड संयंत्र का प्रयोग मारुति उद्योग लिमिटेड और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा आटो पुर्जों का निर्माण करने के लिए किये जाने का कोई प्रस्ताव है, क्योंकि वहां आधार-सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का स्कूटर इण्डिया लिमिटेड में उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करने और संयंत्रों के लिए नए उत्पादों का पता लगाने के लिए, एक तकनीकी विशेषज्ञ दल वहां भेजने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के अध्ययन का कार्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया को सौंपा है । अध्ययन के लिए संदर्भ

के निबन्धनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में 2/3 पहियों वाले -वाहनों के विद्यमान उत्पादन के लिए चालू बाजार स्थिति का अध्ययन, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के लिए किसी उत्पादन करने की क्षमता और उत्पादन के लिए विपणन जो, विद्यमान ब्रांड प्रमुखों के साथ सफलतापूर्वक स्पर्धा में आ सके, विविधीकरण के क्षेत्रों आदि का अध्ययन शामिल है। आई०डी०बी०आई० से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी अध्ययन रिपोर्ट अधिमानत 30 सितम्बर, 1990 से पहले प्रस्तुत कर दें।

विदेशी कंपनियों द्वारा तेल की खोज

[हिन्दी]

3253. श्री फूल चन्द वर्मा
श्री माणिकराव होडल्या गावीत
श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार
श्री बी० एन रेड्डी
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा
श्री मन्मथ लाल
श्री आर० एन० राकेश

: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय क्षेत्रों में तेल की खोज हेतु ड्रिलिंग संबंधी कार्य को विदेशी कम्पनियों को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं, इन कम्पनियों के नाम क्या हैं, तथा ऐसा करने के क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या कई भारतीय कम्पनियों ने इस निर्णय पर अपना रोष प्रकट किया है;

(घ) क्या ये कपनियां इन क्षेत्रों में ड्रिलिंग करने के इच्छुक हैं;

(ङ) यदि हां, तो किन कारणों से सरकार ने यह कार्य विदेशी कंपनियों को सौंपा है;

(च) क्या भारतीय कंपनियों द्वारा तेल की ड्रिलिंग करने की पेशकश विदेशी कम्पनियों की पेशकश की तुलना में सस्ती है; और

(छ) यदि नहीं, तो दोनों पेशकशों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (छ) प्रस्तावित चौथे दौर के अधीन देश में बोली आमंत्रित करने के प्रश्न की अभी जांच की जा रही है।

1. कुछ भारतीय निजी कंपनियों ने देश में तेल का अन्वेषण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

चौथे दौर में, भारतीय निजी कंपनियों द्वारा भाग लिये जाने से संबंधित मामले पर विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र के लिए लाइसेंस जारी करना

3254. **श्री फूलचन्द वर्मा**
डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय } : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ने मध्य प्रदेश में उद्योग प्रारम्भ करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जनवरी, 1990 से अब तक आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मध्य-प्रदेश सरकार से उद्योग स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) 1.1.1990 से 30.6.1990 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में उद्योग लगाने के लिए मध्य प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लि० से प्राप्त । आवेदन पत्र सहित 64 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । इनमें से 10 प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है और आशय पत्र स्वीकृत कर दिये गये हैं । शेष 54 आवेदन पत्रों में से 31 नामंजूर कर दिये गये हैं या अन्यथा निपटा दिये गये हैं और 23 प्रक्रिया की विभिन्न अवस्था में हैं ।

मध्य प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लि० से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पर नामंजूर कर दिया गया है ।

दिल्ली और नौएडा में रसोई गैस एजेन्सियों के विरुद्ध शिकायतें

|अनुवाद|

3255. **श्री कमल चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नौएडा में नगर-वार, कितनी रसोई गैस एजेन्सियां हैं;

(ख) दिल्ली और नौएडा में ऐसी कितनी रसोई गैस एजेन्सियां है जिनके विरुद्ध उपभोक्ताओं से सिलेंडरों का कम वजन और गैस की चोरी होने, सिलेंडरों की काला बाजारी, सिलेंडरों की अनियमित सप्लाई सिलेंडरों की सप्लाई घरों पर करने के बजाए सड़क के किनारे पर करने, गैस कनेक्शन देते समय उपभोक्ताओं को उन्हें गैस चूल्हा खरीदने के लिए बाध्य करने तथा उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) उनके विरुद्ध एजेन्सी-वार की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) फिलहाल, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 200 तथा नौएडा में 6 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्यरत हैं ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली और होशियारपुर के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाना

3256. **श्री कमल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और होशियारपुर के बीच एक सीधी सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण।

पंजाब में रेलवे की सम्पत्ति को पहुंची क्षति

3257. **श्री कमल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1990 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के कारण रेलवे संपत्ति को पहुंची क्षति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पंजाब में रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) मार्च 1990 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण रेल सम्पत्ति को हुई क्षति इस प्रकार है :—

1997-88	कोई नहीं
1988-89	16.80 लाख रु० (लगभग)
1989-90	5.28 लाख रु० (लगभग)

यह क्षति फर्नीचर आदि सहित स्टेशन की इमारतें तथा अन्य रेल सम्पत्ति को जलाने, रेल पटरियां उड़ाने, चल स्टाक की क्षति, गाड़ियों के पटरी से उतरने इत्यादि के कारण क्षति के रूप में हुई है।

(ख) पंजाब में रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं :

1. महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की पुलिस अर्ध-सेना बल तथा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रक्षा की जा रही है।
2. सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा प्रबन्ध कड़े कर दिए गए हैं। आतंकवादी बहुल क्षेत्रों में स्थित ब्लाक स्टेशनों पर स्थायी रेलवे सुरक्षा बल रक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है।

सुरक्षा की व्यवस्था में सहायता प्रदान करने हेतु राजकीय रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल की चल जांच पार्टियां भी इन स्टेशनों का दौरा कर रही हैं।

3. रेल पथ पर सशस्त्र राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मियों गैंगमैनों तथा होमगार्डों की गश्त बढ़ा दी गई है।

4. अति संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में पुलिस द्वारा विशेष सशस्त्र सुरक्षा गश्त लगाई जा रही है।

5. अमृतसर-लुधियाना, लुधियाना-जाखल, लुधियाना-फिरोजपुर, फिरोजपुर-भटिंडा, फिरोजपुर-जालंधर खंडों में पांच पतरौल विशेष गाड़ियां चल रही हैं।

6. मुख्य लाइन खंडों पर आगे-आगे पायलट गाड़ी चलाकर गाड़ियों को संरक्षण प्रणाली के आधार पर चलाया जाता है।

7. राजकीय रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अमृतसर, मुकेरियां, भटिंडा, राजपुरा, ब्यास तथा जालंधर में वाहनों द्वारा रेलपथ पर अचानक गश्त लगाना।

8. रात्रि में 127 मेल/एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों का राजकीय रेलवे पुलिस तथा पुलिस होमगार्डों द्वारा मार्ग रक्षण किया जा रहा है।

9. पुलिस द्वारा सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर सामान की जांच करना आरम्भ कर दिया गया है।

10. यात्रियों को शिक्षित करने के लिए जन संचार माध्यम तथा स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जा रहा है ताकि वे संदिग्ध वस्तु की बरामदगी के बारे में तत्काल पुलिस/ड्यूटी पर तैनात रेल कर्मचारियों को रिपोर्ट कर सकें।

पंजाब में रसोई-गैस को जलाया जाना

3258. **श्री कमल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में रसोई-गैस भरने के लिए सिलिंडरों की कमी के कारण रसोई-गैस को जलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब के रसोई-गैस की कमी वाले क्षेत्रों में, इस की पूर्ति करने के विचार से, पंजाब में रसोई-गैस सिलिंडर भरने का संयंत्र स्थापित न करने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में हाई स्पीड डीजल पम्पों और रसोई गैस एजेन्सियों का आवंटन

[हिन्दी]

3259. श्री सूरजभानु सोलंकी
श्री शंकर मुंजारे
श्री सत्य नारायण जटिया } : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां सरकार का रसोई गैस की एजेन्सियों तथा हाई स्पीड डीजल पम्पों का आवंटन करने का विचार है; और

(ख) इनका कब तक आवंटन किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) मध्य प्रदेश के उन स्थानों के नाम जिन्हें पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र तथा एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप के रूप में विकसित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को दिए जाने के पूर्व किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के किये जाने वाले कार्यों को देखते हुए इनके आवंटन में लगने वाले समय की सीमा बताया संभव नहीं है।

विवरण

मध्य प्रदेश के उन स्थानों के नाम जहां एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र दिये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप	पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र
1. सिंगरौली	1. इन्दौर ए-बी राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 3 पर
2. सरनी	2. भिलाई
3. बरवाहा	3. बीजापुर (दो)
4. बेगमगंज	4. बिल्कीसगंज
5. गरबाकोटा	5. अम्बिकापुर
6. समसगढ़	6. सरकुंडा
7. देवरी	7. फारसगांव
8. मदरवाड़ा	8. खबासा
9. अम्बा	9. टिकारिया
10. बलोदा बाजार	10. बहेरी
11. दुर्ग (दो)	11. मजौली
12. भिलाई (तीन)	12. सीधीर कला

एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप	पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र
13. मंदसौर	13. मोरार
14. अमलाई	14. बनमौर
15. होशंगाबाद	15. बलवा
16. सुजलपुर	16. खिलचीपुर
17. सागर	17. समसाबाद
18. भोपाल (दो)	18. चिकलौद
19. ग्वालियर (तीन)	19. गौतमपुरा
20. खंडवा	20. नागपुर
21. बुरहानपुर	21. कठघोड़ा (दो)
22. इन्दौर (तीन)	22. सहडौल
23. जबलपुर (चार)	23. सोरमी (दो)
24. रायपुर	24. कसडौल
25. बाघबेहरा	25. इन्दरगढ़
26. बिलासपुर	26. बगीचा
27. मंडीदीप	27. पिपलौदा
28. कोरबा	28. घरघोडा
29. रैवा	29. रतलाबाद
30. सतना	30. धमतरी
	31. मंदसौर
	32. उज्जैन
	33. शिवगढ़
	34. सेगांव
	35. बीरपुर
	36. बिस्तन
	37. रतनगढ़
	38. पुसर
	39. हरलगांव
	40. बाय पास रोड़ भोपाल
	41. हटूरी
	42. ब्योसर
	43. पामगढ़
	44. रामपुर बघेलों
	44. रेहली
	46. देवास शहर

एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप	पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र
	47. मंडीदीप
	48. गोविन्दगढ़
	49. बिलासपुर
	50. चितरंजी
	51. पाकनजोर
	52. सिरौंज
	53. अजयगढ़
	54. रानीसिंह
	55. कोटा
	56. रुनेषा क्रासिंग
	57. दातिया
	58. भिंड
	59. सागर भोपाल रोड
	60. तेलीबान्दा

मध्य प्रदेश में जोशी समिति की सिफारिशों का रसोई गैस वितरकों द्वारा कार्यान्वयन

3260. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के रसोई गैस वितरकों द्वारा "सुधा जोशी समिति" के "सुरक्षा मानदंड" और सिफारिशें कार्यान्वित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हित में इन कंपनियों पर इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु दबाव डालने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) एल० पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरों को निर्देश है कि वे उक्त समिति के सुरक्षा-मानदंडों और अन्य संगत स्वीकृत अनुशंसाओं का सख्ती से अनुपालन करें। एल पी जी विपणन करने वाली तीनों तेल कंपनियां इसके कार्यान्वयन की प्रगति पर नियमित निगरानी रख रही हैं।

रेल नेटवर्क

[अनुवाद]

3261. **श्री के० चोक्का राव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितनी लम्बी रेल लाइन बिछी हुई है तथा इसका जोन-वार, ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक जोन-वार कितनी लम्बी रेल लाइन का, विद्युतीकरण किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) 31.3.90 को रेल लाइनों के जोन-वार मार्ग की लम्बाई और विद्युतीकृत लाइनों की लम्बाई नीचे दी गयी है :—

रेलवे	कुल मार्ग की लम्बाई (कि. मी. में)	विद्युतीकृत मार्ग (कि मी. में)
मध्य	6892	1859
पूर्व	4291	1259
उत्तर	10992	945
पूर्वोत्तर	5145	—
पूर्वोत्तर सीमा	3841	—
दक्षिण	6850	646
दक्षिण मध्य	7204	891
दक्षिण पूर्व	7116	2158
पश्चिम	9894	1494
	62225	2252

बाम्बे हाई और हीरा तेल क्षेत्र

3262. श्री के० योवका राव
श्री मनोरंजन भक्त
श्री वाई एस० राजशेखर रेड्डी
श्री यादवेन्द्र दत्त
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री कमल नाथ
श्री माधवराव सिंधिया
श्री राम नाईक
श्री बी० एन० रेड्डी
श्री आर० एन० राकेश
श्री मानिकराव होडल्या गावीत

: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि भारत के पश्चिम समुद्र तट दूर स्थित बांबे हाई तथा हीरा तेल क्षेत्र में तेल उत्पादन में लगभग 31,500 करोड़ रुपये मूल्य के 150 मिलियन टन तेल की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) भारत के तेल और गैस उत्पादन के मूल्यांकन पर विश्व बैंक रिपोर्ट के आरम्भिक निष्कर्षों का एक सारांश

मात्र प्राप्त हुआ है। अभी विस्तृत निष्कर्ष प्राप्त होना बाकी है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या बम्बई हाई और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में हीरा के तेल क्षेत्रों के भण्डारों से होने वाले तेल उत्पादन में खराब प्रबन्ध व्यवस्था के कारण कमी आई है। क्या बम्बई हाई के भण्डारों की कोई स्थायी क्षति पहुंची है, इस बारे में रिपोर्टें परस्पर विरोधी है और तकनीकी मतों में अन्तर हैं।

सरकार ने इन मुद्दों पर विस्तार से जांच करने के लिए प्रख्यात भू-वैज्ञानिक और आयल इण्डिया के सेवानिवृत्त अध्यक्ष श्री ए० बी० दास गुप्ता की अध्यक्षता में 26-4-1990 को एक समिति की नियुक्ति की है। समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

बम्बई हाई के भण्डारों (बम्बई हाई दक्षिण और बम्बई हाई उत्तर) के विकास और प्रबन्ध की समीक्षा करना और निम्न के बारे में विशेष रूप से निर्धारण करना।

(1) क्या भण्डारों से कच्चे तेल की निकासी का स्तर विकासात्मक योजनाओं द्वारा समय-समय पर तैयार की गई अनुशसित स्तरों के अनुरूप है।

(2) क्या उत्पादन के स्तरों में परिवर्तन, यदि कोई हो स्थापित उद्योग प्रयोग विधियों के अनुरूप न्यायसगत थे तथा उन्हें उत्पादन तथा भण्डार की सुरक्षा पर उचित ध्यान देते हुए किया गया था।

(3) क्या एक निश्चित अवधि के भीतर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वैकल्पिक दबाव अनुरक्षण योजनाओं की जांच तथा उनका मूल्यांकन किया गया और अगर हां, तो उसके परिणाम क्या हुए।

(4) क्या अत्यधिक शोषण की अवधि, सुविधाओं के स्थापित करने और दबाव अनुरक्षण योजनाओं के कार्यान्वियन में विलम्ब को ध्यान में रखते हुए रही हैं।

(5) क्या उपर्युक्त कारण उच्च गैस तेल अनुपात, उच्च-जल कमी तथा शोषण योग्य भण्डारों के उत्पादन में कमी के लिये उत्तरदायी हैं।

(6) क्या उपर्युक्त कारणों से भण्डार को हानि पहुंची है, अगर हां, तो इसकी प्रकृति और व्यापकता क्या है।

(7) ऐसे विपरीत परिणामों या क्षति को घटाने के लिये कौन से उपाय किये जा सकते हैं तथा उपर्युक्त विश्लेषण से क्या सबक सीखे जा सकते हैं।

(8) क्या भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, तेल क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित प्रक्रियाओं तथा प्रयोगविधियों में कोई परिवर्तन आवश्यक है। समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

एककों को "रुग्ण" घोषित करना

3263. श्री जे० चोक्का राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ उद्यमी सहकारी संस्थाओं से भारी

धनराशि राज-सहायता के रूप में लेने के पश्चात साल-दर-साल भारी घाटा दिखाकर अपने एककों को रुग्ण घोषित कर देते है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन उद्यमियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) केन्द्रीय निवेश राजसहायता और परिवहन राज-सहायता से सम्बन्धित कोई विशिष्ट मामला इस विभाग के ध्यान में नहीं आया है। जहां तक राज्य राजसहायताओं का सम्बन्ध है, इस बारे में केन्द्र में इसकी सूचना नहीं रखी जा रही है।

(ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 24 के तहत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को ऐसे मामलों में दण्डात्मक कार्रवाई करने के अधिकार दिए गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी आवश्यक कार्रवाई के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के जरिए अनियमित खातों की निगरानी करता है।

बोधघाट पन बिजली परियोजना

[हिन्दी]

3264. **श्री मानकूराम सोढी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर जिले में बोधघाट पन बिजली परियोजना को अन्तिम रूप से कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है; और

(ख) इस परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए 31 मार्च, 1990 तक कितने मकानों का निर्माण किया गया था तथा आवास और खेती के लिए प्रत्येक परिवार को कितनी भूमि देने का विचार किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) बोधघाट जल विद्युत परियोजना को अन्तिम रूप से स्वीकृति, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति मिल जाने के बाद ही प्रदान की जाएगी।

(ख) एक झोंपड़ी का निर्माण कर लिया गया है और अन्य झोंपड़ियों हेतु निर्माण कार्य शीघ्र किया जा रहा है। प्रत्येक विस्थापित परिवार को 2 हेक्टेयर कृषि भूमि और 500 वर्ग गज के प्लाट में निर्मित भवन बिना किसी लागत के मुहैय्या कराने का प्रस्ताव है।

यलहंका-बंगारपेट रेल लाइन को बदलना

[अनुवाद]

3265. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यलहंका और बंगारपेट के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के बारे में कर्नाटक के लोगों ने मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह प्रस्ताव अर्थक्षम नहीं पाया गया और इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं की गयी।

मैसूर-चामराजनगर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3266. श्री बी० कृष्ण राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर और चामराजनगर के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) परियोजना का निष्पादन शुरू नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बांध परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

[हिन्दी]

3267. श्री संतोष कुमार गंगवार
श्री राम सजीवन
श्री अरविन्द नेताम
: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने टिहरी बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास तथा इन्हें रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये हैं और कितने लोगों को रोजगार दिया गया है;

(ख) क्या नर्मदा पंचाट की तरह प्रत्येक परिवार के एक वालिग व्यक्ति को रोजगार देने की योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 1989 से जून 1990 तक टिहरी बांध परियोजना में अधिकारियों सहित कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी और इसमें से कितने कर्मचारी टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) स्थानीय जनता के परामर्श से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई पुनर्वास नीति का परियोजना प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके लिए 2(8 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रथम सोपान के अन्तर्गत 1924 पूर्णतः प्रभावित परिवारों में से 1880 परिवारों को पहले ही पुनर्वास किया जा चुका है। टिहरी बांध परियोजना के निर्माण के कारण प्रभावित हुए व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। जल मग्न/प्रभावित क्षेत्रों के 133 व्यक्तियों को पहले ही रोजगार दे दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जून, 1989 से लेकर अब तक कुल मिलाकर 672 व्यक्ति भर्ती किए गए हैं जिसमें 140 व्यक्ति टिहरी से जलमग्न/प्रभावी क्षेत्रों तथा 124 व्यक्ति टिहरी गढ़वाल के अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित है।

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के आबंटन में अनियमितताएं

3268. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पेट्रोल/डीजल का खुदरा एजेंसियों तथा रसोई-गैस की एजेंसियों के आबंटन में गम्भीर अनियमितताए बरते जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भविष्य में इन अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में विशेष रूप से गठित तेल चयन बोर्डों द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिप के लिए चयन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी गम्भीर अनियमितता की रिपोर्ट नहीं मिली है। फिर भी, डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी विधिवत् जांच की जाती है और जहां आवश्यक समझा जाता है, सुधार की कारंवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की सुविधा

3269. **श्री संतोष कुमार गंगवार**
श्री राजवीर सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों, शहरों तथा नगरों में रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार का, चालू योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के किन-किन शहरों में रसोई गैस सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय उत्तर प्रदेश के 45 जिला मुख्यालयों और 110 कस्बों/शहरों में एलपीजी का विपणन होता है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, एलपीजी उन कस्बों और शहरों में लागू किया जाता है जिनकी आबादी 20,000 अथवा इससे अधिक हो और जहां वाणिज्यिक रूप से डिस्ट्रीब्यूटरशिप व्यवहार्य हो। एलपीजी चालू करने के लिए नए स्थानों का विनिर्देशन सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है और तेल उद्योग द्वारा किये गए विपणन-सर्वेक्षण पर आधारित होती है। अतः, इस समय यह बता पाना संभव नहीं है कि आठवीं योजना अवधि के दौरान किन कस्बों को एलपीजी सुविधा दी जाएगी।

इराक-कुवैत युद्ध का पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर प्रभाव

3270. श्री हरि केवल प्रसाद
प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री लोकनाथ चौधरी
श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा
श्री बी०एस० बासवराज
डा० बंगाली सिंह
: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक-कुवैत युद्ध के कारण आयातित तेल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, और इसका भारत के तेल की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) मध्य पूर्व में हाल की घटनाओं ने इराक, कुवैत तथा सोवियत संघ से कच्चे तेल और उत्पादों की आपूर्ति को प्रभावित किया है और अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के संसाधन में वृद्धि हुई है। अनुमान लगाया जाता है कि इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात बिल में काफी वृद्धि होगी।

(ग) और (घ) कमी को पूरा करने के लिये, वैकल्पिक स्रोतों से कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त करने की ओर प्रयास किये जा रहे हैं।

विमान चालकों/सह-चालकों के लिए निर्धारित प्रक्रिया

[अनुवाद]

3271. श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
: क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोइंग विमान दुर्घटनाओं की अधिकांश रिपोटों में विमान चालकों/सह-चालकों की लापरवाही पाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उन विमान चालकों/सह-चालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जो नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) वर्ष 1980 से अनुसूचित परिचालनों में लगे हुए भारत में पंजीकृत 18 बोइंग विमान दुर्घटनाओं में से पांच मामले ऐसे हैं जिसमें उड़ान कर्मीदल ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

(ख) दोषी पाये गए उड़ान कर्मीदल के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

रेल के इन्जनों का आयात

3272. श्रीमती के० जमुना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व विश्व बैंक की सहायता से विद्युत इन्जनों का आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने इन्जनों का आयात किया था और इस पर कितनी लागत आयी थी;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन फेज वाले इन्जनों का आयात करने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने इन्जनों का आयात किया जायेगा;

(ङ) क्या विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान बिजली के इन इन्जनों के बारे में आपत्ति प्रकट की थी और इनका आयात न करने की सलाह दी थी;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा या है; और

(छ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पोत पर्यन्तक निशुल्क लागत के आधार पर लगभग 64 मिलियन डालर की लागत पर 6000 अश्वशक्ति वाले 25 के त्री० ए० सी• थाईरिस्टर बिजली रेल इन्जनों के 18 प्रोटोटाइप।

(ग) जी हां।

(घ) मात्रा 30 से 40 के बीच अलग-अलग हो सकती है।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे और रेलवे बोर्ड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारी

[हिन्दी]

3273. श्री गोपाल पचेरवाल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे बोर्ड, उत्तर रेलवे कार्यालय में ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" के कितनी अधिकारी हैं;

(ख) उनमें से श्रेणी-वार, कितनी अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हैं; और

(ग) इस समय कितने रेल अधिकारी तथा कर्मचारी अन्य मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सीमेंट उद्योग के लिये कोयले का आयात

[अनुवाद]

3274. श्री जी० एम० बासवराज : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग को कोयले की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सीमेंट उद्योग ने सरकार से अनुरोध किया है कि कोयले की कमी को पूरा करने के लिए वह इसका आयात करें; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान : (क) कई सीमेंट संयंत्रों, विशेषकर दक्षिण क्षेत्र में स्थित, के पास कोयले के कम भण्डार होने की सूचना मिली है। अप्रैल-जुलाई, 1990 के दौरान सीमेंट उद्योग को 3.204 मिलियन टन (अनन्तिम) कोयले की आपूर्ति की गई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि में 2.816 मि० टन कोयले की आपूर्ति की गई थी। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.7% विकास की द्योतक है। इसके अतिरिक्त नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा अप्रैल-जुलाई, 1990 के दौरान दक्षिण क्षेत्र में स्थित सीमेंट संयंत्रों को लगभग 2.28 लाख टन लिग्नाइट की आपूर्ति की गई।

(ख) जी हां।

(ग) सीमेंट संयंत्रों को भेजे जाने वाले कोयले की मात्रा में वृद्धि की जा रही है। अपने देश के स्रोतों द्वारा सीमेंट उद्योग की कोयले की मांग को पूरी किए जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए कोयले का आयात किए जाने सम्बन्धी अनुरोध को नामंजूर कर दिया गया है।

बोधघाट विद्युत परियोजना

3275. श्री एस० सी० वर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अधिकतम मांग की तुलना में 300 मेगावाट बिजली की अभी भी कमी है;

(ख) क्या यह मांग प्रतिवर्ष 11 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है;

(ग) मध्य प्रदेश में आज तक बिजली का कुल कितना उत्पादन होता है और आठवीं योजना में कितनी बिजली की आवश्यकता होगी; और

(घ) स्थापित की जाने वाली उन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनसे आठवीं योजना के अन्त तक बिजली की आवश्यकता पूरी हो सकेगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) अप्रैल-जुलाई 1990 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में मासिक आधार पर विद्युत की कमी लगभग 300 मेगावाट से 480 मेगावाट के बीच थी।

(ख) 13वीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में 8वीं योजनावधि के दौरान व्यस्ततमकालीन भार में लगभग 11% की वार्षिक वृद्धि होने की संभावना है।

(ग) मध्य प्रदेश में अप्रैल-जुलाई, 1990 के दौरान कुल ऊर्जा उत्पादन 8968 मिलियन यूनिट हुआ था। 13वीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 8वीं योजना के अन्त अर्थात् 1994-95 में ऊर्जा की प्रत्याशित मांग 27014 मि०यू० होगी।

(घ) 8वीं योजना से सम्बन्धित विद्युत सम्बन्धी कार्यदल ने मध्य प्रदेश में 8वीं योजनावधि के दौरान निम्नलिखित क्षमता-संवर्धन की सिफारिश की है, बशर्ते संसाधन एवं अन्य निवेश उपलब्ध हों :—

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
बापसागर टोन्स सोपान-1,8 यूनिट (ज० वि०)	405.00
बारना (ज० वि०)	1.50
भीमगढ ज० वि०)	2.40
बीरसिंहपुर (ज० वि०)	20.00
हसदेव बांगा (ज० वि०)	120.00
तावा बांया तट नहर (ज० वि०)	12.00
बीरसिंहपुर विस्तार यूनिट-3, 4 (ताप विद्युत)	420.00
कोरबा पश्चिम-5, 6 (ताप विद्युत)	420.00
पंच यूनिट 1 व 2 (ताप विद्युत)	420.00
बीरसिंहपुर विस्तार यूनिट-1, 2 (ताप विद्युत)	420.00
जोड़	2240.90

इसके अतिरिक्त, राज्य को पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से भी इसका देय हिस्सा प्राप्त होगा।

महाराष्ट्र की जल विद्युत परियोजनाओं के लिये धनराशि का आवंटन

3276. **श्री हरि शंकर महाले :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र की जल-विद्युत परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रयोजन के लिये उस धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) महाराष्ट्र की जल विद्युत परियोजनाओं के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा आबंटित धनराशि और पिछले 3 वर्षों का वास्तविक व्यय निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय		व्यय
1987-88	73.23		56.50
1988-89	84.34		79.32
1989-90	86.00	(*)	64.33

(*) संशोधित अनुमान

(ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

3277. **श्री हरि शंकर महाले :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में महाराष्ट्र के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या सातवीं योजना में महाराष्ट्र के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) सातवीं योजना के दौरान नासिक जिले के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, महाराष्ट्र में ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नवत हैं :—

	लक्ष्य	उपलब्धि
ग्राम विद्युतीकरण	2150	5888
पम्पसैट ऊर्जन	337250	570164

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जैसाकि महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है, सातवीं पंचवर्षीय योजना के पिछले चार वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र में नासिक जिले के 174 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

डेसू का घाटा

[अनुवाद]

3278. श्री के० पी० अग्रवाल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेसू को भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या डेसू में जोनवार लेखा-खाते रखे जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?.

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) को हो रही राजस्व सम्बन्धी हानियों का कारण विद्युत की खरीद सहित निवेशों की लागत में चौतरफा वृद्धि होना और अप्रैल, 1985 के बाद से टैरिफ में इसके संगत वृद्धि न किया जाना है ।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 204 तथा 480 के अन्तर्गत बनाए गए लेखा रखा-रखाव विनियम, 1959 के अनुसार डेसू द्वारा विद्युत के उत्पादन एवं इसकी आपूर्ति आदि से सम्बन्धित लेखों का रख-रखाव केन्द्रीय आधार पर किया जाता है न कि जोनवार क्षेत्रवार ऊर्जा लेखा पद्धति प्रचलन में न होने के कारण लेखों का जोनवार रख-रखाव किया जाना संभाव्य नहीं है । इस प्रकार की प्रणाली अपनाने से डेसू की अत्यधिक जटिल तथा अन्तर्संम्बद्ध पारेषण एवं वितरण प्रणाली के पुनर्निर्माण/आधुनिकीकरण पर बहुत अधिक व्यय आएगा ।

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अधीन स्वीकृति में देरी

3279. श्री के० योस्का राव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अधीन स्वीकृति न दिये जाने के कारण अनेक आपराधिक मामलों में न्यायालयों में आरोप पत्र दाखिल करने में देरी होती है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में ऐसे कितने मामले हैं, जो स्वीकृति के लिये विचाराधीन पड़े हैं और इनमें विलम्ब होने के क्या कारण है; और

(ग) इन सभी मामलों के लिये कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) न्यायालय में आरोप पत्र दायर करने के लिए विस्फोटक अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। परन्तु राज्यों में पुलिस प्राधिकारी पकड़े गये विस्फोटक पदार्थों के नमूने राज्य में विस्फोटक नियंत्रक के कार्यालय को उनको यह राय लेने के लिये भेजते हैं कि क्या नमूने विस्फोटक हैं अथवा नहीं। 1-4-89 से 30-7-90 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में विस्फोटक नियत्रक, हैदराबाद के कार्यालय को पुलिस प्राधिकारियों से ऐसे नमूने के 52 मामले प्राप्त हुए थे और इन सभी मामलों में रिपोर्टें पुलिस प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दी गई हैं। सामान्यतः ऐसे मामले प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर निपटा दिये जाते हैं।

संयुक्त स्टाक कारपोरेट और गैर-सरकारी तंत्र की कम्पनियों में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति

3280. **श्री सुदाम देशमुख** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त स्टॉक कारपोरेट और गैर-सरकारी तंत्र की उन कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं जिनके पांच प्रतिशत अथवा अधिक शेयर सरकार के स्वामित्व में हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इन सभी कम्पनियों में अपने निदेशकों को नामित किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) पूरे देश में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 2 लाख से अधिक कम्पनियां पंजीकृत हैं। कम्पनियों की शेयरधारिता पद्धति साथ ही, सरकार द्वारा नामित निदेशकों सहित उनके निदेशक मंडल के बारे में सूचना, कम्पनियों द्वारा उन कम्पनी रजिस्ट्रारों के साथ, जिनके साथ वे पंजीकृत हैं, दायर की गई वार्षिक विवरणियों में दी गई है। अपेक्षित सूचना प्रमुख रूप से विभाग में संकलित नहीं की गई है। इस क्रम की सूचना का संकलन प्राप्त होने वाले लाभों के अनुरुप नहीं होगा।

कच्ची (रॉ) फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध

3281. **श्री के० एस० राव** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के कच्ची (रॉ) फिल्मों के आयात और वितरण की अनुमति नहीं देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके स्थान पर जो एजेंसियाँ फिल्मों का आयात और वितरण करेंगी उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक मामलों सम्बन्धी मंत्रिमंडलीय समिति

3282. प्रो० रूप चन्द पाल } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री हन्नान मोल्लाह }

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि अब केवल 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं को ही आर्थिक मामलों सम्बन्धी मन्त्रिमंडलीय समिति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने आर्थिक कार्य सम्बन्धी मन्त्रिमण्डल समिति की पूर्व अनुमोदन के लिए आशय पत्रों की मंजूरी के प्रस्तावों के लिए हाल ही में पूंजी निवेश की सीमा को, देरी कम करने के उद्देश्य से, 50 करोड़ रु. से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया है।

एल्कोहल का उत्पादन करने के लिए "पायलट प्लांट"

3283. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान के पुआल से एल्कोहल बनाने के लिए एकमात्र प्लांट में, जिसमें सरकारी एजेंसियों ने एक दशक की अवधि में एक करोड़ से भी अधिक धनराशि खर्च कर दी थी, अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है कि इस पायलट प्लांट पर अब तक किया गया कार्य और खर्च हुआ धन व्यर्थ न जाये; और

(घ) क्या सरकार ऊर्जा के पुन: प्रयोज्य स्रोतों के लिए सरकार के जोरदार प्रयासों के सन्दर्भ में इस परियोजना पर पुनर्विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) धान के पुआल से इथोनोल के उत्पादन के लिए छोटे पैमाने पर प्रदर्शन सुविधा को लगभग 74 लाख रुपए की लागत पर 1985 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब और इसकी लागत में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं—निर्माण कार्य में देरी, विदेश में नियुक्ति के कारण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के प्रधान अन्वेषक का अनुपस्थित रहना, एक कम्प्यूटरीकृत मानिटरिंग प्रणाली शामिल करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, और लागत अनुमानों में बार-बार संशोधन।

(ग) और (घ) परियोजना के स्तर की विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि 60 लाख रुपए तक अतिरिक्त वित्तीय सहायता इस परियोजना को दी जाए ताकि इसे एक निश्चित समय में पूरा किया जा सके।

उत्तर प्रदेश की त्रिपेनी-प्लासू परियोजना

3284. **श्री एम० एस० पाल : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से त्रिपेनी-प्लासू परियोजना के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय होगी और इसका निर्माण कब तक किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से "त्रिपेनी-प्लासू परियोजना" नामक कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, 96.01 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली तियुनी प्लासू जल-विद्युत स्कीम (3 × 16 67 मेगावाट) के बारे में एक परियोजना रिपोर्ट अप्रैल, 1989 में कं०वि०प्रा० में प्राप्त हुई थी। के०वि०प्रा०/के०ज० आयोग द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई थी और जल विज्ञान एवं आयोजना संबधी अध्ययनों मे कमियां होने के कारण मार्च, 1990 में इसे परियोजना प्राधिकारियों को वापस भेज दिया गया था।

जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता

3285. **श्री ओ० एम० बनातवाला : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक और जीवन रक्षक औषधों की उचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : नियन्त्रित औषधों की कीमतें डी०पी०सी०ओ० 1987 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। नियन्त्रण-मुक्त औषधों के निर्माता कीमतों में संशोधन करने के लिये स्वतन्त्र हैं। किन्तु विनियन्त्रित सूत्रयोगों की कीमत वृद्धि पर सरकार निगरानी रखती है और आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करती है।

जहां तक आवश्यक औषधों की उपलब्धता का सम्बन्ध है, जब भी किसी औषध की कमी की जानकारी सरकार को मिलती है तो सबंधित निर्माताओं को तुरन्त स्टाक भेजने के अनुदेश दिए जाते हैं। सामान्यतया कमियां स्थानीय हैं और औषधों के चिकित्सीय समतुल्य उपलब्ध थे।

उर्वरक संयत्रों द्वारा गैस उठाने से इंकार

3286. **श्री कैलाश मेघवाल**
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट } : **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में आने वाले कुछ उर्वरक संयंत्रों ने उन्हें वचनानुसार दी गई गैस उठाने से और उसका भुगतान करने के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लि० से करार करने से इंकार कर दिया है;

(ख) भारतीय गैस प्राधिकरण लि० और इन उर्वरक संयंत्रों के मालिकों के बीच हुए करार की मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : जी हां।

(ख) गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि० के "मानक गैस आपूर्ति समझौते" की मुख्य शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) इस संबंध में कार्रवाई सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

मानक गैस आपूर्ति समझौते के मुख्य खंड

अनुच्छेद : इसमें संविदा में इस्तेमाल किए गए विभिन्न शब्दों की परिभाषा और उनकी व्याख्या है।

अनुच्छेद 2 और 3 : इनमें (I) संविदा की अवधि और (II) क्रेता द्वारा दी जाने वाली जमाराशि तथा बैंक गारंटी का प्रावधान है। संविदा की अवधि 2202 ईसवी तक अथवा उसके बाद 5 वर्ष की अवधि तक है। आपसी बातचीत के माध्यम से संविदा को और आगे बढ़ाया जा सकता है।

क्रेता को एक महीने की गैस की सप्लाई की लागत के बराबर नकद राशि जमा करानी होगी, वचनवद्धता के प्रमार के रूप में गैस की तीन महीने की सप्लाई के बराबर बैंक की गारंटी देनी होगी परियोजना के शुरू होन में विलम्ब के प्रति सुरक्षा देनी होगी जिसके लिए गैस की संविदा दी जा रही है। नकद जमा-राशि पर 8% ब्याज दिया जाएगा और यदि कार्यान्वयन कार्यक्रम में निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाता है तो इसे बैंक की गारंटी के साथ जब्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 4 : इसमें उस मुद्दे का प्रावधान है जिसमें गैस दी जाएगी, और गैस के हस्तांतरण के संदर्भ में क्रेता और विक्रेता के उत्तरदायित्व का वर्णन है। इस अनुच्छेद में उस दबाव का भी प्रावधान है जिस पर गैस सप्लाई की जानी है, और यह संयंत्र की अवस्थिति के आधार पर 15 कि.ग्रा./से. मी.² से 40 कि. ग्रा./सि. मी.² के बीच होगा।

अनुच्छेद 5 : इसमें सप्लाई की जाने वाली गैस की मात्रा का प्रावधान है और इसमें न्यूनतम उठान का निर्धारण है जो वचनबद्ध सप्लाई का कम से कम 76% है जो क्रेता द्वारा दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 6 : इसमें सप्लाई की जाने वाली गैस की किस्म का प्रावधान है जिसमें मीथेन (75%), गैसीय हाइड्रोकार्बन (20%), अन्य गैर-ज्वलनशील गैसों (20%) गन्धक का अंश (10 पी पी एम) तथा नमी का अंश (शून्य) के न्यूनतम प्रतिशत का निर्धारण किया है।

अनुच्छेद 8 : इसमें सप्लाई की गई गैस के मापन और अंशकन का प्रावधान है, और इस बात का उल्लेख है कि कब और कैसे मीटरी कार्य किया जाएगा और उष्मा की गणना कैसे की जाएगी। इसमें इस बात का प्रावधान भी है कि गैस अथारिटी आफ इंडिया बीजक प्रस्तुतिकरण से कम से कम 30 दिन की अवधि के लिए रिकार्ड रखेगा।

अनुच्छेद 10 : इसमें अपरिहार्य कारणों से संबंधित खंडों के बारे में बताया गया है, जो निम्नानुसार है :—

"संविदा में शब्द अपरिहार्य कारण का अर्थ है, परमात्मा के कार्य, युद्ध आन्दोलन, दंगा, समुद्री तूफान, बाढ़, भूचाल, बिजली गिरना, युद्ध (घोषित/अघोषित) के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम, तोड़ फोड़, आग, विद्रोह, प्राकृतिक विपदा, राष्ट्रीय आपातकाल, असैनिक अशांति या उपद्रव सम्बन्धी नियम या कोई विधि या उद्घोषणा विनिमय या अध्यादेश या कार्यपालिका के आदेश चाहे केन्द्रीय या राज्य या स्थानीय या नगर पालिका प्राधिकरणों के हों, हड़ताल और क्रेता/विक्रेता के संयंत्र/स्थापना में विस्फोट। ऐसी घटना के होने या समाप्त होने पर उक्त पक्षकार को उपर्युक्त संविदागत दायित्व को पूरा करने में असफल रहा तो वह पक्षकार पूर्ण विवरण के साथ संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए उक्त घटना के आरंभ होने या समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर लिखित रूप में अधिसूचित करना होगा।

अनुच्छेद 11 : इसमें विनिर्दिष्ट उष्मा मूल्य वाले गैस के लिए प्रभारित होने वाले गैस के मूल्य के बारे में बताया गया है और यह उपबंधित करता है कि यदि ऊष्मा मूल्य 8500-10,000 किलो कैलोरी के विहित सीमा से कम हो तो छूट दी जाएगी। कीमत और छूट सरकार द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों के अनुसार है।

अनुच्छेद 12 : इसमें गेल को दिए जाने वाले भुगतान के बारे में बताया गया है और विहित किया गया है कि क्रेता चक्रीय उधार पत्र को खोलेगा जिसके प्रति गेल के मासिक बीजकों की अदायगी की जाएगी।

(व्यवधान)

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। मायावती जी आप बैठ जायें। आपको क्या हो गया है? मैं खड़ा हूं। आप बैठ जायें। अशोक जी आप बैठ जायें। आप क्या बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अशोक जी, मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री मधु जी को अजेण्डा के मुताबिक एक बयान करना है जो कि ध्यानाकर्षण के लिए राज्यसभा को जाना है। इसलिए मैं उनको अनुमति दे रहा हूं। इनके बयान के बाद ही दूसरा सवाल लेता हूं।

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

बजट घाटा

वित्त मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : वर्ष 1990-91 के लिए बजट भाषण में मैंने यह कहा था कि बजटीय स्थिति की वास्तविक घटनाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि जनता और संसद को बजट की दृष्टि से कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत की जा सके। बाद में मैंने सदन को सूचित किया था कि बजटीय स्थिति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रत्येक चार महीने में पेश की जाएगी। अधिक स्पष्टता और खुलेपन के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ मैं अब चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर ररा हूं।

बजट घाटे को मानीटर करने अथवा उसके संबन्ध में कोई पूर्वानुमान लगाने से सम्बद्ध समस्याओं की सम्भावना को सुकर बनाने की दृष्टि से, मैं सदन के समक्ष एक तकनीकी टिप्पणी प्रस्तुत कर रहा हूं। ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1349/90 इस टिप्पणी में पिछले दस वर्षों के दौरान वास्तविक घाटे सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर उन प्रमुख सांख्यिकीय पद्धतियों का उल्लेख किया गया है जिनका प्रयोग बजट घाटे को मानिटर करने अथवा उसे प्रक्षेपित करने के लिए किया जा सकता है। तथापि, अधिकांश अन्य आर्थिक लक्षणों के विपरीत, बजट घाटा प्रत्येक सप्ताह और प्रत्येक महीने में भिन्न-भिन्न रहता है क्योंकि प्राप्तियों और व्यय का प्रवाह पूरे वर्ष में एक समान नहीं रहता है जो अंशत: सरकार की ओर से लिए जाने वाले विवेकपूर्ण निर्णयों पर निर्भर करता है। इसलिए, सांख्यिकी विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को पिछले चार महीनों में सरकारी निर्णयों के बारे में उपलब्ध सूचना और अगले आठ महीनों की संभावित घटनाओं के मूल्यांकन के साथ मिलाया होगा।

पिछले दस वर्षों के दौरान मासांत घाटों के सम्बन्ध में उपलब्ध साक्ष्य से बजट घाटों की दो विशेषताएं उभरी हैं। प्रथमत: वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान घाटा वर्ष के अन्त के घाटे से अधिक है। दूसरे, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मास के अन्त के घाटे में, वित्त वर्ष के पहले छ: महीनों में, लगातार वृद्धि होती है, और उसके बाद के चार महीनों में कभी-कभी शिखर पर पहुंच जाता है और तब वित्त वर्ष के अन्त में निम्न स्तर तक कम हो जाता है। यह स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है कि एक वित्त वर्ष के किसी एक विशेष दिन पर, वास्तविक बजट घाटा उस तारीख तक हुए प्राप्तियों और व्यय के प्रवाहों द्वारा निर्धारित होता है। यह कोई संचयी जोड़ नहीं है; परिणामत: किसी दिन विशेष को अथवा किसी महीने विशेष के अन्त में वर्षान्त आंकड़ों की तुलना में प्राय: काफी अधिक होता है।

31 जुलाई 1990 को, चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के अन्त में, वास्तविक बजट घाटा 9926 करोड़ रुपए का था जबकि पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में यह राशि 11,390 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, जुलाई 1990 के अन्त में बजट घाटा, जुलाई, 1989 के अन्त में बजट घाटे से लगभग 1500 करोड़ रुपये कम था।

व्यय और प्राप्तियों की मानिटरिंग के लिए एक प्रभावी तंत्र की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सभी मंत्रालयों और विभागों में मासिक बजट तैयार करने की एक प्रणाली आरंभ की गई है। जून 1990 तक के उपलब्ध लेखा आंकड़ों से पता चलता है कि एक अथवा दो मामलों को छोड़कर सभी मंत्रालयों का व्यय उनके मासिक व्यय लक्ष्यों के अन्दर ही था। कुल मिलाकर, प्रारम्भिक लेखा आंकड़ों के अनुसार, जून 1990 तक व्यय लक्ष्यों की तुलना में कोई अधिकता नहीं थी। बहुत से वर्षों में पहली बार, कठोर व्यय नियंत्रण के परिणामस्वरूप, पूरक मांगों के पहले बैच में, जिन्हें 16 अगस्त 1990 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, कोई निवल नकद खर्च नहीं है। यह एक महत्व-पूर्ण उपलब्धि है जिसके लिए मैं अपने सभी साथियों का आभारी हूं जिन्होंने व्यय सीमाओं का पालन करने में अपना भरसक योगदान दिया है।

चालू वित्त वर्ष में अभी तक व्यय के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है। प्रमुख सब्सिडियों (अर्थात्—खाद्य, उर्वरक, निर्यात संवर्धन और बाजार विकास) पर जून 1990 के अन्त तक व्यय की राशि 1,988 करोड़ रुपये थी, जो बजट अनुमानों का 23.3 प्रतिशत है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए यह राशि 2,186 करोड़ रुपये अर्थात् बजट का 29.3 प्रतिशत थी। जून 1990 को समाप्त हुई अवधि के लिए ब्याज अदायगी की राशि 2,128 करोड़ रुपये थी जो बजट का 10.2 प्रतिशत है जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के लिए यह राशि 2,226 करोड़ रुपये अर्था 13.1 प्रतिशत थी। राज्य आयोजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता की राशि जुलाई के अन्त तक 2,937 करोड़ रुपये थी, जो बजट अनुमानों का 27.8 प्रतिशत है जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में यह राशि 2,407 करोड़ रुपये अर्थात् बजट अनुमानों का 27.3 प्रतिशत थी। करों, शुल्कों और राजस्व घाटे के अनुदानों में जुलाई के अन्त तक राज्यों के हिस्से की राशि 4,560 करोड़ रुपये थी जो बजट अनुमानों का 26.9 प्रतिशत है जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में यह राशि 4,355 करोड़ रुपये थी, जो बजट अनुमानों का 33.2 प्रतिशत थी।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्राप्तियों की स्थिति इस प्रकार है। प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में, अप्रैल-जुलाई 1990 के दौरान 819 करोड़ रुपए का निजी आयकर संग्रह हुआ जो कि अप्रैल-जुलाई, 1989 के दौरान हुए 730 करोड़ रुपए के मुकाबले 12.1 प्रतिशत अधिक था, लेकिन

निगम कर के संग्रह अप्रैल-जुलाई 1990 के दौरान अप्रैल-जुलाई, 1989 की अपेक्षा कम रहे, वास्तव में, वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों में अधिक वापसी अदायगियों के कारण अप्रैल और मई में निवल में, संग्रह, नकारात्मक रहे, लेकिन यह अन्तिम प्रवृत्ति का सूचक नहीं है क्योंकि अग्रिम कर की पहली किस्त केवल सितम्बर माह में ही देय होती है अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में, अप्रैल-जुलाई, 1990 के दौरान सीमा-शुल्क से 6085 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह हुए जो कि अप्रैल-जुलाई, 1989 के दौरान हुए 5294 करोड़ रुपए के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक थे, अप्रैल-जुलाई, 1990 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से 7259 करोड़ रुपए के संग्रह हुए जो कि अप्रैल-जुलाई, 1989 के दौरान हुए 6592 करोड़ रुपए के मुकाबले 10.1 प्रतिशत अधिक थे। यद्यपि, पिछले वित्तीय वर्ष की समतुल्य अवधि में संग्रहों में काफी अधिक वृद्धि हुई है लेकिन अप्रैल-जुलाई, 1990 की अवधि में सीमा शुल्कों और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के संग्रह में लक्ष्य की अपेक्षा थोड़ी-सी कमी हुई है। लक्ष्य की तुलना में यह कमी सीमा शुल्कों के मामले में 1.77 प्रतिशत और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के मामले में 0.94 प्रतिशत रही।

पूंजी प्राप्तियों में, बाजार ऋण जुलाई, 1990 के अन्त तक 2002 करोड़ रुपए के थे, जो बजट अनुमानों का 25 प्रतिशत है, जबकि इसकी तुलना में ये पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1158 करोड़ रुपए के थे, जो बजट-अनुमानों का 16 प्रतिशत था। विशेष जमाओं के अन्तर्गत प्राप्तियां जुलाई के अन्त तक 1017 करोड़ रुपए थी जो बजट-अनुमानों का 14 प्रतिशत है, जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये 904 करोड़ रुपए थीं जो बजट अनुमानों का 15 प्रतिशत था। जून के अन्त तक निवल विदेशी सहायता की राशि 644 करोड़ रुपए थी जो बजट-अनुमानों का 15 प्रतिशत है जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह सहायता 790 करोड़ राशि की थी जो बजट-अनुमानों का 21 प्रतिशत था। जून 1990 के अन्त तक निवल अल्प बचत संग्रहों की राशि 929 करोड़ रुपए थी जबकि इसकी तुलना में ये संग्रह जून, 1989 के अन्त में 775 करोड़ रुपए के थे। वर्तमान सूचकों के अनुसार, तेल समन्वय समिति की जमा राशियां 1400 करोड़ रुपए थी जो अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में तेजी आने के कारण पर्याप्त प्रतीत नहीं होती है।

अभी तक उपलब्ध आंकड़े और सूचना के आधार पर, यह मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में बजट घाटा कितना होगा। तथापि, तकनीकी नोट, जिसे सदन के समक्ष रखा गया है, की मानिटरिंग करने के प्रयोजनों के लिए यह कार्य उपलब्ध सांख्यिकी पद्धतियों और अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग करते हुए 1990-91 के लिए सम्भावित परिणाम के मूल्यांकन का प्रयास है। इस बात पर बल देना आवश्यक होगा कि यह एक पूर्वानुमान नहीं है। वास्तविक परिणाम, सरकार के निर्णयों और चालू वित्तीय वर्ष के शेष आठ महीनों में हुई वास्तविक गतिविधियों पर निर्भर होगा।

निष्कर्ष रूप में, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि जब हम अब तक पिछले वर्ष की तुलना में बजट घाटे में 1500 करोड़ रुपए की कमी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं तो इस पर संतोष करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी आवश्यकताएं अधिक हैं और व्यय पर दबाव बना हुआ है। बजट घाटे को नियंत्रित करने में सफलता के लिए अतिशय राजकोषीय नीतियों की आवश्यकता होगी। हमें अपनी सीमाओं पर प्रतिकूल गतिविधियों के संघात और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण में परिवर्तनों की उलझनों को भी मानना होगा। इस स्थिति में, खर्च पर अधिकतम सम्भावित रोकथाम के अलावा हमें राजस्वों को जुटाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा।

जो हमारे कानूनों का उल्लंघन करेगा उसे प्रवर्तन मशीनरी को कठोर कार्रवाईयों का सामना करना पड़ेगा। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम इन क्षेत्रों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस कठिन कार्य में, मैं सारे सदन से सहयोग की कामना करता हूं।

सरकार के बजट घाटे का अनुवीक्षण (मानीटरिंग)

एक तकनीकी टिप्पणी

प्रस्तावना

हाल ही के वर्षों में केन्द्रीय सरकार के बजट का घाटा कुछ चिंता का विषय रहा है। लगातार और बड़ी मात्रा में घाटे से न केवल सरकार के वित्त पर बल्कि अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। अतः घाटे को नियंत्रण में रखना अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। तथापि, यदि घाटे को उचित सीमाओं में रखना है तो उसके लिए अनुवीक्षण की एक प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए ताकि जब कभी ऐसे संकेत मिलें कि सरकार के व्यय और प्राप्तियों के बीच का अन्तर वर्ष के लिये बजट अनुमानों से अधिक अथवा यदि उसके सहनीय मार्जिन से अधिक होने की सम्भावना हो तो समय पर उचित कार्रवाई की जा सके।

2. यदि वर्ष के दौरान मासिक घाटों के उतार-चढ़ाव और घटबढ़ में कोई नियमितता हो अथवा कोई स्पष्ट ज्ञेय पैटर्न हो तो वित्तीय वर्ष के दौरान बजट घाटे के अनुवीक्षण के लिए मासिक मानदंड निर्धारित करने का कार्य अपेक्षतया आसान हो सकता है। अप्रैल 1980 से आरम्भ करके पिछले दस वर्षों के दौरान प्रत्येक महीने के वास्तविक घाटे के संबंध में आंकड़े सारणी -1 में प्रस्तुत किए गए हैं। महीने की समाप्ति पर घाटे के ये आंकड़े रेखाचित्र क और ख में ग्राफ के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन ग्राफों के अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष के कतिपय महीने के दौरान घाटे में वृद्धिकारी प्रवृत्ति रही है जबकि वर्ष के अन्त में इसकी घटती हुई प्रवृत्ति रही है जिससे सरकारी व्यय और राजस्व प्रवाह में मौसमी कारकों का समावेश परिलक्षित होता है। आंशिक रूप से ऐसे मौसमी कारक संभवतः आंशिक हो सकते हैं क्योंकि सरकार की कतिपय प्राप्तियां इकट्ठी हो जाती हैं (जैसे कि लघु बचतों और बाजार ऋणों जैसे स्रोतों से पूंजीगत प्राप्तियां और अग्रिम आयकर जैसे करों की अदायगियां) जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि सरकार की कतिपय वचनबद्धताओं को आस्थगित नहीं किया जा सकता तथा सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं मौसमी होती हैं। लेकिन ऐसे कारकों का प्रभाव भी घाटे पर पड़ता है जो अपने प्रचालन में आवधिक या नियमित नहीं होते लेकिन आकस्मिक आर्थिक तथा राजनीतिक घटनाओं के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया में अभिव्यक्त होते हैं। चूंकि अनियमित कारकों के संबंध में सही-सही कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और मौसमी पैटर्न भी निश्चित नहीं होता है इसलिये सही-सही यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि वर्ष के दौरान किसी एक महीने के वास्तविक घाटे के आंकड़ों के आधार पर वर्ष के अंत में घाटा कितना होगा।

3. तथापि, निर्धारित पैटर्न द्वारा चिह्नित किए गए घाटे में घटबढ़ की सीमा के अन्दर (चाहे वे मौसमी और परस्पर वर्ष की हों, अथवा निरपेक्ष और अन्तर-वर्ष की हों) किसी वर्ष की समाप्ति पर बजट घाटे के आधार पर, अनुवीक्षण के लिए मासिक मानदंड निकालना संभव हो

वित्त मन्त्रालय, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान का, विशेष रूप से डा. ए. बागची और डा० जे० वी० एम० शर्मा का इस तकनीकी टिप्पणी को तैयार करने में सहायता के लिए और दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल के प्रो० के० एल० कृष्णा का उनके परामर्श के लिए धन्यवाद करता है।

सकता है। ये मानदण्ड एक ऐसा विचार तैयार करनें में सहायक हो सकते हैं जिससे यह पता चल सके कि क्या वर्ष के किसी एक महीने के दौरान घाटा, वर्ष के अंत के बजट घाटे के अनुरूप है और यदि नहीं तो वर्ष के शेष महीनों के लिए घाटे की संभावित मात्रा कितनी होगी।

4. किसी समयबद्ध स्थितियों में मौसमी और प्रवृत्तिजनक प्रभावों को अलग करने के लिए अनेकों सांख्यिकी तकनीकें उपलब्ध हैं जिन्हें ऐसे मासिक घाटों का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है जिनकी पिछले आंकड़ों के आधार पर वर्ष में घटित होने की सम्भावना हो सकती है। इनमें से कुछ तकनीक वर्ष के लक्षित घाटे के आधार पर किसी एक वर्ष में प्रत्येक महीने के घाटे के मानदण्डों का अनुमान लगाने में भी सहायक है। इन मानदण्डों को यह मानिटर करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है कि क्या किसी एक महीने का वास्तविक घाटा बजट अनुमानों के अनुरूप है। इन्हीं तकनीकों का उपयोग, किसी खास महीने के घाटे सम्बन्धी आंकड़ों से, वर्ष के शेष महीनों के लिए घाटे के सम्भावित स्तर का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी किया जा सकता है।

5. तथापि अन्य आर्थिक लक्षणों के विपरीत बजट घाटा एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह और एक माह से दूसरे माह में अलग-अलग रहता है क्योंकि वर्ष में राजस्व और व्यय सम्बन्धी धनराशियों का वितरण असमान रूप से होता है। ऐसा आंशिक रूप से स्थापित पद्धतियों के कारण अथवा आकस्मिक घटनाओं के कारण तथा आंशिक रूप से सरकार द्वारा लिये गये विवेकशील निर्णयों के कारण होता है। इससे घाटों का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय तरीकों के तौर पर कुछ प्रतिबन्ध लगता है। इसके अलावा शेष वित्तीय वर्ष के दौरान घाटे की सम्भावित प्रवृत्ति को मानीटर करने की दृष्टि से मौसमी और सापेक्ष कारकों को ध्यान में रखते हुए कुछ मानक तैयार करना लाभदायक होगा ताकि एक ऐसा निर्णय लिया जा सके, चाहे वह त्रुटिपूर्ण हो, कि क्या ये लक्ष्य वर्ष के अन्त का लक्ष्य प्राप्त करने वाले मानदंड से बहुत ही अलग हैं। इसलिए 1980-81 से 1989-90 की अवधि के लिए माह के अंत में बजट घाटों से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करके उनकी पूर्वानुमान के सम्बन्ध में योग्यता के लिए वैकल्पिक सांख्यिकीय तरीकों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। यहां जो विचार-विमर्श किया जा रहा है उसमें उन प्रमुख तरीकों का वर्णन किया गया है जिन पर विचार किया गया था तथा उनकी सापेक्ष शक्तियों और कमजोरियों का भी मूल्यांकन किया गया है।

II पूर्वानुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय तरीके

6. समय-शृंखला के उतार चढ़ावों में, विशेषकर अस्थिर आर्थिक स्थिति के लिए, चार घटक शामिल होते हैं, अर्थात् सापेक्ष, चक्रीय मौसमी और आकस्मिक घट-बढ़। पूर्वानुमान लगाने के प्रयोजनार्थ इन घटकों की पहचान करना और एक समय-शृंखला की घट-बढ़ पर समय शृंखला की घट-बढ़ पर उनके प्रभाव को विच्छिन्न करना आवश्यक है। समय-शृंखला की घट-बढ़ में विभिन्न घटकों के योगदान का अनुमान लगाने के लिए अनेक प्रतिमान प्रयोग में लाये जाते हैं। इन प्रतिमानों को मोटे तौर पर एकल और बहुपक्षीय प्रतिमानों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बहुपक्षीय प्रतिमानों में बाह्य कारकों को छोड़ दिया जाता है और मात्र पिछली घट-बढ़ के रूप में परिवर्त्य के वर्तमान मूल्य का निर्धारण किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रतिमान है जिनसे पिछले समय के संदर्भ में घट-बढ़ अपघटित हो जाती है और ऐसे प्रतिमान भी हैं जो घटकों का भविष्य में नुमान लगाने में भी सहायक होते हैं।

सारणी-1

बजट घाटा

मास के अन्त में वार्षिक आकड़े : 1980-81 से 1989-90 (करोड़ रुपए)

मास के अन्त में	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अप्रैल	622	12	726	—	1914	2092	3251	4204	3754	4628
मई	635	855	418	1671	2854	2782	4997	4662	4655	6777
जून	16682	2315	604	3499	4019	5610	7132	6239	7998	9852
जुलाई	1040	1209	1269	2904	3921	4123	6017	5536	8360	11390
अगस्त	894	1189	5444	3115	4372	5140	6406	6528	8175	12403
सितम्बर	1653	1051	5385	2613	4473	5665	5669	7694	8410	12431
अक्तूबर	882	716	5151	2686	3746	6622	7104	5909	9437	11151
नवम्बर	1569	915	5983	3066	4636	8069	7529	7386	9430	13082
दिसम्बर	1530	90	4469	1569	4049	5814	8494	6704	8644	11789
जनवरी	1872	208	4772	2467	4071	7837	8938	8128	8883	14504
फरवरी	1726	710	4778	2343	4866	7988	11432	8445	9187	13908
मार्च	2576	1392	1656	1416	3745	5315	8261	5816	5642	11466
बजट										
अनुमान	1445	1539	1375	1586	1773	3316	3703	5688	7484	7337
संशोधित अनुमान	1975	1700	1935	1695	3985	4490	8285	6080	7940	11750

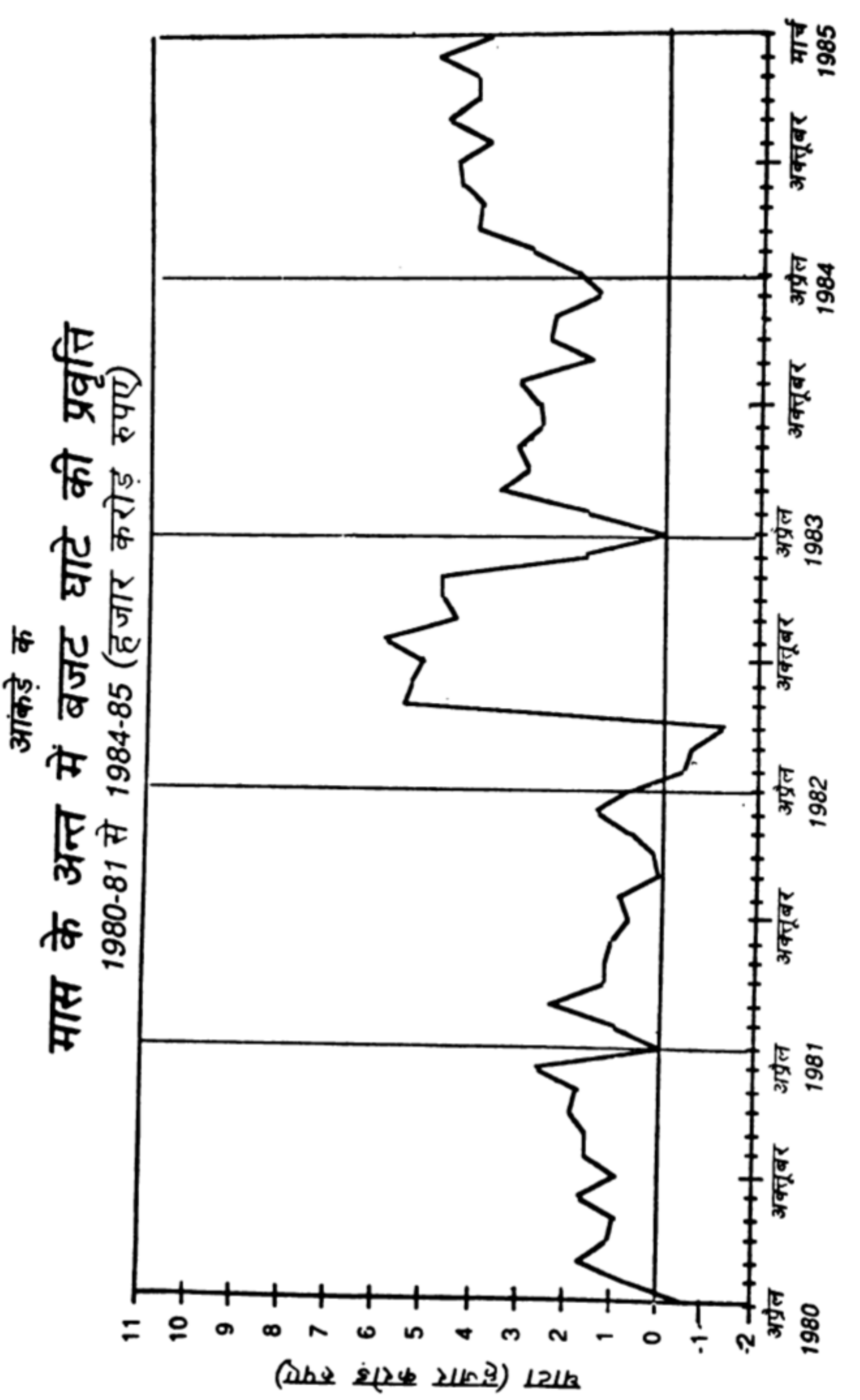
आंकड़े क
मास के अन्त में बजट घाटे की प्रवृत्ति
1980-81 से 1984-85 (हजार करोड़ रुपए)
मात्रा (हजार करोड़ रुपए)
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
अप्रैल 1980
अक्तूबर
अप्रैल 1981
अक्तूबर
अप्रैल 1982
अक्तूबर
अप्रैल 1983
अक्तूबर
अप्रैल 1984
अक्तूबर
मार्च 1985

आंकड़े ख

मास के अन्त में बजट घाटे की प्रवृत्ति

1980-81 से 1984-85 (हजार करोड़ रुपए)

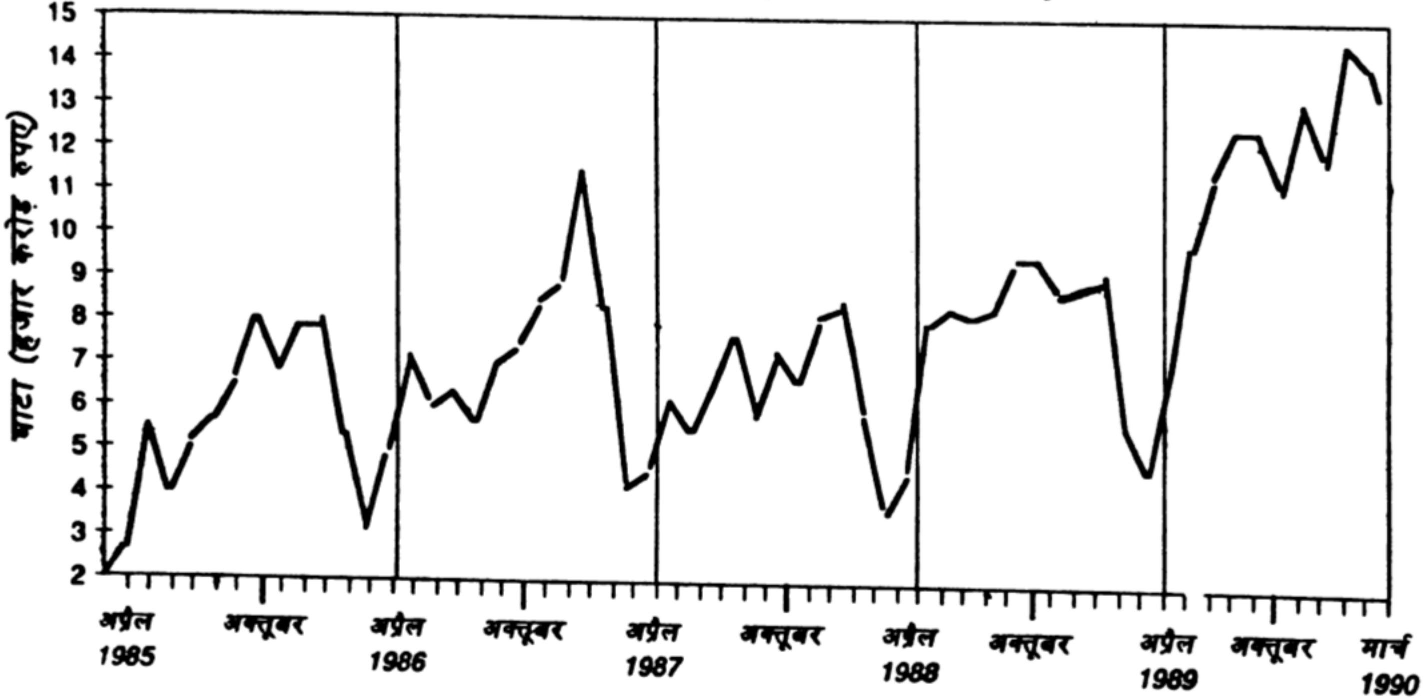

7. इस भाग में यथा सम्भव सरल तरीके से ऐमी पांच सांख्यिकीय प्रणालियों की व्याख्या और मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया गया है जिनका बजट घाटे का पूर्वानुमान लगाने के लिये उपयोग किया जा सकता है। औसत सापेक्ष, मासिक प्रवृत्ति समीकरण, संयोज्य सापेक्ष, बहु समाश्रय विश्लेषण और बोक्स जैंकिस प्रणालियां। इस टिप्पणी के अगले भाग में इन कार्यप्रणालियों को वर्गीकृत किया गया है और इनकी पूर्वानुमान लगाने की क्षमता का परीक्षण किया गया है। इस अभ्यास का अनुमत आधार 1980-81 से 1989-90 की अवधि के दौरान महीने के अन्त में बजट घाटे से सम्बन्धित साक्ष्य द्वारा उपलब्ध होता है जो सारणी 1 में दिया गया है। इसका उद्देश्य 1980-81 1988-89 तक की अवधि में हुये वास्तविक बजटीय घाटे से सम्बन्धित मासिक आंकड़ों के आधार पर 1989-90 के लिए मास के अन्त और वर्ष के अन्त में बजट घाटे का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपलब्ध सांख्यिकीय प्रणालियों का उपयोग करना है, और फिर इन अनुमानों की 1989-90 के लिये वास्तविक आंकड़ों के साथ तुलना की गई है।

औसत सापेक्षों की प्रणाली :

8. इस प्रणाली के अन्तर्गत 1980-81 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिये मासान्त बजट घाटे को सम्बन्धित वर्ष के अन्त में आंकड़ों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। दूसरे, नौ वर्षों के किसी विशेष माह के लिये प्रतिशतता को औसत में परिवर्तित कर दिया गया है और किसी महीने के औसत प्रतिशत को किसी दिये गये वर्ष के दौरान मासिक घाटे की पद्धति को दर्शाने वाला माना जाता है, इस मामले में यह वर्ष 1989-90 है। इस प्रणाली की एक गंभीर त्रुटि यह है कि इसमें मासिक घाटे की बदलती हुई पद्धति को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इससे किसी खास महीने के बजट में केवल मौसमी कारकों को अपघटित करने में मदद मिल सकती है। किसी अन्य संक्षिप्त उपाय की तरह एक औसत आंकड़ा प्रकट करने की तुलना में अधिक छुपाता है और इस प्रकार इसका प्रयोग पूर्वानुमान के लिए नहीं किया जा सकता।

मासिक प्रवृत्ति समाश्रयण की विधि :

9. इस विधि के अंतर्गत, 1980-81 से 1988-89 के वर्षों के दौरान प्रत्येक महीने के लिये 9 अवलोकनों के आधार पर प्रत्येक 12 महीनों के लिये अर्ध-लोग अधिमिक समय-प्रवृत्ति निम्नलिखित रूप में अलग-अलग बैठाई जाती है।

(डी) में = $\propto + \beta$ टी

जब डी — किसी विशेष महीने के लिये मास के अन्त में घाटा

टी — समय की कीमत 1980-81 के लिये 1, 1981-82 के लिये दो हो और इसी प्रकार आगे हो

ईएन = प्राकृतिक लोगरिथम्स

तब, मासिक पूर्वानुमान समय प्रवृत्ति के आधार पर लगाए जाते हैं। औसत सापेक्ष की विधि के विपरीत इस विधि में मौसमी तत्वों में परिवर्तन को शामिल किया जाता है और इसमें यादृच्छिक

घटकों को भी हिसाब में लिया जा सकता है। परन्तु यह मासिक अन्तर-संबंधों को प्रकट करने में असमर्थ है और इस संभावना को कोई मान्यता नहीं देता कि किसी महीने के बजट घाटे का स्तर पूर्ववर्ती महीने के स्तरों पर भी निर्भर कर सकता है।

संबद्ध सापेक्ष की विधि :

10. इस विधि द्वारा शुरू में दिए गए वर्ष का अप्रैल के अंत में बजट घाटा तदनुरूप वर्ष के लिए बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और बाद के महीनों (मई से मार्च तक) का बजट घाटा पूर्ववर्ती महीनों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। विभिन्न महीनों के लिए प्रतिशतताओं को संबद्ध सापेक्ष कहा जाता है। तब 9 वर्षों के दौरान किसी विशेष महीने के लिए संबद्ध सापेक्षों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और मध्य मूल्य माध्यिका को मास के लिए सबद्ध सापेक्ष के प्रतिरूपी अथवा प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है। आगामी मासों के लिए शृंखला सापेक्षों का अनुमान लगाने के लिए माध्यिका संबद्ध सापेक्षों को संचयी रूप से गुणा किया जाता है। मौसमी सूचकांक प्राप्त करने के लिए इन शृंखला सापेक्षों को मार्च अंत के आंकड़ों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह अनिवार्य रूप से एक नियोजित विधि है लेकिन यदि एक निश्चित बजट घाटा दिया जाता है तो इसका प्रयोग मासिक स्तरों के लिए 'मानदंड' तैयार करने के लिए किया जाता है। इस विधि की एक गम्भीर सीमा यह है कि इससे यादृच्छिक घटकों का पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, दिए गए महीने के घाटे के आधार पर भावी महीनों के घाटों का पूर्वानुमान लगाना उपयोगी नहीं होगा।

गुणक समाश्रयण विश्लेषण :

11. मासिक घाटों के चक्र को पाने के उद्देश्य से निम्नलिखित रूप की एक समाश्रयण समीकरण 1980-81 से 1988-89 तक की अवधि के लिए बैठाई गई है।

डी एम =ए+बी1 एन+बी2 आईएन (एम)+बी 3 बी ई

जहां डी एम = एक वर्ष में एम मास के मासान्त में वास्तविक घाटा है।

एम = अप्रैल, मई ...मार्च के महीनों के लिए महीनों का मूल्य क्रमशः 1,2,....12 है।

आईएन (इन) = स्वाभाविक लोगरिथम

बी ई. = तदनुरूप वर्ष के लिए बजट अनुमान

इस समीकरण में दीर्घकालिक, चक्रीय और मौसमी घटकों को ध्यान में रखा गया है। यदि बजट अनुमान दिए हों तो इस माडल का प्रयोग करके मासिक घाटों का बड़ी आसानी से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इस विधि की कमी यह है कि बजट घाटे में केवल अन्तरा-वर्ष की घटबढ़ को हिसाब में लेती है और मासान्त घाटों की अन्तरा-वर्ष घटबढ़ को हिसाब में नहीं लेती।

बाक्स जेनकिंस मॉडल :

12. बाक्स-जेनकिंस विधि उपर्युक्त विधियों की बहुत-सी कमियों को दूर करती है। बाक्स-जेनकिंस माडलों का सामान्य रूप बजट घाटे में अन्तरा वर्ष और अन्तरा-वर्ष घाटे का पता

लगाने में मदद देता है और इसके साथ-साथ यादृच्छिक घटकों को हटाने में मदद देता है। बीम्जे माडल का सामान्य रूप नीचे दिया गया है।

13. यदि एस ई. पी. अवधियों की अवधि के साथ मौसमी समय शृंखला है तो मौसमी आटो-समाश्रयण एकीकृत चल औसत (ए.आर.आई.एम.ए.) है।

$$\text{ए (एल) ए}_{\text{पी}}\text{ (एल पी) } (1\text{—एल पी})^{\text{डी}} (1-\text{एल पी})^{\text{डी}} \text{ एक्स टी}=\text{ए}+\text{बी (एल}$$

$$\text{बी}_{\text{पी}} \text{ (एल पी) ई}_{\text{टी}} \quad (1)$$

पी(एल पी)ई टी(1)

जिसमें एल एक लेग आवरेटर है, ए एक स्थिरांक है, ए, ए $_{\text{पी}}$, बी और बी$_{\text{पी}}$ लेग आपरेटर में संबद्ध पोलीनोमियल है, डी और डी एकीकरण की डिग्री और ई स्टोकास्टिक है। अनुमान लगाने की प्रक्रिया में एकीकरण की उपयुक्त डिग्री का पता लगाने के साथ-साथ चार पोली नोमियल के रूप और अधिकतम सभावित विधि जैसे इकनोमीट्रिक विधियों द्वारा पैरामीटर के मूल्यों को हल करना शामिल है। पूर्वानुमान के प्रयोजनों को लिए समीकरण में रूपान्तर करने की आवश्यकता है और आटो-समाश्रयण और चल औसत लेग को मिलाना होगा। जिससे परिवर्ती की मौजूदा अवधि का मूल्य इसके पिछले मूल्य के भारांशित लिनियर संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

III प्रयोगाश्रित परिणाम

14. पांच वैकल्पिक सांख्यिकीय विधियों, जिनकी पूर्ववर्ती भाग में व्याख्या की गई है, 1980-81 से 1988-89 के वर्षों के दौरान मास के अंत में वास्तविक घाटों के आधार पर अंशांकित की गई हैं। इन विधियों का सापेक्षिक कार्य-निष्पादन वर्ष 1989-90 के लिए महीने के अंत में घाटे के अनुमान और वर्ष के दौरान महीने के अंत में घाटे के अनुमान और वर्ष के दौरान महीने के अंत में वास्तविक घाटे के अनुमानों के साथ तुलना करके आंका जाता है। परिणाम सारणी 2 में दिये गये हैं।

औसत सापेक्षों की विधि :

15. इस प्रणाली द्वारा प्राप्त वर्ष 1989-90 के लिए मासांत घाटे के अनुमान सारणी-2 के कालम 6 में दिए गए हैं। इस प्रणाली में 1989-90 के लिये मासांत घाटा मानकों को इस प्रकार अभिकलित करके प्राप्त किया जाता है जिसके कि वर्षान्त अनुमान 7,337 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के समानुरूप रहे। यद्यपि वास्तविक घाटा 7,337 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों से बहुत अधिक रहा। फिर भी इस प्रणाली द्वारा वास्तविक और अनुमानित मासिक घाटे के बीच आर-2 का मूल्य 0.87 प्रतिशत है और यह महत्वपूर्ण है।

सारणी 2

वर्ष 1989-90 के संबंध में वैकल्पिक प्रणालियों द्वारा मास के अंत में अनुमानित घाटा

(करोड़ रुपए)

मास	वास्तविक घाटा	प्रवृत्ति विधि	बाक्स जेनकिंस	बहुविध परावर्तन	औसत अनुपात	लिंक रिलेटिव
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल	4628	8778	3914	5717	2344	5031
मई	6777	17158	4733	7193	4384	5579
जून	9852	23685	6719	7952	8070	9586
जुलाई	11390	26172	5966	8417	6148	8087
अगस्त	12403	12778	6472	8721	9921	8610
सितम्बर	12431	11982	6704	8923	9990	8809
अक्तूबर	11151	15011	6821	9055	9505	8426
नवम्बर	13082	14871	7513	9135	11127	10627
दिसम्बर	11789	18873	7389	9176	8594	8967
जनवरी	14504	18441	8134	9186	9877	10314

1	2	3	4	5	6	7
फरवरी	13908	1[illegible]741	9221	9171	10587	10667
मार्च	11466	8920	6151	9145	7337	7[illegible]37
वास्तविक आंकड़े और अनुमानित कीमतों के बीच आर-वर्ग	1.00	0.05	0.85	0.88	0.83	0.80

टिप्पणी : कालम (6) और (7) में दर्शाया गया अनुमानित घाटा न तो कालम (2) में दर्शाये गये वास्तविक घाटे और न ही कालम (3) से (5) में दर्शाई गई अन्य प्रणालियों से प्राप्त किये गये अनुमानों से पूर्णतया तुलनीय है, क्योंकि ये मार्च के अन्त में मूल्य को बताने वाले अंसशोधित मानकों पर आधारित हैं, जो बजट अनुमानों के अनुरूप होते हैं, जबकि अन्य प्रणालियों से पूर्वानुमान या अनुमान प्राप्त होते हैं, अतः तदनुरूप आर-वर्ग मूल्य भी पूर्णतया तुलनीय नहीं है ।]

मासिक प्रवृत्ति समीकरण प्रणाली :

16. 12 महीनों की स्थिर घटकीय प्रवृत्तियों के लिए अनुमानित पैरामीटर (अल्फा और बीटा) परिशिष्ट की सारणी ए-1 में दिए गए हैं। वर्ष 1989-90 के लिये इन समीकरणों के आधार पर मासांत घाटे के अनुमान सारणी-2 के कालम 3 में दिए गए हैं। अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच आर^2 के मूल्य से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि अधिकांश स्थिर समीकरण महत्वपूर्ण नहीं है और फलस्वरूप इस प्रणाली से ठीक अनुमान प्राप्त नहीं होते।

संयोजन अनुपात प्रणाली :

17. वर्ष 1989-90 के लिये इस प्रणाली द्वारा प्राप्त मासांत घाटे के अनुमान सारणी-2 के कालम 7 में दिये गये हैं, इस प्रणाली में औसत अनुपात की तरह, वर्ष 1989-90 के लिये मासांत घाटे का अनुमान मानकों को अभिकलित करके प्राप्त किए गए हैं जिससे कि वर्षांत घाटे के अनुमान 7,337 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के बराबर रहे; इस प्रकार इस प्रणाली से अनुमानों की अपेक्षा मानक प्राप्त होते है लेकिन वास्तविक आंकड़े और मासांत घाटे के अनुमान के बीच महत्वपूर्ण सहसंबंध है और आर^2 0.80 है।

गुणक परावर्तन विश्लेषण :

18. वर्ष 1980-81 से वर्ष 1988-89 के लिए मासांत घाटे के आधार पर स्थिर समीकरण निम्नलिखित हैं :—

मासिक घाटा	= —1267.62 (1.75)	— 252.75 माह (1.68)
	+2494.68 (माह) में (3.48)	+ 1.00 बजट अनुमान (12.35) आर^2 = 0.65

समीकरण से बजट घाटे में 65 प्रतिशत अन्तरावर्ष भिन्नताओं का स्पष्ट पता चलता है। वर्ष 1989-90 के लिये मासान्त घाटे का अनुमान सारणी-2 के कालम 5 में दिये गये हैं। वास्तविक और अनुमानित मासिक घाटे के बीच आर^2 0.88 है।

बाक्स जेनकिन्स प्रतिमान :

19. समीकरण 1 में दिए गए अरीमा (ए.आर.आई.एम.ए.) के अनेक विकल्पों का प्रयोग किया गया और प्राप्त उत्तम अरीमा प्रतिमान यह है :—

$$(1+0.24 \text{ एल}) (1+0.72 \text{ एल}^{12} +0.35 \text{ एल}^{24}) (1\text{-एल}^{12}) \text{ एक्स टी} - \text{ई}_{\text{टी}} \quad (2)$$

उपर्युक्त अनुमानित समीकरण प्रतिमान से एक वार्षिक सामान्य प्रणाली का पता चलता है जिसमें सापेक्ष प्रवृत्ति और मौसमी संघटक इससे बारह महीनों की विभेदीय शृंखलाओं में मोटे तौर पर 53 प्रतिशत कुल भिन्नता का पता चलता है। [एक्स टी-एक्स (टी-12)] जो दो वार्षिक अंतराल और एक वार्षिक अन्तराल के रूप में विकसित किये गये हैं। शेष भिन्नता बजट घाटे को

प्रभावित करने वाले आर्थिक उपादानों के कारण है। अथवा पूरी तरह (विक्षुब्धकारी) उपद्रवों के कारण हैं। बी० जे० प्रतिमान की अनुभूत के अभ्यास से सांख्यिकीय ब्योरे परिशिष्ट सारणी ए-3 में दिये गये हैं। 1985-86 से 1988-89 की अवधि के दौरान मासांत बजट घाटे के पूर्वानुमान के अंतिम परिणाम, वास्तविक मासांत घाटे से तुलना करते हुये, परिशिष्ट सारणी ए-3 में दिये गये हैं, ये अनुमान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के अन्त में वास्तविक आंकड़ों पर आधारित हैं।

20. सरल समीकरण (2), से चालू महीने का बजट घाटा एक्स टी प्राप्त होता है, जैसे :

$$\text{एक्स टी} = 0.24 \ \text{एक्स}_{\text{टी-1}} + (0.27 \ \text{एक्स}_{\text{टी-12}} + 0.07 \ \text{एक्स}_{\text{टी-13}}$$
$$+ (0.38 \ \text{एक्स}_{\text{टी-24}} + 0.09 \ \text{एक्स}_{\text{टी-25}})$$
$$+ (0.35 \ \text{एक्स}_{\text{टी-36}} + 0.08 \ \text{एक्स}_{\text{टी-37}}) \quad (3)$$

समीकरण 3 से एक ऐसी समवृद्धि प्रक्रिया का पता चलता है जिसमें चालू महीने के बजट घाटे का पिछले तीन वर्षों के तदनुरूपी महीनों भारित घट-बढ़ औसत के रूप में निर्धारण होता है, जिसे मासिक मौसमी प्रभाव के अनुरूप समायोजित कर दिया गया है। इस प्रकार जून 1989 के महीने में घाटे को अनुमानतः निम्नलिखित राशि के रूप में आंका जा सकता है :

(क) मई, 1989 में विद्यमान के संबंध में 24 प्रतिशत (ऋणात्मक चिन्ह के सम्बन्ध में ऋणात्मक घट-बढ़) का पता चलता है;

(ख) जून 1988 का 27 प्रतिशत और इसके पूर्ववर्ती मई 1988 महीने का 7 प्रतिशत;

(ग) जून 1987 का 38 प्रतिशत और इसके पूर्ववर्ती महीने मई 1987 का 9 प्रतिशत; और

(घ) जून 1986 का 35 प्रतिशत और इसके पूर्ववर्ती महीने मई 1986 का 8 प्रतिशत। वर्ष 1989-90 के लिये अनुमानित घाटा सारणी-2 के कालम 4 में दर्शाया गया है। वास्तविक आंकड़ों और मासांत अनुमानित बजट घाटे के बीच आर-20.85 है।

21. यह उल्लेखनीय है कि पूर्वानुमान लगाने के लिये सांख्यिकीय प्रणाली के रूप में, बाक्स जेनकीन्स प्रतिमान सभी अन्य प्रणालियों की अपेक्षा अच्छी है क्योंकि इसमें मासान्त बजट घाटे में अन्तरावर्ष और अन्तः वर्ष दोनों ही भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रतिमान से किसी दिये गये वर्ष में हमें मासान्त घाटे में घटबढ़ के आधार पर वर्षान्त घाटे का पूर्वानुमान लगाने में भी सहायता मिलती है। इससे बजट अनुमानों अथवा किसी विशिष्ट शृंखला के भीतर शेष वास्तविक घाटे की सम्भाव्यता का भी अनुमान लगाया जा सकता है।

IV एक मूल्यांकन

22. वैकल्पिक सांख्यिकीय प्रणालियों और पिछले आंकड़ों के सम्बन्ध में प्रयोग पर पूर्व विचार-विमर्श से यह पता चलता है कि किसी भी प्रणाली से किसी निश्चित रूप से पिछले आंकड़ों के आधार पर वर्षान्त घाटे का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। कुछ वर्षों में अथवा विशेष महीनों

में वास्तविक घाटा अनुमानित घाटे के बराबर हो सकता है, लेकिन अन्य वर्षों में अथवा विशेष महीनों में वास्तविक घाटा अनुमानित घाटे से काफी भिन्न हो सकता है। तथापि, अंतरावर्ष भिन्नताओं के रूप में पिछले दस वर्षों की मौसमी पद्धति (पैटर्न) का मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है। मासान्त बजट घाटे में वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में निरन्तर वृद्धि होती रहती है, कभी-कभी अनुवर्ती 3 अथवा 4 महीनों के दौरान यह शीर्ष स्तर पर पहुंच जाती है और फिर यह वित्त वर्ष के अन्त में कम होकर निम्न स्तर पर आ जाती है।

23. पिछले खण्डों में किये गये विचार-विमर्श से यह भी स्पष्ट है कि उपलब्ध कार्य-प्रणालियों में बाक्स-जेनकिन्स प्रतिमान उत्तम है। इसलिये वित्त वर्ष के दौरान बजट घाटे को मानिटर करने के प्रयोजन से बाक्स जेनकिन्स प्रणाली को, हमारे संभावित परिणाम के मूल्यांकन में एक निविष्टि के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव है। लेकिन यह एक पूर्णतया सांख्यिकीय अभ्यास है, और इसके लिये हाल ही में सरकार द्वारा लिये गये वास्तविक निर्णयों से संबंधित सूचना और राजस्व तथा व्यय प्रवाह पर उनके प्रभाव के मूल्यांकन द्वारा इसकी अनुपूर्ति आवश्यक है।

24. वर्ष के अंत में संभावित परिणाम का मूल्यांकन करने के प्रयत्न में सांख्यिकीय अभ्यास का सापेक्ष महत्व और कोई गुणात्मक जायजा अपरिहार्य रूप से आधारभूत वास्तविकता अथवा वास्तविक स्थिति के आधार पर परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिये किसी सूखा-वर्ष में, जब सरकारी खर्च की राशि में अप्रत्याशित रूप से काफी वृद्धि हो जाती है तब किसी सांख्यिकीय प्रणाली की पूर्वानुमान लगाने की शक्ति दुर्बल होगी। दूसरी ओर, एक सामान्य वर्ष में जब व्यय अथवा राजस्व में असम्भावित ज्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं और उत्पादन अथवा आय में वृद्धि पिछली प्रवृत्तियों के अनुरूप होती है, तब सांख्यिकीय प्रणालियों से प्राप्त अनुमानों पर अधिक निर्भर रहना संभव हो सकता है।

25. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, जुलाई, 1990 के अन्त में वास्तविक बजट घाटे से संबंधित नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करके 1990-91 के लिए संभावित परिव्यय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। जुलाई के अन्त में 1990 में केन्द्रीय सरकार का बजट घाटा 9926 करोड़ रुपए था जो 1989 में 11390 करोड़ रुपए की तदनुरूप राशि की तुलना में लगभग 1500 करोड़ रुपए कम था। बाक्स जेनकिन्स प्रणाली के उपयोग से मार्च 1991 में वर्ष के अन्त का घाटा 8931 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा सकता है। जुलाई 1989 के अन्त के आंकड़ों के आधार पर, बाक्स जेनकिन्स प्रणाली से यह अनुमान लगेगा कि वर्ष के अन्त का घाटा मार्च, 1990 के अन्त में 11576 करोड़ रुपए रहेगा। लेकिन पिछले वित्त वर्ष के अन्त में घाटा मार्च के अन्त में आंकड़ों के अनुसार 11466 करोड़ रुपए रहा, संशोधित अनुमान 11750 करोड़ रुपए का था, जबकि नवीनतम उपलब्ध अनन्तिम वास्तविक राशि 10625 करोड़ रुपए है। इस बात पर बल देने की जरूरत नहीं है कि अनुमान, सरकारी निर्णयों अथवा अन्य परिवर्तनों और उपायों की वजह से, जो अनुमान संबंधी सांख्यिकीय प्रणालियों के अन्तर्गत नहीं आते हैं वास्तविकों से भिन्न होते हैं।

26. एक निश्चित मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए सांख्यिकीय प्रयोग के परिणामों को सरकार के निर्णयों के गुणात्मक मूल्यांकन अथवा हाल के महीनों में वास्तविक घटनाचक्रों से संबद्ध करना जरूरी है। अप्रैल-जुलाई, 1990 की अवधि के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारक सुसंगत है और उन पर विचार करने की जरूरत होगी। व्यय और प्राप्तियों की मानिटरिंग करने के प्रभावी तन्त्र की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सभी मंत्रालयों और विभागों में मासिक बजट-प्रणाली की शुरुआत की गई है। जून, 1990 तक के उपलब्ध लेखा-आंकड़ों से यह पता चलता है कि केवल एक या दो मामलों को छोड़कर सभी मंत्रालयों का व्यय मासिक व्यय-लक्ष्यों के अन्तर्गत ही था। कठोर व्यय-नियंत्रण के परिणाम स्वरूप, अनेक वर्षों में पहली बार, संसद में प्रस्तुत की गई पूरक मांगों के पहले बैच में कोई नकद व्यय समाहित नहीं है। राजस्व के संबंध में, यद्यपि पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में संग्रहों की तुलना में काफी अच्छी वृद्धि हुई है, फिर भी लक्ष्य के मुकाबले अप्रैल-जुलाई 1980 की अवधि के दौरान सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संग्रहों में कुछ कमी रही है। यह कमी, सीमा शुल्कों के मामले में लक्ष्य से 1.77 प्रतिशत और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में 0.94 प्रतिशत है, परन्तु चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों के दौरान इसकी पूर्ति हो जाने की सम्भावना है। पूंजी-प्राप्तियों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होने के कारण तेल समन्वय समिति की जमा राशियां 1400 करोड़ रुपए के बजट के लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए।

27. यह मानते हुए कि शेष वित्त वर्ष सामान्य रहेगा सांख्यिकीय अभ्यास और गुणात्मक मूल्यांकन (अब तक उपलब्ध सूचना के आधार पर) को मिलाकर ऐसा पता चलता है कि वर्ष के अन्त में बजट घाटा संभवत: 7900-8500 करोड़ रुपए के बीच रहेगा। इस बात पर बल देने की जरूरत है कि यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में कुछ सफलता प्राप्त कर ली गई है, फिर भी चालू वर्ष की शेष अवधि में काफी कुछ किया जाना बाकी है। इसका अर्थ है कि स्थिति को ठीक करने और व्यय तथा प्राप्तियों के बीच के अन्तर को कम करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयत्न किया जाना चाहिए।

28. इस बात पर एक बार फिर बल दिया जाना चाहिए कि सांख्यिकीय मूल्यांकन इस अभिधारणा पर आधारित है कि वित्त वर्ष में बजट-घाटे की घटबढ़ में कुछ स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रवृत्तियां अथवा नियमितताएं है। जैसा कि आरंभ में उल्लेख किया गया है, हालांकि ऐसे कारक हैं जिनसे कुछ मौसमीपन अथवा प्रवृत्ति का पता चलता है, फिर भी अन्य कारकों का एक समूह है जो किसी एक खास समय पर सरकार के घाटे को प्रभावित करता है। इनका पहले से ही पूर्वानुमान नहीं लग सकता। इसके अलावा, बजट घाटे का पूर्वानुमान लगाने के लिए यह आवश्यक है कि न केवल घाटे की पिछली प्रवृत्तियों को ही ध्यान में रखा जाए बल्कि ऐसे सभी संबंधित आर्थिक परिवर्त्यों के प्रभाव को ध्यान में रखना आवश्यक है जिनका घाटे के स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पूर्वानुमान लगाने की तकनीकों में जो भी प्रगति हुई है उससे अभी तक ऐसी कोई कार्य प्रणाली उपलब्ध नहीं हुई है जिससे बजट-घाटे जैसे आर्थिक परिवर्त्यों की प्रवृत्ति का कोई विश्वस्त रूप से अनुमान लगाया जा सके और अधिक निश्चत आधार पर बजट-घाटे को मानीटर करने की कार्य प्रणाली में सुधार के संबंध में टिप्पणियों और सुझावों का सरकार द्वारा स्वागत किया जाएगा।

परिशिष्ट : सारणी क. 1

मासिक घाटे की अर्ध-लघुगणकीय प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में अनुमानित परावर्तन गुणांक :

लग (डेफ) = अल्फा + बीटा. वर्ष

मास	अल्फा	बीटा	आर-वर्ग
1	2	3	4
अप्रैल	4.12	1.32	0.69
मई	2.69	0.71	0.17
जून	3.36	0.67	0.14
जुलाई	2.68	0.75	0.16
अगस्त	6.99	0.25	0.75
सितम्बर	7.17	0.22	0.73
अक्तूबर	6.72	0.29	0.74
नवम्बर	7.13	0.25	0.70
दिसम्बर	6.08	0.38	0.50
जनवरी	6.54	0.33	0.55
फरवरी	6.94	0.28	0.71
मार्च	7.10	0.20	0.65

परिशिष्ट 7: सारणी क 2

मास के अन्त में घाटे के वायस-वेनकिन्स अनुमानों की वास्तविक आंकड़ों से तुलना : 1985-86 से 1988-89

(करोड़ रुपए)

मास के अंत में	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89	
	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	2092	2092	3251	3251	4204	4204	3754	3754
मई	2782	2684	4997	4295	4662	5142	4655	4666
जून	5610	3493	7132	5851	6239	7073	7998	6877
जुलाई	4123	3006	6017	5169	5536	6086	8360	5764
अगस्त	5140	5240	6406	5721	6528	6754	8175	6521
सितम्बर	5665	5048	5669	5765	7694	6778	8410	6724
अक्तूबर	6622	4793	7104	5775	5909	7372	9437	7065
नवम्बर	8069	5459	7529	6677	7363	8351	9430	8100
दिसम्बर	6814	4226	8494	5620	6704	7951	8644	7921
जनवरी	7837	4687	8938	6200	8128	8503	8883	8827
फरवरी	7988	4873	11432	6529	8445	9539	9187	9977
मार्च	5315	3231	82[illegible]1	5008	5816	7184	5642	7115

टिप्पणी : वर्ष के संबंध में अनुमान, प्रत्येक वर्ष में अप्रैल के अंत में संगणित वास्तविक आंकड़ों पर आधारित हैं।

परिशिष्ट : सारणी क्र.3

बाक्स जेनकिन्स प्रतिमान अनुमान के ब्यौरे

शृंखला के स्वत: सह संबंध 1 बी. डी. प्रसरण 21385 ई + 07

अवलोकनों की संख्या 07

80 : 5 से 89 : 3 तक

1.	248993	052463	083734	037161	063867	073438
7.	018780	68681	010725	071670	213910	415068
13.	221407	084573	041046	109602	120271	050850
19.	028348	104780	067243	000515	191137	375936
25.	167563	033338	054758	157147	092630	088074
31.	020737	079016	072846	023240	148276	319645
37.	087230	001435	046788	136936		

पहली मौसमी फिल्टरिंग

शृंखला के स्वत: सह संबंध 7 बी. डी एफ. प्रसरण 23420 ई +07

अवलोकनों की संख्या 96

81 : 4 से 89 : 3 तक

1.	092003	088188	254756	091362	005838	018218
7.	107885	16 270	183190	116114	092462	500302
13.	070098	080222	140615	014106	028981	026362
19.	034935	155682	052705	077551	059008	038751

25.	036189	076285	008708	051856	044481	46953
31.	056402	0110605	017674	025147	039213	093740
37.	012627	003019	047059	011512		

शृंखला के आंशिक स्वत: सह संबंध 7 बी. डी. एफ.

अवलोकन की संख्या 96

81 : 4 से 89 : 3 तक

1.	092003	097478	277594	024423	039999	045786
7.	091869	227479	124373	067135	070373	443304
13.	148335	012739	129898	021168	058581	070895
19.	043963	007590	121666	075912	084193	232985
25.	030764	045294	018974	051388	050241	029512
31.	013132	066305	043669	043229	010337	003780
37.	041061	0601694	008151	114097		

पुनरुक्ति पर अभिसरण 7

सहायक परिवर्तनशील 7 बी. डी. एफ.

83 : 5 से 89 : 3 तक

कुल अवलोकन 71 छूट गये/गायब 0

उपयोग करने योग्य अवलोकन 71 छूट की मात्रा 68

आर डबल स्पेश 2 054706352 आरबीएआर डबल स्पेश 2 53374186

एसएसआर 69003937 एसईई 1007.3348

डर्बिन-वाटसन 1.91770228

क्यू (24)—20.5705 महत्वपूर्ण स्तर 663912

संख्या	लेबल	बीएआर	एलएजी	गुणांक	मानक त्रुटि	टी. आंकड़े
1	एआर	1	1	2414842	1188206	2.032344
2	एआर सीज	2	12	7260505	8304750E01	8.742593
3	एआर सीज	3	24	3506905	864788E-01	4.055543

समीकरण 1

सहायक परिवर्तनशील 1 बी. डी.

संख्या	लेबल	बीएआर	एलएजी	गुणांक
1	80	1	1	2414842
2	80	1	12	2739495
3	80	1	13	661544PE-01
4	80	1	24	3753600
5	80	1	25	9064353E-01
6	80	1	36	3506905
7	80	1	37	8468622E-01

पूर्वानुमान विशुद्धता आंकड़े
पूर्वानुमान अवधि = 12
मूल्य माध्य वर्ग त्रुटि (87:4 से 89.3 तक) — 953.6
माध्य निरपेक्ष प्रतिशत त्रुटि (87:4 से 89.3 तक) — 9.73 प्रतिशत

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : हम इस वक्तव्य पर बहस कराना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दी है इसके बारे में पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, लोग जानना चाहते हैं 10 परसेन्ट का कट हो गया है, तो खर्चा कितना कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह पूरा बजट में आ रहा है। आप बैठ जाइए।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी आप बैठ जाएं।

कुमारी मायावती : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं बैठूंगी। पहले मेरी बात सुनिए। मेरे लोक सभा क्षेत्र में दो मुसलमान मारे गए हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप आप बैठ जाएं।

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष जी, आज से 3 दिन पहले जिला बिजनौर में... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे मायावती जी इतना ही कह देना चाहता हूं कि आपने एक सवाल के बारे में लिखकर दिया था, अब यह स्पीकर पर निर्भर करता है कि वह आपको बुलाए या न बुलाए। हालांकि मैंने तय कर लिया था कि मैं आपको आज अवश्य बुलाऊंगा और मैं आपको ऐसे ही बुलाता, लेकिन मायावती जी, यह जो तरीका आप अपना रही हैं, यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से चुनकर आई हूं। आज से 3 दिन पहले, बिजनौर शहर में मुसलमानों की बस्ती में मस्जिद के सामने शिवसेना, बजरंग, दल, आर. एस. एस. व भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जबरन मन्दिर बनाया और भजन, कीर्तन शुरू कर दिया जिससे वहां इस बात को लेकर साम्प्रदायिक हिंसा भड़क गई। इस साम्प्रदायिक हिंसा में एक महिला सहित मुस्लिम समाज के दो आदमी मारे गए और काफी मुसल-

मान बुरी तरह से घायल हो गए। दोषी लोगों को कड़ी सजा दी जावे, मृतक परिवार को उचित मुआवजा व घायल लोगों को भी सहायता प्रदान की जाए। (व्यवधान)...मस्जिद की जमीन पर शिवसेना, बजरंग दल, आर॰एस॰एस॰ और बी॰जे॰पी॰ के लोगों ने...(व्यवधान)

बिजनौर की स्थिति बड़ी खराब है, बिजनौर के बाजार बन्द हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : बिजनौर में दंगे होने की संभावना है, सारा बिजनौर बन्द है, होम मिनिस्टर को बुलाया जाए।

प्रो॰ यदुनाथ पाण्डेय (हजारीबाग) : यह सरासर गलत है। हिन्दुस्तान में कुछ भी होता है तो लोग आर.एस.एस. का नाम लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, कांग्रेस सरकार भी यही कहती थी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

कुमारी मायावती : होम मिनिस्टर को यहां पर बुलाए जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं और आप हमारी बात नहीं सुनती हैं। अभी आपकी बात खत्म हो गई है, अब मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैं पाइन्ट आफ आर्डर सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुन लेने दीजिए। श्री कुमारमंगलम, इसके बाद मैं आपको बुलाउगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि॰ श्रीवास्तव बैठ जाएं। मैं फिर आप लोगों से कहूंगा कि सदन को नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। हर एक माननीय सदस्य ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैं विशेषकर मायावती जी से यह कहूंगा कि जब स्पीकर बार-बार कहते हैं, मैं बार-बार कहता हूं कि आप बैठिये, आप को जो बोलना है, आप बोल चुकी हैं, तो आप बैठती नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको मैंने इजजत दी, आपने अपनी बात कह दी, मैंने आपको बार-बार कहा, आपकी बात हो चुकी है, आप बैठ जायें लेकिन आप नहीं बैठीं। अभी मैं विजय मल्होत्रा जी को पाइन्ट आफ आर्डर पर बुला रहा हूं, आप बैठिये। मैं अभी विजय मल्होत्रा जी को सुनूंगा।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : यह आपके निर्देश के बाद भी नहीं सुनतीं।....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग फिर खड़े हो गये। मायावती जी, यह नहीं करें, आप बैठ जायें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं होगा। मिस मायावती, आप बैठ जायें।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जायें।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का इरेंस्पोंसिबल एलीगेशन आप कार्यवाही से निकालें।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जायें। मि० बट्ट, आप बैठ जायें।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको मैं सुन नहीं रहा हूं। अभी पाइन्ट आफ आर्डर पर है। आप बैठ जायें, यह नहीं होगा। मि० विजय मल्होत्रा।

(**व्यवधान**)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, हम सदन के सभी माननीय सदस्यों की इज्जत करते हैं और विशेषकर कोई भी महिला सदस्य अगर हो तो उस महिला सदस्य की भी हम इज्जत करते हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, बैठ जायें।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा। कैसे बोलें, इनको बैठाइये तो बोलूं न।

अध्यक्ष महोदय : क्या करें। आप बैठ जायें।

[अनुवाद]

आपको बैठ जाना चाहिए। कृपया बैठ जायें। मैं आपको बैठ जाने का आदेश देता हूं।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था····(व्यवधान)····इनसे कहिये, बठ जायें, तभी तो मैं बोलूं।····(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको अध्यक्ष के आदेशों का अनुपालन करना चाहिए। मैं आपको बैठ जाने का आदेश देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मेरे आदेशों का अनुपालन कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती, आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : क्या मजाक बना रखा है। आप पहले होम मिनिस्टर को बुलाइये नहीं तो मैं इनका बोलने नहीं दूंगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप गृह मंत्री को आदेश नहीं दे सकती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको इस सदन के एक माननीय सदस्य के रूप में कार्य करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा था कि हम इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की इज्जत करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी जो बोलेंगी, वह रिकोर्ड में नहीं आयेगा।

(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : महिलाओं के लिये हमारे मन में बहुत ज्यादा इज्जत है और हम नहीं चाहते कि किसी भी महिला के भाषण के दौरान यहां पर कोई रुकावट पड़े, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। आखिर, पार्टी के ऊपर कोई आघात करना हो, कांग्रेस पार्टी हम पर करे या हम उनके बारे मे करें तो उसका भी ढंग है। कम्युनलिजम पर बहुत बार बहस होती है परन्तु यह बड़ा अजीब तरीका निकाल दिया गया है, अकबर साहब ने जिस तरीके से आकर के, उनको····(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री अकबर को निजि स्पष्टीकरण पर बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आप चाहें तो कम्युनलिजिम पर यहां बैठ कर एक-दो या चार दिन तक बहस करायें। लेकिन किसी दूसरे के कन्धे पर बन्दूक रख कर चलाना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हुआ है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उस को देखे, ला एण्ड आर्डर को देखे और उसके बारे में बात-चीत करे। परन्तु यहां पर आ करके भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या बजरंग दल के हाय-हाय के नारे लगाना, किसी को शोभा नहीं देते।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आप चाहें तो साम्प्रदायिकता पर बहस रखिये, चाहे कम्युनलिजम पर बात-चीत करिये, लेकिन जो बिजनौर में दगा हुआ उसकी बहस का भी कोई तरीका होता है। कोई भी महिला या पुरुष किसी भी एक सवाल को लेकर, किसी भी एक सवाल को लेकर, किसी भी पार्टी पर आरोप लगाये, यह उचित नहीं है।....(व्यवधान) मैं जो सवाल आपके सामने रखना चाहता था वह यह था कि आज इस देश के अन्दर मण्डल कमीशन के बारे में, दिल्ली में जो दोबारा से बन्द हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी इसमें कोई एनीशियेटिव ले रहे हैं ? इसको रोकने के लिये कोशिश कर रहे हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने आपका नाम लिया है।

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : महोदय, उन्होंने मेरा नाम लिया है। यदि सभा की कार्यवाही का संचालन करना है, तो सच्चाई के हित में सर्वप्रथम श्री मल्होत्रा से कहिए कि वे सभी के सामने निजि तौर पर इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने मायावती जी की बात सुनकर स्वेच्छा से बिना किसी कारण मेरा नाम लिया है,...(व्यवधान) इस प्रकार की घटनाएं केवल बिजनौर में ही नहीं हो रही हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के अनेक स्थानों पर भी हो रही हैं....(व्यवधान)....यदि इसे रोका नहीं गया, तो इससे पूरे उत्तरी भारत में आग लग जायेगी ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री एम०जे० अकबर : महोदय, मैं मांग करता हूं कि श्री मल्होत्रा माफी मांगे---(व्यवधान)

श्री पी०आर० कुमारमंगलम (सलेम) : यह एक गम्भीर मामला है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जब एक माननीय सदस्या, मायावती जी बोल रही थी, तो उन्होंने धोर-धाराबा

किया। आपने हमें बैठ जाने के लिए कहा और हम बैठ गये···(व्यवधान) आपको सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी है।

श्री बाबवेन्द्र दत्त : कानून और व्यवस्था की समस्या राज्य का मामला है। क्या इसे इस सभा में उठाया जा सकता है ? क्या कोई व्यक्ति सभा में किसी दल पर आक्षेप लगा सकता है ? अतः, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन सभी बातों को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाए····(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, श्री मल्होत्रा ने न केवल माननीय सदस्य पर आक्षेप किया है, बल्कि एक महिला सदस्या कुमारी मायावती जी का भी अपमान किया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि श्री अकबर साहब के पर मायावती जी ने इस तरह से किया है, यह महिला सदस्य का अपमान है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर कोई भी माननीय सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्य पर आक्षेप नहीं लगा सकता, किसी मेंबर ने दूसरे मेंबर को है, इस तरह से दोनों सदस्यों का अपमान होता है। किसी सदस्य के पर मायावती जी ने यह इशू यहां पर उठाया है, यह कह कर माननीय सदस्या का अपमान किया गया है। इसलिए मेरा कहना है कि इसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाएं। यस भगत जी।

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस की चाल है। ये लोग सरकार का काम नहीं होने देना चाहते, यह मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम 451 और 452 की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं इसे पढ़ता हूं और कृपया आप भी इसे देखिए।

नियम 352 (दो) में बताया गया है :

"बोलते समय कोई सदस्य सभा के किसी अन्य सदस्य पर कोई हेतु का लांछन लगाते हुए अभिकथन नहीं करेगा या उसकी सदभावना पर आपत्ति करके उसका वैयक्तिक निर्देश नहीं करेगा जब तक कि ऐसा निर्देश विचाराधीन प्रश्न या सुसंगत होने के कारण वाद-विवाद के प्रयोजनों के लिए अनिवार्यतः आवश्यक न हो····"

नियम 353 में कहा गया है :

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो..."

मुझे विश्वास है कि डा० विजय कुमार मल्होत्रा सामान्यतः एक समझदार और विवेकशील व्यक्ति हैं। मुझे उनसे इस प्रकार की बात की आशा नहीं है। यदि उन्होंने ऐसा कह भी दिया है, तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। यह मौलिक नियमों के विरुद्ध है··· **(व्यवधान)**

श्री यादवेन्द्र दत्त : उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

प्रो० पी०जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि श्री मल्होत्रा ने श्री अकबर का नाम लिया है··· **(व्यवधान)** हम केवल यह निवेदन करते हैं कि वे माफी मांगे। कृपया उन्हें निदेश दें कि वे इस सभा के सामने माफी मांगें। उन्होंने केवल मायावती जी का अपमान ही नहीं किया, बल्कि नियमों का उल्लंघन भी किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया उन्हें श्री मल्होत्रा से माफी मांगने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अकबर से कहा दिया है कि वे अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दें।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं है। यह नियमों का उल्लंघन और सदस्य के अपमान का सवाल है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह परम्परा रही है कि यदि किसी सदस्य का नाम लिया जाता है, तो उन्हें इसका स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया जाता है। मैंने उन्हें स्पष्टीकरण देने की अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन :··· **(व्यवधान)** कृपया उन्हें क्षमा मांगने का निदेश दें··· **(व्यवधान)**

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : यदि कोई आपत्तिजनक शब्द है, तो आप इसे कार्यवाही-वृतांत से निकाल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही-वृतान्त देखूंगा। कोई भी व्यक्तिगत आरोप कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित न किया जाये। हां, श्री साठे। मैं अब आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कनिष्ठ सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कह रहे हैं। यहां कोई कनिष्ठ अथवा वरिष्ठ सदस्य नहीं है।

श्री पी० सी० थामस : तब तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का क्या प्रश्न है। वह किस नियम के अन्तर्गत है।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : यह नियम 376 के अन्तर्गत है। मैं व्यवस्था का यह प्रश्न उठाता हूं।

अब डा० मल्होत्रा जी ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में, मैंने जो कहना है वह कह दिया। यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री साठे, कृपया अपनी बात को संक्षेप में कहिए।

12.39 म. प.

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : महोदय, मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षेप में कहूंगा। महोदय इस सभा में शुरू से ही यहां स्वस्थ परम्परा और प्रथा रही है और मैं आपके पूर्ववर्ती विद्वानों के नियमों का उल्लेख करना चाहूंगा जब यह मामला श्री इन्द्रजीत गुप्त जो, श्री दण्डवते जी जैसे और अन्य सदन के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उनके नोटिस में लाया गया था। इसके बारे बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया गया है। मैं केवल उसे फिर से बताना चाहता हूं ··(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : महोदय, क्या आपने इसकी अनुमति दे दी है··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या ये आपके दोस्त नहीं हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे : महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं नियमों को जानता हूं। मैं जानता हूं कि नीति अथवा नीति संबंधी प्रस्ताव के बारे में जो वक्तव्य बाहर दिया जाए, जबकि सभा का अधिवेशन चल रहा हो, तो यह तकनीकी दृष्टि से विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं है···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या आपको उसका पता है ?

श्री वसन्त साठे : जी, मुझे उसका पता है। हमाली मैं उसके बारे में जोर नहीं दे रहा हूं। मैंने इसे इसलिए उठाया है क्योंकि एक परम्परा के रूप में यह सभा भी स्वस्थ परम्पराओं से चलती है—हमारी संसद के शुरू से ही बार-बार यह कहा गया है, कि इस प्रकार का बाहर दिया गया वक्तव्य अनुचित्य कार्य है और सरकार अथवा मंत्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपके पूर्ववर्तियों के निर्णयों केवल दो भागों को ही पढूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप आवश्यक हैं।

श्री वसन्त साठे : जी हां, यह आवश्यक है। महोदय यह आप और हमारे मार्गदर्शन के लिए है। 7 मार्च, 1988 को, श्री दण्डवते और इन्द्रजीत गुप्त जी द्वारा उठाए गए एक मुद्दे के संबंध में, अध्यक्ष महोदय को यह टिप्पणी करनी पड़ी थी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है।

श्री वसन्त साठे : जी हां, यह आवश्यक है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : एक सैकिण्ड के अन्दर आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वसन्त साठे : महोदय, कृपया ऐसा न कहिए। मैं सभा की खातिर उसके हित में ऐसा कह रहा हूं।····(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं परमिट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : महोदय, मैं इसे पढ़ रहा हूं. "यह विशेषाधिकार का हनन नहीं है इनकी अनुमति नहीं दी जाती। यद्यपि, यह सुस्थापित है कि जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो, नीति सम्बन्धी निर्णयों की सबसे पहले सभा में घोषणा की जानी चाहिए। यह विवेक का मामला है कि क्या वर्तमान निर्णय नीति सम्बन्धी निर्णय हैं अथवा नहीं है मैं यह महसूस करता हूं कि जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो सभा को विश्वास में लेना बहुत ही अभीष्ठ होता और प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में उसे सूचना दी जाती, बजाए इसके कि सदस्यों को महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी केवल समाचार पत्रों के माध्यम से मिले।" महोदय. यह दूरदर्शन से भी जानकारी मिल जाती है।—"मैंने उल्लेख किया कि यह एक अनौचित्य मामला है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के निर्णयों की घोषणा सबसे पहले सभा में की जायेगी।" यह 1988 में हुआ था। लेकिन यदि हम इससे भी बहुत पहले देखे····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अर्ज। कहा है।

श्री वसन्त साठे : महोदय, मैं सरदार हुकुम सिंह द्वारा 1 मई, 1959 को दिए गए निर्णय का भी उल्लेख करूंगा। यह निर्णय तब दिया गया था जब इसे त्यागी जी और श्री फिरोज गांधी द्वारा उठाया गया था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे, कृपया अपनी बात को समाप्त कीजिए····

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप बैठ जाएं, हमारी इजाजत के बिना आप नहीं बोल पायेंगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी आप मेरी इजाजत के बिना नहीं बोल सकतीं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : महोदय, वह सभा में इस प्रकार मनमानी नहीं कर सकती ।

अध्यक्ष महोदय : कुमारी मायावती, यदि आप उचित व्यहार नहीं करेंगी, यदि आप बार-बार अध्यक्षपीठ की अवमानना करेंगी, तो मैं आपको सभा छोड़ने के लिए कहने पर विवश हो जाऊंगा । कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री साठे बोलें ।

श्री बसंत साठे : "जब इसे मेरी नोटिस में लाया गया था । मैंने उन सभी माननीय सदस्यों से जो मंत्री हैं अनुरोध किया था कि वे सभा के बाहर वक्तव्य न दें, जब सभा का अधिवेशन चल रहा हो, तब नीति सम्बन्धी मामले सबसे पहले इस सभा को और उनके बाद अन्य साधनों के माध्यम से बताए जाने चाहिए । अतः यह खेद का मामला है कि जीवन बीमा निगम की रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण मामले समाचार पत्रों में देखे जाने चाहिए..."

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । यह आवश्यक नहीं है ।

श्री बसंत साठे : महोदय, यह आवश्यक है ।

> "बारम्बार प्रश्न पूछे जाते हैं और सरकार प्रश्नों के यह कहकर उत्तर देती है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिपोर्ट प्राप्त हो गई है लेकिन यह विचाराधीन है । लेकिन इससे पहले की अन्ततः यह इस सभा में लाई जा, ऐसा लगता है कि इस सभा के सदस्य के अलावा प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे मे जानता है । यह दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी मंत्री द्वारा इस सभा के बाहर कोई वक्तव्य न दिया जाए । अन्यथा यह सभा किसी भी बात के लिए जो कि कहीं भी घट रही है, उसके लिए वह मांग रबड़ स्टाम्प बन सकती है ।"

अतः महोदय, यह मेरा निवेदन है । कल प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया । महोदय, वह वक्तव्य लगभग सभी समाचार पत्रों में पहले ही प्रकाशित हो चुकी है । महोदय, इसका निर्णय राजनीतिक मामलो की समिति द्वारा लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की गई थी और महोदय, इसकी घोषणा सरकार के अधीन माध्यम, दूरदर्शन पर हूबहू उन्हीं शब्दों में की गई थी जिनका उल्लेख बाद में किया गया था । महोदय उसका औचित्य क्या है ? जब अगले दिन

समाचार आ गया तो वह पूरी तरह से हूबहू वही था। महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि यहां शब्द में खिलवाड़ करना और कहना यह हमारी नीति नहीं बल्कि यह हमारा एक प्रस्ताव है, इसका कोई अर्थ नहीं है यह एक प्रस्ताव के साथ-साथ एक नीति भी है। अतः महोदय, मैं चाहता हूं कि कृपया आप यह निर्णय दीजिए कि यह एक स्वस्थ पूर्वोदाहरण सुस्थापित परम्पराओं का उल्लंघन है और कृपया सरकार से कीजिए कि वह ऐसा न करे। वास्तव में प्रधान मंत्री से इस सभा में खेद व्यक्त करने के लिए कहा जाना चाहिए था। यदि ऐसा होता है, यदि सरकार इसे न्यायोचित ठहराने का प्रयास करती है, तो मेरे विचार में यह सभा एक रबड़ स्टाम्प तथा एक उपहास बन कर रह जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : यह सुस्थापित है कि यह लोक हित के मामलों से संबंधित वक्तव्य पहले सभा में न देकर सभा के बाहर दिये जाते हैं तो इसमें सभा का विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं बनता है। तात्कालिक मामले में, मैंने देखा कि प्रधान मंत्री ने प्रथम अवसर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में संबंधित लोगों को सरकारी सेवाओं में 5 से 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित रखने तथा युवाओं के लिए रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार के प्रस्ताव के बारे में सभा को सूचित किया है।

अतः इससे विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं बनता है। नियम 222 के अधीन सर्वश्री के० वी० थामस, बसन्त साठे, पी० सी० थामस और अन्बारासु इरा द्वारा दिए गए नोटिस नियम के विरुद्ध हैं।

अब श्री कुमारमंगलम।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : हम इसके विरोध में सभा से बाहर जा रहे हैं।.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : क्या आप अपने विद्वान पूर्ववर्तियों के निर्णयों का अनादर कर रहे हैं? आपको प्रधान मंत्री द्वारा किये गए अनौचित्य के संबंध में टिप्पणी करनी चाहिए। हम इसके विरोध में सभा से बाहर जा रहे हैं।

(इस समय प्रो० पी० जे० कुरियन और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

12.51½ म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (मृत्यु) सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त उपदान (संशोधन) विनियम, 1989

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल श्री गुरुपादस्वामी द्वारा पर पत्र रखे जाएंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी की ओर से मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 32 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (मृत्यु सेवा निवृत्ति तथा सेवान्त उपदान (संशोधन) विनियम, 1989 जो, 24 फरवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सैक/आर आर/3.7/89 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1347/90]

12.52 म प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं भारतीय पर्यटन विकास निगम के संबध में सरकारी उपक्रमों संबधी समिति के 61वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.53 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा 27 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्यमंत्रण समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मैंने जो नोटिस दिया है····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नाईक जी, आपका नोटिस मिला है लेकिन वह काफी देर से मिला है, इस लिए आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राम नाईक : लेकिन मेरी आप बात तो सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राम नाईक : बिजनेस एडवाईजरी कमेटी का जो प्रस्ताव मंजूर करने के लिए सामने आया है, मैंने अमेंडमेंट····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तो आपको इजाजत नहीं दिया है।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैंने आपको बी० ए० सी० के बारे में एक पत्र लिखा है। अध्यक्ष जी, प्रारम्भ से यह कहा जा रहा है कि दिल्ली को स्टेटहुड देने का बिल पहले हफ्ते में आयेगा, यह लास्ट में वायदा किया गया था। फिर यह कहा गया कि यह दूसरे हफ्ते आयेगा, तब कहा गया कि तीसरे हफ्ते आयेगा लेकिन अब कहा गया है कि चौथे हफ्ते आयेगा। अब इस सेशन का लास्ट वीक आने वाला है और तब भी यही कहा जायेगा कि चूंकि बिजनेस ज्यादा है, इसलिए यह नहीं आ सकता है। निवेदन है कि दिल्ली में न तो मैट्रोपालिटन कौंसिल और कारपोरेशन है। दिल्ली में एक शून्य की स्थिति पैदा हो गयी है। लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। 2 मैं, यही जानना चाहता हूं कि दिल्ली स्टेटहुड बिल कब आयेगा ? चूंकि वायदा किया गया है, इसलिए यह बताया जाये कि यह कब आयेगा ?

[अनुवाद]

श्री वासुदेव आचार्य : (बांकुरा) : महोदय, मैंने भी सूचना दी है। (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, माननीय सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि संविधान (संशोधन) विधेयक और दिल्ली के बारे में एक अलग विधेयक पहले ही इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं और सभा द्वारा विचार किए जाने की प्रतीक्षा में हैं। महोदय, तीन सप्ताह के दौरान हम अभी तक केवल तीन विधेयक पारित कर सके। और, हम प्रतिदिन इस सदन में हो रही घटनाएं देख रहे हैं और आप जानते हैं कि सरकारी कार्य के लिए कितना समय मिल रहा है। अनेक विधेयक हैं, और यह सभा को निश्चय करना है कि जब वे चाहें इनको कभी भी उठाएं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : रात तक बैठे रहिये। मेरा कहना यह है कि इसको लीजिये, नहीं तो लास्ट में कह देंगे कि आप इसको समय कम होने की वजह से पास नहीं करवा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र : माननीय सदस्य के उत्तर में मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आज हम मध्याह्न भोजन अवकाश छोड़ दें और आठ बजे तक बैठें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह आप करवाइए। यह तो आप की सरकार है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, खुराना जी, इस विषय को सदन में कई बार उठा चुके हैं। मैं स्वयं दिल्ली का एक प्रतिनिधि हूं और इस कारण मैं जानता हूं कि पिछले तीन सालों से दिल्ली में शासन व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, यहां अफसरशाही राज चल रहा है। न यहां कोई मैट्रोपोलिटन कौंसिल है, न कारपोरेशन है और मैं समझता हूं कि दिसम्बर के महीने से, जब यहां सदन का पहला अधिवेशन हुआ था, तब से हमें उम्मीद थी कि यह विधेयक सदन में आयेगा, पारित होगा और दिल्ली में शीघ्र ही चुनाव होंगे, लेकिन किसी न किसी कारण से ऐसा नहीं हो रहा है। अभी मन्त्री जी ने कहा कि केवल दो बिल ही पास हो पाये हैं, यह बात सही है, उसकी सब लोगों से शिकायत हो सकती है. लेकिन मेरी शिकायत सरकार से है कि उसने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से सम्बन्धित विधेयक अभी तक बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी के सामने लाकर उसके लिये समय भी नहीं लिया है जहां तक मुझे स्मरण है, दूसरा विधेयक अभी तक पेश भी नहीं हुआ है। इसीलिये मेरे साथी श्री खुराना जी की आशंका निर्मूल नहीं है, वही दिल्ली के नागरिकों को भी आशंका है और लगता यह है कि यह बिल आने वाला ही नहीं है और किसी न किसी कारण से इसे टाला जाता रहेगा। मेरा आग्रह होगा कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में सबसे पहला बिल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने वाला विधेयक होना चाहिये। मन्त्री जी को चाहिये कि इस विषय में बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी के सामने आकर समय लें सरकार स्वयं इसके बारे में सचेत हो। मैं विपक्ष से भी अपेक्षा करता हूं कि इस मामले में वह भी हमारा सहयोग करे।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अच्छे कामों में हम हमेशा आपका सहयोग करने के लिये तैयार हैं, आडवाणी जी (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी॰ उपेन्द्र : केवल आज नहीं, जब तक हम कार्य समाप्त नहीं करते हैं हम मध्याह्न भोजन अवकाश का त्याग करेंगे।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वे सहानुभूति पूर्वक इस मामले को प्राथमिकता दें। वे जो प्रस्ताव लाये हैं कि लंच को फोरगो कर दिया जाये, मेरा निवेदन है कि इनके प्रस्ताव को मान लिया जाना चाहिये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, प्रसार भारती विधेयक के मामले में हमने अपना सहयोग देने की पेशकश की और कुछ संशोधन दिये। चर्चा जारी है और लगभग सभी संशोधनों के सम्बन्ध में किसी न किसी प्रकार से समझौता हो रहा है। इसी प्रकार से दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के सम्बन्ध में विधेयक के सम्बन्ध में भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह विपक्ष का विश्वास प्राप्त करें। इस सम्बन्ध में हमारे भी कुछ विचार हैं। हम इस पर चर्चा करते हैं और एक ऐसा विधेयक लाते हैं जिसे सभी स्वीकार करते हैं। हम वर्तमान रूप में विधेयक को स्वीकार नहीं करते है। इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि हम सर्वसम्मति प्राप्त करें। यह केवल दिल्ली के लोगों की चिन्ता का विषय नहीं है; यह हम सभी की चिन्ता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में गड़बड़ न कीजिये।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, कांग्रेस के माननीय सदस्यों के पास यह बिल पहले से मौजूद है। उस पर विचार करके ये अपने व्यूज मंत्री जी को दे सकते हैं। इसमें टाइम लेने की क्या जरूरत है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राम नाईक जी, आप बैठिये, अभी दूसरी बात चल रही है।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, अगर अगले हफ्ते यह बिल नहीं आया तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी, हमारे लिये लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आपके बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में भी नुमाइन्दे हैं।

श्री मदन लाल खुराना : अभी आडवाणी जी ने जो कहा है, आप सरकार को कहिये कि अगले हफ्ते यह बिल सदन के विचार के लिये आना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : बस, हो गया।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, इसी सदन में प्राइम मिनिस्टर ने हमें एश्योर किया था, होम मिनिस्टर साहब ने एश्योर किया था, फिर इस बिल के न आने का कारण समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय : बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में यह बिल लाया गया था, वह देख चुकी है, बस समय तय करना है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने कल इसी सदन में मण्डल कमीशन के संबंध में जो स्टेटमेंट दिया है, उसके सम्बन्ध में कार्य सूची में कहा गया है कि नियम 193 के अन्तर्गत इस पर चर्चा होगी, मेरी यह मांग है कि यह विषय आज के परिप्रेक्ष्य में इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर नियम 184 के अन्तर्गत फुल डिबेट होनी चाहिये। न केवल, इस विषय पर डिबेट हो, सभी लोग अपनी-अपनी राय दें, प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर पूरी तरह से बहस होनी चाहिये, वोटिंग होनी चाहिये तभी इस देश के लोगों को सही स्थिति का पता लग सकेगा। उसके बाद हम भी खुलकर देश के लोगों के सामने जा सकेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, आप मुझे पहले फिनिश कर लेने दीजिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 27 अगस्त, 1990 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्यमंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.00 म० प०

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री कुरियन की बात सुनने दें।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : हम भी इस सभा के सदस्य हैं। मैं भी सदस्य हूं। मुझे भी बोलने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने लिख कर दिया है ?

आपने लिखकर नहीं दिया है। मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : यह अविलम्बनीय लोक महत्त्वा का मामला है। कृपया मेरी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या मामला उठा रहे हैं। आपने लिखकर तो नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा : दिल्ली बार एसोसिएशन के शिष्टमण्डल ने मंत्री श्री शरद यादव से भेंट की और उन्हें मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर बधाई दी। बताया जाता है कि मंत्री ने कहा है कि यह ब्राह्मण (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं : आप लिखित रूप में दीजिये।

श्री हरीश रावत।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। श्री हरीश रावत।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, देश के अन्दर साम्प्रदायिक सौहार्द और भाईचारा बना रहे, इसको देखना हम सब का परम-कर्तव्य है। आज सुबह मायावती जी ने एक मुद्दा उठाया और कुछ दिन पहले मेरे मित्र श्री जगपाल सिंह जी ने सहारनपुर में किस तरह से मस्जिदों को तोड़ा गया, यह मुद्दा उठाया था। आज मैं उससे भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, उस को उठाना चाहता हूं—हाल ही में एक आर्गेनाइजेशन ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने की घोषणा पर 30 अक्तूबर से अमल करने की बात कही है। उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि 30 अक्तूबर को मंदिर का निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा और उससे पहले 19 सितम्बर को "राम-ज्योति" प्रज्वलित की जाएगी। इसके बाद उसका एक हिस्सा काशी और दूसरा हिस्सा मथुरा ले जाया जाएगा और उसके बाद ये ज्योतियां सारे देश में जाएंगी और विजय-दशमी के त्यौहार को "विजय-दिवस" के रूप में मनाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से उन मित्रों से भी

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जिन्होंने यह बयान दिया है और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर स्थिति है। जब इस तरह की ज्योति-यात्राएं निकलेंगी, तो निश्चित तौर पर कुछ शरारती तत्व मौके का फायदा उठाकर के देश की साम्प्रदायिक सद्भावना को तोड़ने की कोशिश करेंगे और देश के अन्दर एक तनाव की स्थिति पैदा होगी। जिस प्रकार से हालात देश में चल रहे हैं और हमारी सीमाओं पर खतरा जिस प्रकार से विद्यमान है और जिस प्रकार से मण्डल कमीशन के विषय में सरकार की एक तरफा घोषणा से····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मण्डल कमीशन पर बहस होगी। उसे क्यों उठा रहे हैं।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय यह मुद्दा उस स्थिति को और ज्यादा गम्भीर बना देने वाला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और सारे विवेकशील लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर संयम बरता जाना चाहिए और उन लोगों से भी कहा जाना चाहिए कि इस तरह की ज्योति-यात्राएं न निकाली जाए और जो विजय-दशमी को विजय के त्योहार के रूप में मनाने का विचार है, वह किसकी विजय के रूप में मनाने का विचार है, किसकी विजय के रूप में मनाना चाहते हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : आप किसकी विजय का दिवस मनाने जा रहे हैं। देश में किस प्रकार की हालत आप पैदा करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, यह तो सोचना पड़ेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हिन्दुस्तान उर्वरक निगम का विपणन कार्यालय जो इस समय कलकत्ता में है उसे दिल्ली स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है।

भारतीय उर्वरक निगम को विभाजित किया गया और 1976 में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम बन गया। भारत सरकार ने हिन्दुस्तान उर्वरक निगम का मुख्यालय दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करके बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया क्योंकि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम बरौनी, दुर्गापुर, नामरूप और हाल्दिया तथा सिंदरी की सभी इकाइयों ने उत्पादन आरम्भ किया है। कलकत्ता केन्द्र में स्थित स्थान है। परन्तु फिर भी मुख्यालय दिल्ली में है और अब विपणन कार्यालय के स्थानान्तरण की योजना और प्रस्ताव है। हिन्दुस्तान उर्वरक की सभी इकाइयां पूर्वी भारत, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों आदि में स्थित हैं अतः कलकत्ता केन्द्रीय स्थान है। विपणन कार्यालय कलकत्ता से स्थानान्तरित नहीं होना चाहिये और बहुत पहले 1978 में लिया गया निर्णय जिस समय जनता दल की सरकार थी और अब हिन्दुस्तान उर्वरक के मुख्यालय को कलकत्ता

स्थानान्तरित किया गया था; उसी निर्णय को लागू किया जाना चाहिये क्योंकि कलकत्ता उन सभी इकाइयों के केन्द्र में हैं जो कलकत्ता में और इसके आसपास स्थित हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब, आपको तो इजाजत नहीं दी लेकिन आप मैन्शन कर सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : (बारामूला) : आप तो हमारे प्रीविलेज के रक्षक हैं।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं तो माननीय सदस्य का नाम तक नहीं बता रहा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के विरुद्ध नियम 222 के अधीन विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूं। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि उन्होंने मुझे पाकिस्तानी बताया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के सम्बन्ध से श्रीमती भुट्टो के भाषणों का भाव कश्मीर के विषय में मेरे भाषणों जैसा है और मैं भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी प्रचार तन्त्र की सहायता कर रहा हूं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मैं जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश का समर्थक हूं जिसने भूतपूर्व राज्यपाल श्री जगमोहन के विरुद्ध याचिका दायर की है और उस याचिका में उन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं जो भारत के संविधान के प्रति अपमानजनक हैं। अत: उन्होंने स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। कृपया आप उनसे स्पष्टीकरण मांगिए और इस पर विचार कीजिए। क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : हां।

1.09 म० प०

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के बारे में

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : केन्द्रीय वित्त उपमन्त्री ने कल बड़ौदा में कुछ टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा है कि वह राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के निजीकरण के पक्ष में है। उन्होंने एक संख्या का भी उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि 26 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से ९ का निजीकरण किया जाना चाहिए। यह सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध है और हम इस मामले में सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : उस वक्तव्य में उप वित्त मन्त्री ने कहा है कि 250 शाखाओं वाले विदेशी बैंक प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाते हैं। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिनकी हजारों शाखाएं हैं केवल 260 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाते हैं। बात यह है कि उप वित्त मन्त्री इस बात को भूल जाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कुछ सामाजिक दायित्व

भी निभाते हैं। उनकी ब्याज की विभेदक होती है, वे ब्याज की 4 प्रतिशत दर पर कर्ज देते हैं। वे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन ऋण देते हैं। भारत में किसी भी विदेशी बैंक से इस दायित्व को निभाने के लिये नहीं कहा गया है। मेरे विचार से दोनों बैंकों की आपस में तुलना करना असंगत है। मुझे जिस बात का डर है, वह यह है कि वर्तमान सरकार पिछली सरकार की उदारवादी नीतियों को बरकरार रखते हुये बैंकों के निजीकरण पर विचार कर रही है। (व्यवधान) इसी कारण मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मुझे लगता है कि श्री अनिल शास्त्री ने यह स्टेटमेण्ट बी. जे. पी के प्रभाव में दिया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मैंने यह वक्तव्य नहीं पढ़ा है। परन्तु यदि वक्तव्य में ऐसा है, तो सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस बारे में स्पष्टीकरण दे कि यह दृष्टिकोण माननीय मन्त्री का है अथवा सरकार का, क्योंकि यह एक अत्यधिक गम्भीर मामला है। इससे केवल पूरी नीति ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि सरकार का पूरा आर्थिक दृष्टिकोण भी प्रभावित होता है। प्रत्येक मामले को सामान्य रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यदि दो माननीय सदस्यों का कथन सही है, तो सरकार को आज शाम तक स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए ताकि वित्तीय बाजारों में और उन लोगों के मनों में, जो अर्थव्यवस्था और देश के विषय में सोचते हैं, संशय पैदा न हो। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने वक्तव्य नहीं पढ़ा है। परन्तु जो वक्तव्य दिया गया है, वह अत्यधिक गंभीर वक्तव्य है। मैं आशा करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री वित्त मन्त्री से शीघ्र आने के लिए कहेंगे और कल के समाचार पत्रों में इस मुद्दे पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : हम स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : महोदय, दिल्ली में पंजाबी अकादमी की स्थापना पंजाब की संस्कृति और भाषा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिये की गई है। इस अकादमी में दो हजार व्यक्ति कार्यरत हैं और वे दो घन्टे पढ़ाते हैं जिसका तात्पर्य यह है कि वे प्रतिदिन तीन पीरियड पढ़ाते हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति प्रतिवर्ष की जाती है। इनकी नियुक्ति स्थायी नहीं है और ग्रीष्म अवकाश के दौरान उनकी छंटनी कर दी जाती है। अतः मैं शिक्षा मन्त्री से निवेदन करता हूं कि उनकी नियुक्ति स्थायी तौर पर की जाये, क्योंकि उन्हें प्रतिमाह केवल 500-600 रुपये मिलते हैं।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव (गोंडा) : अध्यक्ष जी, इधर भी देखिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कहां मना कर रहा हूं। आप सब की सुनिये।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, श्री चन्द्र शेखर ने जो कुछ कहा है, मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया करना चाहता हूं। बात यह है कि माननीय सदस्य ने उदारवादी नीति अपनाए जाने का भी हवाला दिया है। इसलिए मैं अपनी प्रतिक्रिया करना चाहता हूं कि यदि मन्त्री महोदय ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है...(**व्यवधान**) एक सदस्य ने हमारा हवाला दिया है। (**व्यवधान**)

श्री पी० उपेन्द्र : हम इसे स्पष्ट करेंगे।

प्रो० पी जे० कुरियन : मैं अपनी सरकार की नीति को स्पष्ट करना चाहूंगा। बात यह है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा, कांग्रेस दल द्वारा किया गया था और इससे देश के सभी व्यक्तियों, समाज निर्धनों और पददलितों को लाभ पहुंच रहा है। हम उसका समर्थन करते हैं। यदि वर्तमान सरकार ने उस नीति में परिवर्तन कर दिया है, जैसा कि श्री चन्द्रशेखर ने कहा है, तो सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी को कांग्रेस दल से निकाल दिया गया था और उन्होंने अन्य सभी....को निकाल दिया था....(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका नम्बर जब आयेगा, तब आपको बुलाऊंगा।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : महोदय, वे कुछ गलत बातें बता रहे हैं। वे कांग्रेस दल में थी। उन्हें निकाला नहीं गया था। वे कांग्रेस दल की नेता थी। हम सभी उनके साथ थे। श्री चन्द्रशेखर हमारे साथ थे। अत: वे (श्रीमती गांधी) कांग्रेस दल में थीं। (**व्यवधान**)

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने केवल तथ्यों का हवाला दिया है। (**व्यवधान**)

1.15 म० प०

मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सभा में विपक्ष के नेता के विचारों के दूरदर्शन पर प्रसारण के बारे में

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, हमारे दिल में श्री भोगेन्द्र झा

जी के प्रति काफी सम्मान है। मैं समझता हूं कि वे इतिहास की पुस्तकों को पढ़ेंगे और उन्हें यह पता चल जाएगा कि उन्होंने गलत बात कही है। (व्यवधान)

मैं उस मुद्दे में नहीं जा रहा हूं। मैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। मुद्दा यह है कि आज हम अपने चारों ओर मंडल आयोग की सिफारिशों से सम्बन्धित समस्याओं, इसकी स्वीकृति, आदेशों और आरक्षण आदि की बातें देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि अचानक सरकार ने निराशा की वजह से गलत बयानी और सन्दर्भ से बाहर बातें करनी आरंभ कर दी हैं। हमने अकस्मात यह सुना कि कल दूरदर्शन पर श्री राजीव गांधी ने एक वक्तव्य दिया है। विपक्ष का नेता होने के नाते, उनके वक्तव्य महत्वपूर्ण हैं। परन्तु इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। दुर्भाग्य से असत्य बात कही गई है और विपक्ष के नेता का जिक्र करना वास्तव में विशेषाधिकार का मामला है जबकि उन्होंने कतई ऐसी कोई वक्तव्य नहीं दिया है। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी दूसरे सदस्य ने कुछ कहा है और उन्होंने उस सदस्य का हवाला विषय से बाहर करके दे दिया जिसने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह बात कही थी। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार ने इसे इसके विषय से हटाकर प्रसारित किया। मैं समझता हूं कि इस बात के लिये एक स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये कि यह वक्तव्य श्री राजीव गांधी द्वारा दिया गया वक्तव्य नहीं था। यह किसी अन्य व्यक्ति का कथन था जिसमें उसने अपने निजी दृष्टिकोण व्यक्त किया था। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह गलत है। आपने केवल उसी को लीजिये जो आपके लिए सुविधाजनक था और बाकी को छोड़ दिया। समाचारों को प्रस्तुत कराने का उचित तरीका नहीं है। इसी प्रकार से बन्द के मामले में उसी समाचार में....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : राम नाईक जी, कृपया बैठ जाइये। बाजपेयी जी, कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सदन में अभी तक इस विषय पर चर्चा करने का मौका नहीं मिला है। कार्य-मंत्रणा समिति में निर्णय किया गया था कि या तो कल अथवा परसों हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और इस दौरान प्रत्येक सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकता है। सरकार द्वारा विषय से बाहर की बातें करना जरूरी नहीं है।

एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला··· (व्यवधान) मैं इस सम्बन्ध में कह रहा हूं। मैं विषय से बाहर की बात नहीं कह रहा हूं। हमने कल दूरदर्शन से समाचार सुना कि विद्यार्थियों और युवकों ने जो बन्द कराया था, वह असफल रहा। मैं समझता हूं कि यह गलत समाचार है। परन्तु मुद्दा यह है कि बन्द कल होगा और स्कूलों को बन्द कर दिया गया है। सरकार ने समाचारों में इस बारे में किसी बात का भी उल्लेख नहीं किया है। सरकार ने पूर्ण रूप से सेंसर करना शुरू कर दिया है और इसमें कतई भी काट-छांट नहीं की गई है। सरकार अपनी सुविधानुसार समाचारों को अभिव्यक्त कराती है और जिन समाचारों से उसे असुविधा होती है, वह उन्हें प्रसारित नहीं कराती। वे विषय से हटकर बातें लेते हैं और उद्धृत कर देते हैं। मन्त्री महोदय को इस बात को महसूस करना चाहिए। एक ओर तो वे प्रसार भारती विधेयक प्रस्तुत करते हैं और दूसरी ओर वे इस प्रकार का

कार्य करते हैं। मैं नहीं समझता कि वे इसे अपना अंतिम अवसर समझते हैं। वे दूरदर्शन का अधिक से अधिक दुरुपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

सरकार को सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिये और आरक्षण के इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार-विमर्श करना चाहिये ताकि एक आम सहमति पर पहुंचा जा सके और राष्ट्र सामाजिक-आर्थिक सुधार की इस समस्या का समाधान कर सके। अन्यथा, यह बात ठीक नहीं है। मेरा यही निवेदन है। (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, किसी मन्त्री से इस बात की आशा करना, कि वे इस सभा में प्रतिदिन उठाये जाने वाले प्रत्येक मुद्दे का जवाब दें अत्यधिक अनुचित है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देवरा, आप अपने स्थान पर जायें।

(व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : यदि मैं अधिक हस्तक्षेप करने लगूं, तो वे कहेंगे कि मैं श्री के०के० तिवारी से अधिक बुरा हूं और वे अभी भी मुझे प्रसारित होने वाले प्रत्येक समाचार एवं प्रत्येक वाक्य के लिये जिम्मेदार ठहराते हैं। यह दोहरी नीति है। इस बारे में उन्होंने मुझे सुबह ही सचेत कर दिया था और मैंने विवरण प्राप्त कर लिये हैं। यह श्री इरा अन्बारासु, जो कि कांग्रेस (इ) संसदीय दल के नेता हैं, द्वारा जारी वक्तव्य पर आधरित था। अंतिम पैरा में कहा गया है····(व्यवधान) कृपया आप धैर्य रखें। अंतिम पैरा में कहा गया है :

> "श्री राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का स्वागत करते हुए विशेषरूप से कहा कि सरकार को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिये भी संविधान में संशोधन करना चाहिये। इसलिये कांग्रेस दल समाज के सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के साथ-साथ समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये भी वचनबद्ध है।"

और बुलेटिन में कहा गया है :

> "मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने का स्वागत करते हुये कांग्रेस (ई) अध्यक्ष श्री राजीव गांधी ने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने हेतु सरकार को सविधान में संशोधन करना चाहिए। कांग्रेस (ई) संसदीय दल के सचिव श्री इरा अन्बारासु ने एक वक्तव्य में कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है और प्रधान मन्त्री जी ने ससद में इसका उल्लेख नहीं किया है। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के प्रस्ताव के संबंध में उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के एक गंभीर प्रयास के अभाव में इस प्रकार का कदम हास्यास्पद होगा यह वक्तव्य में कहे गये वाक्यों पर पूर्णतः आधारित है।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : यह भी राजीव गांधी के वक्तव्य का अंश लगता है। इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि यह वक्तव्य श्री अन्बारासु जी का है। पहले यह श्री राजीव गांधी का और फिर श्री अन्बारासु जी का वक्तव्य प्रतीत हुआ। यह गुमराह करने का प्रयास है। यह घोर धोखाधड़ी है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : आपको यह कहना चाहिये था कि श्री अन्बारासु जी ने ऐसा कहा है। यह मत बोलिये कि श्री राजीव गांधी ने ऐसा कहा है। आप बहुत चालाक हैं। ...(व्यवधान) उन्होंने यह स्वीकार किया है कि श्री राजीव गांधी जी ने वक्तव्य जारी नहीं किया है। वे श्री अन्बारासु जी के वक्तव्य से उद्धरण दे रहे थे। दूरदर्शन द्वारा यह कहा जाना चाहिए था कि श्री अन्बारासु जी ने ऐसा कहा है न कि श्री राजीव गांधी जी ने।

श्री पी० उपेन्द्र : यही बात उन्होंने कही है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : बुलेटिन में कहा गया है कि श्री राजीव गांधी जी ने ऐसा कहा है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है, मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया है और श्री कुरियन जी भी बोल चुके हैं। अब श्री गंगवार जी को बोलना है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय खाद्य मंत्री जी ने बताया था कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 450 ग्राम चीनी वितरित की जा रही है। माननीय खाद्य-मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं. मैं बताना चाहता हूं कि उत्तरप्रदेश का दुर्भाग्य है कि वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 200 ग्राम चीनी मिल रही है। मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि त्यौहारों का समय आने वाला है, ऐसे समय में उत्तरप्रदेश का कोटा शीघ्र बढ़ाया जाए, ताकि वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में चीनी दी जा सके।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद में डा० अम्बेडकर जी की प्रतिमा की अवमानना हुई है, जिसकी यहां पर भर्त्सना की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए सर्विसेस में जितने स्थान आरक्षित हैं; उतने इन लोगों को नहीं मिल रहे हैं और सरकार यह भी नहीं बता रही है कि कितने स्थान आरक्षित हैं और कितने अभी तक खाली हैं। स्थिति यह बनी हुई है कि लोगों को मालूम नहीं है कि नौकरियों में कितने स्थान खाली हैं। सरकार द्वारा भर्ती बन्द कर

दी गई है, सरकार नौकरियों में भर्ती कर नहीं रही है, लेकिन आरक्षण की घोषणा की जा रही है। आज लोगों में "सूत न कपास जुलाहों में लट्ठमलट्ठा" वाली स्थिति बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि नौकरियों में अभी तक कुल कितने आरक्षित स्थान नहीं भरे जा सके हैं, रिक्त हैं; इसकी समीक्षा की जाए और इसकी जानकारी लोगों को दी जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्यारे लाल हाण्डू (अनन्तनाग) : मैं नेशनल कांफ्रेंस के एक भूतपूर्व विधायक के साथ घटी उस दुर्घटना को, जिसमें कल घर जाते समय गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गयी है, सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। हम कश्मीर में सामान्यत: और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय राजनीतिज्ञों को पंजाब की ही भांति सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध बार बार सरकार से कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात् हमने आशा की थी कि स्थिति में सुधार होगा परन्तु कल जनता दल के एक कार्यकर्त्ता को और नेशनल कांफ्रेंस के एक भूतपूर्व विधायक को गोली मार दी गयी थी, उनमें से एक की मृत्यु कल ही हो गई थी और दूसरा आज अस्पताल में दम तोड़ रहा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं को सक्रिय बने रहने और राजनैतिक सक्रियता बरकरार रखने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए। पंजाब में दी जा रही सुरक्षा की भांति उन्हें शीघ्र ही सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के एक हजार से अधिक कर्मचारी करीब तीन सप्ताह से संसद भवन के निकट शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया है। यह सरकार के पिछले वायदे का उल्लंघन है। यहां तक कि वर्तमान जल संसाधन मंत्री महोदय द्वारा किया गया वायदा भी पूरा नहीं किया जा रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का महत्व समझते हैं। इसे वर्ष 1984 में बिहार में पश्चिमी कोसी नहर पर कमला नदी के आर-पार साइफन के निर्माण का कार्य दिया गया था। पांच वर्षों तक राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम अपना कार्य शुरू भी नहीं कर पाया।

नयी सरकार ने इस वर्ष उसी कार्य के लिए पुन: राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की निविदा स्वीकार की है और उसे ही यह कार्य सौंपा है। हम चाहते हैं कि उन्हें यह कार्य शुरू कर देना चाहिए। यदि राष्ट्रीयपरियोजना निर्माण निगम साइफन का निर्माण करता है तो इन सब कर्मचारियों को नौकरियां दी जा सकती है। न ही वे काम शुरू कर रहे हैं और न ही वे कर्मचारियों को काम पर जाने की अनुमति दे रहे हैं। सिर्फ इस कारण ही वे कोई हिंसात्मक रवैया अपनाये बगैर धरने का सहारा ले रहे हैं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस सभा में माननीय मंत्री महोदय को वक्तव्य देने और धरने पर बैठे कर्मचारियों के साथ बातचीत शुरू करने का निर्देश दें।

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : महोदय, खाड़ी देशों से भारतीय नागरिक अब दो हवाई जहाजों से प्रतिदिन वापस लौट रहे हैं। कस्टम अधिकारियों द्वारा उन्हें ठगा जा रहा है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। आप जानते है जल्दबाजी में वे अपना जो भी सामान उठा पाये उसी को लेकर आ गये हैं। कल एक व्यक्ति एक छोटे टी० वी० सेट को लेकर आया। उसने एक लुंगी पहन रखी थी। उसके पास और कुछ भी नहीं था। उसके पास कोई रकम नहीं थी। उस टी० वी० सेट के लिए उस पर 6000 रुपये जुर्माना किया गया। अतः हम चाहते हैं कि सरकार को कस्टम विभाग को यह निर्देश देना चाहिए कि 10,000 रुपये या 5,000 रुपये तक कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

साथ ही रेलवे द्वारा इन व्यक्तियों को केरल की तीन दिन की यात्रा के लिए सिर्फ 25 रुपये दिये जा रहे हैं। उन्हें एक सुविधाजनक रकम दी जानी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में यह बहुत ही कम रकम है। यह उनके लिए अपमानजनक है। अतः सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र निर्देश दिये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.30 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

1.28 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.30 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.34 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.34 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्रीयकृत बैंको के निजीकरण के बारे में —(जारी)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : महोदय, सुबह बैंकों के निजीकरण के सम्बन्ध में एक मुद्दा उठाया गया था और यह मांग की गयी थी कि श्री शास्त्री जी को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। अतः अब श्री शास्त्री जी इसका स्पष्टीकरण देंगे।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। रविवार को बड़ोदा में खुले रूप से एक चर्चा की गयी थी जिसमें मैंने भाग लिया था। बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के सम्बन्ध में अनेक परामर्श दिये गये थे। एक वक्ता ने यह भी कहा था कि जब

विदेशों की 115 शाखाओं से 100 करोड़ रुपये का मुनाफा हो सकता है तो 55000 राष्ट्रीयकृत शाखाओं से हमें सिर्फ 65 करोड़ रुपयों का मुनाफा क्यों होता है। एक परामर्श यह भी था कि बतौर प्रयोग सरकार द्वारा पांच बैंकों का निजीकरण किया जा सकता है। लेकिन मैंने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अनेक लोग सम्बन्धित है और इस पर राष्ट्रीय वाद-विवाद किया जा सकता है। एक बार फिर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा और इस मुद्दे पर सरकार के निर्णय को दोहराऊंगा कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, फिर भी सरकार द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य जारी किया जाना बहुत ही अधिक आपत्तिजनक है। इससे गलत संकेत मिलता है।...
(व्यवधान)

श्री पी० उपेन्द्र : वे कहते हैं कि उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया।]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उन्होंने इस प्रकार से जवाब दिया है कि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा की जा सकती है। वे कहते हैं कि सरकार की कोई नीति नहीं है।

श्री अनिल शास्त्री : खुली सभा में अथवा सेमिनार में सुझाव दिये जाते हैं और किसी भी विषय पर राष्ट्रीय वाद-विवाद किया जा सकता है। आज राष्ट्रीय वाद-विवाद का विषय राष्ट्रीयकृत बैंकों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली और उनकी सेवाओं में गिरावट है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं में गिरावट और उनकी दोषपूर्ण कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। अत: यह "क ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग खुलकर चर्चा कर सकते हैं। यदि कोई परामर्श दिया जाता है तो उसे हम रोक नहीं सकते हैं। यदि इस मुद्दे पर चर्चा की जानी है तो इस पर चर्चा की जा सकती है और यदि इस प्रकार का सुझाव हो जिससे बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जा सकता है. तो मैं समझता हूं कि हम सभी को इससे खुशी होगी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : सरकारी क्षेत्र के बैंकों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा की जा सकती है। सरकार की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली के बारे में भी चर्चा की जा सकती है। अत: इसका अर्थ क्या यह है कि आपको सरकार का निजीकरण कर देना चाहिए? यह चर्चा का विषय हो सकता है। मुख्य बात यह है कि गलत विकल्प सुझाये गये हैं। एक लाभकारी है और दूसरा नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली भिन्न है क्या कोई भी विदेशी बैंक निर्धन वर्ग के लोगों को ऋण देता है?

इसलिए, महोदय मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार को कोई भी मंत्री इस हद तक उदार है कि इस प्रश्न पर चर्चा की जानी चाहिए तो इससे देश में गलत धारणा बनती है। विशेषतौर पर इसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि सभा में सभी दल औद्योगिक नीति तथा उदारीकरण नीति की आलोचना करते हैं और यदि ऐसा संकेत है तो कोई भी नहीं जानता कि यह देश कहां जाएगा। इसलिए, मैं यह निवेदन करता हूं कि सरकार को अपनी घोषणा में बहुत सावधान रहना चाहिए तथा दृढ़ता के साथ यह इंगित करना चाहिए कि ऐसे मामलों पर कतई विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, समाचार में यह कहा गया है कि मन्त्री महोदय ने यह सुझाव दिया है और अब मन्त्री जी यह कह रहे हैं कि यह सुझाव चर्चा में भाग लेने

वाले एक सदस्य ने दिया था। यदि यह बात है तो एक सरकारी वक्तव्य जारी किया जाना चाहिए तथा केवल संसद को बता देना ही ठीक नहीं है। आपने इसे यहां स्पष्ट कर दिया है परन्तु इसे समाचारों में भी आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मन्त्री महोदय ने यह स्पष्ट बता दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। क्या आप यह कह रहे हैं कि आपने वक्तव्य नहीं दिया है ?

श्री अनिल शास्त्री मैं यह कहना चाहता हूं कि सभा में खुली चर्चा में जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, हर कोई अपनी बात कहने के लिए स्वतन्त्र है। यह कोई सुझाव दे सकता है अन्यथा वही सदस्य यह शिकायत करेगा कि उप वित्त मंत्री खुली सभा को सेंसर करने की कोशिश कर रहे थे।

श्री चित्त बसु (बारसात) : यह टिप्पणी चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों में से एक ने की थी और मंत्री महोदय उपस्थित थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में भारत सरकार का दृष्टिकोण बताते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी। दूसरी ओर उन्होंने यह कहा है कि यह एक सुझाव है और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता होनी चाहिए। इसलिए, इसका तात्पर्य यह है कि सरकार का भी यह दृष्टिकोण है कि इस प्रकार की चर्चा में सभी को भाग लेना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि इससे गलत धारणा बनती है।

2.40 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आर्कोनम और मद्रास के बीच बिजली से चलने वाले इंजनों से रेलगाड़ियां चलाए जाने की मांग

***श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम)** : महोदय, फिलहाल एक ई० एम० यू० गाड़ी सेवा है जो सुबह 8 बजे आर्कोनम से शुरू होती है और मद्रास सेंट्रल पर लगभग सुबह 10 बजे पहुंचती है। एक एक्सप्रेस गाड़ी सेवा भी है जो जोलारपेट से सुबह लगभग 7.15 बजे शुरू होती है तथा आर्कोनम होती हुई लगभग सुबह 9 बजे मद्रास सेंट्रल पर पहुंचती है। परन्तु आर्कोनम रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही यह गाड़ी पूरी भरी हुई होती है।

महोदय विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए 20,000 से भी अधिक लोग हैं जो आर्कोनम तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में रहते हैं और जिन्हें प्रतिदिन मद्रास सेंट्रल पर पहुंचने के लिए कठिनाई हो रही है। उपरोक्त गाड़ियां पहले ही भरी हुई चल रही हैं चूंकि वे विभिन्न वर्गों के दैनिक यात्रियों को लाती और ले जाती हैं।

इसलिए, मैं यह निवेदन करता हूं कि रेल मंत्रालय को आर्कोनम से सुबह लगभग 7.45 या 8 बजे शुरू होकर मद्रास सेंट्रल पर लगभग सुबह 9.15 बजे पहुंचने के लिए तथा शाम को वही सेवा जो मद्रास सेंट्रल से शाम को लगभग 6.30 बजे शुरू होकर आर्कोनम लगभग 7.45 बजे पहुंचने के

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लिए एक ई०एम०यू० सेवा शुरू करने हेतु तत्काल कदम उठाने चाहियें ताकि दैनिक यात्रियों की परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सके।

(दो) कर्नाटक की अपर भद्रा परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : काफी अर्से से लम्बित उपरी भद्रा परियोजना सूखा पीड़ित चित्रदुर्ग जिले के लिए रामबाण मानी जाती है। यदि इस परियोजना को कार्यान्वित कर दिया जाता है तो यह तुमकुर और कोलार जिलों में भी कई तालुकों के लिए वरदान साबित होगी। कर्नाटक के लोग विशेषतौर पर सूखा पीड़ित चित्रदुर्ग, कोलार तथा तुमकुर के लोग प्राथमिकता के आधार पर इस परियोजना के तत्काल कार्यान्वन हेतु निवेदन कर रहे हैं।

चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं हेतु योजना आयोग केवल 30 करोड़ रुपये दे रहा है और यह आशंका है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को शायद निकट भविष्य में कार्यान्वित न किया जाए। गरीब किसानों को बचाने हेतु इस परियोजना को तत्काल शुरू करना बहुत आवश्यक है। पड़ोसी राज्यों आन्ध्र प्रदेश तमिलनाडु तथा केरल की तुलना में कर्नाटक में सिंचित भूमि की प्रतिशतता बहुत कम है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुख्य सिंचाई परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करे तथा इसे पूरा करने हेतु चालू वित्त वर्ष में इस हेतु कम से कम 150 करोड़ रुपये आवंटित करे।

(तीन) रोसेड़ा, बिहार में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री बलाई चौधरी (रोसेड़ा) : बिहार राज्य के रोसड़ा संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत कल्याणपुर, विरोल, कुशेश्वर स्थान एवं हसनपुर प्रखण्ड के सभी टेलीफोन विगत वर्ष 1987 से ही खराब पड़े हैं तथा जनता की शिकायत के बावजूद भी टेलीफोन ठीक नहीं किये जा सके हैं। उक्त सभी प्रखंडों के टेलीफोन को खगड़िया एक्सचेंज से जोड़ा गया है जब कि दरभंगा एवं समस्तीपुर एक्सचेंज से जोड़ा जाना चाहिये। साथ ही रोसेड़ा में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की अति आवश्यकता है। रोसड़ा के एक्सचेंज को दल सिंह सराय नियम के विरुद्ध ले जाया गया था।

अतः रोसड़ा में एक नया इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज की स्थापना एवं पूरे संसदीय क्षेत्र के खराब टेलीफोन को अविलम्ब बनाने की मांग करता हूं।

(चार) चम्पारन का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा (बेतिया) : महोदय, पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारन के जिले, मूलतः चम्पारन, राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि है जहां से गांधी जी ने मातृभूमि को अंग्रेज-दासता के बन्धन से मुक्त कराने हेतु 1917 में स्वतन्त्रता आन्दोलन शुरू किया था। यह केवली

संयोग ही है कि पश्चिमी चम्पारन के रामपुरवा गांव में चन्द्रगुप्त मौर्य के जन्म के 2300 वर्ष पश्चात् गांधी जी उसी गांव में पहुंचे तथा भितिहरवा आश्रम में नीलहरे यानि नील की खेती कराने वाले अंग्रेजों के सामने डट गये। रामपुरवा तथा भितिहरवा लगभग साथ-साथ 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चम्पारन में लोरिया नन्दनगढ़, चकीगढ़, लोरिया अपराज जैसे कई विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं जहां 5 अशोक स्तम्भ है जो विश्व में कहीं भी नहीं पाए जाते। रामपुरवा में अशोक स्तम्भ की एक 'बुल केपीटल' नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल के समक्ष खड़ी है, जबकि दूसरे रामपुरवा स्तम्भ की 'लायन केपीटल' अभी तक कलकत्ता के अजायबघर में रखी है। 'लायन केपीटल' वाले अशोक स्तम्भ चम्पारन को सिद्धार्थ द्वारा त्याग की भूमि का प्रतीक बनाते हैं जो तदन्तर विश्व में गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए और उसके बाद वह चम्पारन जिस मार्ग से आए वही महान सन्त बाल्मिकी की भूमि है। भारत के गौरवशाली अतीत को उभारने के लिए यह आवश्यक है कि बुद्ध के क्षेत्र को वैशाली से बढ़ा कर चम्पारन में उपरोक्त क्षेत्रों तक लाया जाना चाहिए और पर्यटकों हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास करके चम्पारन को राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र पर लाया जाना चाहिए।

(पांच) चिकित्सा की इलेक्ट्रोपैथी पद्धति को मान्यता दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ सिंह (सीधी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि हमारे देश में चार चिकित्सा पद्धतियां कई वर्षों से प्रचलित हैं, जैसे ऐलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी। ये पद्धतियां स्वास्थ्य मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हैं। कई वर्षों से इलैक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो-होम्योपैथी पांचवीं चिकित्सा पद्धति का एन.ई. एच. एम. आफ इण्डिया के द्वारा प्रचार/प्रसार किया जा रहा है, जिसके अतर्गत 60 मेडिकल संस्थान सम्पूर्ण भारतवर्ष में बी०ई० एम० एस० तीन वर्षीय डिप्लोमा में कार्यरत हैं। एन. ई. एच. एम. आफ इंडिया, नई दिल्ली के अनुरोध पर 1988 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने हेतु एक कमेटी गठित की। पांच सदस्यों वाली इस कमेटी में चार एलोपैथी डाक्टर व एक डाक्टर होम्योपैथी के थे, लेकिन कमेटी का समय पूरा हो जाने के बाद भी आज तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रेषित नहीं की है। इस चिकित्सा पद्धति को, जो अन्य चिकित्सा पद्धतियों से अत्यन्त गुणकारी एवं हानिरहित है, मान्यता दी जाये। मेरा स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस कमेटी की रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर मंगायें तथा इस रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर, इसे सभा-पटल पर रखने का कष्ट करें। एन ई एच एम. आफ इण्डिया, नई दिल्ली को सरकार संरक्षण प्रदान करे व इस पद्धति का भविष्य उज्ज्वल बनाये।

श्री गोपाल सिंह मक्कासर (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं नियम 377 के अधीन अपने वक्तव्य को सदन में उठाऊ, मैं आपका और सदन का ध्यान बीकानेर के खिलाड़ियों के दर्द और उनके गोल्ड मैडल्स की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का केवल टैक्स्ट ही रिकार्ड में आयेगा।

(व्यवधान)

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : मैं नियम 377 के अधीन अपना वक्तव्य ही दे रहा हूं, उससे पहले सदन का ध्यान इन गोल्ड मैडल्स की तरफ दिलाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, प्लीज ऐसा मत करिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपने आप देख लूंगा, आप क्यों बीच में खड़े हो रहे हैं।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

(छ;) देश में, विशेषकर बीकानेर, राजस्थान में साइकिल दौड़ प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए समुचित कदम उठाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि राष्ट्रीय खेलों में बीकानेर शहर व उसके आसपास के क्षेत्र का विशिष्ट स्थान रहा है। विशेष तौर पर साईकलिंग में, गत बीस वर्षों से राष्ट्रीय स्तर की साईकलिंग प्रतियोगता में बीकानेर सर्वप्रथम रहा है। अगर उसे रोडकिंग की उपाधि दी जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओलंपिक व ऐशियाड खेलों में जब हम 83 करोड़ के अपने विशाल देश के खिलाड़ियों की हालत देखते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हमारे इस देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मगर प्रतिभावान खिलाड़ियों, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के खेलों में स्वर्ण-पदक प्राप्त किये हैं, उनके खाने, उनकी खुराक तक की समुचित व्यवस्था नहीं है, यद्यपि एशियाड के नाम से अनेकों फ्लाई-ओवरों पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया।

श्रीमन्, बीकानेर में अनेक ऐसे साईकलिंग के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने दर्जनों स्वर्ण-पदक व अन्य राष्ट्रीय पदक प्राप्त कर रखे हैं, जो नये से नये राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय कीर्तिमान कायम करना चाहते हैं, मगर उनके अरमान गरीबी के कारण धूमिल हो रहे हैं। ऐसे खिलाड़ियों को न नौकरी की कोई व्यवस्था है, न खाने व खुराक की व्यवस्था है और न कोचिंग के लिये किसी कोच या ट्रैक की व्यवस्था है और न कोचिंग के लिये किसी कोच या ट्रैक की व्यवस्था है। स्टेडियम की सुविधा भी नहीं है। बीकानेर में साइकलिंग के लिये ट्रैक है मगर कोच इजाजत नहीं देते, ट्रैक पर साईकिल चलाने की। अगर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार थोड़ा भी ध्यान इन खिलाड़ियों की खुराक, नौकरी तथा कोचिंग की तरफ दे तो अनेक साईकलिंग में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बीकानेर से निकल सकते हैं।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। मैं इसे इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि यह हमारे दल से सम्बन्धित है। मैंने देखा है कि, बार-बार सभा में विभिन्न पक्षों द्वारा सभा में कई चीजें दिखाई जाती हैं जो हमारे नियमों के अनुसार बहुत ही आपत्तिजनक बात है। मैं विशेषतौर पर इस बात का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि वह मेरे दल से सम्बन्धित हैं। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। हाल ही में इस तरफ से तथा उस तरफ से कमीजें दिखाई गई और उधर से फिर कमीजें दिखाई गई। मुझे स्पष्टतया याद है कि जब मैं दूसरी सभा का सदस्य था तो दूसरे दिन अध्यक्ष पीठ ने मुझे क्षमा मांगने को कहा था।

अब, इस सभा में बहुत अधिक लोकतांत्रिक प्रवृति के कारण जो शायद अराजकता तक पहुंच गई है, हम इन सब बातों की अनुमति दे रहे हैं। शायद ऐसा अज्ञानतावश भी हो रहा है। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सभा के सभी सदस्यों की यादास्त ताजा करने हेतु बुलेटिन में इस बात का उल्लेख कर दिया जाना था हुए कि यहां सभा में ऐसी भौतिक वस्तुओं का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। अतः, आपसे यह निवेदन करने हेतु मैं खड़ा हुआ हूं। मैंने अपनी बात पूरी कर ली है।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : वर्तमान मंत्रियों में से एक, प्रो० मधु दण्डवते ने सभा में एक बार एक रिवाल्वर दिखाई थी। उस वक्त यह सिद्धान्त कहां था? कुछ भी नहीं किया गया था। कोई क्षमा याचना नहीं की गई थी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमें क्या करना चाहिए?

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर : उन्होंने राज्य सभा का उल्लेख क्यों किया?

उपाध्यक्ष महोदय : कमल चौधरी जी, आप आपस में क्यों बोल रहे हैं? यह बात बिल्कुल सही समझी गई है। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य भी यह जानते हैं। इस बारे में उन्हें सूचित करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन, यद्यपि यह उचित नहीं है, हम अच्छी भावना से समझते हैं कि वह समझेंगे कि सदस्य भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे और हम इस मुद्दे को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस बारे में कुछ भी परिचालित करना जरूरी नहीं है। इस बारे में पहले से ही पत्रों में कहा गया है। माननीय सदस्य काफी जिम्मेदार सदस्य हैं। उनका व्यवहार सही है। अगर उन्होंने कभी ऐसा किया है तो किसी दुर्भावना से नहीं किया। अब श्री पी० सी० थामस बोलेंगे।

श्री लोकेश सिंह बच्चासर : आप मुझ पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें अनुमति दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। मैं आपके ऐसा करने पर आपत्ति करता हूं। हां, श्री थामस बोलिए।

(सात) केरल में कोट्टायम जिले के मीनाचिल तालुक में मेलुकावू के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास किए जाने की मांग

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुषा) : केरल के कोट्टायम जिले के मीनाचिल तालुक में गिरिजनों की बड़ी बस्ती वाला मेलुकावू पहाड़ी क्षेत्र सड़क सुविधाओं के अभाव में बहुत दयनीय स्थिति

में है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नेल्लापारा, कोलानी, मेचल और ऐक्मपारा इत्यादि क्षेत्रों को उचित सड़कों द्वारा जोड़ने के लिए इस क्षेत्र का विकास करने हेतु वह केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि और अथवा किसी अन्य योजना की मंजूरी दे। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े सघन आबादी वाले गिरिजन क्षेत्रों को अत्यधिक राहत मिलेगी।

(आठ) मैसर्स बंगाल इनेमल वर्क्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल का पुनरुद्धार किए जाने की मांग

डा० देबी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : पश्चिम बंगाल में स्थित मैसर्स बंगाल इनेमल वर्क्स लिमिटेड, जो वर्ष 1921 में "स्वदेश आन्दोलन' के दौरान स्वर्गीय आचार्य पी० सी० राय के सक्रिय मार्गदर्शन, समर्थन तथा सहयोग से स्थापित की गई थी, अब बन्द पड़ी है जबकि विशेषज्ञों की समिति के अनुसार यह फैक्ट्री लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। इसके बन्द होने से कर्मचारी काफी कठिनाई में हैं और 20 से अधिक कर्मचारियों ने भूख से बचने के लिए आत्महत्या कर ली है। कम्पनी को फिर से चालू करने लिए पहले से ही उद्योग मंत्रालय को भेजे जा चुके प्रस्ताव पर तत्काल विचार किया जाए। इस कम्पनी के दुबारा चालू होने से भूख से पीड़ित हजारों कर्मचारियों को काम मिलेगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस कम्पनी को पुनः चालू करने के लिए समुचित वित्तीय सहायता प्रदान करे।

2.55 म०प०

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 21 अगस्त, 1990 को पेश किए गए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक पर विचार करेगी। श्री ए० एन० सिंह देव अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्रीमती के० जमुना (राजामुन्द्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आप एट्रासिटीज ऑन वूमन को पोस्ट पोण्ड कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

सूची में अनेक महिला वक्ताओं के नाम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपस में चर्चा करेंगे और हम बाद में देखेंगे। श्री ए.एन. सिंह देव।

श्री ए०एन० सिंह देव (आस्का) : महोदय, भारत में प्रसारण का कार्य 20 या 30 के दशक में आरम्भ किया गया था। तब से लेकर सरकार ने प्रसारण सेवा को अपने नियंत्रण में रखा और यह सरकार का नियमित अंग बन गयी। आजादी के बाद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित पद्धति का कांग्रेस सरकार द्वारा अनुपालन किया गया और अभी तक "इलैक्ट्रानिक मीडिया' अर्थात् आकाशवाणी और दूरदर्शन पूर्णतया सरकार के नियंत्रण में थे। वस्तुतः सरकार ने ही अपने

उद्देश्य हेतु इस माध्यम का उपयोग किया। यह सभी जानते हैं कि कुछ समय पूर्व ए० आई० आर० को हम 'आल इन्दिरा रेडियो' कहा करते थे। यह स्वाभाविक ही है कि जब विपक्ष अर्थात् कांग्रेस पार्टी में हमारे मित्र 'इलेक्ट्रानिक मीडिया' को स्वायत्त देने की बात करते हैं तो वे पूरे मामले पर भ्रमित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप, एक सदस्य ने विधेयक की आलोचना की और कहा कि प्रसार भारती विधेयक में किसी भी प्रकार की स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई है जबकि एक अन्य सदस्य से स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी पार्टी स्वायत्तता में विश्वास नहीं करती और वे चाहते हैं कि यह माध्यम सरकार के अधीन ही रहें। मैं अपने माननीय मित्र श्री कृष्ण कुमार के भाषण का उल्लेख करते हुए उन्हें उद्धृत करता हूं :

> "यह विधेयक कार्यात्मक स्वायत्तता की वास्तविक जरूरतों से भी आगे है और इस शक्तिशाली माध्यम को राजनैतिक कार्यपालिका के प्रभाव एवं नियंत्रण से बाहर ले जाता है।"

इस प्रकार, उनका तर्क यही है कि इस माध्यम को राजनैतिक कार्यपालिका अर्थात सरकार के नियंत्रण में रखा जाए ताकि सरकार स्वयं अपने प्रचार तथा व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं तथा उनकी नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़-चढ़ा कर बताने में इस माध्यम का उपयोग कर सके। वह यह भी कहते हैं :

> "कांग्रेस पार्टी केवल कार्यात्मक स्वायतत्तता की पक्षधर है, वह यह नहीं चाहती कि इलेक्ट्रानिक मीडिया' पर से संसद और कार्यपालिका के नियंत्रण को हटा दिया जाए।"

महोदय, अनेक सदस्यों ने संसद के नाम पर कहा है कि इस पर संसद का नियंत्रण हो। लेकिन हमारे मित्र तथा वरिष्ठ सदस्य आडवाणी जी ने कल कहा था कि संसद का नियंत्रण का अर्थ संसद में बहुमत वाले दल अर्थात सरकार का नियंत्रण होगा। इस प्रकार वे अपरोक्ष रूप में यह कह रहे हैं कि यह माध्यम सरकार और संसद के भी नियत्रण से बाहर नहीं जाना चाहिए।

महोदय, दूसरे मित्र श्री बसन्त साठे ने कहा है कि हर पार्टी ने चुनावों से पूर्व अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा था कि प्रसारण माध्यम, 'इलेक्ट्रानिक मीडिया' को स्वायत्तता दी जानी चाहिए और इसलिए वे इस मत का समर्थन कर रहे हैं।

3.00 म०प०

लेकिन दूसरी तरफ वह कहते हैं कि इस विधेयक में किसी प्रकार की स्वायत्तता नहीं दी गई है। अब, उनकी परिभाषा के मुताबिक स्वायत्तता का अर्थ स्वायत्त सरकार है। वह कहते हैं कि दूर-दर्शन और रेडियो को स्वायत्तता देने में कोई अन्तर नहीं है, बल्कि स्वायत्तता का अर्थ स्व-शासन की शक्ति या अधिकार है। अभी हमें यह सीखना है कि यह स्व-शासन अथवा स्वायत्तता इस प्रसारण माध्यम के बारे में इस प्रसारण माध्यम में कोई स्व-शासन नहीं है। संभवत: श्री साठे तब यह कहेंगे कि राज्य की स्वायत्तता पूर्ण नहीं है क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में नहीं है। क्योंकि 30,000 अधिकारियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है अथवा वे प्रबन्धकों के अधीन नहीं है, उनके प्रबन्ध निदेशक की उपेक्षा की जाती है. निदेशकों की उपेक्षा की जाती है, अत: यह स्वायत्तता नहीं है। इस प्रकार हमें अभी स्वायत्तता के बारे में श्री साठे से सीखना है।

उनके मुताबिक अगर कोई नियम निदेशकों अथवा अधिकारियों को प्रतिनिधित्व अथवा प्रबन्धकार्य नहीं देता है तो यह स्वायत्तता नहीं है।

मेरे पक्ष में से भी मेरे कुछ मित्र यह मुद्दा उठा रहे थे कि इसमें कामगारों को भी शामिल किया जाए। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की यह नीति है कि उद्योग में कामगारों की भी भागीदारी हो। आप यह नहीं कह सकते कि दूरदर्शन या प्रसार भारती अथवा हम जिस निगम का गठन कर रहे हैं वह उद्योग हैं। यह तो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई एजेन्सी है जो सरकार से 'इलेक्ट्रानिक मीडिया' की शक्ति ले लेगी क्योंकि उसने विगत में इसका बहुत गलत उपयोग किया है, इसके तहत तो एक स्वायत्त निकाय स्थापित किया जाना है ताकि 'मीडिया' स्वतन्त्र रहे। हम प्रैस की तरह पूर्णतया स्वतन्त्र 'मीडिया' नहीं ला सकते। हम जानते हैं, विश्वभर में इस 'इलेक्ट्रानिक मीडिया' का महत्व बड़ा है। हर देश का अपने प्रसारण माध्यम के प्रबन्धन का अपना तरीका है। इसका एक रूप तो अमेरिका में है जहां पर मीडिया पूर्णतया स्वतन्त्र है। वहां पर यह गैर सरकारी क्षेत्र के नियंत्रण में है। फिर, इसके विपरीत अर्थात साम्यवादी देश हैं, वहां पर 'मीडिया' पूर्णतया सरकार के नियन्त्रण में है। इस प्रकार हम इन दोनों के बीच की स्थिति में हैं, हम प्रसारण माध्यम को पूर्णरूप से गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं दे सकते और न ही हम यह चाहते हैं कि यह पूर्णतया सरकार के नियंत्रण में रहे।

कल एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा था कि कांग्रेस की नीति में यह प्रावधान था कि सम्पूर्ण 'मीडिया' को गैर सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से जब मौजूदा सरकार ने इस विचार को विफल कर दिया तो वे दोहरी बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है कि हमें इस एजेन्सी की स्थापना नहीं करनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहता है कि यह उचित स्वायत्तता नहीं है।

हमारे मित्र श्री बसन्त साठे द्वारा उठाए गए एक और मुद्दे की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। उनका यह कहना कि संचार माध्यमों की स्थिति और भी खराब हो जायेगी क्योंकि इसके कारण सरकार के हाथ से केवल यह राशि ही नहीं निकल जायेगी बल्कि वे लोग पूंजीपतियों के दास भी बन जायेंगे। ये पूंजीपति सारी प्रणाली पर अधिपत्य जमा लेंगे। यह एक बहुत ही विचित्र तर्क है एक तरफ ये कहते हैं कि हमें अमरीका की तरह संचार माध्यमों को निजी कम्पनियों अर्थात् पूंजीपतियों को सौंप कर उन्हें स्वतन्त्र कर देना चाहिए परन्तु यह कह कर वह अपनी आलोचना कर रहे हैं। इस प्रकार हम अपने मित्रों की दुविधा को समझ रहे हैं जिनकी स्थिति एक तरफ राक्षस और दूसरी तरफ गहरे समुद्र जैसी है। उनका यह कहना कि वे इस प्रसारण निगम अथवा प्रसार भारती का स्वागत करते हैं, उनके अपने ही उद्देश्यों के विपरीत है क्योंकि इसके लिए उन्होंने सालों से कुछ नहीं किया। अब वे इसका श्रेय यह कह कर लेना चाहते हैं कि उनके चुनाव घोषणा पत्र में इसका प्रावधान है। अगर उनके चुनाव घोषणा पत्र में इसका प्रावधान है तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इससे पहले भी तो उनके बहुत से चुनाव घोषणा पत्र जारी हुए हैं। क्या कभी इन्होंने उनमें यह प्रावधान करने की कोशिश की कि संचार माध्यमों को सरकारी नियन्त्रण से निकाल कर प्रसार भारती जैसी संस्था को सौंपा जा सके। पिछले 20-30 वर्षों से वे क्या कर रहे थे। उन्होंने संचार माध्यमों को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त क्यों नहीं किया। क्योंकि यह सर्वविदित

है कि संचार माध्यमों का गठन इस प्रकार किया गया है कि वह प्रचार तथा सत्ता दल का प्रयोजन हल कर सके। इसलिये राष्ट्रीय मोर्चा सरकार इसके लिये वचनबद्ध है कि यह विधेयक लाया जाये तथा संचार माध्यमों के सरकारी नियन्त्रण से मुक्त किया जाये। अब उनका यह कहना है कि संविधान के अन्तर्गत प्रसार भारती, जिसका कि गठन किया जा रहा है, प्रसारण माध्यमों के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं। परन्तु, आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 12 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार :

(2) निगम अपने कृत्यों के निर्वहन में निम्नलिखित उद्देश्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, अर्थात् :—

(क) देश की एकता और अखण्डता तथा संविधान में दिये गये लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखना;

आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे विचार में इतना पर्याप्त है इतना ही नही, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, जो कि प्रसार भारती को सवैधानिक गरिमा प्रदान करेंगी। उन्हें ये कार्य करने होंगे। उन्हें महिला कल्याण तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण की ओर ध्यान देना होगा। उन्हें खेलों को प्रोत्साहन देना होगा उन्हें सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना होगा तथा सामाजिक शोषण से लड़ना होगा। मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्त्तव्य जैसे सिद्धान्त, जो कि संविधान में निहित हैं, उनके पालन का उत्तरदायित्व प्रसार भारती को सौंपा गया है। इसलिये, आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्रसार भारती सविधान की परिधि से बाहर चला जायेगा तथा इससे संविधान प्रभावहीन हो जायेगा। मेरे विचार में उन्हें इस बात का डर है कि प्रसार भारती के कारण कार्यकारिणी तथा सरकार के कार्यकलापों की आलोचना आरम्भ हो जायेगी, जो कि उन्हें पसन्द नहीं। उनका यह कहना है कि इस निगम का अध्यक्ष कोई अनुभवी प्रशासक होना चाहिए जिसे प्रबन्ध, प्रसारण, शिक्षा जैसे क्षेत्रों का अनुभव हो उनका यह कहना है कि इतनी योग्यतायें एक आदमी के पास होना मुश्किल है इसलिए आपको इसके उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलेगा। फिर उनका यह कहना है कि आर्थिक प्रावधान यह है कि इस निगम में एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आर्थिक मामलों तथा सरकार का व्यवहारिक अनुभव होगा। बाद में उनका यह कहना है कि ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिल सकता। भारत जैसे विशाल देश में जहां कि हमें ऐसे प्रशासक, अनुभवी ससदविद्, प्रधान मंत्री तथा अनुभवी मंत्री मिल सकते हैं, जो कि दुनिया के किसी भी समान पदाधिकारी से अधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं, तो हमें ऐसे पदाधिकारी क्यों नहीं मिल सकते। शायद मेरे मित्र यह कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे अनुभवी व्यक्ति ढूंढने चाहिए जैसे कि कांग्रेस के शासनकाल में नियुक्त किए थे। मेरे विचार में वे ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति का स्वागत करते जो कि नेताओं के प्रति वफादारी दिखाने में प्रसिद्ध हों। उनके कथनानुसार उन्हें नेता के प्रति वफादार होना चाहिए कार्यकारी अध्यक्ष को चापलूसी का अनुभव होना चाहिये, उसमें संचार माध्यमों को दबाने की योग्यता होनी चाहिये, उसे दस्तावेजों में हेराफेरी करने में दक्ष होना चाहिए और लोगों को गलत जानकारी देने में प्रवीण होना चाहिए। वित्त विभाग के अध्यक्ष को बोफर्स जैसे सौदे पटाने में निपुण होना चाहिये इसलिये, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रसार भारती लाने की वचनबद्धता केवल जनता दल की ही नहीं है बल्कि जनता पार्टी तथा इस पक्ष के सभी सदस्यों की है। यह वचनबद्धता कई वर्षों से है।

मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है और उस पर मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मैं उन सदस्यों से सहमत हूं कि इस प्रणाली में कम से कम संसद की आवाज सुनिश्चित की जानी चाहिये। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रपति को अध्यक्ष मण्डल के सदस्यों के चयन में सलाह देने के लिये गठित की जाने वाली समिति में लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। मैं उन सदस्यों के विचार से भी सहमत हूं तथा इसका समर्थन करता हूं कि सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति जैसी दूसरी समितियों की तरह ही प्रसार भारती के कार्य निष्पादन पर नजर रखने के लिये एक समिति का गठन किया जाना चाहिये। उसे यह ज्ञात हुआ है कि हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री आडवाणी जी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसे शायद सरकार स्वीकार कर ले··· (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। क्या ऐसा नहीं है ?

श्री ए० एन० सिंह देव : इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानता। केवल मंत्री महोदय ही बता सकते हैं। परन्तु, मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं। दूसरी बात यह कि हमें प्रसार भारती के इस पहलू को नहीं भूलना चाहिये कि भारत में संघीय प्रणाली है, एकात्मक नहीं। इसलिये, एक संघीय प्रणाली वाले देश में, संचार माध्यमों का भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। दुर्भाग्यवश, प्रस्तावित प्रसारण निगम अथवा प्रसार भारती सम्पूर्ण रूप से एक केन्द्रीय संगठन है। हम एक पूर्णतया विकेन्द्रीकृत संचार माध्यमों की कल्पना नहीं कर सकते। अगर मुझे ठीक से याद है तो हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री हेगड़े ने यह मांग की थी कि दूसरा चैनल राज्यों को सौंप दिया जाना चाहिये। और, हम इस मुद्दे के विस्तार में नहीं जायेंगे परन्तु, कम से कम हमें इतना सुनिश्चित अवश्य करना चाहिये कि क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रों तथा क्षेत्रीय दूरदर्शन के लिए अलग से परिषद गठित हो जिसे कि केन्द्रीय परिषद को सौंपे गए विषयों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त हो। अन्यथा हमें एक ऐसा केन्द्रीयकृत प्रसारण निगम प्राप्त होगा जिसके अन्तर्गत जो भी प्रसारित किया जायेगा, वह सारे देश को सुनना पड़ेगा।

कुछ, समय पहले मैं कलकत्ता में था और वहां चिड़ियाघर देखने गया। वहां पर एक बहुत ही विचित्र जानवर है जो कि चीते और शेर का मिला जुला रूप है। वे इसे 'टाइगन' के नाम से पुकारते हैं। प्रातः का दूरदर्शन का प्रसारण कुछ ऐसा ही होता है। प्रातः के कार्यक्रम में एक वाक्य अंग्रेजी में बोला जाता है। इसलिये न तो हिन्दी जानने वाला ही पूरा कार्यक्रम समझ पाता है और न ही अंग्रेजी जानने वाला। मैं नहीं जानता कि यह अंग्रेजी और हिन्दी का दोगला रूप किसने आरम्भ किया है मैं इसे 'हिंगलिश' का नाम दूंगा। यह आधी हिन्दी तथा आधी अंग्रेजी क्यों ? इसलिए इस संगठन पर हमें निगाह रखनी होगी ताकि क्षेत्रीय भाषाओं को उचित स्थान दिया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा यह आशा करता हूं कि मंत्री महोदय कुछ प्रगतिशील सुझावों को स्वीकार करेंगे जो कि हमने प्रस्तुत किये हैं और सदन इस विधेयक को पारित कर देगा। धन्यवाद

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा उठा सकता हूं जिस पर कि मेरे विचार में सदन को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

पी० टी० आई० की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी ने त्यागपत्र दे दिया है। महोदय, हम यह जानते हैं कि असम समस्या के कुप्रबन्ध के कारण सरकार आपस में बंट गई है और उन में परस्पर मतभेद उत्पन्न हो गये हैं। मंत्रियों की आपस में तनातनी है। हमने केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री दोनों को अलग-अलग विचार व्यक्त करते सुना।··· (व्यवधान)

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : इस सदन का इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री एम०जे० अकबर : महोदय, सरकार की ओर से स्पष्टीकरण मिलना चाहिये।

श्री मान्धाता सिंह : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया इस बात पर प्रकाश डालिए कि अगर किसी को पी० टी० आई० अथवा आकाश से कोई समाचार प्राप्त होता है तो क्या यह सदन उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने तथा समय नष्ट करने के लिए बाध्य हैं। अगर किसी ने त्यागपत्र दे दिया है तो क्या वह आकर सदन में वक्तव्य देगा।···(व्यवधान) महोदय, आप कृपया अपना विनिर्णय दीजिये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : पी०टी०आई० ने यह समाचार दिया है। इस सदन के लिए यह जानना आवश्यक है कि क्या मंत्री महोदय ने त्यागपत्र दे दिया है, जैसा कि पी. टी. आई. ने समाचार दिया है। संसदीय कार्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। उन्हें हमें यह जानकारी देनी चाहिये कि क्या ऐसा हुआ है। यह अफवाह नहीं हो सकती क्योंकि यह समाचार पी. टी. आई द्वारा दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न तथा कुछ दूसरे प्रश्न उठाये गये हैं। अब अगर सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या हुआ है, तो सरकार का प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित है। वह जैसी प्रतिक्रिया चाहें, व्यक्त कर सकते हैं। परन्तु मैं इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

अब, श्रीपाल, क्या आप इस विधेयक पर बोलना चाहेंगे।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : वह इसका सत्यापन नहीं कर रहे हैं। मैं जा कर वास्तविकता का पता लगाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय।

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, मैं उपस्थित हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम पुकारा था। अब मैंने श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति को बोलने के लिये कहा है। अब वह बोलेंगे।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : उपाध्यक्ष महोदय, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को भारत के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यशील बनाने के लिए उठाये गये प्रत्येक वास्तविक कदम का स्वागत है। शायद इसी उद्देश्य को सामने रख कर सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था। प्रसार

भारती विधेयक दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 को नवीं लोकसभा के पहले ही सत्र में प्रस्तुत किया गया था। महोदय, विधेयक की प्रस्तावना में बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि सरकार की घोषित नीति का उद्देश्य आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करना था। यह केवल नाम की स्वायत्तता नहीं बल्कि वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करना है।

जब कभी कोई गैर-कांग्रेसी सरकार सत्ता में आती है तब हमें हमेशा 'असली सरकार' जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। वर्ष 1977 में जब जनता सरकार सत्ता में आयी थी, तब भी हमें वास्तविक गुटनिरपेक्षता जैसे शब्द सुनने को मिले थे। महोदय, इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बड़ी संख्या में शामिल करने के कई प्रयास किये गये थे। बैठकें आयोजित हुई थीं, सेमिनार किये गये थे, हजारों विचारों को कम्प्यूटर के माध्यम से जांचा-परखा गया और एक निष्कर्ष पर पहुंच गया था। मुझे इस बात की वास्तविक प्रसन्नता हुई थी। एक ऐसी संस्था की स्थापना के प्रयास किये गये थे जो हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में सरकार ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये और फिर दुबारा उन्होंने असंशोधन में भी संशोधन प्रस्तुत किये। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा, विशेषकर तब जब हजारों विचारों को कम्प्यूटरीकृत करने के पश्चात् क्या उन्होंने धारा 22 क, 22 ख और 22 ग जोड़ने का सुझाव दिया है जिसमें व्यापक अधिकार दिये गये हैं तथा जिससे विधेयक में उल्लिखित स्वायत्तता ही समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट रूप से यह बात समझ में आती है कि इन संशोधनों को अन्ततः इस विधेयक में शामिल क्यों नहीं किया गया है।

सरकार विधेयक की मूल अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाई है क्योंकि वे इसे जल्दबाजी में लाये हैं। प्रस्तावित निगम जिसे वह स्थापित कर रहे हैं, विश्लेषण से यह स्पष्ट धारणा बनती है कि यह न तो स्वायत्त है और न ही 'वास्तविक'।

वर्ष 1977-79 के दौरान, जब जनता सरकार सत्ता में थी, तब वह जोर-शोर से यह प्रचार किया करते थे कि वे आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तशासी संस्थाएं बनाने जा रहे हैं। तदानुसार, यह उत्तरदायित्व वर्गीस कमेटी को सौंपा गया था। इसने भारत में प्रथम बार अत्याधिक स्वायत्तता के साथ प्रसार भारती की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। लगभग 10 वर्ष पूर्व लोकसभा में तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने प्रसार भारती विधेयक पुर:स्थापित किया था। मेरे विचार से यह 1 मई 1979 को किया गया था। वस्तुत: कल श्री आडवाणी प्रसन्नता पूर्वक कह रहे थे कि जो कुछ उन्होंने शुरू किया था, वह अब वास्तविक रूप ले रहा है। लेकिन वास्तव में उनके द्वारा पुर:स्थापित विधेयक में दी गये सभी धाराओं में उन्होंने सरकार की एक ऐसी संस्था बनाने का प्रयास किया था जिसमें वित्त सचिव, सूचना और प्रसारण सचिव तथा महानिदेशक के लिए स्थान रखा गया है। इस सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र ने विधेयक में सुधार किया है। लेकिन बाद में श्री आडवाणी के विधेयक में जो शिकायत बोर्ड की अवधारणा थी उसे भी कुछ शक्तियां थीं। वस्तुत: जब मैंने इस संबंध में श्री आडवाणी से पूछा था तो वह इस पर सहमत नहीं थे। महोदय, श्री आडवाणी द्वारा उस समय पुर:स्थापित किये गये विधेयक के एक भाग को पढ़ रहा हूं जो इस प्रकार है :

> "इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए शिकायत बोर्ड को वह सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सामान्य प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत एक न्यायालय को होती है।"

उन्होंने उसे कुछ शक्तियां दी थी। लेकिन प्रसारण परिषद् को कोई शक्तियां नहीं दी गई थीं।

3.23 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

महोदय, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि इसमें गवर्नर या गवर्नर-जनरल या जिस नाम से भी उनको पुकारा जाये, निगम के सदस्य बनाये जा रहे हैं; न ही हमें इसमें रुचि है कि निगम के सदस्यों की संख्या कितनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस निगम को किस प्रकार गठित किया जा रहा है? यह कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति और भारतीय प्रेस परिषद् के चैयरमैन तथा बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने नाम-निर्देशित व्यक्ति की सलाह पर चैयरमैन तथा अन्य गवर्नरों को नियुक्त करेगा। महोदय, यह बहुत विचित्र बात है। भारत के राष्ट्रपति को अपने ही नाम-निर्देशित व्यक्ति की सलाह पर निर्भर बनाया गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उनके द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्ति किस प्रकार की स्वतंत्र राय उन्हें दे पायेगा; विपरीत विचार व्यक्त करने की तो बात ही दूर है। यह स्वायत्तता के नाम पर एक मजाक नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति को खुद अपने ही द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति की सलाह पर निर्भर बनाया जा रहा है?

दूसरी इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार अपने ही नाम-निर्देशित व्यक्तियों द्वारा सम्पूर्ण निगम को गठित करना चाहती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरे पक्ष के जो माननीय सदस्य अभी अभी बोले थे, वह भी इस बात पर सहमत थे कि यह खण्ड नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि निगम के प्रमुख निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले गवर्नरों के बहुमत से लिये जायेंगे। जब तक समाज के विभिन्न स्वतंत्र क्षेत्रों से ये लोग नहीं लिये जायेंगे, तब तक वे स्वतंत्र रूप से तथा निष्पक्षता के साथ वह अपना मत कैसे दे पायेंगे? इस तरह के स्वरूप के साथ वह किस तरह स्वायत्तता के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे? अतः मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि राष्ट्रपति द्वारा 'नाम-निर्देशित व्यक्ति के स्थान पर हमें एक लोकतांत्रिक स्वरुप के लिए एक स्वतन्त्र संस्था का गठन करना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू निगम के कृत्य हैं। यदि निगम अपने कृत्यों का निवेदन 'किन्तु' तथा 'परन्तु' जैसे विभिन्न दबावों के अन्तर्गत करता है तो इसका अर्थ स्वायत्तता की अवधारण को ही समाप्त करना होगा। मैं माननीय मन्त्री का ध्यान धारा 12 (2) (ख) की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें यह बात साफ कहीं गयी है कि इन नाम-निर्देशित व्यक्तियों को अपनी निजी राय व्यक्त करने का अधिकार नहीं होगा। यदि निगम पूर्णतया सरकार के नाम-निर्देशन में कार्य करेगा तो वह अपना स्वायत्त स्वरूप नहीं बनाये रख सकेगा। जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था तो मंत्री महोदय ने बी.बी.सी. का उल्लेख किया था। जब मैं लंदन में था तब मैंने बी.बी.सी. का अध्ययन करते हुए उसे समझा था। मैं इसकी अवधारणा से अच्छी तरह परिचित हूं। हम इसकी बी.बी.सी. को प्राप्त स्वायत्तता के साथ तुलना नहीं कर सकते। मैं इसे उदाहरण सहित समझा सकता हूं। फाकलैंड युद्ध के समय, बी० बी० सी० ने स्वतंत्र, स्पष्ट और निर्भीक रूप से एक सत्य समाचार प्रसारित किया था जिससे श्रीमती मारग्रेट थैचर सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। यही नहीं, मैं एक ऐतिहासिक घटना का भी उल्लेख करना चाहूंगा। जब वाटरलू के युद्ध में नपोलियन की हार हो गई थी; यह एक ऐतिहासिक घटना थी और फ्रांस के लोगों को छोड़कर सारा विश्व इस बारे में जानता था। इस सत्य का फ्रांस के लोगों को तब तक पता नहीं चला जब तक कि नेपोलियन को फ्रांस से बाहर इल्बा तक नहीं खदेड़ दिया गया क्योंकि संचार माध्यम पूर्णतया नियंत्रित था। जब तक आप संचार माध्यमों पर नियंत्रण करते हैं तब आप लोगों को जानकारी प्राप्त करने के उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से

वंचित कर रहे हैं। धारा 22 (ख) के अन्तर्गत आप संचार माध्यम को वे निर्देश दे रहे हैं जिनके अनुसार उसे कार्य करना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकार निगम के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। यदि ऐसी स्थिति है तो आप किस तरह की स्वायत्तता देने जा रहे हैं? 22 (ख) के संशोधन में आपने एक चेतावनी देने वाली धारा रखी है कि यदि निगम निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो सरकार एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको सभा पटल पर रखेगी। इसके रहते हुए धारा 22 इससे मेल नहीं खाती है। फिर, आपने 22 (क) 22 (ख) और 22 (ग), ये तीन महत्वपूर्ण सशोधन प्रस्तुत किये हैं। 22 (ख) के अन्तर्गत आपने राष्ट्रपति को बोर्ड आफ गवर्नर से अधिक अधिकार दिये हैं और बाद में आपने इसे छोड़ दिया। 22 (ग) के अन्तर्गत आपने राष्ट्रपति को आपात स्थिति के दौरान प्रसार भारती निगम को निलम्बित करने का अधिकार दिया था और आपने बाद में इसे भी छोड़ दिया। फिर, आपने काफी सोच विचार किया। मेरी यह समझ में नहीं आता कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने का सुझाव आपको किसने दिया। कल ही मुझे यह पता चला है कि समर्थक दलों की सलाह पर ही इसे छोड़ा गया है। मुझे इसका तब पता चला जब इसका उल्लेख आडवाणी जी ने किया। मूल विधेयक की धारा 22 (घ) के अन्तर्गत सरकार न जानकारी मांगने की बात को न्यायोचित ठहराने के लिए निगम को अवसर प्रदान किया था। यह खण्ड इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए था, किंतु अब इसे भी हटा दिया गया है। सरकार ने वह सारी जानकारी, जो कि वह चाहती है, प्राप्त करने की पूरी शक्तियां खुद ले ली हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है प्रसारण परिषद। आपने इसकी अवधारणा बी०बी०सी० से ली है। बी० बी० सी० में चेयरमैन होता है; आपके यहां भी चेयरमैन है। बी० बी० सी० में गवर्नर हैं, आपके यहां भी गवर्नर है। बी० बी० सी० में सामान्य सलाहकार परिषद है और आपके यहां प्रसारण परिषद है। लेकिन बी० बी० सी० में चेयरमैन तथा सामान्य सलाहकार परिषद को नीतिगत मामलों में सम्मिलित किया जाता है जबकि प्रस्तावित निगम में प्रसारण परिषद की रिपोर्ट को भी नामंजूर किया जा सकता है। अतः मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था। यदि सरकार नियन्त्रण रखने के लिए कोई संस्था रखना चाहता है तो उसके पास कुछ शक्तियां भी होनी चाहिए अन्यथा वह निरर्थक हो जाती है। अतः जब आप प्रसारण परिषद का गठन करना चाहते हैं तो इसका व्यापक आधार होना चाहिए; इसके पास न केवल सिफारिश संबंधी, अपितु बाध्यकर शक्तियां भी होनी चाहिए। जब आप धारा 19 के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की बात करते हैं, यद्यपि मूल विधेयक में निगम को निगम के अनुमानों को सरकार की सलाह से बदलने का अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में आपने यह खण्ड हटा लिया। आपने सभी शक्तियां स्वयं ले लीं और निगम की पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो गई है। यदि वित्तीय स्वायत्तता नहीं होगी तब अन्य तरह की स्वायत्तता का भी कोई महत्व नहीं है। जब आपकी शर्तों के अन्तर्गत निगम को धन दिया जा रहा है तब रोजाना के कार्यों के लिए यह उनके ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए। नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक द्वारा उसके व्यय की लेखा परीक्षा तथा बाद में संसद द्वारा समीक्षा के प्रावधान के रहते इस सम्बन्ध में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि उसको वाणिज्यिक संस्था बनाकर छोड़ दिया जाता है तो वह अपने कार्यों का सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर पायेगी। इसके लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, माननीय मन्त्री भी स्वायत्तता की बात कर रहे हैं और उसकी तुलना निर्वाचन आयोग न्यायपालिका और संघ लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता से कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें उनकी स्थिति की जानकारी है। निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के अतर्गत स्वायत्तता मिली है

और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी है। अनुच्छेद 124 न्यायपालिका को स्वतंत्रता देता है। इसकी स्वतंत्रता में कोई सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी तरह अनुच्छेद 145 संघ लोक-सेवा आयोग को स्वायत्तता देता है। आप संचार माध्यम को जो स्वतन्त्रता दे रहे हैं, उसकी तुलना इन संस्थाओं को मिली स्वायत्तता के साथ नहीं की जा सकती। हद से हद आप अपने तरह की स्वायत्तता दे सकते हैं। कल श्री आडवाणी ने बताया था कि कांग्रेस ने ऐसे कार्य किये हैं जिसकी तुलना एक नहीं, कई सौ खुले मंचों के साथ की जा सकती। लेकिन थोड़े से समय में ही इस सरकार ने ऐसे कार्य किये हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। मैं एक उदाहरण दूंगा। माननीय सूचना और प्रसारण मन्त्री महोदय के निर्देशों के अंतर्गत ज्ञात और अज्ञात खुले मंचों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। हम अपने संसदीय क्षेत्रों में गए थे, जहां मन्त्री भी आए थे। उन्होंने मुझ से सलाह किए बिना कार्यक्रम तय कर लिया था। अपने लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैं वहां पर गया था। मैंने टी० वी० ट्रांसमीटर के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की थी। अगले दिन स्थानीय दूरदर्शन पर मेरे हिस्से को फिल्म को काट दिया गया और मन्त्री महोदय तथा तेलुगुदेशम के एक हारे हुए विधायक को दिखाया गया था। मैंने बैठक की अध्यक्षता की थी और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसका क्या मतलब है? विधेयक को पुरःस्थापित करते समय मन्त्री जी ने कहा था कि वह प्रचार माध्यम की विश्वसनीयता बहाल करना चाहते हैं। प्रचार माध्यम की विश्वसनीयता पुनः स्थापित करने का क्या यही तरीका है? उन्होंने बताया था कि प्रचार माध्यम का काफी अधिक दुरुपयोग किया गया था। कल शाम दूरदर्शन के समाचारों में राजीव जी का जिक्र किया गया था। हमारे संसदीय दल की आम बैठक 9 अगस्त को हुई थी तथा इस खबर का संबंध उस बैठक से है तथा इस समय इसका जिक्र करने की आवश्यकता कहां है। परन्तु अपनी सुविधा के लिए जो खबरें उनके लिए लाभदायक होती हैं वे उन अंशों को दूरदर्शन पर दिखा देते हैं तथा तथ्यों को तोड़-मरोड़कर दिखाना उनके लिए आम बात है।

सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : वह कल जारी किया गया था।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : 9 अगस्त को जो बैठक हुई थी, मैं उसके सम्बन्ध में कह रहा हूं। इसलिए जब आप प्रसार माध्यमों की व्यापक विश्वसनीयता बहाल करने तथा भारी पैमाने पर इसके दुरुपयोग को रोकने की बात करते हैं तो आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा। आपको जानना चाहिए कि आप किस प्रकार की प्रणाली को जन्म दे रहे हैं मैं आपको परामर्श नहीं दे रहा हूं कि आप किसी और का अनुसरण करें। आस्ट्रेलिया की प्रसारण पद्धति में काफी अधिक स्वायत्तता प्रदान की हुई है। कनाडा में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों पद्धतियां विद्यमान है। चीन तथा रूस में इस पर पूरी तरह से राज्य का नियन्त्रण होता है। जापान तथा अमरीका में इसे उच्च स्तरीय व्यावसायिक तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। ब्रिटेन में काफी अधिक स्वायत्तता है। आप किस प्रकार की पद्धति तैयार कर रहे हैं? आपको यह स्पष्ट करना चाहिए। आज भी आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं। आप अनिश्चय की स्थिति में हैं। कोई कुछ सुझाव रखता है तथा आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। आपने यह छवि बनाने का काफी प्रयास किया कि आप लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। अंत में आप अत्यन्त आश्चर्यजनक संशोधन लेकर आए है तथा आपने पुनः उनमें से कुछ को वापस ले लिया है।

इसलिए, यदि सरकार के इरादे नेक हैं तथा यदि वे स्वायत्तता लाना चाहते हैं तो हमारे 2000 राजनीतिज्ञ तथा व्यावसायिक लोग इतने सक्षम हैं कि वह हमारी विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों को दिशा प्रदान कर सकते हैं तो हमारे लोकतन्त्र को जीवन्त बना सकते हैं। यदि उनके इरादे नेक हैं तब उनके लिए स्वायत्तता लाना कोई कठिन कार्य नहीं है। अतएव यदि आप वास्तव में प्रसार माध्यमों को स्वायत्तता देना चाहते थे तो आपको यह स्पष्ट करना चाहिए। स्वायत्तता के नाम पर आप कुछ और ही पद्धति को जन्म दे रहे हैं तथा इस पर भी आप कह रहे हैं कि यही स्वायत्तता है। हम इस प्रकार की व्यवस्था का समर्थन नहीं करेंगे।

इसलिए मैं यह अत्यन्त स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि इस विधेयक से यह प्रतीत होता है कि आप स्वयत्तता लाना चाह रहे हैं परन्तु इसी के साथ-साथ आप संपूर्ण स्वायत्तता को निष्प्रभावी कर रहे हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप इसे सरकार की एजेंसी बनाना चाह रहे हैं। इसलिए, जहां तक इस विधेयक में प्रस्तुत किए गए संशोधन नहीं जोड़े जाते मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार तथा विशेषकर श्री पी० उपेन्द्र को उस विधेयक को लाने के लिए बधाई देना चाहूंगा जिसकी परिकल्पना जनता पार्टी के शासन काल के दौरान की गई थी। इस विधेयक का प्रस्ताव मूलतः हमारे नेता तथा हमारे पूर्व सहयोगी श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा किया गया था।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : हम इसे प्रस्तुत करेंगे।

श्री मान्धाता सिंह : जिस प्रकार से हमने 18 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार दिया है उसी प्रकार से मैं आशा तथा प्रार्थना करता हूं कि जब यह विधेयक पारित करने योग्य हो जाए **(व्यवधान)** क्या आपत्ति है ?

सभापति महोदय : कृपया कोई टिप्पणी मत कीजिए।

श्री मान्धाता सिंह : जो व्यक्ति अनावश्यक मुझे बीच-बीच में टोक रहे हैं, उनसे आप मुझे बचाएंगे। अभी तो मुझे उन्हें उकसाना है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : हम उकसाए नहीं जा रहे हैं। हम उत्तर दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री मान्धाता सिंह जिस विधेयक का बहुत पहले प्रस्ताव किया गया था, उसके लिये मैं तो सरकार को केवल बधाई दे रहा था। मैं तो उस विधेयक को यहां लाने के लिए बधाई दे रहा हूं जो कुछ और समय पश्चात पारित करने योग्य हो जाएगा। **(व्यवधान)** के आशा है कि जो मैं कह रहा हूं आप उसे पूरी तरह समझते हैं। खैर, बधाई देने के पश्चात विपक्ष के उन कुछ वक्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिनमें से एक पूर्व सूचना तथा प्रसारण मन्त्री भी थे जिन्होंने कल पूरे जोर-शोर से अपने भाषा ज्ञान का यथा सम्भव उपयोग करते हुए अपशब्द कहे थे। हालांकि मैंने उनके अपशब्दों को नोट नहीं किया है परन्तु मैंने कुछेक शब्दों को निश्चित रूप से नोट कर लिया है तथा आज ही मुझ से वह पेपर खो गया है। परन्तु आज दोपहर बाद मुझे उस कागज का कुछ भाग

प्राप्त हो गया है तथा पूर्व सूचना तथा प्रसारण मन्त्री द्वारा कहे गये कुछ शब्द आपके तथा श्री वी. एन गाडगिल जैसे वरिष्ठ नताओं के समक्ष रख रहा हूं तथा निश्चित रूप से श्री पी. आर. कुमारमंगलम जैसे युवा नेता के समक्ष में नहीं रख रहा हूं। वह बेचारे श्री पी. उपेन्द्र

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आप उन्हें जीव नहीं कह सकते।

श्री मान्धाता सिंह : मैं उन्हें शिक्षक नहीं कह रहा हूं। मैं उन्हें जीव कह रहा हूं तथा आप भी एक जीव हैं। मैं भी एक जीव हूं। हम सभी जीव हैं। हम सभी को प्रकृति ने जन्म दिया है। मुझे आशा है आप बहुत जल्दी अपनी शब्दावली में सुधार कर लेंगे। आप किसी शब्दकोष की मदद लीजिए। मुझे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं करना चाहिए।

संभवतः विपक्ष में बैठे हुए माननीय मन्त्री जी तथा भूतपूर्व मन्त्री जी की भी कुछ ऐसी गलत धारणा है कि यह जीव केवल जानवर हैं मानव नहीं। खैर, मैं इस समय भाषा विवाद में नहीं पड़ना चाहता। खैर, मुझे अभी अपनी बात आरम्भ करनी है। उन्हें अपनी बधाई देने के पश्चात् मैं धन्यवाद दे रहा था। उन व्यक्तियों का मुझे अभी धन्यवाद करना बाकी है जो जिम्मेदार पदों पर आसीन हैं तथा उनमें सूचना तथा प्रसारण मन्त्री भी हैं। जिस शब्दावली का मैंने पहले जिक्र किया था उन्होंने उसी का प्रयोग करना पसन्द किया। मैंने वर्तमान मन्त्री जी को प्रकृति की रचना बताया है। उन्होंने उन पर शासक बोर्ड में एक मण्डली को नियुक्त करने का दोषारोपण किया है। इस सभा में हर कोई जानता है कि यह शब्द "मण्डली" पिछले कुछ वर्षों के दौरान कितना प्रचलित हो गया है। इसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। **(व्यवधान)** मुझे ऐसा लगता है कि वह अभी भी अपने ही सायों से भयभीत हो रहे हैं। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : वे उससे आगे नहीं जा सकते।

श्री मान्धाता सिंह : वे अपने ही सायों से लगातार भयभीत हो रहे हैं। पिछले वर्षों के दौरान उन्होंने जो गुनाह किए हैं वह सबके सामने हैं तथा मैं किसी भी सदस्य का नाम नहीं लूंगा बल्कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति अच्छी तरह जानते हैं। **(व्यवधान)** कृपया कुछ क्षण के लिए मेरी बात सुनिये। आप मेरी ही उम्र के हैं। **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स : तब तो आपको अधिक बुद्धिवान होना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री मान्धाता सिंह : मैं अपने से कम उम्र के व्यक्तियों की बात सुन सकता हूं परन्तु मेरे लिए यह अत्यन्त खेदजनक बात है कि आपके जैसा एक वरिष्ठ तथा वृद्ध व्यक्ति मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आपका तात्पर्य है कि आप श्री उपेन्द्र को बर्दाश्त कर सकते हैं? **(व्यवधान)**

श्री मान्धाता सिंह : मैं इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के सभी सदस्यों तथा इसे समर्थन देने वाले दलों को धन्यवाद देता हूं....**(व्यवधान)** हमें उन व्यक्तियों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इस सम्मानीय तथा शुभ अवसर को और इस सदन के मंच को एक ऐसे व्यक्ति के

लिए अपशब्द कहने के लिए चुना है जिसमें यह विधेयक प्रस्तुत करने की दिक्कत है जिससे शायद एक विधायी इतिहास का जन्म हुआ है। मैं लोकसभा के इतिहास के सम्बन्ध में बोलने के योग्य नहीं हूं। मैं विधानसभा का सदस्य रह चुका हू। मैं संशोधन की सूची देख रहा था। मैं सचिवालय का भी धन्यवाद करता हूं। जिसने आज इन सभी सशोधनों का सार उपलब्ध कराया है। मैंने ऊंची संख्या गिनने की कोशिश की थी। एक विधेयक के लिए तीन सौ से भी अधिक संशोधन प्राप्त हुए हैं। (व्यवधान) माननीय मन्त्री जी के अनुसार 340 संशोधन आए हैं। केवल एक विधेयक के लिए 340 संशोधन प्राप्त हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे वरिष्ठ सदस्य, हमारे वरिष्ठ नेता प्रो० रंगा जी ने देखा होगा कि इस सम्माननीय सभा में बहुत कम ऐसे अवसर आए होंगे जब एक विधेयक के लिए 340 संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। इस तथ्य से ही यह अच्छी प्रकार से विदित हो जाता है कि इस विधेयक ने कितना अधिक जोश तथा उत्साह उत्पन्न कर दिया है तथा इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए यही काफी है।

महोदय, इस सभा की कुछेक सदस्यों में रुचि नहीं है। उपेन्द्र जैसे कई सदस्य आते हैं और चले जाते हैं। वी. पी. सिंह जैसे कई आ सकते हैं और जा सकते हैं। (व्यवधान) आपके शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। (व्यवधान)

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं। कृपया उनसे कहें कि वह अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करे।

सभापति महोदय : हर कोई आनन्द ले रहा है। हम भी आनन्द ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मान्धाता सिंह : सभापति महोदय भी काफी वृद्ध हैं। सभी बड़ी उम्र वाले व्यक्ति.... (व्यवधान)

श्रीमती बासव राजेश्वरी : आप उनसे कहें कि वह अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करके कहें।

सभापति महोदय : मान्धाता सिंह जी, माननीय महिला सदस्य आपको सुझाव दे रही हैं कि आप अपनी बात अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। आपकी जानकारी के लिए आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में ही बारह मिनट से भी अधिक समय ले लिया है। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री मान्धाता सिंह : अब मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से कहूंगा।

सभापति महोदय : आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री मान्धाता सिंह : मुझ से पहले के वक्ता आकाशवाणी और दूरदर्शन की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में बात कर रहे थे। क्या मैं इस समय में तुरन्त अपनी प्रक्रिया व्यक्त कर सकता हूं ?

मैं कुछ और कहना चाहता था परन्तु मेरी आदत है कि मैं तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता हूं। मुझे कुछ और बातें भी कहनी थीं। वह विश्वसनीयता के बारे में बात कर रहे थे। मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा?

विगत पांच वर्षों के दौरान इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यम की विश्वसनीयता किससे कम की थी? इसे किसने कम किया था? वह शिकायत कर रहे थे कि किसी कार्यक्रम विशेष में, जिनमें सूचना और प्रसारण मन्त्री भी सम्मिलित थे। (व्यवधान)

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : नहीं किसी अन्य स्थान पर ऐसा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुआ था।

श्री मान्धाता सिंह : जी हां, मैं जानता हूं। ऐसा आपके निर्वाचन क्षेत्र में हुआ था और आपने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। मैंने आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनी है। आपकी शिकायत थी कि जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रसारित किया था, उन्होंने केवल उन्हें ही दिखाया था, आपको नहीं। यह सही शिकायत है। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। परन्तु उन व्यक्तियों से जिन्होंने ऐसा करने का साहस किया था, तथा उस स्टेशन विशेष के अधिकारी, जिसने आपको दूरदर्शन पर न दिखाने का साहस किया था, उचित ढंग से निपटा जा सकता है। परन्तु यह क्यों भूलते हो कि आपके शासन के दौरान ही उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण मिला है। इसीलिए विश्वसनीयता इतनी कम हुई है। इसके बाद मैं....(व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम । 'खुला मंच' के बारे में उपेन्द्र जी बड़े लोकतांत्रिक हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मान्धाता सिंह : खुला मंच अभी तो पहली बार खुला है अभी तक तो बन्द मंच था।

[अनुवाद]

इसे खोला जाए। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मुझे आशा है कि श्री उपेन्द्र इसे और खोलेंगे। माननीय प्रधानमन्त्री कहते हैं कि उनकी सरकार एक खुली सरकार है। आप भी सभा में हमेशा यही अनुभव करते हैं कि यह खुली सरकार है। आप सहायक दल क्यों कहते हैं, वे हमेशा सरकार की आलोचना करते हैं और सरकार इस आलोचना को खुशी से सहन करती है। खुली सरकार की यही विशेषता है। मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त करूंगा।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी ने 18 सदस्यों की एक लम्बी सूची दी है और आपने लगभग पन्द्रह मिनट ले लिये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री मान्धाता सिंह : अनेक बार लगातार व्यवधान डाला जिससे मेरा समय बर्बाद हो गया। मेरी क्षतिपूर्ति की जाए। मेरे हितों की रक्षा कौन करेगा ?

सभापति महोदय : कुछ हद तक इसके लिए आप जिम्मेदार हैं।

श्री मान्धाता सिंह : मुझे भय है कि यदि मायावती जी बोल रही होती तो क्या होता। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मान्धाता सिंह : विशेषतः यही लोग उन्हें उकसाते हैं, बहरहाल मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी (विजयवाड़ा) : वह सभा की महिला सदस्या के विरुद्ध इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री मान्धाता सिंह : मैडम, आप चिंतित क्यों हैं, आपका नाम श्रीमती मायावती नहीं है। (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनें।

स्वायत्ता कभी निरंकुश नहीं हो सकती है। स्वायत्तता का तात्पर्य निरंकुशता से नहीं है ?

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : आप इसे उन्हें बताइए।

श्री मान्धाता सिंह : मुझे दूसरों को भी यह बताना है। स्वायत्तता और 'स्वतंत्रता' का तात्पर्य निरंकुशता से नहीं है। मुझे इस कहानी का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि रूसी क्रान्ति के बाद एक व्यक्ति ने सड़क के बीच में चलते हुए यह कहना शुरू कर दिया कि अब देश स्वतंत्र है। एक ड्राइवर को उस व्यक्ति को चेतावनी देनी पड़ी कि उसे एक किनारे पर चलना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मुझे सड़क पर घूमने की स्वतंत्रता है। तब ड्राइवर ने कहा कि उस स्थिति में उसे भी उसे कुचलने की स्वतंत्रता है। यह प्रसिद्ध कहानी है।

किसी भी स्वायत्तशासी संस्था को अपने 'पैरा मीटरों' के अन्तर्गत और कुछ विशेष निर्देशों के अनुसार कार्य करना पड़ता है इसलिए जो लोग यह तर्क देते हैं कि कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों बिक जाएगी, उनके बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं, कि वे भयाकुल हैं। वे इस विधेयक के दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब देख रहे हैं।

दूसरी प्रासंगिक बात यह है कि किसी ने संचालक मंडल में सांसदों के प्रतिनिधित्व की बात कही है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं क्योंकि यह स्वायत्तता और स्वायत्तशासी निकाय में राजनैतिक तत्वों हस्तक्षेप है। परन्तु अब मैं श्री आडवाणी, कांग्रेस, श्री सोमनाथ चटर्जी और दूसरे लोगों की जो आम सहमति अब बनी है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि कुछ वित्तीय समितियों जैसे सरकारी उपक्रमों

संबंधी समिति, लोक लेखा समिति अथवा प्राक्कलन समिति के समान एक संसदीय समिति को इसके कार्यों की जांच करनी चाहिए क्योंकि संसद धनराशि मंजूर करती है और हमें इस बात की जांच का अधिकार प्राप्त है कि क्या इसका उपयोग उचित रूप से किया जाता है अथवा नहीं।

इसे धन का आवंटन सरकार को करना चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अथवा किसी प्राइवेट पार्टी के हाथों बिक जाये। मेरे साथी श्री पी० चिदम्बरम ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसमें इस निगम के निजीकरण के बारे में कहा गया है। मैं इसके खिलाफ हूं। मैं निजीकरण के विरुद्ध हूं। मैं इसके बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों बिकने के भी विरुद्ध हूं। इस संबंध में मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहता हूं कि उपभोक्ता संबंधी प्रचार-कल इसके बारे में मेरी बहन ने बड़ी बुद्धिमानीपूर्वक इसके बारे में कहा था, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता—एक दिन हमें बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के चंगुल में फंसा देगा। परन्तु मुझे भी एक आपत्ति है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसमें कलाकारों तथा इस प्रसारण प्रक्रिया में कार्यरत व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाए।

अन्त में, मेरी इस सभा के सभी पक्षों; विशेषतः उन सदस्यों से, जो अपने आपको 'विपक्षी कहते हैं, अपील है कि मतदान के लिए हम पर दबाव डालकर इस विधेयक को गलत नाम न दें। यह उचित होगा कि इस विधेयक को जो भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय है —सभा में सर्व-सम्मति से पारित किया जाए और इस प्रकार लोकतांत्रिक तरीकों से लोकतांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति में तेजी आएगी।

मैं आपका तथा सभा के अन्य सदस्यों का मेरी बात सुनने के लिए आभारी हूं। यदि किसी को मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय; प्रसार भारती को स्वायत्तता देने के सम्बन्ध में किसी भी पक्ष की तरफ से चर्चा शुरू किये जाने पर बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया है। मैं समझता हूं कि स्वायत्तता के बारे में हमारी अलग-अलग अवधारणायें हैं। हम जिस स्वायत्तता की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी हमारे विचार अलग-अलग हैं। मेरे विचार से जन संचार माध्यमों पर स्वामित्व रखने का जनता के अधिकार को किसी भी तरह से प्रत्यायोजित नहीं किया जाना चाहिए। यदि जनता यह समझती है कि रेडियो प्रथम दूरदर्शन प्रसारण के सम्बन्ध में कार्यक्रम अथवा नीति एक विशेष ढंग से बनायी जाए तो उन्हें इस तरह का पूरा अधिकार मिलना चाहिए और ऐसी नीति का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।

संचार माध्यम को सरकार के कड़े नियंत्रण से बचाने की आवश्यकता है मेरा यह भी विचार है कि यदि सरकार का कड़ा नियंत्रण रहेगा तो इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। मेरे विचार से ऐसी स्थिति में इसे अलग से ऐसी स्वायत्तता देनी उचित होगी जिसमें इसके सामान्य नीति-निर्धारण संबंधी पहलुओं, इसे धनराशि प्रदान करने और इस धनराशि पर संसद के माध्यम से जनता का नियंत्रण रहने तथा इसके प्रतिदिन के कार्यक्रमों को संचालित करने वाले लोगों को स्वायत्तता दी जानी

चाहिए ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि यदि नियंत्रण और नीतियों को कार्यान्वित करने की शक्तियां जनता अथवा संसद को दे दी जायेंगी तो वे अनैतिक ढंग से कार्य करेंगे। यदि प्रस्तावित निकाय को अधिक शक्तियां दे दी जायेंगी तो इसके दुरुपयोग के अधिक अवसर होंगे। इसलिए इसके बारे में इस विधेयक के संबंध में मेरा विचार है कि संसद को यथोचित शक्तियां देकर स्वायत्तता दी जानी चाहिये। विधेयक के प्रावधानों का अध्ययन करने पर मैं देखता हूं कि प्रस्तावना में 'स्वायत्तता' शब्द का उल्लेख नहीं है। निःसंदेह इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है कि सामान्य नीति इस प्रकार बनायी जाएगी।

4.00 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

मैं समझता हूं कि स्वायत्तता शब्द को उद्देशिका में जोड़ा जाना चाहिए। मुझे इस विधेयक में एक और उदाहरण यह मिला है कि यह विधेयक स्वायत्तता के बारे में है लेकिन प्रसारण परिषद को स्वायत्तता नहीं दी गई है। मैं समझता हूं कि प्रसारण परिषद् को एक प्रकार की तानाशाही पूर्ण स्वायत्तता दी गई है जिसके तहत बहुत ही सीमित शक्तियां हैं और निगम पर नियन्त्रण रखने वाली निकाय इन शक्तियों को ले सकती है। यह तो ऐसा ही है कि परिषद को शक्तियां दे दी गई है और और कहा गया है कि यह परिषद् शिकायतों को सुनेगी और उन पर निर्णय लेगी लेकिन अन्तिम निर्णय सत्ता में आसीन कुछ व्यक्तियों द्वारा ही लिया जाएगा; इस प्रकार परिषद की पूर्णतया उपेक्षा हो जाएगी। मेरे विचार से प्रसारण परिषद् के लिए एक पृथक ढांचा होना चाहिए, इसका पृथक संविधान हो जिसमें निदेशक के पास और अधिक शक्तियां हों ताकि जैसा धारा 13 में कहा गया है, वह प्रसारण परिषद् के निदेशों को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ नहीं पाएं।

यह भी हास्यास्पद बात है कि निदेशक अथवा बोर्ड प्रसारण परिषद की सिफारिशों को मानने से इन्कार भी कर सकता है। मेरे विचार से इस उपबंध को हटाया जाना चाहिए। धारा 12 (5) के अनुसार, निगम के विरुद्ध सिविल दायित्व हेतु कोई मामला दायर नहीं किया जा सकेगा। इस उपबंध को भी विधेयक से निकाल दिया जाए क्योंकि उसे सिविल दायित्व के लिए भी लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। धारा 24 के अनुसार निगम के विरुद्ध कोई मामला दायर नहीं किया जाएगा। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। जहां तक निगम के स्वरूप का सबंध है, अगर स्वायत्तता प्राप्त करनी है तो मेरे विचार से अनेक परिवर्तन करने पड़ेंगे। अध्यक्ष तथा अन्य गवर्नरों के लिए अर्हताएं अस्पष्ट है इस बारे में पहले हो चर्चा हो चुकी है कि अध्यक्ष चाहे अल्पकाल के लिए हो या पूरी अवधि के लिए हो, जैसा कि अभी कहा गया है अध्यक्ष पूर्ण अवधि के लिए नहीं है, लेकिन उसकी अर्हताएं अच्छी तरह परिभाषित होनी चाहिए। मेरे विचार से 'प्रसिद्ध व्यक्ति' शब्द ही पर्याप्त नहीं है। चर्चा के दौरान इस विधेयक में जोड़ने के लिए अनेक अर्हताओं का सुझाव दिया गया है। गवर्नरों को हटाने के सम्बन्ध में भी कुछ परिवर्तन किए जाएं। निःसन्देह जब अध्यक्ष को हटाने के लिए शिकायत की जाती है तो राष्ट्रपति कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। इस सम्बन्ध में अन्तिम आदेश राष्ट्रपति को ही देने है। लेकिन यह उच्चतम न्यायालय को प्रेषण करने

के अध्यधीन है। उच्चतम न्यायालय को प्रेषित करने तथा राष्ट्रपति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मुद्दे स्पष्ट किए जाएं। यह बात नियमों में स्पष्ट की जा सकती है और यदि बाद में तैयार होने वाले नियमों में यह स्पष्ट नहीं हो तो इसी चरण पर इस संबंध में निदेश दिया जाना चाहिए। 'दुर्व्यवहार' शब्द भी परिभाषित किया जाए। अन्यथा यह पता लगाने में ही गड़बड़ी होगी कि यह दुर्व्यवहार है या नहीं। मैं यह सुझाव देता हूं कि धारा 7 (3) (ग), जिसमें राष्ट्रपति शारीरिक या मानसिक दौर्बल्य के 0 कारण स्वयं ही अध्यक्ष अथवा गवर्नर को हटा सकता है, में भी कुछ स्पष्टीकरण किये जाने की जरूरत है। मैंने भी कुछ संशोधन रखे हैं, मैं इन पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर स्वायत्तता देनी है तो संसद द्वारा नियन्त्रण के रूप सुझाए गए संशोधनों के अध्यधीन दी जाए।

[हिन्दी]

श्री रामकृष्ण यादव (आजमगढ़) : माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश में अखबार, दूरदर्शन और रेडियो मनुष्य के मन और बुद्धि के विकास के लिए सतत् साधन हैं। इन्हीं साधनों के माध्यम से समाज में जानकारी का प्रचार और प्रसार होता है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी सरकार के अधीन रह चुकी हैं और अखबार पूंजीपतियों के अधीन हैं। इसलिए जो जनता की वाणी होती है वह न तो अखबारों के माध्यम से आ पाती है और न रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से आ पाती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में सरकार की आवाज होती है और अखबार में पूंजीपतियों की। इसलिए मैं कहता हूं कि आज तक जो दूरदर्शन, आकाशवाणी और अखबार हैं ये जनता की वाणी नहीं बन सके। सम्भवत: इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस बिल को यहां लाने की आवश्यकता महसूस की गई। दूरदर्शन और आकाशवाणी वास्तव में जनता की आवाज बन सकें और सरकार की आवाज न बन सकें, केवल देश और समाज की आवाज बने इसलिए यह विधेयक यहां लाया गया है। हमारा देश एक जनतांत्रिक देश है, यह पूंजीपतियों और राजा महाराजाओं का देश नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल को विधान का रूप दिया जायेगा। और इसमें समाज की, मजदूरों की और किसानों की आवाज आनी चाहिए। आज तक देखा गया है कि हमारे देश में अखबार स्वतन्त्र नहीं हैं, सारे लोग यहीं समझते हैं कि इसमें गलत और झूठी चीजें छपती हैं और हमारा रेडियो हिन्दुस्तान रेडियो के बजाय झूठीस्तान रेडियो कहा जाता है। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री चरण सिंह ने कहा था कि मैं कभी रेडियो नहीं सुनता और दूरदर्शन नहीं देखता, क्योंकि इसमें सारी चीजें अविश्वसनीय और झूठी होती हैं। धीरे-धीरे लोगों में ऐसी धारणा बनती गई कि हमारा रेडियो और टेलीविजन अविश्वसनीय हो गया है और लोग बी० बी० सी० लन्दन को ज्यादा सुनने लगे। इसलिए इसको अगर विश्वसनीय बनाना है तो इसको स्वायत्तता देनी चाहिए। स्वायत्तता का मतलब यह नहीं है कि यह इतना स्वायत्त हो जाये कि अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे वह समाचार दे।

अगर हमें रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से देश को आगे बढ़ाना है तो उसमें कुछ चीजों की सीमा बांधनी चाहिए और संयम बरतना चाहिए। इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे संविधान

की जो मुख्य धुरी है, धर्म-निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक परिवर्तन इन चीजों का गहराई से प्रसारण और प्रचार करना चाहिए। ऐसी सीमाओं में बांध देना चाहिए ताकि इसमें प्रजातंत्र के बारे में, सामाजिक परिवर्तन और समाजवाद के बारे में लोग अच्छी तरह से समझ सकें।

आज तक आकाशवाणी में जो बोला जाता है और दूरदर्शन में दिखाया जाता है वह बिल्कुल समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता और प्रजातंत्र के खिलाफ जाता है। बहुत से साथी बुरा मानेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हू कि हमारे दूरदर्शन में रामायण और महाभारत दिखाया गया, मैं भी एक हिन्दू हूं, लेकिन ये धारावाहिक किसी धर्म विशेष के प्रतीक हैं। इसलिए किसी धर्म के प्रतीक के रूप में ये नहीं दिखाये जाने चाहिए। (व्यवधान) आप किसी क्रिश्चियन या मुसलमान से पूछिए (व्यवधान) आप से ज्यादा बड़ा हिन्दू मैं हूं।

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : जो नगे नाच दिखाये जाते हैं उनके बारे में बोलिये। (व्यवधान)

श्री रामकृष्ण यादव : मेरी समझदारी साफ है कि किसी धर्म का प्रचार टी० वी० और रेडियो के माध्यम से नहीं होना चाहिये। आप लोग हिन्दू हैं तो आपको रामायण और महाभारत अच्छी लगती है लेकिन आप किसी मुसलमान या क्रिश्चियन के बेटे से जाकर पूछिये कि धर्म-निरपेक्षता का जो प्रदर्शन है वह रामायण के जरिये... (व्यवधान) कहने का मतलब यह है कि मैं यहां विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं मैं तो केवल यही चाहता हूं कि टी वी० और रेडियो के माध्यम से संविधान की धुरी का प्रचार और प्रसार होना चाहिये और वह प्रसार एवं प्रचार प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का होना चाहिये। देखने में तो यह ऑटोनॉमस बॉडी लगे और कहीं न कहीं इस बात की गारंटी होनी चाहिये कि उपरोक्त बातों का प्रचार और प्रसार टी० वी० रेडियो से हो रहा है इसमें राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति का अभाव रहता है। टी० वी० और रेडियों को केवल मनोरंजन का साधन माना जाता है और व्यापारिक प्रचार का साधन बनाया जाता है। मैं सूचना मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे टी० वी० और रेडियो को केवल व्यापारी प्रतिष्ठान का प्रचार साधन बनने देंगे ? इसको बन्द होना चाहिये। इसमें हमारा पैसा लगाया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल द्वारा इस बात की गारंटी दी जाये कि अश्लील तस्वीरें नहीं दिखाई जायेंगी, अश्लील कल्चर नहीं दिखाई जायेगी। आज टी० वी० और रेडियो केवल मनोरंजन के साधन हैं, राष्ट्रीय विकास का साधन होना चाहिये। इसे पूंजीपतियों के हाथों से मुक्त किया जाना चाहिये। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अखबार के जरिये हमारे समाज की बात नहीं पहुंचती है। इस बिल के द्वारा इसके ऑटोनॉमस बॉडी के बनाये जाने की गारंटी होनी चाहिये और एक स्वतंत्र विभाग हो ताकि देश की सुरक्षा, प्रभुसत्ता एवं देश के विकास को समुचित रूप से प्रदर्शित कर सके। गरीब, किसान मजदूर और सारे लोगों की इसमें साझेदारी हो।

अन्तिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि रेडियो टी० वी० पर विधान सभा की कारंवाई एवं लोक सभा की कारंवाई का सीधा प्रसारण करना चाहिये ताकि देश की जनता को मालूम हो कि हम आप इस सदन में आकर कैसे अपनी बातें रखते हैं कि यहां किस प्रकार की बातें बताते हैं और जनता के बीच में जाकर दूसरी बात कहते हैं। रेडियो टी० वी० पर सीधे प्रसारण से इन सारी बातों का पर्दाफाश हो जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहूंगा कि यह निगम एक स्वायत्तता के रूप में काम करे।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सभापति महोदय, जब माननीय सूचना और प्रसारण मन्त्री श्री उपेन्द्र इस विधेयक को लाए तो यह समझा गया था सरकार की वास्तविक मंशा कार्यचालन सम्बन्धी स्वायत्तता या दूरदर्शन अथवा आकाशवाणी को स्वायत्तता देना नहीं थी बल्कि किसी भी तरीके से अपने चुनावी वायदे की खानापूर्ति करना था। लेकिन वास्तविकता में दूरदर्शन या आकाशवाणी को कोई स्वायत्तता नहीं दी जानी थी। हम यह समझ सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार 'खुला मंच' सम्पादित किया गया और समाचार सम्पादित हुए और जिस प्रकार वह आजकल दूरदर्शन को प्रत्यक्ष रूप में चला रहे हैं, यद्यपि सरकार के विचार में वह अधिक खराब कार्य नहीं कर रहे हैं; इससे स्पष्टत: यही पता चलता है कि सरकार ऐसा ही चाहती है....

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : आप जोर से नहीं बोल रहे हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या हुआ हुजूर ? क्या माईक काम नहीं कर रहा है ?

[अनुवाद]

दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि श्री उपेन्द्र यह सुनिश्चित करने में सरकार के सूचना मन्त्री के रूप में सफल हो रहे हैं कि रेडियो और दूरदर्शन केवल वही प्रसारित करे जो वह चाहते हैं और जो सरकार के अनुकूल है। इस दृष्टिकोण से वह बहुत अच्छे मन्त्री साबित हो रहे हैं और मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं।

इस पृष्ठ भूमि तथा हमारे सम्मुख इस विधेयक में निहित उपबन्धों को देखते हुए थोड़ा संशय होता है कि क्या वह वास्तव में दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता देना चाहते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्त बनाने का एक अन्य उपाय यह है कि इसका निजीकरण किया जाए। लेकिन मुझे आशा है कि सारी सभा मुझसे इस बात पर सहमत होगी कि हम में से किसी की भी यह इच्छा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जरूरत यह है कि इसके प्रबन्धक ऐसे हों जो प्रसार माध्यम, के प्रति समर्पित हों। हम ऐसे विशेषरूप से ऐसे लोग नहीं चाहते जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, तथाकथित व्यवसाय-निपुण हों जिनका पुनर्प्राथमिकता' कहीं और ही है, वे किसी अन्य कार्य से जुड़े हैं और गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, हम उन्हें नए प्रस्तावित बोर्ड में कुछ भी

संज्ञा दे सकते हैं, वे अन्ततः स्वायत्त होने के नाम पर वास्तविक नियोक्ता के इशारे पर कार्य करेंगे। हम तो वास्तव में यह चाहते हैं कि हमारा प्रबन्धन अथवा शासक-बोर्ड इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति समर्पित तथा सम्बद्ध हो, उनकी सेवाए तथा भविष्य पूर्णतया इस संचार माध्यम से जुड़े हुए हों। अगर वह किसी अन्य स्थान से आता है तो जैसे ही वह यहां पर कार्य करने लगे, उसे न सिर्फ संचार माध्यम द्वारा अदायगी की जाए बल्कि उसका पुनर्ग्रहणाधिकार और भविष्य संचार माध्यम से जुड़ जाना चाहिए ताकि इस निगम के प्रति वह पूर्णतया वचनबद्ध हो और वह प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्ग्रहणाधिकार के तहत न हो जिसमें वह यहां पर तथा दूसरे स्थान, दोनों जगहों पर रहे और किसी अन्य मालिक के इशारों पर चले। तब वास्तविक स्वायत्तता कदापि नहीं होगी।

हमने इसे एक संशोधन के रूप में सुझाया है। हमने चर्चाओं के दौरान इस बारे में सरकार से भी आग्रह किया है। मैं समझता हूं कि सरकार सहित सभा में सभी पार्टियों को अंततः इस बारे में सही रास्ते का ज्ञान हो गया है और वे इससे सहमत लगते हैं और समझते हैं कि यह सही है कि प्रबन्धन में लगे लोग कहीं और से न हों, वे वास्तव में प्रसारण निगम के प्रत्यक्ष रूप में कर्मचारी होने चाहिए।

मुझे खुशी है कि वामपंथी पार्टियां तथा भारतीय जनता पार्टी और सरकार भी कम से कम इस मुद्दे पर तो सहमत प्रतीत होती हैं। (व्यवधान) मुझे खुशी है कि कम से कम वामपंथी पार्टियां तो कह रही हैं कि इस बारे में मतभेद था। कुछ मतभेद था; उपेन्द्र जी ने भी यह माना है।

श्री पी० उपेन्द्र : मैं सभी उचित मांगों को मानता हूं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं कहता हूं कि आप हमारी सभी उचित मांगों को मान रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि हमारी सभी मांगें उचित हैं। (व्यवधान) सरकार और इस सभा द्वारा विचार हेतु अत्यन्त आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है : ये अन्य संशोधन हैं जिनके अनुसार आप इलेक्ट्रानिक मीडिया' जैसे संवेदनशील मुद्दे के लिए आप एक सरकारी क्षेत्र का निगम अथवा कोई निकाय गठित नहीं कर सकते, यह आधुनिक प्रौद्योगिकी और आज के विषय का एक अत्यधिक शक्तिशाली 'मीडिया' है जो कि लोगों के मूल्यांकन से पूर्णतया परे है, इसके लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण तथा भविष्य के विकास हेतु इसके लिए रखी गई राशि भारत की संचित निधि से ली जाएगी और इसके कर्मचारियों की सेवाएं जनता के मूल्यांकन से परे नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार ने भी यह माना है कि कथित स्वायत्तता, जिसमें बाहरी लोग हों, जो बिल्कुल भी उत्तरदायी न हों, केवल वे ही शिकायतों पर कार्यवाही करने वाले हों और इसके भी अतिरिक्त केवल वे सिफारिश कर सकते हों और कोई निर्वाचित प्रतिनिधि इस कार्य में शामिल न हो, तो वह गलत है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि सरकार भी इस स्थिति पर आ गई है जहां वे समझते हैं...

श्री पी० उपेन्द्र : आप तो कुछ अधिक समझ रहे हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि किसी भी प्रसारण परिषद द्वारा निरीक्षण कार्य करने के लिए उसके पास प्रभावी शक्ति होनी चाहिए, वह इतनी सक्षम हो कि संचालन मंडल में अपनी सिफारिशों को वास्तव में कार्यान्वित करवा सके ताकि इस निगम के सार्वभौमिक तथा मालिक अर्थात लोग वास्तव में यह सुनिश्चित कर सकें कि यह राष्ट्रीय हितों की सेवा करे और किन्हीं निहित स्वार्थों के लिए इस निगम का उपयोग न हो। **(व्यवधान)**

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब आप इस विधेयक को लाए, तो आपने इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। यह आश्चर्य की बात है। इसलिए मैंने आरम्भ में ही कहा था कि ऐसा लगता है कि सरकार इस विधेयक को किसी भी तरह से इसलिए सामने लाई है कि वह स्वायत्तता की मांग का ही सामना कर सके; और स्वायत्तता लाने के लिए ही इस विधेयक को लाया गया है। **(व्यवधान)** आपको उत्तर देने के लिए अवसर दिया जायेगा। **(व्यवधान)**

श्री पी० उपेन्द्र : मैंने कहा था कि इस पर राष्ट्रीय चर्चा होगी। **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं नहीं जानता कि विदेश यात्रा से या वास्तविक चर्चा के बाद वे अधिक समझदार हो गए हैं। किन्तु मुझे यह याद है कि इस सत्र के दौरान इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मन्त्री महोदय ने विशेष रूप से कहा था कि इस पर व्यापक चर्चा होगी और उन्होंने ऐसा सब कुछ हर तरह से किया जो आवश्यक था। यदि ऐसा होता तो मेरे विचार में सरकार के लिए हमारे संशोधन पर सहमत होना चाहिए था और इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह गलत है, किन्तु हमें खुशी है कि आपने यह महसूस किया है कि राजनैतिक सम्बन्ध की ओर ध्यान दिए बगैर हम सब यह चाहते हैं कि इस शक्तिशाली इलैक्ट्रानिक मीडिया को स्वायत्तता दी जाए और इसके साथ-साथ यह मीडिया राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध हो।

मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस प्रसारण परिषद में संसद सदस्य होने चाहिए ताकि इसमें जन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके और प्रसारण परिषद के पास अनुशंसा देने का अधिकार है और इसकी अनुशंसाएं अनिवार्य रूप से लागू की जाएंगी। अर्थात् इसके पास राष्ट्रीय हित को वास्तव में सुनिनिश्चित करने के लिए आवश्यक संशोधन या आवश्यक कदम उठाने की क्षमता है, केवल इससे ही कुछ नहीं होगा, ससद के दोनों सदनों की ओर से एक संयुक्त संसदीय समिति की अति आवश्यकता है जिसमें हमारी वर्तमान संसदीय प्रणाली के अनुसार लोगों का वास्तविक प्रतिनिधित्व है। यद्यपि मुझे याद है कि एक मन्त्री ने किसी विषय पर कहा था कि 540 सदस्य यहां लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मेरे विचार में वह उस क्षण की गर्मी में कहा गया था। उन्होंने जो कुछ कहा था उसका अर्थ नहीं समझा। किन्तु भारतीय व्यवस्था में, हमारे संविधान के अधीन संसदीय व्यवस्था होते हुए, हम सब और सारा देश इस पर सहमत होगा कि यदि आज कोई है जो यह कह सके कि वह लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह संसद ही है। इस संसद का अर्थ नौवीं संसद या दसवीं संसद नहीं है; इसका अर्थ है संपूर्ण संसद, यदि आप अंग्रेजी समझते हैं। मेरे मित्र क्या आप यह समझ जायेंगे ? दुर्भाग्य से मेरे मित्र अंग्रेजी भाषा सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु

इसका प्रयोग मुझ पर नहीं करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त संसदीय समिति के पास भी उतने अधिकार अवश्य होने चाहिए जितने सार्वजनिक उपक्रमों के पास है। (व्यवधान)। मेरे विचार में वे इससे सहमत होने वाले हैं जिससे इस अधिनियम के अधीन हम जिस निगम की स्थापना करेंगे, वह एक सार्वजनिक निगम होगा, जो निजी प्रकृति का है। यह पूरी तरह से सार्वजनिक होना चाहिए और इसकी संसद द्वारा देखभाल, निरीक्षण और जांच की जा सके जिससे कि यह पथभ्रष्ट न हो सके। हम सब इस बात से सहमत हैं कि यह स्वायत्तता उन्हें कामकाज में दी जानी चाहिए जिससे, श्री उपेन्द्र के कहने के अनुसार, इसका प्रयोग निहित स्वार्थ के लिए नहीं किया जाए। हमें डर है कि यदि इसका संसद द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया तो सम्भव है कि यह निहित स्वार्थी लोग, स्वाभाविक है जो पूंजीपति ही हैं इसका शोषण करेंगे; और मेरे विचार में यह एक सावधानी है जिसका हम सबको ध्यान रखना है।

मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारे द्वारा दिए गए संशोधनों पर विचार करते हुए इसे भी गम्भीरता से लेगी। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र जो बाईं ओर बैठे हैं, वे नहीं जो बाईं ओर अंत में बैठे हैं, जो किसी ओर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे भी इस बात से सहमत हैं कि संयुक्त संसदीय समिति एक आवश्यकता है और इसे हल्के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। (व्यवधान) हम सम्भ्रमित नहीं हैं। आप चिन्ता न करें। हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है। आपकी तरह, हम शब्दों का हेर-फेर नहीं करते।

अधिक मूलभूत बात यह है कि भारत सरकार की वह सम्पत्ति जो कई करोड़ों रु० मूल्य की है, क्या उस सम्पत्ति को संसद के अधिनियम द्वारा इन लोगों के पास स्थानान्तरित किया जा रहा है, जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है अथवा हम उस सम्पत्ति को अपने पास रखेंगे और इस निगम को, अपने कामकाज में आत्मनिर्भर है, उस सम्पत्ति का उपयोग करने की अनुमति देंगे? क्योंकि यह काफी संभव है कि आज नहीं किन्तु कुछ समय पश्चात् या शायद और कुछ समय बाद इस सम्पत्ति को निगम द्वारा कुछ लोगों के पास स्थानान्तरित कर दिया जायेगा कुछ विशेष गलतियों के कारण ऐसा हो सकता है। आपके सहयोग से ऐसी स्थिति हो सकती है जबकि आप बड़े स्तर पर साम्प्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं आप नहीं जानते कब क्या हो सकता है, कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है। किन्तु मुद्दा यह है और समय की मांग है कि हम यह समझें कि एक ओर हम स्वायत्तता की प्रशंसा करते हैं, यह स्वायत्तता कहीं दो-धारी तलवार न बन जाए। स्वायत्तता देने का उद्देश्य है कि इन संचार माध्यमों को आजादी दी जाए, और इन माध्यमों का उपयोग राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

मैंने काफी अधिक समय ले लिया है और मैं यह कहते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि आज हमने चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि इन चर्चाओं से श्री उपेन्द्र को एकमत के साथ सर्वसम्मति से ऐसा विधेयक और ऐसा अधिनियम प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी जो देश के हित में होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इसमें कोई कमी न रह जाये और इन संचार माध्यमों को वास्तविक स्वायत्तता दी जाए और यह एक दिखावा या नाटक न हो...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आप अंग्रेजी भी नहीं समझेंगे और अनुवाद भी नहीं समझेंगे तो मैं क्या करूं । हमारे सब एमेण्डमेण्ट्स मान लें तो हम क्यों मना करें ।

श्री रतिश्वर पाठीवार (आरगोल) : सभापति महोदय, मैं अभी उपेन्द्र जी ने जो प्रसार भारती बिल प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन के लिए खड़ा हूं ।

प्रसार भारती बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर भी हम विचार करें तो सीधे-सीधे हमारा ध्यान सबसे पहले आपातकाल की ओर जाता है, जब रेडियो और टी०वी० का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया और संचार साधनों को जिस तरह से दमनकारी अस्त्र बना दिया गया, वह सबके सामने जगजाहिर है । जयप्रकाश नारायण जी जैसे नेता के खिलाफ भी जिस तरह से रेडियो और टी० वी० के एकतरफा बयान आते थे और उनको बदनाम करने वाले बयान आते रहे, सेना को भड़काने के नाम पर जैसे बयान आते रहे, इससे इन माध्यमों का इससे ज्यादा दुरुपयोग और कोई नहीं हो सकता था । इसलिए जरूरी समझा गया कि ऐसे माध्यमों को जब तक स्वायत्तता नहीं दी जाएगी तब तक भला नहीं हो सकता ।

उस समय हम मीसा में बन्द थे और मीसा में उस समय जिस तरह की खबरें रेडियो और टी० वी० पर सुना करते थे तो उस समय लगता था कि क्या एक राष्ट्र के लिए जो हमारे बड़े प्रचार के साधन और माध्यम हैं, उनका इस तरह से दुरुपयोग हमेशा होता रहेगा और मुझे आज बड़ी खुशी होती है कि हम मीसा में बन्द काल के दौरान जो कल्पना किया करते थे, स्वायत्तता की, वह स्वायत्तता की मांग आज पूरी होने जा रही है । इसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस के शासन काल में भी 1966 में चन्दा कमेटी बैठी और मानवन्तम् कमेटी बैठी, उन्होंने भी रेडियो और टी० वी० को स्वायत्तता देने की जो मांग की, वह आज तक कभी पूरी नहीं की गई और अचानक इस स्थिति में एक दिन बता दिया गया कि स्वायत्तता की मांग पूरी नहीं की जा सकती । इस तरह से 1970 में आचार संहिता जो बनी थी, उस आचार संहिता के 1975-76 में किस तरह से धुर्रे बिखेर दिये गये, यह सबके सामने जगजाहिर है । उस समय रेडियो और टी०वी० की विश्वसनीयता धीरे-धीरे कितनी कम होती चली गई, यह इस बात का सबूत है कि जब इन्दिरा गांधी की हत्या हुई तो उस समय राजीव गांधी पश्चिमी बंगाल का दौरा कर रहे थे, उस समय उनको विश्वसनीय खबर लेने के लिए बी०बी०सी० की न्यूज लगानी पड़ी, इससे ज्यादा और कोई आश्चर्य की बात हो सकती है कि उस समय के प्रधान मन्त्री का बेटा अपनी मां की हत्या की खबर लेने के लिए बी० बी० सी० जैसी बाहरी न्यूज एजेंसी की खबर सुनना पसन्द करे, इससे ज्यादा आश्चर्य की बात कोई और नहीं हो सकती । महोदय, इसलिये 1970 में लालकृष्ण आडवाणी ने जो भी जी वर्गिस कमेटी बनाई थी और उसके बाद आपातकाल में जो कुछ किया गया, उस पर श्वेत पत्र जो रखा गया उसमें एक बात बहुत स्पष्ट थी कि यह तय करना होगा कि दरअसल में सरकारी माध्यम के द्वारा संचालित जो रेडियो और टी० वी० है उस पर [illegible] का और रेडियो और टी० वी० की [illegible]

तरह से हो। हम जानते हैं कि दरअसल में सत्तारूढ़ पार्टी और राष्ट्रहित का अन्तर जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक रेडियो और टी०वी० का ठीक तरह से संचालन नहीं किया जा सकता है। आज भी स्वायत्तता देने के साथ-साथ जब तक हम यह नहीं देखेंगे, सरकारी हित और राष्ट्र हित का अंतर कैसा हो। जब तक हमारे ब्राडकास्टर्स इस बात का अन्तर नहीं समझ पायेंगे, तब तक भला नहीं हो सकता और स्वायत्तता सही मायने में स्वायत्तता नहीं मानी जा सकती है।

इसलिये मैं यह आशा करता हूं कि इस बिल के पास हो जाने के बाद सरकारी हित और राष्ट्रहित में अन्तर करना, हमारे लोग सीखेंगे। प्रसार भारती बिल का उद्देश्य भी यही है और आज राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने यह बिल भी इसलिये रखा है और इतनी हिम्मत के साथ रखा है। यह प्रचार माध्यम के इतिहास में एक बड़ा पग माना जायेगा कि जिसके माध्यम से आज इतनी बड़ी स्वतन्त्रता हम इसे देने जा रहे हैं। इसलिये सरकारी हित और राष्ट्रहित का हम अन्तर कर सकेंगे। इसके माध्यम से खासकर न्यूज के बारे में जो बातें प्रसारित की जाती है। उस समय जितनी स्पष्टता और निर्भीकता की जरूरत होती है उतनी और किसी बात की नहीं होती। माननीय साठे जी जब एक दिन बोल रहे थे तो उन्होंने बताया और बड़ी हिम्मत के साथ वह कह रहे थे कि देखिये हमने एशियाई खेलों के समय खेल का प्रसारण करने के लिये अधिकारों को पूरा मौका दिया और उसका जितना बढ़िया उन्होंने प्रसारण किया, उसकी दाद दी गई और तारीफ की गई। हम यह पूछते हैं कि आपने उनको केवल खेल प्रसारण जैसी बात के लिये तो आजादी दे दी, परन्तु क्या कभी न्यूज के लिये और आजकल जैसे कार्यक्रम के लिये उनको जो आजादी दी गई थी और चुनाव के टाइम में जिस तरह से उनका दुरुपयोग किया जाता रहा और ऊपर से उन पर जो दबाव डाला जाता है, उनको कभी आजादी दी गई? इस हिसाब से यदि देखा जाये तो उस आजादी का क्या हुआ, जो गली-गली में चोर है और शोर है, वाली बात जिस प्राचार्य ने सुनी और जिस अधिकारी ने इसको सुन लिया और उस समय पत्रकारिता का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था। हमारे मध्य प्रदेश की ही बात है कि सागर में कार्यक्रम चल रहा था और प्राचार्य ने इस बात के लिये अनुमति दे दी थी और इस बात के लिये प्रश्न पूछा था कि शोर वाली क्या बात है। इस पर एक बच्चे ने उदाहरण दे दिया कि उस प्राचार्य को किस तरह से बाजार में मुंह काला किया गया, किस तरह से उसके कपड़े फाड़े गये और उसको मारा गया, उसका मुंह काला करके उसको घुमाया गया। इससे ज्यादा इस आजादी की और क्या बात की जा सकती है। किस तरह से उनका दुरुपयोग किया जाता था, कितना दबाव उन पर डाला जाता था।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाह रहा था कि इतनी कमेटियां बनीं, चाहे भगवंतम कमेटी हो या उसके बाद पूरनचन्द जोशी कमेटी हो, उनकी जो सिफारिशें थी वह मानी नहीं गई। उसके बाद अन्त में सरकारिया आयोग आया, सरकारिया आयोग ने तो बिल्कुल सरकार की आवाज में आवाज लगाकर कह दिया कि स्वायत्तता देने की बात ही नहीं है। उसके बाद 1980 में पार्थसारथी कमेटी आई, इन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसमें मुल्कराज आनन्द जैसे लोग भी उस कमेटी में थे और इन्होंने प्रसारकों के लिए, न्यूज के लिए कुछ दिशा-निर्देश दिये कि इनका पालन किया जाये। इनका पालन करने के लिए दिशा-निर्देश दिये गये थे; उनको 1982 में लोकसभा में भी रख दिया गया था परन्तु उसके बाद भी उनको तिलांजलि दे दी गई और उनको कभी नहीं देखा गया। मैं

सरकार से कहना चाह रहा था और यह भी अनुरोध करूंगा कि जो पार्थसारथी कमेटी ने जो निर्देश दिए थे, वह बहुत अच्छे थे उनको देखा जाना चाहिये। इस बिल को बनाते हुए भी इसे नहीं देखा गया। इसलिये मैं आशा करूंगा कि इनको भी देखा जाये।

यह स्वायत्तता केवल ढांचे की स्वायत्तता नहीं होगी और मैं आशा करता हूं कि यह सिर्फ ढांचे मात्र की रचनात्मक स्वायत्तता बन कर ही नहीं रह जाएगी; दरअसल अधिकार के रूप में जब वे संचित हुई थी, जहां तक आर्थिक स्वतन्त्रता के लिये जो बार-बार बातें कही जा रही हैं कि इतना पैसा दिया जायेगा तो वे किसी सरकार का अहसान के रूप में पैसा नहीं होगा, यह पैसा उनको अधिकार के रूप में मिलेगा।

इसलिये आर्थिक स्वायत्तता उनकी पूरी तरह से बनी रहेगी और प्रसार भारती बिल्कुल आर्थिक स्वतन्त्र रूप से काम करेगी। दरअसल में केवल नियम, कानून, संविधान संशोधन से ही स्वायत्तता नहीं आ जाती। मैं इस बात को मानता हूं कि सत्ता पक्ष की नैतिकता और उसकी इच्छा शक्ति और जनहित का ध्यान रखने की जो उसकी शक्ति है, उसके माध्यम से इसको पूरा किया जा सकता है। स्वायत्तता केवल कानून बनाने से नहीं आएगी और कानून न बनाने से तो कभी नहीं आएगी। यह जो कानून बनाया जा रहा है, यह बहुत अच्छा है। कई बार विश्वसनीयता की बात होती है। मैं यह बताना चाहता था कि एक बार शालिनी मल्होत्रा की 1982 में जलने से मृत्यु हो गई। श्री कमलेश्वर उन समय अतिरिक्त महानिदेशक थे। उन्होंने उस महिला का मृत्यु पूर्व का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू कैसेट को डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोर्ट ने उनको नहीं माना। इसलिए जब स्वायत्तता की बात की जा रही है, इसकी विश्वसनीयता इतनी बढ़ा दी जाए कि कोर्ट में और जगहों पर इस तरह की चीजों को सुबूत के रूप में माना जा सके। (व्यवधान)

सभापति महोदय, आई बी पी एस, भारतीय प्रसारण कार्यक्रम सेवा के लिए केबीनेट ने स्वीकृति दे दी है। हम चाहते हैं कि जब प्रसार भारती शुरू हो, उससे पहले सबको समान फुटिंग पर लाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय प्रसारण इंजीनियरिंग सेवा 8 साल से बन चुकी है, आई बी पी एस अब बनाई जा रही है, तो इनको समान फुटिंग पर लाकर काम शुरू किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। भारतीय सूचना सेवा, केन्द्र सरकार के अन्तर्गत समाचार देखने और तैयार करने का काम करती है। पिछले दिनों जितने आरोप-प्रत्यारोप आए, समाचारों की विश्वसनीयता घटी, इसी सेवा के लोगों के कारण घटी है, ऐसा मेरा मानना है। उनको पूरी तरह से प्रसार भारती में समाहित कर लिया जाए या उसको अलग रख दिया जाए और प्रसार भारती के लोगों को ही न्यूज देखने और तैयार करने का काम भी दिया जाए।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। आकाशवाणी-दूरदर्शन में प्रसारण कार्यपालक, प्रोडक्शन असिस्टेंट, सब एडिटर, सहायक एडीटर के मिले-जुले काडर प्रसारण के कार्यपालकों को कार्यक्रम अधिशासी के पद पर 100 प्रतिशत आधार पर पदोन्नति का मामला भी कार्मिक विभाग के विचाराधीन है, इस मामले को भी निपटाया जाना चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि प्रसार भारती को जो अधिकार दिए जा रहे हैं इसके अनुसार केवल सलाहकार बनाकर इस को रख दिया गया है। प्रसार भारती को इतने अधिकार दिए जाए, जिससे केवल शिकायत मिलने की बात नहीं होनी चाहिए, केवल शिकायत मिलने पर ही काम क्यों करें, रेडियो से, बाहर से, समाचार पत्रों से, पत्रों के माध्यम से जो शिकायतें मिलें, लेकिन स्वाविवेक से भी क्यों नहीं खोल सकते, क्यों नहीं जांच कर सकते और जांच करने के बाद उसका जो फैसला हो वह अंतिम हो, बोर्ड आफ गवर्नर्स उसके लिए बंधनकारक हो। जब तक बोर्ड आफ गवर्नर्स उसके लिए बंधनकारक हो। जब तक बोर्ड आफ गवर्नर्स पर वह फैसला बंधनकारक नहीं होगा, तब तक काम नहीं चलेगा। वह केवल सलाहकार के रूप में क्यों रहे, उनकी बात को माना जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आस्ट्रेलिया ब्राडकास्टिंग अथारिटी में वहां के राजनीतिक दलों को सीधे सीधे बोर्ड आफ गवर्नर्स में ले लिया जाता है और उनकी संसद में दलों के अनुपात के अनुसार बोर्ड आफ गवर्नर्स में उनके सदस्य ले लिये जाते हैं पश्चिम जर्मनी में भी वहां के सूचना-प्रसारण विभाग में काम करने के लिए पूरे रूप से उनके अधिकारों को प्रभावी कर दिया गया है, इसी तरह से आडवाणी जी ने जो सुझाव दिया है कि पी यू सी और स्टेंडिंग कमेटी की तरह इसके लिए भी कोई कमेटी बनाई जाए जो इसका सुपरविजन करे उस कमेटी को अधिकार मिलने चाहिए। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० देबी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : सभा के सामने चर्चा के लिए प्रस्तुत प्रसार भारती विधेयक को देखने से पता लगता है कि इसे लोक सभा के पहले हां सत्र में काफी जल्दबाजी में प्रस्तुत किया गया था। इसमें 340 से भी अधिक संशोधन हैं, जैसा कि विपक्ष के एक विद्वान सदस्य ने कहा है यह विधेयक इतनी जल्दबाजी में प्रस्तुत किया गया कि इस पर गहन रूप से विचार करने की जरूरत है। यदि हमारी ओर से प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वास्तव में इसमें अन्य कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अन्यथा, विधेयक पर गहन रूप से विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता है क्योंकि प्रसार भारती विधेयक का काफी असर होगा है और एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संचार माध्यम पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है। प्रसार भारती का कार्य सृजनात्मक एवं गतिशील होगा और इसके और कारणों के कथन में ऐसे ही असंख्य प्रशंसनीय अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है। परन्तु हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या इस विधेयक से इस प्रसारण निगम को प्रशासनिक कार्यकरण में वास्तविक स्वायत्तता भी मिलेगी। यह देखने के लिये कि वास्तविक स्वायत्तता क्या होगी, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि विभिन्न समितियों और विभिन्न एजेन्सियों में किस प्रकार के व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जिनके द्वारा इस निगम का कार्य संचालित होगा। हमें इस बात की जांच भी करनी है कि कौन लोग नियुक्तियों का कार्य करेंगे, कर्मचारियों के चयन में किस प्रकार के सरकारी

प्रभाव—भले ही यह अप्रत्यक्ष क्यों न हो, का प्रयोग किया जायेगा। और किन-किन व्यक्तियों की भर्ती निगम की विभिन्न एजेन्सियों में की जायेगी।

तीसरी बात जिस पर हमें विचार करना है, वह यह है कि नियुक्ति के बाद क्या ये कर्मचारियों अपने कार्य निष्पक्षता से, स्वतन्त्रता से और बिना किसी सरकारी प्रभाव के हो सकेंगे। इन मुद्दों पर विचार करने के बाद ही इस बात का पता लगेगा कि इस विधेयक के द्वारा सरकार का विचार वास्तव में स्वायत्तता देने का है अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से सरकारी नियन्त्रण करने का यह केवल बहाना मात्र है। यदि यह एक स्वायत्त निगम बन जाता है और सरकार इस पर अपने प्रभाव का प्रयोग अप्रत्यक्ष तरीकों से करती है तो यह एक खतरनाक स्थिति होगी। क्योंकि यदि सरकार प्रसारण निगम का संचालन सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के अधीन करती है, यदि उसमें कोई कुप्रबन्ध होता है, यदि प्रशासन का कार्य भली-भांति नहीं चलता है, तो सरकार इस सदन के प्रति जवाबदेह होगी और अधिकारी भी जवाबदेह होंगे। परन्तु यह सरकार एक निगम बना देती है और इसके अन्तर्गत कुछ शक्तियां इन एजेन्सियों को दे देती है, तो जब कभी प्रशासन में कोई अव्यवस्था हो जायेगी, तो सरकार इसका सहारा लेकर कह सकती है कि वह (सरकार) इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एक स्वायत्त निगम प्रसारण विभाग का संचालन करेगी और इसीलिये विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत निगम इस सदन के प्रति जवाबदेह होगा अथवा सरकार जवाबदेह होगी। विधेयक में जो कुछ दिया हुआ है, वह यह है कि सरकार एक विवरण तैयार करेगी और वह विवरण इस सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अतः हमें यह देखना है कि क्या इस विधेयक में वास्तविक जवाबदेही का प्रावधान किया गया है। इसके प्रशासन का संचालन करने वाली सरकारी एजेन्सी का एक शासक बोर्ड होगा जिसके लिए विधेयक के अन्तर्गत आरम्भ में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु प्रस्तुत संशोधन के अन्तर्गत कहा गया था कि प्रसारण निगम का अध्यक्ष अंशकालिक होगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इतने महत्वपूर्ण निकाय, जिसे इतना महत्वपूर्ण कार्य करना है, का संचालन एक अंशकालिक अध्यक्ष के अधीन किस प्रकार से हो सकता है। यह तो एक निजी कम्पनी के अध्यक्ष समान होगा जोकि अंश-कालिक अध्यक्ष होता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसके कार्य और जिम्मेदारियां उत्साहहीन होंगी और वह अपने कार्यों के लिये इस सदन के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। शासक बोर्ड जिन्हें कार्य करना है, आप उन्हें शासक कह सकते हैं अथवा आप जो चाहें उन्हें कह सकते हैं। इससे मुझे एक अच्छी कहानी की याद आ जाती है नगरपालिका में मेहतरों को असिस्टेंट कंजरवेन्सी इन्सपेक्टर्स, का नाम दे दिया गया। इसके बाद नगरपालिका ने उनके वेतन में वृद्धि का निर्णय किया, परन्तु उनका नाम मेहतर रखना था न कि 'असिस्टेंट कंजरवेन्सी इन्सपेक्टर्स'। सभी मेहतरों ने हड़ताल कर दी—उन्होंने कहा कि हम वेतन में वृद्धि नहीं चाहते परन्तु हमारा नाम 'असिस्टेन्ट कंजरवेन्सी इन्सपेक्टर्स होना चाहिये। अब आप शासक को कुछ भी नाम दे लीजिये, यदि मैं कहूं, तो तो यह अत्यधिक दिखावटी नाम है। परन्तु यह बोर्ड आफ गवर्नर, जोकि स्वतन्त्र है, किस प्रकार अपने कार्यों का संचालन करेगा। राज्य सभा के सभापति, प्रेस परिषद के अध्यक्ष और सरकार के एक नाम निर्देशिती बोर्ड आफ गवर्नर में व्यक्तियों का चयन एवं नियुक्ति करेंगे। दूसरे शब्दों में, सरकारी प्रभाव केवल खुल्लमखुल्ला ही नहीं होगा, बल्कि वह पूरी तरह होगा और यदि कोई

शासक (सदस्य) बैठक में उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी अनुपस्थिति के कारण समिति के निर्णय को अवैध नहीं ठहराया जायेगा। अतः अन्ततः बोर्ड आफ गवर्नर की नियुक्तियों में सरकार निश्चित रूप से अपने नियन्त्रण का प्रयोग करेगी।

प्रसारण परिषद एक महत्वपूर्ण एजेन्सी है। जो व्यक्ति प्रसारण निगम के कार्य करने के तरीके से असन्तुष्ट हैं, वे परिषद के सामने अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। परिषद इसकी सुनवाई करेगी और निर्णय करेगी कि शिकायत उचित है अथवा नहीं। इसके कार्य अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति के हैं और यह सिद्धांत की बात है कि यदि परिषद आम व्यक्तियों द्वारा दर्ज शिकायतों की सुनवाई और निष्पादन एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप करती है, तो अन्य दूसरे अर्द्ध-न्यायिक निकाय के समान ही उन व्यक्तियों को जिनकी उपस्थिति उस शिकायत के उचित निपटाने के लिए जरूरी है, बुलाने की शक्ति भी इसके पास नहीं है। उनके पास उन दस्तावेजों और पुस्तकों को मंगवाने की शक्ति भी नहीं है जोकि शिकायत पर उचित प्रकार से विचार करने के लिए जरूरी हैं। ऐसी शक्तियां उस अर्द्ध-न्यायिक संस्था को दी जाती है, जिसे पक्षों द्वारा दर्ज शिकायतों का निर्धारण और निर्णय करना होता है। परिषद द्वारा की गयी सिफारिश का क्या होगा? परिषद सिफारिश तो करेगी परन्तु उसे अपने निर्णय को कार्यान्वित करने अथवा लागू करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इस सिफारिश को कार्यकारी गवर्नर के पास भेजा जायेगा और यदि वे परिषद की सिफारिश से सन्तुष्ट नहीं है, तो अन्ततः इसे बोर्ड आफ गवर्नर्स के सामने प्रस्तुत किया जायेगा और यदि वे भी परिषद की सिफारिश को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे केवल इ के कारणों को रिकार्ड करेंगे। परन्तु अन्ततः वे किसके प्रति जवाबदेह हैं? परिषद की सिफारिशें सभा में प्रस्तुत नहीं की जायेंगी ताकि सभा इस बात से अवगत हो सके कि परिषद ने क्या सिफारिश की है और बोर्ड आफ गवर्नर्स अथवा कार्यपालक गवर्नर इसे स्वीकार करने की स्थिति में क्यों नहीं हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति से विचार-विमर्श करके परिषद के शासकों की नियुक्ति करेंगे। अंशकालिक अध्यक्ष के नाम की सिफारिश एक निकाय द्वारा की जायेगी जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति की भूमिक महत्वपूर्ण होगी और भारत के राष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति से सलाह-मशविरा करके परिषद के गठन का निर्णय करेंगे। परिषद की नियुक्ति के बारे में भी अवश्य ही कुछ आलोचनाएं होंगी क्योंकि यदि परिषद के सदस्यों की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से की जाती है, तो यह जनता का एक निष्पक्ष निकाय होगी। फिर यह भी जरूरी है कि इसका गठन विस्तृत रूप से किया जाना चाहिए और संघलोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भारत के महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऐसे व्यक्ति जिनका सरकार के संचालन में कोई हाथ नहीं है इसके सदस्य होने चाहिए। जो इस परिषद और शासक बोर्ड के सदस्यों के नाम की सिफारिश करें। परन्तु इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि प्रसारण निगम का गठन ब्रिटिश प्रसारण निगम के ढांचे के आधार पर किया गया है, तथापि इसके अनेक महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल नहीं किया है। इसमें एक अन्य पहलू है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। टेलीग्राफ अधिनियम के अंतर्गत, जैसा कि यह आज भी है, टेलीग्राफ की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें टैलीविजन शामिल है। इसमें रेडियो 'वेव्स' शामिल है। इसमें सभी प्रकार के 'इलैक्ट्रानिक मीडिया' को शामिल किया गया है और सरकार को कानून के अधीन

इन सभी माध्यमों को चलाने की शक्ति दी गयी है। सरकार को लाइसेंस देने की शक्ति है। अब यदि लाइसेंस दिया जाता है और प्रसारण निगम जो कि एक स्वायत्त निकाय होगा, जैसा कि इससे विदित है, तो इसे सरकार से टेलीग्राफ अधिनियम के अधीन लाइसेंस लेना होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार केवल प्रसारण निगम जैसे स्वायत्त निकाय को ही लाइसेंस दे सकती है। यदि लाइसेंस दिया भी जाता है, तो एकमात्र ऐसे स्वायत्तशासी निकाय को लाइसेंस देने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है इसी कारण प्रसारण माध्यमों का संचालन करने वाले व्यक्ति भी सामान रूप से लाइसेंस दिये जाने की मांग कर सकते हैं। यदि सरकार इसे स्वयं नहीं चलाती है, तो नागरिक भी प्रसारण माध्यमों को संचालित करने के वास्ते लाइसेंस के लिए आवेदन क्यों न करें। 'अमेरिकन फेडरल कम्यूनिकेशन काउंसिल' जिसे प्रसारणकर्ता को लाइसेंस देने का अधिकार है, के समान ही भारत सरकार अपनी किसी शर्त के आधार पर दूसरों को लाइसेंस दे सकती है। प्रसार भारती विधेयक के अनुसार यदि यह स्वायत्तशासी निकाय इसे संचालित करता है, तो स्वतन्त्र रूप से दो महत्वपूर्ण सिद्धान्तों, निष्पक्षता सिद्धान्त एवं समान अवसर देने के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में, यदि एक दल इस प्रसार माध्यम के द्वारा अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता है, तो दूसरे दल को भी उसी प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिए और यदि इसमें कोई गड़बड़ी होती है, तो निष्पक्षता के सिद्धान्त को बरकरार नहीं रखा जा सकेगा।

विधेयक में इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। अन्ततः हम उन लोगों के सद्विवेक पर निर्भर हैं, जो इस प्रसार भारती अथवा प्रसारण निगम का संचालन करेंगे। यदि इन प्रारम्भिक सिद्धान्तों को, जिन्हें सभी सभ्य लोकतान्त्रिक देशों में मान्यता प्राप्त है, बनाए रखने के लिए कोई वैधानिक संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा तो अन्ततः हमें उन लोगों के सद्विवेक पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जो इस प्रसारण निगम का संचालन करेंगे। वे कौन से लोग हैं? इन लोगों को अन्ततः सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वे सरकार के नियंत्रण अथवा प्रभाव में कार्य करेंगे। यदि सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जायेगा तो सरकार आवश्यक धनराशि नहीं दे सकती। प्रसारण निगम विधेयक में वित्तीय स्वायत्ता के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उदाहरणार्थ यदि प्रसारण निगम प्राइवेट औद्योगिक घरानों से कुछ धनराशि ले लेती है जिससे कि वे सरकारी धन पर निर्भर न रहें तो विधेयक में इसके लिए कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है कि प्राइवेट एकाधिकारी और व्यवसायी इस प्रसारण निगम को कितनी धनराशि प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा उन पर बड़े औद्योगिक घरानों का नियंत्रण हो जाएगा और अन्ततः सरकार बड़े औद्योगिक घरानों के सहयोग से इस प्रसारण निगम को ऐसा रूप प्रदान कर देगी जो संसद और जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होगी तथा यह संचार माध्यम जो आम जनता, ग्रामीणों तथा अशिक्षित व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करने शिक्षा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण माध्यम है, सरकार और बड़े औद्योगिक घरानों के सहयोग से कुछ लोगों के नियंत्रण में हो जाएगा और इससे जनता इस महत्वपूर्ण माध्यम का पूरा लाभ नहीं उठा सकती।

महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए यह विधेयक जल्दबाजी में नहीं लाया जाना चाहिए था। मेरी पार्टी ने इन कमियों को दूर करने के लिये संशोधनों का सुझाव दिया है, यदि सूचना और प्रसारण मन्त्री वास्तव में गम्भीर और निष्पक्ष हैं, तो उन्हें हमारी तरफ से दिये

गये सुझावों को स्वीकार करना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहना है यदि आप वास्तव में ऐसा स्वायत्तशासी निगम की स्थापना करना चाहते हैं, जनता और इस सभा के प्रति जवाबदेह हो तो सभा के प्रति जवाबदेही के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके विपरीत सरकार को देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निगम को निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गयी है और यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा तो सरकार उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है, जो निगम का संचालन करते हैं। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सरकार किसी भी प्रकार का निर्देश दे सकती है जिसके द्वारा निगम को नियंत्रित और प्रभावित किया जाएगा। जब सूचना और प्रसारण मंत्री ने धारा 22 (क), (ख) और (ग) में अनेक संशोधन प्रस्तुत किए हैं तो उनका भी इस पर कड़ा नियंत्रण रखने का विचार स्पष्ट हो गया है। इन संशोधनों का पूरा उद्देश्य इस निगम के कार्यकरण पर कड़ा नियंत्रण रखना है यह बड़ी गम्भीर बात है। आडवाणी जी ने आरोप लगाया है कि जब हमारी सरकार प्रशासन चला रही थी तो अनेक गलतियां हुई थीं। मैं आडवाणी जी को बता सकता हूं कि 1977 से लेकर 1979 तक उनके प्रशासन के दौरान भी समाचार-पत्रों में यह बताया गया कि 15 अगस्त, 1979 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष को गौरवान्वित करने के लिये 15 मिनट दिये गये थे तथा समाचारपत्रों में यह भी बताया गया था कि यह तत्कालीन मंत्री महोदय का प्रभाव था और जनता पार्टी के तत्कालीन महासचिव श्री मधु लिमये ने भी इसकी बड़ी आलोचना की थी। जब वह सूचना मंत्री थे तो उस समय भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष की प्रशंसा की थी और उन्हें महात्मा गांधी और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के समान बताया था, श्री मधु लिमये ने इसकी भी आलोचना की थी। दिनांक 3 अगस्त, 1979 के नेशनल हेरल्ड में बताया गया था कि यह राष्ट्र के लिए अपमान की बात थी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को गौरवान्वित किया गया और उन नेताओं के समान बताया गया। आर० एस० एस० की पहचान बनाने के लिए उनके प्रशासन के दौरान सरकार इस प्रकार से इस विभाग को चलाती थी और उन्होंने इन संचार माध्यमों के द्वारा आर० एस० एस० को लोकप्रिय बनाना चाहा। यह माध्यम इस प्रकार से कार्य करते थे अतः, उन्हें यह कहते हुए शोभा नहीं देता कि श्री राजीव के नेतृत्व में जब कांग्रेस सरकार इस सूचना विभाग को चला रही थी तो इस तरह की गलतियां हुई थीं परन्तु हम अभी भी चाहते हैं कि इस प्रसार भारती को इसके कार्य के सम्बन्ध में वास्तविक स्वायत्तशासी संस्था बनाया जाए और इसे जनता के प्रति जिम्मेदार बनाया जाए। अन्यथा यह एक ढोंग होगा और यह वास्तव में एक स्वायत्तशासी संस्थान नहीं होगी। यदि आप वास्तव में जनता के प्रति जवाबदेही स्वायत्तशासी संस्था नहीं बना सकते, तो यह बड़ी गम्भीर बात है और यह दिखावटी अनुचित विचार भविष्य के लिए होगा जिस पर यह सभा बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

5.00 म० प०

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को इस महत्वपूर्ण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। यह उनका वायदा था जो उन्होंने पिछली लोक सभा चुनावों के दौरान जनता से किया था। इसकी घोषणा उनके चुनावी घोषणा पत्र में की गयी थी। मैं विशेषतः श्री उपेन्द्र को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभी वर्गों के लोगों, संचार माध्यम विशेषज्ञों, राजनैतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से परस्पर बातचीत करने के लिए

विगत आठ महीनों के दौरान बड़ी सावधानी बरती। परन्तु, विपक्ष के सदस्यों के भाषण सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। वे सभी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा जल्दबाजी में किया गया है। परन्तु ऐसा नहीं है। विगत आठ महीनों के दौरान श्री उपेन्द्र ने इस ढंग से बातचीत की थी कि हम यही कह सकते हैं कि ऐसा सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक परम्पराओं के अनुरूप किया गया है, जिसकी कांग्रेस (आई) के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैंने कम से कम उनसे आशा की थी कि इस विधेयक पर बोलने से पहले श्री साठे जैसे कांग्रेस के वक्ता इस सभा में और इस सभा के माध्यम से राष्ट्र से अपने शासन के दौरान इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यम के गैर-जिम्मेदाराना ढंग से दुरुपयोग करने के लिए क्षमा मांगेंगे। मैं उनको केवल दो अवसरों की याद दिलाना चाहता हूं। मैं ऐसे सैंकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। परन्तु मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल दो अवसरों का उल्लेख करूंगा। राम-जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के सम्बन्ध में जब न्यायालय ने 4.30 म०प० पर निर्णय दिया था और 4.40 म०प० पर इसका ताला तोड़ा गया तथा रात्रि 8.40 पर दूरदर्शन पर निर्णय दिए जाने के बाद के घटनाक्रम को विस्तार से दिखाया गया। जिसके फलस्वरूप 48 घण्टे के अन्दर अकेले उत्तर प्रदेश में कम से कम 18 स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गए। यह ऐसी जिम्मेदार सरकार थी जिसने इस ढंग से कार्य किया और वे दूरदर्शन के मामलों से इस प्रकार निपटते थे। अब मैं दूसरे अवसर का उल्लेख कर रहा हूं। 31 अक्तूबर, 1984 को श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या कर दी गयी, निस्संदेह यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। परन्तु उसके बाद क्या हुआ ? मेरे विचार से इसके लिए दूरदर्शन को तैयार किया गया था कि बदले में जो नारे और बयान जारी किए गये, उन्हें 30 मिनट तक दूरदर्शन पर दिखाया गया। इसके फलस्वरूप दिल्ली में ऐसे भयंकर दंगे हुए जो विश्व में कभी नहीं हुए थे। मैं केवल दो ही उदाहरण दे रहा हूं। जब उन्होंने इस ढंग से कार्य किया है तो उन्हें इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यम की इस स्वायत्ता के बारे में बोलने से पहले कम से कम क्षमा मांगनी चाहिए। महोदय, स्वायत्ता के बारे में अनेक बातें कही गयी हैं परन्तु अन्तिम विश्लेषण यही है कि इसके द्वारा जनता के अधिकारों का विस्तार किया गया है और कुछ संस्थाओं को ही शक्तियां न देकर जनता को प्रदान की गयी हैं। अब यह सुनिश्चित किया जाए कि इस स्वायत्ता के परिणामस्वरूप जनता को कैसे लाभ मिलेगा। स्वायत्तता, क्रिकेट की एक गेंद की तरह नहीं है जिसे प्रतिपक्ष की विकेट पर फेंका जाए। न ही यह एक सेब है जिसे सत्ता पक्ष द्वारा उठाकर तत्काल खा लिया जाए। इसे पैदा करना होगा और उसका विकास होने दिया जाएगा। हमें स्वायत्तता के इस विचार का हर प्रकार से पोषण करना होगा। पूर्ण स्वायत्तता का कोई मुकाबला नहीं है। अत: मेरे विचार में, उसे लोगों के अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि इस स्वायत्तता के परिणामस्वरूप उन्हें किस प्रकार लाभ होगा। मुझे ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि इसके आने से रातों रात मूल रूप से परिवर्तन आ जाएगा और यहां इस विधेयक को स्वीकार कर लिये जाने के तत्काल अगले दिन, पद-दलित, कमजोर वर्गों के लोग महिलाएं, किसान वर्ग, कृषि श्रमिक, नौकरी दंगे वर्ग. इस छोटे पर्दे पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर देंगे। वे ऐसा नहीं करेंगे। जाति के आधार पर विभाजित समाज में, वे लोग जो समाज पर शासन करते हैं, वे निश्चित रूप से प्रचार माध्यम पर भी शासन करेंगे तथा यह भी कहा जाएगा कि जो प्रचार माध्यम पर शासन करेंगे वे समाज पर भी शासन करेंगे। इसमें मूल रूप से कोई परिवर्तन नहीं है। मैं समझता हूं कि विशिष्ट-वर्ग के लोग विलासिता पर अपना खर्च जारी रखेंगे और हमारे देश के आधे-भूखे बच्चे पूरी तरह से चकित होकर [illegible] विज्ञापनों और

अन्य ऐसे विज्ञापनों को देखते रहेंगे और वे कंडवरी तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा तैयार अन्य खाद्य उत्पादों के रंगीन विज्ञापनों को देखते रहेंगे तथा जिन्हें वे जीवन में कभी भी खा नहीं पाएंगे। मेरा ऐसा भ्रम नहीं है कि इलैक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम में कल से ही कोई मूल परिवर्तन आ जाएंगे। लेकिन क्या हमें नए प्रसार भारती बोर्ड को अनियंत्रित अधिकार देना चाहिए, जिससे कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा एकाधिकार घरानों इस पर परोक्ष रूप से नियंत्रण हो जाये? नहीं। इसमें ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ नियंत्रण होना चाहिए ताकि इसको एक स्वायत्त निगम में, बदले जाने के बाद बहुराष्ट्रीय निगम तथा एकाधिकार घरानों का किसी प्रकार में भी इन पर नियंत्रण न हो सके।

मेरे विचार में इसके लिए सरकारी धन की आवश्यकता है। दूसरे चैनल के बारे में, हमने कुछ संशोधन रखे है। मुझे पता नहीं कि क्या सरकार उन्हें स्वीकार कर रही है अथवा नहीं। लेकिन हमारा विचार है कि सरकार इसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती रही है।

अब मुझे कांग्रेस (इ०) के माननीय सदस्यों द्वारा दिये गए भाषणों के बारे में कुछ कहना है। श्री साठे जी नकली सन्यासी की तरह बोल रहे थे। जिन्होंने लोकतंत्र के सम्बन्ध में गम्भीर अपराध किये है, जिन्होंने सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं, न्यायिक व्यवस्था, संसद संविधान, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय और हर चीज को नष्ट करने का प्रयास किया है — जिन्होंने बहुत ही लज्जाजनक तरीके से प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग किया है वे वास्तविक स्वायत्तता, उचित स्वायत्तता के बारे में गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बोल रहे हैं और वे इस विधेयक को एक धोखा बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इतिहास में बहुत ही व्यंग्यात्मक परिस्थितियां देखी हैं। कांग्रेस (इ०) द्वारा वास्तविक स्वायत्तता की मांग वास्तव में एक ऐसा यादगार अवश्य होगा और इसमें कोई सन्देह नहीं की यह भारतीय इतिहास के सबसे बढ़िया व्यंग्यों में से एक होगा। हमने इसके लिए कुछ संशोधन दिए हैं। कांग्रेस के लोगों की इनके बारे में कोई सकारात्मक ज्ञान नहीं है। वे दोनों बातें कह रहे हैं। श्री चिदम्बर इसका निजीकरण चाहते हैं। वे इसके निजीकरण के पक्ष में है। उनके नेता ने भी है कि वह इसके निजीकरण के पक्ष में है। इसके पास ही, वे वास्तविक स्वायत्तता, उचित स्वायत्तता और इस प्रकार की अलग-अलग बातें कह रहे हैं। हमने कहा कि इस पर किसी प्रकार का संसदीय नियंत्रण होना चाहिए और इस बारे में, एक संयुक्त संसदीय समिति हो जिसमें संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व ही इसका सबसे बढ़िया उत्तर होगा ताकि यह समिति इसकी देखभाल, निरीक्षण और इस पर निगरानी रख सके। वे इस निगम की संसद के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं।

जहां तक प्रसारण परिषद का सम्बन्ध है, हमने इसके बारे में कुछ संशोधन दिये हैं और हमें आशा है कि सरकार उन्हें स्वीकार कर लेगी, अर्थात् इस परिषद में भी कुछ संसदीय प्रतिनिधित्व होना चाहिए; ताकि शिकायतों के प्रति कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप, देखने और सुनने वाले लोगों की शिकायतों के सम्बन्ध में कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप संभव हो सके और इन शिकायतों को गम्भीरता से लिया जा सके।

हमने एक और संशोधन भी दिया है। मेरे विचार में श्री बसंत साठे जी यहां पर नहीं है। वह इसके बारे से बोलते रहे हैं। क्या यह केवल दुर्बल रोष होगा जिससे मार्गनिर्देशों के अनुपालन में लगातार असफल रहने और सूचना उपलब्ध कराने के सरकार के अनुरोध के मामले में संसद केवल प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी ? नहीं। हमारा संशोधन यह है कि बोर्ड द्वारा सरकार के मार्गनिर्देशों का अनुपालन न करने अथवा सरकार को आवश्यक सूचना उपलब्ध न कराने की स्थिति, में संसद को उससे हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा।

इसी प्रकार राज्य सरकारों का भी इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। हमने इससे पहले भी मांग की थी कि राज्य सरकारों को दूसरा चैनल दिया जाना चाहिए। अब यहां इसमें क्षेत्रीय परिषद् की व्यवस्था है। इस मामले में राज्य सरकार का भी कुछ हस्तक्षेप होना चाहिए। प्रो० एन० जी० रंगा यहां पर हैं। मैं उन्हें याद दिला रहा हूं कि 28 जून, 1947 को श्री पी० सीता रम्मैया ने संविधान सभा में बोलते हुए इस बात की वकालत की थी कि इस सम्बन्ध में ग्रामीण शिक्षा और उभरते हुए जन नेतृत्व के हित में राज्य सरकारों को अधिकार दिये जाने चाहिए। अत: इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार इस मामले में कुछ हस्तक्षेप कर सके।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : क्या आप अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं।

श्री रूप चन्द पाल : हां।

श्री सन्तोष मोहन देव : हम इसका समर्थन करेंगे।

श्री रूप चन्द पाल : हमारा एक और संशोधन भी है। यह सरकार प्रबन्ध में श्रमिकों को भागीदारी देने के बहुत ही पक्ष में है। हमारा विचार है कि इसमें सभी श्रेणियों के श्रमिकों की इसमें कुछ भागीदारी अवश्य होनी चाहिए और बोर्ड में भी प्रोग्राम स्टाफ की भागीदारी होनी चाहिए। भारत सरकार की आज तक कोई राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति नहीं है। हमारे जैसे देश में जहां भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति की अति आवश्यकता है। हमारे यहां कोई राष्ट्रीय सूचना नीति नहीं है। हमारे जैसे तीसरी दुनिया के देश के लिए, सूचना क्या है ? हमें इसकी परिभाषा की आवश्यकता है। सूचना क्या है ? कि श्री बुश एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं। यह हमारे लिये सूचना नहीं है। हमारी सूचना इस पर आधरित होनी चाहिए कि कृषक-वर्ग की आवश्यकता क्या है, नौकरी पेशा वर्ग की आवश्यकता क्या है और स्वयं देश की आवश्यकता, राष्ट्रीय एकता और इस तरह के उन सभी प्रश्नों की आवश्यकता है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें एक राष्ट्रीय सूचना नीति की आवश्यकता है। हमारे यहां एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। लेकिन इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय सूचना नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन सभी के परिप्रेक्ष्य में हमें एक प्रसार नीति तैयार करनी चाहिए जो कि हमारे जैसे देश के लिये प्रासंगिक हो। हमें बी० बी० सी० की नकल नहीं करनी चाहिए। यह पूरी तरह से प्रासंगिक होनी चाहिए। हमारे जैसे तीसरी दुनिया के

देश के लिए जहां हमें गुट-निरपेक्षता, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और लोकतांत्रिक परिपाठियों के प्रति वचनबद्धता तथा इन सभी राष्ट्रीय नीतियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए स्वायत्तता की नई संकल्पना का विकास करना चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं। हम इस प्रकार स्वायत्तता की अपने परिकल्पना को समृद्ध कर सकते हैं।

मैं समझता हूं सरकार हमारे सभी संशोधनों को स्वीकार कर लेगी और इसके साथ ही हम देखेंगे कि यह एक बेजोड़ घटना होगी और भारतीय प्रसारण के इतिहास में एक नया अध्याय बनेगी। यह हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएगी। यह इस देश के लोगों के हाथों को मजबूर बनाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि इन सभी संशोधनों सहित प्रसार भारती विधेयक को पारित किया जाए।

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय, मैं प्रसार भारती विधेयक का समर्थन करता हूं और इसका स्वागत करता हूं। एक मेरे मित्र श्री उपेन्द्र ने वास्तव में सभा के उन सदस्यों को मनाने का सच्चा प्रयास किया है, जिन्होंने विधेयक के गुणों और विशेषताओं को सराहने से मुंह मोड़ लिया है। फिर भी, यह उसके लिए पूरी तरह स्वतन्त्र है और उनकी सदनशक्ति और सद्भावना से ही यह कार्य पूरा हो पाएगा।

महोदय, मैं विभिन्न कारणों से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। सबसे पहले यह उन आश्वासनों को पूरा करने के लिए किया गया है, जो राष्ट्रीय मोर्चा ने चुनाव प्रचार के दौरान किए। दूसरा मैं इसलिए विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इलेक्ट्रानिक माध्यमों (आकाशवाणी तथा दूरदर्शन) की स्वायत्तता की निरन्तर मांग की जा रही है। वर्ष 1960 के आरम्भिक दशकों से संसद के दोनों सदनों में बार-बार आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्तता की मांग की दिये जाने की मांग की जा रही है।

इस विधेयक में एक ऐसे निगम की स्थापना की अपेक्षा की गई है, जो वास्तविक स्वायतशासी निकाय के रूप में निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा और जो विषय परक भी है और रचनात्मक भी है। मैं आशा करता हूं कि उपबन्धों की संख्या से प्रसार माध्यमों को स्वायत्तता मिलने में सहजता होगी।

महोदय, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि यह विधेयक इस बात का प्रस्ताव करता है कि इस समय आकाशवाणी जो हमारे देश की शतप्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचने और दूरदर्शन जो हमारे देश की 75 प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचने की क्षमता रखता है, अब उन लोगों के चुंगल से मुक्त होंगे, जो अपने दल गत स्वार्थों (हितों) के लिए प्रचार माध्यमों को नियन्त्रण में रखना चाहते हैं। इस विधेयक से आकाशवाणी और दूरदर्शन ऐसे चुंगल से मुक्त हो जाएगे।

महोदय, हमारे देश में इस विधेयक का व्यापक समर्थन किया गया है। इस प्रकार का समर्थन इस लिए किया गया है क्योंकि लोगों के मन में यह अनुभव अभी ताजा ही है कि विगत में उन्हें क्या-

क्या झेलना पड़ा है, विशेषकर भूतपूर्व सरकार के राज में। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मैं इस सम्बन्ध में और उदाहरण देकर अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहता हूं यदि आपने कृपया इस सभा में चर्चा की नीति समझ ली है तो मैं समझता हूं कि आपने यह नोट किया होगा कि इसकी आलोचना के दो आधार हैं। ऐसा एक आधार यह है कि वास्तविक स्वायत्तता नहीं दी गई है। मैं केवल यही कहूंगा कि मैं नहीं जानता कि स्वायत्तता वे किसे कहते हैं और वास्तविक स्वायत्तता का उनका क्या मतलब है।

श्री सन्तोष मोहन देव : यह किसी का भी पक्ष नहीं लेने और वास्तव में निष्पक्ष होने के समान है। जैसा है।

श्री चित्त बसु : निष्पक्ष होना ही तो निष्पक्ष होना है। इसमें सही रूप में निष्पक्ष और गलत निष्पक्ष का कोई मतलब नहीं। **(व्यवधान)** स्वायत्तता का अर्थ है स्वायत्तता। स्वायत्तशासन का मतलब है सरकार का कम से कम नियंत्रण/क्रियात्मक स्वायत्तता भी तो होती है। क्रियात्मक स्वायत्तता का अर्थ सभी प्रकार के नियंत्रण का अधित्याग नहीं है। उन्हें इस बात को भी समझना चाहिए। मैं पुनः दोहराता हूं कि इस विधेयक में जिसका प्रस्ताव किया गया है वह है क्रियात्मक स्वायत्तता। इसमें किसी ऐसी प्रक्रिया की व्यवस्था नहीं है, जो सभी प्रकार के नियंत्रणों से मुक्त है। थोड़ा बहुत नियंत्रण तो होना ही चाहिए। सामाजिक हितों के कारण से यह आवश्यक है। उस दृष्टिकोण से सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए। क्रियात्मक स्वायत्तता का यही अर्थ है। जिन लोगों ने इस विधेयक की आलोचना इस आधार पर की है कि यह कोई वास्तविक स्वायत्तता नहीं है, मैं समझता हूं कि इनके आरोप गम्भीर हैं और इससे स्वायत्तता के प्रति इनका नकारात्मक व्यवहार प्रकट होता है।

श्री सन्तोष मोहन देव : यह तो भविष्य ही बताएगा।

श्री चित्त बसु : मैं भी यही दोहराता हूं और मैं समझता हूं कि सभा ही इस बारे में उचित निर्णय ले सकती है और यह विधेयक वर्तमान परिस्थितियों में, विशेषकर जब हमारे सामने इस समय जो वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय सच्चाइयां विद्यमान हैं। एकदम उपयुक्त ही है। अतः, जहां तक सिद्धांत का सम्बन्ध है, यह वर्तमान परिस्थितियों में सबसे उत्तम है।

एक और आलोचना यह है, तो सामान्यतः तथाकथित निष्पक्ष विचारकों निष्पक्ष उद्यमियों की ओर से है और जो देश में उद्योग की खुली नीति के समर्थक हैं और वे देश में सभी प्रकार के प्रशासनिक तथा सामाजिक नियंत्रण के विरुद्ध हैं, चाहे कितने भी सामाजिक नियंत्रण की जरूरत क्यों न हों और कैसी भी सामाजिक परिस्थितियां विद्यमान हों। मैं इससे कम कठोर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। यह इस समय समाज में विद्यमान वास्तविक स्थिति के प्रति आंख मूंदने के सिवा कुछ नहीं है। यदि यह निष्पक्ष विचारकों का व्यवहार है अथवा यदि उद्योग की खुली नीति के समर्थकों का व्यवहार स्वीकार किया जाता है तो इस इलेक्ट्रानिक माध्यम का भविष्य क्या होगा जो जनता तक पहुंचने का एक इतना महत्वपूर्ण साधन है? जो कुछ आजकल समाचारपत्रों में हो रहा है

यहां भी यही होगा अर्थात् पटसन प्रेस, कपड़ा प्रेस, अर्थात् ऐसी प्रेस जिस पर बड़ा बड़ा उद्योगपतियों का एकाधिकार है।

अतः इस प्रकार उद्योग की खुली नीति और इसके पक्षधर उत्साह नहीं रहने चाहिए। इस प्रकार, यह केवल इतने महत्वपूर्ण साधन जो सूचना के प्रसारण का माध्यम है गैर-सरकारी करण करने के सिवा कुछ नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय को उनका वह वचन याद दिलाना चाहता हूं और साथ ही उन्हें चेतावनी भी देना चाहता हूं। मेरा विचार यह है कि सरकार समाचार माध्यमों के लोकतन्त्रीकरण के लिए सरकार प्रचार माध्यमों का नियन्त्रण नहीं कर सकी है। इस माध्यम के लोकतन्त्रीकरण के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं और लोकतन्त्रीकरण सम्भव नहीं होगा, स्वायत्त तक एक नहीं हो सकती जब तक निधियां उपलब्ध करने का काम सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। मैं कुछ समय पूर्व श्री पी॰ उपेन्द्र द्वारा इस मुद्दे के संबंध में मद्रास में कही गई बात दोहराता हूं। मैं उद्धृत करता हूं :

"हम इस पक्ष में नहीं हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन सरकार के चंगुल से मुक्त होकर अपने अस्तित्व के लिये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चंगुल में फंस जाये।"
आपने ऐसा कहा।

मान लिया इस प्रकार का स्पष्ट वक्तव्य देने पर मैं आपकी प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं। हमें प्रसार माध्यमों को सरकार के चंगुल से मुक्त करना है। हम भी नहीं चाहते हैं कि जान-बूझकर प्रसार माध्यम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चंगुल में पड़ जाये। मुझे विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि वह अपना वचन पूरा करेंगे। वह कुछ संशोधन ऐसे स्वीकार करेंगे ताकि आमदनी के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम को केवल वाणिजिक विज्ञापनों पर ही निर्भर न रहना पड़े जैसा कि सभा के इस पक्ष के अनेक सदस्यों ने भी कहा है।

अब मैं निगम द्वारा जारी किये जाने वाले निदेशों के प्रश्न के संबंध में कहता हूं। मुझे यहां अपने अच्छे मित्र श्री वी॰ एन॰ गाडगिल नजर नहीं आ रहे हैं। वह कभी सूचना और प्रसारण मंत्री थे। वह स्वायत्तता के विचार पर हंसी उड़ाते थे। आप की अनुमति से मैं जून 1985 में उनके द्वारा कही गई बात को उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा यदि मैं हस्तक्षेप करना चाहूं तो मैं स्वायत्तशासी निकाय में भी हस्तक्षेप कर सकता हूं। उनका व्यवहार ऐसा था। व्यवहार हस्तक्षेप करने का था। और वह गर्व से कहते हैं कि स्वायत्तशासी निकाय में भी वह मन्त्री के रूप में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस बात की ओर श्री उपेन्द्र को ध्यान देना चाहिये। उनका व्यवहार इस प्रकार का था।

श्री सन्तोष मोहन देव : श्री पी॰ उपेन्द्र ने स्वयं मान लिया कि वह हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह अभी भी सरकार के अधीन है और उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान यह कहा।

श्री पी० उपेन्द्र : मैंने केवल यह कहा कि वह अभी भी सरकारी माध्यम है और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता हूं। मैंने केवल इतना ही कहा। मैंने यह नहीं कहा कि मैं हस्तक्षेप करता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : श्री उपेन्द्र, अपने टेप में से 18 मिनट के सम्पादन का उल्लेख कीजिए। अपने सम्पादन की तुलना निक्सन के वॉटरगेट टेपों के सम्पादन से कीजिए।

श्री चित्त बसु : मैं चेतावनी देना चाहता हूं। उनकी बात मत सुनिए। उन्हें यह कहने में गर्व का अनुभव होता होगा कि स्वायत्तशासी निकाय में भी वे हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस प्रकार का रवैया मत अपनाइए। यह मेरी चेतावनी है। स्वायत्तशासी निकाय तो स्वायत्तशासी निकाय ही है। इसे क्रियात्मक स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए और आप सरकार की ओर से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मैं चेतावनी के तौर पर कहता हूं कि आप उस प्रकार का व्यवहार मत अपनाइए जैसा उन्होंने दिखाया है और इस स्वायत्तशासी निगम को उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वायत्तशासन के वातावरण में, लोकतन्त्र के वातावरण में काम करने दीजिए जिन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस निगम का गठन किया जा रहा है।

मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

श्री सन्तोष मोहन देव : फिर स्वायत्तता क्या है ?

श्री चित्त बसु : मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संबंध में आपका नकारात्मक रवैया है। आप चाहते हैं कि किसी प्रकार का सामाजिक नियंत्रण नहीं होना चाहिये। क्या देश की एकता बनाये रखना सामाजिक आवश्यकता नहीं है ? क्या सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने की सामाजिक आवश्यकता और महत्व नहीं है ? क्या देश के लिए आवश्यक नहीं है कि विविधता के साथ-साथ एकता को और शक्ति प्रदान की जाये ? यह सामाजिक आवश्यकताएं और राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं और इन को पूरा करने के लिये किसी प्रकार का सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। इस प्रकार का सामाजिक नियन्त्रण लागू करने के लिये इस प्रकार के निदेश तथा आदेश जारी करने का कोई तन्त्र होना चाहिये।

अनुच्छेद 22 इस मामले में गलत इस्तेमाल के विरुद्ध सार्थक गारंटी देता है। इसे लिखित रूप में होना चाहिये। इन सब वर्षों में आप टेलीफोन से ही सलाह देते रहे। आप औरों के जरिये संपादकों को सलाह देते रहे कि प्रधानमंत्री कार्यालय यह चाहता है, श्री चिदम्बरम यह चाहते हैं; श्री सन्तोष मोहन देव यह चाहते हैं और इस तरह के अन्य लोग यह चाहते हैं। यह निर्देश देने और अधिकारों का दुरुपयोग करने का तरीका था। यहां गारंटी यह है कि यह लिखित रूप में होना चाहिये। इसे सभा के समक्ष भी रखा जाना चाहिये। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इसमें स्वायत्तता नहीं है ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इसमें प्रभुता नहीं है ? इसमें यह सब

है। मैं लोगों की प्रभुता का ही प्रतिनिधित्व करता हूं। यह उच्चतम प्रभुता सम्पन्न संस्था है, जो इस पर विचार कर सकती है। कार्यात्मक स्वायत्तता के लिए यह सही रवैया है। जिसे सबके लिए स्वतंत्रता कहा जाता है इसमें सभी सामाजिक बन्धनों को समाप्त कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह खतरनाक रवैया है। यह उलटे परिणाम देने वाला रवैया है। पश्चिमी संचार माध्यम यह चाहते हैं कि इस तरह की स्वायत्तता का हम अनुसरण करें। मैं समझता हूं कि पश्चिमी संचार माध्यमों की हमें नकल नहीं करनी चाहिये क्योंकि जैसा कि अक्सर कहा जाता है, हमारे समाज के लिए एक अलग तरह का संचार माध्यम होना चाहिये। अतः पश्चिमी शैली के संचार माध्यम के अनुसरण के हम विरुद्ध हैं। हमें भारतीय वास्तविकताओं की पूर्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिये। इस मामले में मैं समझता हूं कि यह विधेयक भारतीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरिया गंज) : सभापति जी, सबसे पहले मैं इस ऐतिहासिक विधेयक को पेश करने के लिए माननीय उपेन्द्र जी को और इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं। सन् 1948 में पंडित जवाहर लाल जी के सपनों को उनके वारिसों ने उत्तराधिकारियों ने साकार नहीं किया। जो उनकी संपत्ति या उनके नाम के उत्तराधिकारी थे, उस सपने को इस राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने और हमारे जो मंत्री जी हैं तो उन्होंने यह विधेयक पेश करके साकार किया। यह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन स्वाधीनता संग्राम का भी सपना था। मैं अपने प्रमुख विपक्षी दल के सदस्यों को जो बहुत सीनियर है और जो विभिन्न सरकारी पदों पर रह चुके हैं। गंभीरता से सुन रहा था। अभी हमारे किसी सीनियर मैम्बर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग दो स्वरों से बोलते हैं जिसमें साठे साहब और चिदम्बरम जी का स्वर है। मैं कहता हूं कि दो स्वर नहीं था बल्कि कई जीभ से बोल रहे थे। उनका सबसे बड़ा नमूना है 326 या 300 संशोधन है जो कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश किया गया। यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ फंक्शनल आटोनोमी की बात करेंगे, दूसरी तरफ प्राईवेटाइजेशन और तीसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को साझीदार बनाने की तमाम तरह की कल्पना उनके दिमाग में थी। जिस संस्कृति में आपका पालन-पोषण हुआ आपने स्वतंत्रता संग्राम की संस्कृति को छोड़ दिया तो स्वाभाविक है कि आप इससे अधिक कल्पना नहीं कर सकते। इस विधेयक में जो इसका उद्देश्य है उनके बारे में लिखा गया। यह विधेयक इन्नोवेटिव/डायनामिक और फ्लेक्सीबल है। ये तीन बातें बताई गई। हमारे देश में स्वायत्त निगम की कल्पना थी मगर उसका कोई ढांचा नहीं बनाया गया। हमने कुछ देशों की प्रसारण व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन देशों में प्रसारण व्यवस्था की स्वायत्तता है. वहां लोकतांत्रिक परम्पराएं भी हैं। वहां लोकतंत्र हमारे यहां के सामाजिक जीवन का धर्म है। आज संसद की सार्वभौमिकता की बात कही जाती है। और आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि अगर आटोनोमस बॉडी या स्वायत्त निगम हो गया तो कहीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा न हो जाए या नौकरशाही और निहित स्वार्थों का कब्जा न हो जाए इसलिए सार्वभौमिक संस्था की निगरानी होनी चाहिए। परन्तु इस संसद का और इस संसद में बहुमत जिसको ब्रूट मेजोरिटी कहते हैं उसका कितना दुरुपयोग पिछली सरकार ने निर्लज्जतापूर्वक किया है, क्या किसी लोक-

तांत्रिक देश में ऐसी मिसाल है। आपने इसी संसद में बहुमत का इस्तेमाल करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया, उसको निष्प्रभावी बना दिया। आपने इसी सदन में बहुमत का इस्तेमाल करते हुए देश को जेलखाने में बदल दिया, जीने के अधिकार को छीन लिया। इसीलिए लोगों के मन में शक है। आज यह सही है कि इस सदन का जो ढांचा है, जो बनावट है, अगर ऐसी सदन में बनावट रही तो सदन का पूरा कंट्रोल इस स्वायत्त निगम पर हो सकता है। भारत एक विशाल देश है जहां बहुधर्म और बहु-संस्कृतियां हैं और जिस प्रकार से यहां के चुनावों में जनता का निर्णय होता है ये तमाम प्रकार के तत्व हैं और हमने जिस प्रकार से लोकतांत्रिक परम्पराओं की प्रसारण व्यवस्था में परम्पराओं का निर्वहन नहीं किया इसलिए हमको जोखिम उठाना पड़ा है। यह मन का और विचारों का अन्तर्द्वन्द्व है कि एक तरफ एकाधिकार कायम करना और दूसरी तरफ कामकाजी संस्था, फंक्शनल एटोनोमी की बात करना, बकवास है।

मैं सांठे जी की बहुत इज्जत करता हूं। मैं उनकी बात सुन रहा था। क्या आपने फंक्शनल एटोनोमी दिया है, वही चापलूस किस्म के लोग, वही गलत किस्म के लोग, वही जिनकी कोई कल्पना-शीलता नहीं है, वही चन्द अंगरेजीदां लोग जो आज इस देश पर इस संस्कृति को थोपना चाहते हैं। आज तक संस्कृति के सवाल पर, भाषा के सवाल पर, लोक जीवन के सवाल पर कोई भी नीति दूरदर्शन और आकाशवाणी ने नहीं बनाई। मैं मानता हूं कि नाच-गाना जीवन में आनन्द के लिए बहुत आवश्यक है। मगर किसी सरकार या किसी व्यवस्था का उद्देश्य अगर नाच-गाने के जरिये सैद्धांतिक बहसों से युवकों को और देश की जनता को मोड़ना हो तो यह बहुत बड़ा पाप है, यह बहुत खतरनाक बात है। हमारा उद्देश्य है कि हम सूचना देंगे; हम शिक्षित करेंगे और हम मनोरंजन करेंगे; मगर तीनों चीजों को अलग-अलग बांटकर नहीं देखा जा सकता, तीनों को जोड़कर देखना होगा, समग्र दृष्टि अपनानी पड़ेगी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में जिन प्रावधानों को रखा गया है. बहुत सोच-समझकर रखा गया है।

मैं अपनी सरकार और खासतौर पर मंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूं, आपकी समझ में बात नहीं आयेगी, क्योंकि आप ऐसे वातावरण में जीने के आदी नहीं रहे हैं। जिस दिन यह विधेयक पेश हुआ मंत्री जी ने राष्ट्रव्यापी बहस तथा संशोधन को आमंत्रित किया था। यह हमारी कमजोरी नहीं थी, अगर सरकार चाहती या हमारे जितने सहयोगी दल थे, तो हम इस विधेयक को मनमाने तरीके से पास करा सकते थे, परन्तु नहीं। जैसा मैंने अर्ज किया आज जैसी जो सदन की बनावट है वह इस बात का सबूत है कि बिना सबकी सहमति के कोई विधेयक सर्वसम्मति से पारित नहीं किया जा सकता। इसलिए मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि यह विधेयक पार्टी हित के लिए नहीं है, यह सरकार के लिए नहीं है, यह केवल प्रधान मंत्री के नाम कमाने के लिए नहीं है आज हम ऐसी संस्था का निर्माण करने जा रहे हैं और उस संस्था के जरिये हम ऐसी परम्पराओं को सृजित करेंगे जो हमारे आने वाले इतिहास और आने वाली व्यवस्था के लिए में दिशा-सूचक होंगे। इसलिए ओपन है, खुला है, जो संशोधन पेश हों उन पर गम्भीरता से विचार किया जाये। आपको मालूम है कि हमारी सरकार की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से बिना किसी भेदभाव के जो गम्भीर संशोधन है उनको स्वीकार किया और उसके बाद सरकारी संशोधन आये। परसों कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात हुई, आज भी हुई और हम किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं, मगर जो हमारे विपक्षी दल हैं वे कहते हैं आम सहमति। जब मण्डल आयोग की बात आयेगी तो कहेंगे आम सहमति, 195 की

संख्या में आप चुनकर आये हैं, अगर आप में हिम्मत है, अगर ईमानदारी है तो आपको डटकर कहना चाहिए कि मण्डल आयोग की सिफारिशों को बन्द करो हम नहीं चाहते हैं, या मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करो। यह क्या; कहीं पर आर्थिक, कहीं पर फैक्शनल, कहीं पर पार्टीसिपेटिव इस प्रकार के तर्कों और दलीलों से काम नहीं चलेगा। विचार मंथन करें। कई जोश से बोलने से काम नहीं चलेगा। आपकी पार्टी में भी अन्तर्विरोध है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के मन में शकायें हैं कि यह विधेयक किसी संस्था विशेष को ताकत या कोई शक्ति दे रहा है और हम निर्बल हो गये, असहाय हो गये, ऐसा नहीं है आडवाणी जी ने ठीक ही कहा है कि यह तो एक साधारण विधेयक है। आज संसद की सत्ता सर्वोच्च है और इसीलिए वर्गीज कमेटी ने जो सुझाव दिया, उसे स्वीकार नहीं किया गया जिसमें संविधान में संशोधन करने की या संवैधानिक व्यवस्था की सिफारिश गयी है। यह कार्पोरेशन या स्वायत्त निगम अगर अपने निर्देशों के खिलाफ काम करता है और उन उद्देश्यों की अवहेलना करता है तो हमारे साथियों ने सही कहा है कि इस पर कंट्रोल रहेगा। आप देखेंगे कि इसमें जिस चार्टर की बात कही गयी है, उसे हमने अपने विधेयक में रखा है। हमारे बुजुर्ग सदस्यों ने कंट्रोल की बात कही तो हमारे ऑब्जेक्टिव्ज में इसकी ओर इशारा किया गया है। इसलिए यदि इस निगम के अधिकारी उन उद्देश्यों का या नीतियों या निर्देशों का उल्लंघन करते हैं तो सदन को यह पूरा हक होगा कि हम एक नये ढांचे की कल्पना कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, परन्तु इस स्टेज पर नाना प्रकार की शकायें करके और पार्लियामेंट के नाम पर उस पर अकुश लगाने की बात करना बेमतलब है. आज कांग्रेस के लोग सत्ता में फिर से वापस आने का सपना देखते रहते हैं। उनकी हालत ऐसी हो गयी है—जैसे बिन पानी मछली छटपाने लगती है, ये सत्ता में लगातार रहने के कारण इनकी आदत बिगड़ गयी है। हर समय इनको लगता है कि फिर से हमारी सरकार न आ जाये।

अगर हमारी सरकार आ गई और ऐसी सस्था बन गई तो वह संस्था किसी सरकार के प्रति एकाउंटेबल नहीं होगी, सदन के प्रति होगी, जनता के प्रति एकाउंटेबल होगी यह बात हमने इस बिल के ऑब्जेक्टिव्ज में दे दी है, वह बहुत ही साफतौर पर लिखा गया है :

[अनुवाद]

"इसका उद्देश्य यह है कि प्रस्तावित निगम वास्तव में स्वायत्त निकाय के रूप में,—जो विशा प्रवर्तक, गतिशील और नमनीय हो—उच्च कोटि की विश्वसनीयता के साथ कार्य करे। उसे लोकतंत्रात्मक रीति से कार्य करना चाहिए जो हमारी लोकतांत्रिक परम्पराओं और संस्थाओं को सबूढ करे, और वह भारत की जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी हो; तथा देश की भिन्न-भिन्न परम्पराओं, भाषाओं और संस्कृतियों को ध्यान में रखें।"

[हिन्दी]

तो इसका यह मंतव्य है और यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर इस बिल को लाया गया है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर जो बहस समीक्षा से पूरे देश में हुई है, उसके

पश्चात् इस सदन में हुई, उसको दृष्टि में रखते हुए हम इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें तो एक नया काम हम करेंगे और मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर तहेदिल से इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : सभापति महोदय, शुरू में मैं अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देना चाहूंगा। इस सदन में शासक दल और उसके समर्थक दलों द्वारा यह गलत धारणा बनने दी गई है कि हम दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता देने के विरुद्ध हैं। यह ठीक है कि इस विषय में हमें कुछ आपत्तियां हैं और माननीय मन्त्री महोदय से इस विषय पर हमने पारस्परिक विचार विमर्श किया है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि धीरे-2 वह हमारे दृष्टिकोण से सहमत हो रहे हैं और साथी दल भी हमारे द्वारा प्रस्तुत कुछ संशोधनों का समर्थन कर रहे हैं।

श्री पी० उपेन्द्र : इसे दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, क्योंकि आप उनके संशोधनों का भी समर्थन कर रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव :महोदय, मैं महसूस करता हूं कि यदि सरकार बीच में ही अपना विचार न बदल दें क्योंकि समय-समय पर वह अपने विचार बदलती रही है, तो कल जब सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित होगा तो यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात होगी।

श्री उपेन्द्र : वह आप ही हैं, जो अपने विचार बदल रहे हैं। मैंने अपने विचार कभी नहीं बदले।

श्री संतोष मोहन देव : अभी मैंने श्री तिवारी का भाषण सुना था। यह बड़ा असरदार भाषण था। कुछ मिनट पहले इस विषय पर मैंने श्री रूपचन्द पाल का भाषण सुना था। जो उपदेश आप दूसरों को देते हैं, उन पर आपको पालन भी करना चाहिए और जो आप कहते हैं, उसे आपको पूरा भी करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासन काल के दौरान बहुत से ऐसे कार्य किये गये, जो लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं थे और यह भी कहा गया कि हमने सत्ता का दुरुपयोग किया था। शायद आपको इस घटना की जानकारी नहीं है। आज जब हम सदन में बोल रहे हैं, हमारी एक भूतपूर्व मन्त्री श्रीमती शीला दीक्षित और भूतपूर्व विधायक श्री बलराम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की जेल में हैं, क्योंकि वे भूख हड़ताल पर थे।....(व्यवधान) कृपया मुझे बीच में मत टोकिये। मैंने आपको नहीं टोका था। यदि आप मुझ पर आक्षेप करते हैं, तो आपको मेरी ओर से आक्षेप के लिये भी तैयार रहना चाहिये।

उन्हें अब जेल में रखा गया है। पिछले 14 दिनों से, वह जेल में हैं। उनका अपराध क्या है? भूख हड़ताल करके उन्होंने लोगों की समस्याओं को सामने रखने का प्रयास किया और आपने उन्हें जेल में डाल दिया। यदि आज के 'नव भारत टाइम्स' को पढ़ा जाये, तो उसके अनुसार आप उन्हें

चौदह और दिनों के लिये जेल में रखने जा रहे हैं। हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रों ने विधेयक की प्रशंसा की है। मैं उनके भाषणों का स्वागत करता हूं। लेकिन अब कलकत्ता में कांग्रेस (आई) ने आन्दोलन किया, तो क्या हुआ? मैं कलकत्ता की गलियों में जो कुछ हुआ, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। जब कलकत्ता दूरदर्शन ने समाचारों में इसका उल्लेख किया, तब मुख्यमन्त्री और एक अन्य मन्त्री ने एक सार्वजनिक बैठक में, दूरदर्शन की आलोचना की।

मुख्य सचिव ने निदेशक, दूरदर्शन को इस आशय का पत्र लिखा था कि भविष्य में इस प्रकार के कानून और व्यवस्था सम्बन्धी कोई समाचार प्रसारित करने से पहले उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार की अनुमति प्राप्त करनी चाहिये। यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। यदि मेरी बात गलत है तो निश्चित रूप से मैं क्षमा याचना करूंगा। लेकिन मैंने यह 'आज कल' में पढ़ा है। अभी तुरंत मैं बाहर गया और पुनः मैंने 'आज कल' पढ़ा। 'आज कल' आपका समर्थन करने वाले समाचारपत्र के रूप में जाना जाता है।

5.47 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उन्होंने यह लिखा है। अब, वहां जो कुछ हुआ था, उसका उद्धरण हमें नहीं देना चाहिए। श्री उपेन्द्र जी मेरे अच्छे मित्र हैं। लेकिन मुझे कहने दीजिये कि उनके शासन के दौरान पिछले आठ महीनों में क्या हुआ है। हमें यह देखकर खुशी है कि वास्तव में वे उदारमनस्क और एक लोकतांत्रिक मन्त्री हैं। आप देखिये कि श्री चन्द्रशेखर के निवास स्थान के सामने श्री जेठमलानी जी के साथ कितने अच्छे ढंग से व्यवहार किया गया था! पूरे देश ने इसे देखा था! वास्तव में इस स्वायत्तता सम्बन्धी विधेयक के पारित होने से पूर्व ही दूरदर्शन एक स्वायत्त संगठन बन चुका है! लेकिन क्या हुआ? राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान भी, जब कुछ सदस्यों ने खड़े होकर कुछ कहा तो आपने दूरदर्शन के लोगों को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि इसे दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जाना चाहिये। निःसंदेह बाद में आपने कहा कि ऐसा आपने नहीं बल्कि अध्यक्ष महोदय ने किया है। मैं नहीं जानता हूं कि ऐसा आपने किया है। अथवा अध्यक्ष महोदय ने। लेकिन किसी ने ऐसा किया है।

गत रविवार को एक कार्यक्रम फोकस' आया था जिसमें कुछ महिलाओं ने भाग लिया था। आपने उस चर्चा में भाग लेने के लिये कांग्रेस (ई) की एक भी महिला सदस्या को नहीं बुलाया। उस चर्चा में चार महिलाएं थीं। सी०पी०आई० (एम), सी०पी०आई०, जनता दल और एक अन्य दल, प्रत्येक की एक-एक सदस्या थी। क्यों? यदि आप वास्तव में स्वायत्तता देने का प्रयास कर रहे हैं तो पहले आपको अपने कार्यकलापों द्वारा इसे साबित करना चाहिए। आपके साथ क्या हुआ है? लेकिन फिर भी आप एक अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसकी सराहना करते हैं। हमने कुछ संशोधन किये हैं। क्या संसद का सदस्य होने के नाते संशोधन लाने का हमारा अधिकार नहीं है? आप इन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं लेकिन आपको यह नहीं करना चाहिए

कि हम इसके विरुद्ध हैं। यह सही दृष्टिकोण नहीं है। हमें यह अधिकार प्राप्त है और हम इसे स्वीकार करेंगे। यदि आप कहते हैं कि यह संशोधन विशेष सही नहीं है और यह स्वीकार्य नहीं है तो इस सम्बन्ध में मैं सरकार के निर्णय की सराहना करता हूं। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपने इस प्रकार का निर्णय लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी और सी० पी० आई० (एम) की भी सराहना करता हूं। उन्होंने यह भी कहा है, स्वयं श्री आडवाणी जी ने कहा है कि यदि कुछ संशोधन अच्छे हैं तो सरकार को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हमने एक संशोधन यह दिया था कि गवर्नर का नाम बदल दिया जाना चाहिये। स्वयं आडवाणी जी ने ऐसा कहा था। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी यह समझता हूं कि इसे बदल दिया जाना चाहिये। अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम सहमत हैं। अब आप कह रहे हैं कि अपने समय में हमने अधिकार का दुरुपयोग किया था। जी हां हो सकता है कि कुछेक अवसरों पर इसका दुरुपयोग किया गया हो। मैं इस बात का खंडन नहीं करता हूं। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन मैं श्री उपेन्द्र जी से यह चाहता हूं। आप कृपया मेरी बात सुनिये। आप इस सभा को बताइये कि विगत आठ महीनों में कितनी बार आपने प्रधान मन्त्री जी को दूरदर्शन पर दिखाया है ?

श्री पी० उपेन्द्र : मैं इसकी जानकारी दूंगा। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : उन्हें यह बताना चाहिये कि उन्होंने कितनी बार प्रधानमन्त्री जी को और कितनी बार अन्य राजनीतिक दलों को दूरदर्शन पर दिखलाया है। आप मेरे दल के नेता को दूरदर्शन पर नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं। मैं यह नहीं चाहता हूं।

हमारे समय में हमने भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक को, सी० पी० आई० (एम) की बैठक को, कम समय के लिये ही, दूरदर्शन पर दिखाया था। लेकिन मैंने स्वयं दो अवसरों पर अपने नेता द्वारा सम्बोधित किये जा रही बैठक को, जिसमें साढ़े चार लाख लोग एकत्रित हुए थे, दूरदर्शन पर दिखाने के लिये कलकत्ता स्थित आपके दूरदर्शन कार्यालय को लिखा था। इस पर किसी ने भी कार्यवाही नहीं की। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप उन्हें स्वायत्तता प्रदान कर रहे हैं, इस स्वायत्तता के उपयोग की जानकारी उन्हें होनी चाहिये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप लोगों का चयन करते हैं आपको यह संतोषजनक ढंग से करना चाहिये। मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहूंगा। जिस प्रकार यह सभा जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस (ई), सी० पी० आई० (एम), और सी० पी० आई० में विभाजित है इसी प्रकार दूरदर्शन में भी ऐसे लोग हैं जिनकी निष्ठा विभिन्न राजनीतिक दलों में विभाजित है।

हमारे समय में एक समिति गठित की गई थी और मैं उस समिति का सदस्य था। मेरी उन लोगों के साथ बातचीत हुई थी, मैंने उनका रवैया देखा है। आप अफसरशाही को स्वायत्तता दे रहे हैं। उस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने से पहले उस संगठन के बारे में सोचिए जो वहां पहले से ही है। (व्यवधान)

मैं समझता हूं अन्ततः आप एक संयुक्त संसदीय समिति बनाने पर सहमत हो जाएंगे।

भविष्य में इन स्वायत्त संस्थाओं की गतिविधियों के साथ समन्वयन हेतु, न कि इनमें हस्तक्षेप करने के लिए आपको पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिये। लोकतन्त्र में इसके ऊपर संसद का नियन्त्रण स्थापित करना जरा भी गलत नहीं है। यहां लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति और प्राक्कलन समिति है। परम्परा के अनुसार, कुछ समितियों का सभापतित्व सत्तारूढ़ दल और कुछ की विपक्षी दल करते हैं। मैं आप से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि जब आप इन नियमों को बनायें, मैं यह नहीं कहता हूं कि इसे विपक्षी दलों को दिया जाना चाहिए बल्कि इसका सभापतित्व क्रमानुसार पहले सत्तारूढ़ दल को, फिर समर्थन देने वाले दलों को और फिर विपक्षी दलों को दी जानी चाहिए ताकि यह संयुक्त संसदीय समिति एक प्रभावकारी संगठन बन सके।

मैं आपसे कुछ बातों को स्पष्ट करने का अनुरोध करूंगा। विगत काल में हमने यह देखा है और भविष्य में भी यह होता रहेगा, जब अन्य देशों के मन्त्री यहां आते हैं और आपकी उनके साथ चर्चा होती है, आमतौर पर आप अन्य देशों के साथ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को और यहां तक कि चलचित्रों के प्रदर्शनों में भी समन्वयन करने का निर्णय करते हैं। अब यह एक स्वायत्त संस्था बन जायेगा। इस स्वायत्त संस्था द्वारा किस प्रकार आप अपनी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को लागू करेंगे? मैंने इस विधेयक का अध्ययन किया है; यदि वे इस बात से इन्कार कर देते हैं तो यह सुनिश्चित कराने हेतु इसमें इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है। मान लीजिए दक्षेस सम्मेलन में यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक दक्षेस देश अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करेगा। (व्यवधान) मैंने इसे पढ़ा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसे देखा है। इस प्रकार के वायदे किये गये हैं कि बंगला देश के कुछ कार्यक्रम भारत में और इसी प्रकार भारत के कुछ कार्यक्रम बंगलादेश में दिखाये जायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह दक्षेस श्रव्य दृश्य आदान-प्रदान (एस.ए.वी.ई.) है।

श्री संतोष मोहन देव : ठीक है, इसमें शुद्धि भी हो सकती है। आप एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं मैं आपके द्वारा किये गये संशोधन को स्वीकार करता हूं।

मैं यह जानना चाहूंगा आप किस प्रकार से इसे संरक्षण देंगे क्योंकि विभिन्न दक्षेस देशों के बीच ऐसा समन्वयन भी इस क्षेत्र के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों में से एक है।

जैसा कि मैंने कहा है, उस दिन हमने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा की थी। मुझे याद है कि इस सभा में अनेक महिला सांसदों ने नियोक्ता द्वारा किये जा रहे अत्याचारों के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे। इसके बावजूद, पिछले रविवार को दूरदर्शन पर पिक्चर दिखाई गई थी और उस पिक्चर का सारांश आफिस सेक्रेटरी एक महिला कर्मचारी से प्रेम नहीं करना चाहता था और वह महिला कर्मचारी अपने दोस्तों से कह रही थी, कि "यद्यपि वह शादी-शुदा है फिर भी मैं देखूंगी कि मुझसे कैसे बचता है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह मेरे पंजे में आ जाये।" (व्यवधान) मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगाता हूं; सारी बातों को देखना आपके लिए संभव नहीं है। परन्तु जो लोग दूरदर्शन कार्यक्रमों को चला रहे हैं, वे ये अब पिक्चरें दिखाते

हैं। आपके द्वारा स्वायत्तता प्रदान करने के पश्चात् देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों की क्या स्थिति होगी ? क्या हम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन्हें शासक मण्डल तथा प्रसारण परिषद समिति के लिए चुना जाएगा। क्या उन्हें हमारे देश की स्थिति की जानकारी होगी।

मैं त्रिपुरा से हूं। अगर त्रिपुरा में कोई मैच होता है तो हमें बंगलादेश के टेलीविजन पर निर्भर होना पड़ता है, आपके दूरदर्शन पर नहीं। इसका क्या कारण है ? जो भी कार्यक्रम उपलब्ध हैं, उनके लिए पहली प्राथमिकता अपने देश के क्षेत्रों को मिलनी चाहिए। आप शायद यह नहीं जानते। मैं आपको स्मरण कराता हूं। तुरा में एक विद्यार्थी से पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रपति कौन है ? पांचवीं कक्षा के विद्यार्थी ने उत्तर दिया श्री इरशाद। ऐसा क्यों है ? क्योंकि तुरा में लोग केवल बंगला देश टेलीविजन के कार्यक्रम देखते हैं। यह बहुत ही खतरनाक पहलू है, जिनकी ओर हमें ध्यान देना होगा। मैं स्वायत्तता के विरुद्ध नहीं हूं। जो मैं कह रहा हूं, उसे समझने के लिए आपको राजनैतिक समझबूझ की आवश्यकता है। अगर हम मन्त्रियों के सचिवों से बातचीत करना चाहते हैं तो वे हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते; वे इस बात से डरते हैं कि कहीं उनके मन्त्री नाराज न हो जायें। मैं लोकलेखा समिति का सभापति हूं। श्री सोमनाथ चटर्जी तथा आपके दल के कुछ अन्य सदस्य उसमें शामिल हैं। आप उनसे इस बारे में पूछिये। वे आपको इस सम्बन्ध में अपने अनुभव बतायेंगे। मैं बिना जानकारी के कभी कुछ नहीं कहता। स्वायत्तता के विरुद्ध कोई नहीं है; परन्तु इस स्वायत्तता का प्रयोग उन लोगों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जो देश के हितों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। श्री चित्त बसु ने बड़े उचित शब्दों में हमारी सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया है। भारत की मुख्य शक्ति अनेकता में एकता है। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं तथा विभिन्न राज्य है। जब भी खतरों का सामना करना पड़ा है; सारे भारत ने एक होकर इसका सामना किया है। यही हमारी संस्कृति है और इस स्वायत्तता प्राप्त संगठन में, जिसे हम गठित करने जा रहे हैं, इस संस्कृति भावना को लाना होगा।

मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अन्ततः सभी दलों की आम राय से कार्य करना स्वीकार कर लिया है। मैं आप से अपील करता हूं कि आप आज या कल में इस सम्बन्ध में अपना निर्णय न बदल लें और इसे सिद्धांत को अन्तिम रूप प्रदान करें। जैसा कि श्री आडवाणी जी तथा दूसरे कई माननीय सदस्यों ने कहा है, इस बिल को भारतीय इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाना चाहिये जबकि सभी दलों ने एकमत होकर सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया है। अगर इसमें कोई खतरा है तो यह सबके लिए होना चाहिए और अगर कोई अच्छी बात होती है तो यह सबके लिए अच्छी होनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत ही रचनात्मक भाषण दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत। अब छः बजे हैं। हमें कब तक अपनी कार्यवाही जारी रखनी है ?

श्री पी० उपेन्द्र : कांग्रेस के एक वक्ता को छोड़कर जो कि कल भाषण देंगे, बाकी सभी

भाषण आज समाप्त करने के लिए हम सहमत हो गये थे। भाषणों को हम आज ही समाप्त कर लेंगे। फिर कल को मेरे द्वारा चर्चा का जवाब देने से पहले, श्री गाडगिल बोलेंगे। उसके बाद मैं चर्चा का उत्तर दूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मुझे श्री इन्द्रजीत के इस समय बोलने पर आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे सम्बन्ध में आपने क्या निर्णय लिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में वे पहले ही निर्णय ले चुके हैं।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्री इंद्रजीत के अब बोलने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यह गलत है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें गलत क्या है ? आप यह नहीं चाहते हैं कि इस सदस्य को बोलने का समय दिया जाए। वह संचार माध्यमों से सम्बद्ध हैं। आप उनको सुनना नहीं चाहते।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इस सम्बन्ध में प्रक्रिया क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय पीठासीन अधिकारियों द्वारा लिया गया था।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : परन्तु कुछ नियम अवश्य होने चाहिए। क्या हम पर कोई नियम लागू नहीं होते ?

6.00 म० प०

परन्तु कुछ नियम अवश्य होने चाहिये। हम पर भी कुछ नियम लागू होते हैं। (व्यवधान) मुझे बोलने का समय देकर आप मुझ पर कोई अहसान नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वे सदस्य, जो बोलना चाहते हैं, कृपया नोट करें। मन्त्री महोदय ने कहा है कि सभी सदस्यों के बोलने के बाद ही हम बैठक समाप्त करेंगे। आप कृपया इस बात को ध्यान में रखें और कम से कम समय लेने की कोशिश करें अथवा अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहने का प्रयत्न करें। परन्तु अगर प्रत्येक सदस्य खड़ा होकर यह कहना आरम्भ कर देगा कि उसका नाम पहले लिया जाए तथा अपनी इच्छानुसार बोलने लगेगा तो मैं सभा की कार्यवाही का संचालन नहीं कर पाऊंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं नैशनल कान्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज आप अपने दल का प्रतिनिधित्व करते होंगे। जब हम कश्मीर समस्या की चर्चा कर रहे थे तो भी मैंने आपकी बारी से पहले आपको बोलने का अवसर दिया था।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वह एक अलग बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आपको बोलने का अवसर देंगे। परन्तु यह अवसर कब मिलेगा, यह एक अलग बात है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : परन्तु कब ?

उपाध्यक्ष महोदय : सोज जी, आपको समय मिलेगा। मैं आपको समय दूंगा। परन्तु सब लोग एक ही समय नहीं बोल सकते हैं। आपको एक-एक करके ही बोलना पड़ेगा। प्रो० सोज को केवल इतना कहने के कारण ही बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता कि वह अमुक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप उन्हें बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सोज जी, आप समय क्यों गंवा रहे हैं ? श्री इन्द्रजीत को बोलने दीजिए।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुर द्वार) : मैंने आर० एस० पी० ग्रुप की ओर से अपना नाम दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा और हम अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने भाषण को संक्षिप्त रखें और अपनी बात को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कहने का प्रयत्न करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सत्र की समाप्ति के समीप आप अनुशासन की बात कर रहे हैं। अनुशासन प्रत्येक के लिए होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज की जानकारी के लिए मैं यह पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा :

> "अध्यक्ष उन सूचियों अथवा नाम से बाध्य नहीं होगा जिसमें कि दलों या वर्ग अथवा व्यक्तियों द्वारा सीधे नाम भेजे जायेंगे।"

फिर भी मैं आपकी बात पर विचार करूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या इसका यह तात्पर्य है कि भविष्य में यही भय रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर और चर्चा नहीं करना चाहता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : तब मैं नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मत बोलिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनका यह कहना है कि वह आपको बोलने के लिए बुलाएंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे बोलने के लिए कहकर वह मुझ पर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई कृपा की बात नहीं है। आप सदन पर अपनी इच्छा थोप नहीं सकते। श्री इन्द्र जीत।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का यह अवसर देने पर मैं आपका अति आभारी हूं। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि आपने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि मैंने प्रसार माध्यमों में लगभग 40 वर्ष तक कार्य किया है और मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करते हुई मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है। परन्तु साथ ही मैं सच्चे दिल से यह चाहता था कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक पर गहनता से विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता। मैंने मन्त्री महोदय को यह सुझाव दिया था, परन्तु इन्होंने सोचा कि यह इन विधेयक के पारित करने में किसी विपक्षी दल द्वारा विलम्ब करने का प्रयास है।

मैं नहीं समझता कि यह इस सुझाव पर विचार करने का रचनात्मक तरीका है। मुझे पूरी आशा है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाएगा। हम इसके लिए यह प्रावधान कर सकते हैं कि प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट अगले सत्र के प्रथम दिवस तक देनी होगी और किन्हीं भी परिस्थितियों के अन्तर्गत यह समय बढ़ाया नहीं जाएगा। मैं मन्त्री महोदय से फिर निवेदन करूंगा कि वे गहन विचार और सुझावों के लिए इस विधेयक को संसद की संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने की सम्भावनाओं पर विचार करें।

यह प्रसन्नता का विषय है कि पिछले कुछ दिनों से दौरान सरकारी पक्ष और विपक्ष द्वारा सहमत संशोधनों को इस में शामिल करने का प्रयास किया गया है। परन्तु केवल यही पर्याप्त नहीं है। यदि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाए तो इसमें और अधिक सुधार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहते हुए खेद है कि सूचना और प्रसारण मन्त्री ने इस बारे में विचार-विमर्श केवल मुख्य विपक्षी दलों अर्थात् कांग्रेस (आई), भा०ज०पा० और अन्य समर्थक दलों तक ही सीमित रखा है। छोटे ग्रुपों को इस विचार विमर्श में शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जबकि इनके कुछ सदस्यों के पास इस बारे में काफी सुझाव थे।

इस विधेयक को पेश करते समय मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में यह स्वीकार कर लिया

था कि यह विधेयक उस स्वतन्त्रता का घोषणा पत्र होगा तथा इसके द्वारा भारत के लोगों की भावनाओं को सही रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा और इस विधेयक में एक वास्तविक नवीन गतिशील और उच्च स्तर की विश्वसनीयता सहित लचीले स्वायत्त निकाय का प्रावधान होगा। इसके लम्बे शीर्षक में ही इसके स्वायत्त निकाय होने की बात शामिल होनी चाहिये थी। अतः मैं यह चाहूंगा कि वे इसके लम्बे शीर्षक में परिवर्तन की सम्भावना पर विचार करें या इस लम्बे शीर्षक में कुछ एक शब्द और जोड़ दें। तत्पश्चात् इसके अनुसार 'भारत के लिए प्रसारण निगम की स्थापना के लिए, जिसे 'प्रसार भारती' के रूप में जाना जाएगा' और जो शब्द मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, वे हैं : "जो कि संसद के माध्यम से भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायी एक स्वायत्त जन प्रसारण सेवा होगी।" मेरा विचार यह है कि इन शब्दों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके स्वायत्त निगम होने और संसद के प्रति उत्तरदायी होने के तथ्य को इसके लम्बे शीर्षक में ही सम्मिलित किया जाना चाहिये। मैं नहीं समझता कि यह सुझाव देते हुए मैं कुछ अधिक करने के लिए कह रहा हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : मैं नहीं समझता कि मन्त्री महोदय ने आपकी बात सुनी है।

श्री इन्द्रजीत : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं अन्य विचार-विमर्श में व्यस्त मन्त्री महोदय की सूचना के लिए अपनी बात दोहरा सकता हूं ? मेरा सुझाव यह है कि इसके लम्बे शीर्षक में ही यह बात होनी चाहिये कि यह प्रसारण निगम स्वायत्त होगा और संसद के माध्यम से यह भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायी होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे संविधान की प्रस्तावना की तरह।

श्री इन्द्रजीत : ये वे शब्द हैं, जिन्हें मैं इसमें शामिल करवाना चाहता हूं—"जो संसद के माध्यम से भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायी स्वायत्त जन प्रसारण सेवा होगी।"

महोदय, मैं और भी बहुत से सुझाव देना चाहता हूं। इस मामले पर देर तक बोलने की अपेक्षा में एक के बाद एक सुझाव देना चाहूंगा।

इस लम्बे शीर्षक के अतिरिक्त, मैं जोर देकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब हम जिस व्यवस्था का समर्थन कर रहे है, उसकी अपेक्षा प्रबन्धन और नियन्त्रण की दो स्तरीय व्यवस्था पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसीलिये ही मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए बहुत जोर दे रहा हूं। इन सुझावों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। हम केवल शासक बोर्ड बनाने का प्रावधान कर रहे हैं। केवल यही करना पर्याप्त नहीं है। मेरा विचार है कि हमें दो स्तरीय व्यवस्था करनी चाहिये। इसमें शासक बोर्ड के साथ-साथ प्रबन्धक बोर्ड शामिल होना चाहिये। हम एक संस्था की व्यवस्था भी कर सकते हैं जो उच्च स्तर पर गैर-प्रबन्धकीय होगी और उससे नीचे के स्तर पर प्रबन्धक बोर्ड की व्यवस्था की जा सकती है। दूसरे शब्दों में शासक बोर्ड या हम इसे न्यास मण्डल भी कह सकते हैं, की व्यवस्था भी कर सकते हैं। मैं सम-

झता हूं कि शासक से न्यासी शब्द अधिक उपयुक्त है। हम एक न्यास मण्डल की व्यवस्था कर सकते हैं, जो एक न्यास के रूप में इस घोषणा पत्र का अनुपालन करेगा और इस घोषणा पत्र की भावना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करेगा। इस प्रकार हम उच्च स्तर पर गैर प्रबन्धकीय संगठन अर्थात् एक न्यास मण्डल की व्यवस्था कर सकते हैं और उसके नीचे के स्तर पर प्रबन्धक बोर्ड की व्यवस्था कर सकते हैं।

दूसरे, मैं इसमें एक उद्देश्य जोड़ने का सुझाव देना चाहता हूं, जो इसमें नहीं है। यह उद्देश्य होगा—"सभी वर्गों के लोगों में बन्धुत्व और धर्म निरपेक्ष आदर्श बनाए रखना और उनमें सत्य की भावना और उत्सुकता को बढ़ावा देना।" मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि हमें इस प्रकार के बन्धुत्व और सत्य की भावना और उत्सुकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

आज की स्थिति के अनुसार शासक बोर्ड की संरचना में कुछ कमियां हैं। इस समय हमने एक कार्यकारी एक कार्मिक और एक वित्त शासक का प्रावधान किया है। अब ये दोनों शासक कार्यकारी शासक के अन्तर्गत कार्य करेंगे परन्तु साथ ही वे शासक बोर्ड के सदस्य भी होंगे। यह परस्पर विरोधी बात है। कार्यकारी शासक को भारतीय प्रसारण निगम का संचालन करना है या नहीं। यदि ये दो शासक, मण्डल के सदस्य होंगे तो इससे समस्या होगी। मेरा विचार है कि आपको इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि कार्मिक प्रभारी शासक और वित्त प्रभारी शासक को प्रबन्धक बोर्ड में कार्यकारी शासक के नियन्त्रण में कार्य करना चाहिए। अत: मेरा प्रथम सुझाव यह है कि आपको उच्च स्तर पर एक गैर-कार्यकारी बोर्ड अर्थात् न्यास मण्डल की स्थापना करनी चाहिए और इसके नियंत्रण में एक कार्यकारी प्रबन्धक बोर्ड की व्यवस्था करनी चाहिए।

जहां तक शासक बोर्ड का सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में आपने आंशकालिक अध्यक्ष का मेरा अगला सुझाव और प्रावधान किया है। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि आरम्भिक अवस्था में एक पूर्णकालीन अध्यक्ष और शासकों की व्यवस्था करना अधिक लाभदायक होगा। जहां तक शासकों की कार्यावधि का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं अत: न्यास मण्डल और कार्यकारी शासक के लिये छ: वर्ष की कार्य अवधि बहुत अधिक है।

यदि आपको लगता है कि आपने ट्रस्टी अथवा शासकों का एक ऐसा दल से प्रबन्धक बोर्ड में बाहर से ले लिया है जो सक्षम नहीं है तो इससे पहले की बहुत देर हो जाए उनको बदलना आपके लिए संभव होना चाहिए। अत: मैं आपको सुझाव दूंगा कि शुरू में आप उन्हें केवल तीन वर्षों के लिये नियुक्त कीजिए और यदि वह व्यक्ति अथवा शासक बोर्ड ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं, तो उनकी सीधे 6 वर्षों की अवधि बढ़ाने की बजाए जिसमें समस्याएं पैदा हो सकती हैं और तीन वर्ष के लिए उनकी अवधि बढ़ाई जाए।

मेरा अगला सुझाव यह है। जहां तक प्रसारण परिषद का सम्बन्ध है, यह एक शानदार विचार है। यहां बहुत से मित्रों ने कहा है कि हमें प्रसारण परिषद की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार में हमें प्रसारण परिषद की आवश्यकता है जोकि एक गैर राजनीतिक संस्था होगी। यह बहुत ही

आवश्यक है विशेषकर जब हम इस निगम की संसद के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करने के बारे में सोच रहे हैं। हमें निश्चित रूप में ऐसा करना चाहिए। मेरे विचार में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय संसदीय समिति के गठन के विचार के बारे मे सिद्धांत रूप से सहमत हो गए हैं जिसके प्रति प्रसारण निगम जवाबदेह होगा। लेकिन इसके बाद प्रश्न उठता है यह संसदीय समिति किस प्रकार की होनी चाहिए और किस प्रकार की निगम की जवाबदेही होनी चाहिए? मेरे विचार में हमें यह सुनिश्चित करने में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी कि इस संसदीय संस्था को निगम के दैनिक कार्यों की निगरानी सम्बन्धी कार्यों में न लगाया जाए। जिस समय से आप दिन प्रतिदिन के आधार पर निगरानी रखना शुरू कर देंगे तो जो स्वायत्तता आप इस निगम को देना चाहते हैं उसमें भारी हस्तक्षेप होगा इसीलिये, हमें संसदीय समिति के संबंध में अपने बुनियादी विचार के बारे में बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। प्रसार भारती को संसदीय समिति के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिये। लेकिन इसे दिन-प्रतिदिन के प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

जहां तक संसदीय समिति का सम्बन्ध है मैं एक और निश्चित सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि यह समिति केवल राजनीतिक आधार पर नहीं बनाई जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें कि इस सभा में क्या हो रहा है, क्योंकि संसदीय समितियां अधिकतर राजनीतिक आधार पर गठित की जा रही है, इस आधार पर गठित की जा रही है कि इसमें किस पार्टी के कितने सदस्य हैं। मेरे विचार में इस संसदीय समिति में छोटे ग्रुपों सहित सम्पूर्ण सभा के सदस्यों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मैं यह केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा पार्टी का अकेला प्रतिनिधि हूं। मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं यह महसूस करता हू कि सभी उपलब्ध प्रतिभाशाली व्यक्तियों को परखने और इससे शामिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि यह संसदीय समिति पूरी तरह से राजनीतिक तरीके से कार्य न करे। यदि यह पूरी तरह से राजनीतिक तरीके से कार्यकला शुरू कर देगी, तो हमारे लिए बहुत सी समस्याएं हो जाएगी। यह मेरा पहला सुझाव है। अतः यह एक ऐसी समिति होनी चाहिए जिसमें सभी दलों और सभी ग्रुपों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष को इसमें विशेष महत्व दिया जाना चाहिए और उन्हें इस मामले में अपने पूर्ण विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

इसके साथ ही, मेरा एक और सुझाव है जिसे मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार कर। क्योंकि हम इसमें 11 गवर्नर अथवा 11 ट्रस्टी ले रहे हैं, तो यदि संवैधानिक रूप से संभव हो तो इस समिति से एक संसद सदस्य को शासक बोर्ड में लेने के बारे में क्यों नहीं सोच सकते। इससे प्रसार भारती और संसद के कार्यकरण के बीच नियमित सम्बन्ध बना रहेगा। इसी प्रकार मैं यह देखना चाहता हूं कि जिस तरह प्रेस परिषद में आज संसद सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है उसी प्रकार संसद सदस्यों को प्रसारण परिषद में भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस प्रकार यह प्रसारण परिषद एक गैर-राजनीतिक संस्था होगी जबकि यह संसदीय समिति

आवश्यक रूप से एक राजनीतिक संस्था होगी। अतः ये दो सुझाव है जिन्हें मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कृपया इस पर विचार करें।

अब, जहां तक प्रसारण परिषद का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसे और अधिक अधिकार देने के प्रश्न पर विचार करें। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह सोचते हैं कि प्रसारण परिषद अनावश्यक है, इसने एक गैर-राजनीतिक संस्था के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। लेकिन इसका सही प्रकार से गठन किया जाये। और इस संस्था को अपने नियम बनाने चाहिए। अब तक इस विधेयक में जिन बातों की व्यवस्था की गई है, उससे ऐसा आभास होता है कि यह प्रसारण परिषद आवश्यक रूप से एक तरह की सरकारी संस्था बन जाएगी। सरकार इसके लिए नियम बनाएगी अथवा प्रसार भारती इसके लिए नियम बनाएगी। प्रसार भारती इसके कार्यकरण के बारे में हर प्रकार के नियम बनाएगी। इसके बाद प्रसारण परिषद, प्रसार भारती को अपनी रिपोर्ट देगी और प्रसारण परिषद अपनी रिपोर्ट देगी और प्रसारण परिषद ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ भी दिया है उसे संसद को प्रस्तुत करने के समय प्रसार भारती की रिपोर्ट में जोड़ दिया जाएगा। मेरे विचार में, विचार में प्रसारण परिषद, प्रेस परिषद की तरह अपने स्वयं के नियम बना सकेगी। मेरे विचार में, प्रसारण परिषद को प्रसार भारती को नहीं बल्कि सीधे संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

तीसरे, प्रसार भारती को एक बात और करनी होगी जैसाकि समाचार पत्रों के मामले में की गई है। जब कभी भी प्रेस परिषद किसी समाचार पत्र के विरुद्ध कोई निंदा प्रस्ताव पारित करती है तो वह समाचार पत्र उस निन्दा प्रस्ताव को प्रकाशित करने के लिए वास्तव में बाध्य है। वह ऐसा करने में कानूनी रूप से नहीं बल्कि नैतिक रूप से बाध्य है.... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे इसकी परवाह नहीं करते।

श्री इन्द्रजीत : माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी पूरी तरह सही है। कुछ समाचार पत्र इसकी परवाह नहीं करते। लेकिन वे निन्दा प्रस्ताव प्रकाशित करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। प्रसार भारती और प्रसारण परिषद के मामले में यदि प्रसारण परिषद यह महसूस करती है कि प्रसार भारती द्वारा यदि घोषणा पत्र की मूल भावना का उल्लंघन किया गया है और उसने सही तरीके से अपना कार्य किया है, प्रसारण परिषद के विचार में तब,.... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री अकबर ने कभी ऐसा नहीं किया।

श्री इन्द्रजीत : ठीक है, यह उनका विशेषाधिकार था। यह प्रेस परिषद का कार्य था कि उनकी बात को गंभीरता से लेती। तथापि, मेरा यह सुझाव है कि जहां तक प्रसार भारती और प्रसारण परिषद का सम्बन्ध है यदि प्रसारण परिषद किसी चैनल विशेष में किसी कार्यक्रम विशेष में के विरुद्ध कोई निन्दा प्रस्ताव पारित करती है; तो प्रसार भारती को न केवल नैतिक आधार पर, बल्कि यदि आवश्यक हो तो कानूनी रूप से भी उन निन्दा प्रस्तावों को सामने लाना चाहिए। इस प्रकार, प्रसारण परिषद के विचार में यदि प्रसार भारती गलती करता है तो लोगों को सामान्य रूप

से यह पता लगना चाहिए कि इसने कहां गलती की है। अतः मेरा मंत्री महोदय से पुरजोर अनुरोध है कि वह इस प्रसारण परिषद को और अधिक अधिकार देने का प्रयास करें।

अगला मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह बाह्य सेवाओं और निगरानी सेवाओं के बारे में है। अब तक, सरकार को इस बाह्य सेवाओं को बनाने का अधिकार दिया गया है जिसे वह पसन्द करती है। मेरे विचार में यह एक अच्छा विचार नही है। मेरे विचार में इस तरीके से सरकार बाह्य सेवाओं पर नियंत्रण करेगी। तब तक प्रश्न उठता है, सही मामले में बाह्य सेवाए क्या हैं ? जालन्धर दूरदर्शन केन्द्र को लीजिए। जो भी यह प्रसारण करता है वह लाहौर में देखा जाता है। जो भी हम कलकत्ता से प्रसारण करते है वह बंगलादेश में देखा जाता है। अतः मैं मंत्री महोदय से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह इस बात का प्रयास करें और देखे कि ये बाह्य सेवाएं, प्रसार भारती कार्यों का ही भाग रहे। उन्हें इसे सरकार तथा इसकी स्वेच्छा और तरीके पर नहीं छोड़ देना चाहिए जिस तरीके से वे इसे चलाना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपका बहुत समय ले लिया है। मैं एक अथवा दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं दो अन्य मुद्दे उठाना चाहता हूं। पहला मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह प्रसार भारती कर्मियों के प्रश्न के बारे में है। मेरे विचार में एक प्रचार माध्यम का व्यक्ति होने के नाते, सबसे बड़ी समस्या जो मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यकरण में देखता हूं कि इन दोनों संगठनों में बढ़िया और समक्ष लोगों की हर प्रकार से भारी कमी है। मेरे विचार में इसके बारे में कुछ करना होगा। कई बार, मुझे मंत्री महोदय से यहां तक कि समाचार को किस तरह निपटाया जाता है उनके बारे में बात करने का अवसर मिला। उदाहरण के लिए, अब मंत्री महोदय ने समाचार के मामले में उन्हें स्वायत्ता देने का निर्णय लिया और उन्हें बताया कि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए अधिक समय देना चाहिए, तो हमें अर्जेनटाइना में विमान दुर्घटना अथवा कुछ ऐसी बातों के हर प्रकार के हास्यास्पद समाचार सुनने को मिले।

अतः इन संगठनों में बहुत ही सक्षम और प्रतिभावान लोगों को लेने का प्रयास करने की आवश्यकता है जिसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं। मेरा निश्चित सुझाव यह है कि प्रसार भारती को प्रसारण तथा दूरदर्शन दोनों निगमों में कार्य करने वाले लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए किसी संस्थान की स्थापना करने के अधिकार दिये जाने चाहिए। कुछ समय पहले एक फिल्म तथा दूरदर्शन परीक्षण संस्थान बनाया गया था। लेकिन वह संस्थान वास्तव में फिल्मों के पास चला गया है। मेरा सुझाव है कि प्रसार भारती को संभवतः टाइम्स आफ इण्डिया ग्रुप के अनुभव से फायदा उठाना चाहिए जिसने एक प्रशिक्षण योजना और एक संस्थान तैयार किया है जहां से जो लोग पास करते हैं उन्हें इस ग्रुप द्वारा खपा लिया जाता है। अतः मैं यह देखना चाहता हूं कि प्रसार भारती लोगों के परीक्षण के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करें और एक बार जब वे लोग इस संस्थान से बाहर आए तो उनको अपने यहां सेवा में खपा लें। यदि हम इसमें कुछ योग्य लोगों को लेने के बारे में वास्तव में ही गंभीर है तो यह कार्य बहुत ही आवश्यक है। मुझे यकीन है कि मंत्री महोदय को इस समस्या की पूरी जानकारी है।

शुरू में, मेरे विचार में उन्हें प्रचार माध्यमों से, विभिन्न व्यवसायों से कुछ प्रकार के लोगों को लेना होगा। कुछ मामलों में, मेरे विचार से, उन्हें प्रशासन से कुछ लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं से कुछ लोगों को इसमें लेना होगा। लेकिन उसके लिए भी मैं बहुत ही निश्चित सुझाव देना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि हमें प्रसार भारती निगम में प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। यदि उनकी नियुक्ति आवश्यक ही है तो यह अधिक से अधिक केवल एक वर्ष के लिए ही की जानी चाहिए। जो अधिकारी इस निगम में एक वर्ष से अधिक रहना चाहते हैं प्रसार भारती निगम में स्थायी रूप से काम करने के लिए उन्हें अपनी पुरानी सेवा से त्याग पत्र देने के लिये तैयार होना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमें उसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा जो अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों में होती है जहां पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समिति समय के लिए आते हैं और अपनी सेवा के दौरान थोड़े से समय में अच्छे अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। अतः मैं यह सुझाव देना चाहता हूं।

मैं एक और छोटी-सी बात कहना चाहता हूं। भारतीय प्रसारण कार्यक्रम सेवा के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। मेरे विचार से यह एक बहुत अच्छा विचार है इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किये जाने चाहिएं लेकिन मुझे एक मित्र के साथ बात करने का अवसर मिला। चूंकि मेरा सम्बन्ध प्रसार माध्यमों से है, उनके साथ विचारों का आदान-प्रदान करते समय मैंने पाया कि सभी जगह यह मांग थी कि उनके वेतनमान भारतीय सूचना सेवा, के हाल ही में संशोधित वेतन-मान के बराबर होने चाहिएं मंत्री महोदय ने सभा को बताया कि भारतीय सूचना सेवा का गठन किया गया है। और संवर्ग समीक्षा भी की गई है। किन्तु भारतीय प्रसारण कार्यक्रम सेवा के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस प्रकार का कोई उपबन्ध किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं मंत्री जी से पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार करें। मैं समझता हूं कि उन्हें चिन्ता है कि विलम्ब हो सकता है। फिर भी उन्हें कम से कम एक काम करना चाहिए। कि यदि यह अभी भी प्रवर समिति को भेजने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें यह चिन्ता है कि हो सकता है कि विधेयक पारित न हो सके। मेरा विचार है कि ऐसा नहीं होगा। किन्तु उन्हें कम से कम अधिक विचारों के लिए इस सभा के सभी वर्गों के साथ समन्वय स्थापित करके और अधिक विस्तार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि कि आपने मुझे इस अहम तारीखी बिल पर बोलने का मौका दिया है। मैंने हाऊस में सब पार्टियों के

लोगों की तकरीरें सुनी हैं और खासकर अपने कांग्रेसी भाइयों की तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ कि वे इस बिल पर किस तरह बोलते हैं। मैं एक दो तजवीज देकर अपनी बात कहना चाहता हूं। रीजनल कल्चर, जबान और इतिहास को प्राजेक्ट करने के लिए हर जबान की एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिये और हर जबान की अलहिदा चैनल मिलना चाहिये क्योंकि पिछले दिनों मिनिस्टर साहब ने कहा था कि सिर्फ 11 परसेंट रीजनल लैंग्वेज के लिए दिया जाता है बाकी मेजारिटी टाईम हिन्दी के लिए और नम्बर दो पर अंग्रेजी के लिए है। हिन्दी रीजन में रहने वाले लोगों को अंग्रेजी और हिन्दी समझने में कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन गैर-हिन्दी देहाती लोगों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी समझना प्राब्लम है। वे कहते हैं कि उनके लिए बहुत कम समय अपनी कल्चर और जबान व इतिहास के लिए मिलता है।

दूसरी तजवीज यह है कि हमारे अमृतसर या पंजाब में, जम्मू के इलाके में और पाकिस्तान के साथ लगन वाले इलाको में लाहौर का और पाकिस्तान का पंजाबी प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम से ज्यादा अच्छा पसन्द किया जाता है। लोग अपना चैनल बन्द करके लाहौर या रावलपिण्डी का चैनल लगाकर सुनते हैं क्योंकि जबान के लिहाज से उनकी जबान पंजाबियों की ज्यादा नुमायदगी करती है हमारी अपनी जुबान उतनी नहीं जितनी उनके देहाती बैकग्राउंड के जो प्रोग्राम होते हैं, वे पंजाबी कल्चर की नुमायदगी करते हैं। यहां यह सब तभी हो सकता है जब रीजनल लैंग्वेज में उन लोगों की अपनी जबान, कल्चर और अपने इतिहास के लिए सैपरेट चैनल मिले। जो आजादी यहां पर मीडिया को दे रहे हैं, खासतौर से प्रसार भारती के इस बिल में, वे उसका लुत्फ उठा सकें। जैसाकि मेरे दोस्तों ने बात की है, यहां पर तरमीमों के ढर लगा दिये गए हैं कोई इधर से या उधर से ज्यादा आजादी के मुतालबे की या गवर्नमेंट के मुत्तलिक कुछ मिनिस्टर के मुतलिक, उनकी बातें रखने की कोशिश करते थे लेकिन हमने कुछ ऐसा दौर भी देखा है। वह दौर तवारीख का और सिस्टम का अजीब ही दौर था। वह वक्त था जब इन्दिरा गांधी का मर्डर हुआ और तीन दिन लोगों को एक लाश के दर्शन करवाये गये। यह नहीं बताया कि इस दिल्ली में लोगों के गले में टायर डालकर जलाये जा रहे हैं, मुंह मे पैट्रोल डालकर आग लगाकर लोगों को तड़पता देखकर ढोल बजा रहे हैं। कहीं यह नहीं बताया कि इतने लोग तो जुल्म के शिकार हुए या कितने बच्चों को रोस्ट किया गया है या कितनी औरतों का रेप किया गया है? ये भी तो खबरें थीं लेकिन तीन दिन तक एक लाश को दिखाकर लोगों में इतनी उत्तेजना पैदा कर दी कि इतिहास बिगाड़ कर रख दिया। वह हम देखते रहे हैं और आज जब यह बिल सामने आया है कि जिन लोगों को दो-ढाई साल का जनता राज को छोड़कर हुकूमत करने का अवसर मिला इस बात के काबिल नहीं हुए। कि वे कोई ऐसा बिल पेश कर सकें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आज उन्हें इसका इतिहास अजीब नजर आता है क्योंकि अपने दौर में वे कोई ऐसा काम नहीं कर सके।

अपने-अपने हैं हौंसले, अपनी-अपनी उड़ान है।

कोई उड़ के रह गया बाम पर, कोई कहकशां से गुजर गया॥

ये लोग तो अपनी ही बाम पर रह गये, उससे आगे चल नहीं सके। आज जब यह बिल

सदन में आया है, यह हिन्दुस्तान के लोगों के लिये खुश खबरी है और वी० पी० सिंह की हुकूमत का लोग अहसान मानेंगे। आगे कोई हुकूमत आये, कोई जाये, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है लेकिन पहले जिस तरह से हर रोज हम सुबह उठते ही रेडियो और दूरदर्शन पर दुष्ट-दर्शन करते थे, अब वह दुष्ट दर्शन का दौर खत्म हो गया। इस कारण हम लोगों को रोज अपने चैनल बदलने पड़ते थे क्योंकि दूरदर्शन पर महज एक प्रोपागेन्डा ऐसा दिखाया जाता था, जिसका हकीकत से दूर का भी वास्ता नहीं था। सिर्फ दिखावे के तौर पर बातें होती थीं, अपने जुल्मों को इस तरह से डिपिक्ट किया जाता था जैसे हिन्दुस्तान की जनता पर कोई अहसान हो रहा है। उस किस्म की बातों का दौर अब खत्म हो गया। अब यदि हिन्दुस्तान में आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिये कोई कार्पोरेशन बनायी जाती है और बन रही है, तो उसके लिये हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी सरकार और सूचना और प्रसारण मंत्री मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं यह जरूर चाहता हूं कि इसका लुत्फ उन लोगों को भी मिलना चाहिये जो देहातों में रहते हैं, हमारे देश में जो मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग हैं, उन्हें भी इसका मजा मिलना चाहिये हमने देखा है कि जिस तरीके से पुराने वक्त में, थोड़े दिन पहले जो वक्त गुजर गया, उसमें क्या दिखाया जाता था। (व्यवधान) लोगों पर जुल्म किये जाते थे और दूरदर्शन पर कुछ दूसरी ही चीजें दिखाई जाती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपाल सिंह जी, टाइम बहुत कम है, बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं, इसलिये आप कृपया बिल पर ही बोलिये।

श्री कृपाल सिंह : मै आपकी मेहरबानी का मशकूर हूं, मैं कभी चेयर के आदेशों की उल्लंघन नहीं करता। मैं उनमें नहीं हूं जो चेयर के इजाजत के बगैर बोलते चले जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इजाजत दी गयी है, आप बिल पर बोलिये।

श्री कृपाल सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमें खुशी है जब टी० वी० पर "टीपू सुल्तान की तलवार" दिखायी जाती है, कभी रानी झांसी दिखाई जाती है, ये सभी लोग हमारे रहनुमा थे इन लोगों ने देश के लिये कुरबानियां की हैं। आज लोग उन्हें भूलते जा रहे थे। देश के लोग महाराजा रणजीत सिंह के बाद के जमाने में लड़ी गयी चार लड़ाइयों को भी भूल गये थे, जिसमें जनरल श्याम सिंह अटारी और जनरल शेर सिंह अटारी ने अपनी वीरता के जौहर दिखाकर अंग्रेजों को शिकस्त दी थी। वे चारों जंग इतनी महत्वपूर्ण थीं, जिन्होंने हिन्दुस्तान के इतिहास की आजादी की राह उन बहादुर सपूतों की गाथा एक समकालीन कवि ने इस तरह बयान की है।

शाह मुहम्मदा इक सरकार बाझों, फौजां जित के अन्त नू हारियानें। उसका इससे पहले कहीं कोई जिक्र नहीं होता था। मीडिया ** तो होता नहीं है, लेकिन यह इस देश का दुर्भाग्य था कि यहां पिछले 40 सालों में मीडिया** बनकर रह गया था, दूरदर्शन पर ** के गुण गाये जाते रहे। जो इनके दिल में आया, वे करते रहे।

**अध्यक्षपीठ आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह : एक समय वह था जब जोरों से कहा जाता था कि फारूख अब्दुल्ला गद्दार है लेकिन दस दिन बीते नहीं कि कहा जाने लगा कि फारूख अब्दुल्ला देशभक्त है। देशभक्ति की परिभाषा रोज बदल जाती थी। एक समय कहा जाता था कि शेख अब्दुल्ला देशभक्त है. कुछ समय बाद ऐसा प्रसार/प्रचार किया जाने लगा कि वह पाकिस्तान का एजेंट है। जो जी में आया, वही कह दिया, ऐसा हो रहा था। इसलिये मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अब जो लुत्फ आये, उसमें आप हमें भी शरीक कर लीजिये और इस देश में जितने रीजनल जुबानें बोलने वाले लोग हैं, उनके लिये अलग एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाना चाहिये, खासकर पंजाब के लोगों के लिये, सिक्खों के लिये, जिन पर पुरानी सरकार ने सबसे ज्यादा जुल्म ढाये हैं। उनके हितों को प्रोटैक्ट करना जरूरी है। सारी फिजा को साफ करने के लिये आप मीडिया का इस्तेमाल कीजिये। सिक्ख कौम हमेशा से इस देश के लिये कुर्बानी करती आयी है, उन्होंने हमेशा इस देश को बचाने के लिये काम किया। इन शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रसार भारती विधेयक का समर्थन करता हूं विशेषकर इस विधेयक में निहित धारण का। परन्तु मुझे कुछ शंकाएं हैं। जैसाकि आडवाणी जी ने कहा, कि विधेयक का शीर्षक भी भारतीय जनता दल का है अतः मैं समझता हूं कि मंत्री को सचित रहना है क्योंकि सभी मामलों पर भारतीय जनता दल से सहमत होना सम्भव नहीं है। मैं प्रसार भारती विधेयक का शीर्षक स्वीकार करता हूं और आडवाणी जी ने मंत्री की प्रशंसा की है क्योंकि उन्होंने शीर्षक में भी परिवर्तन नहीं किया था, सम्भवतः उन्होंने अर्द्धविराम भी नहीं बदल दिया। किन्तु मंत्री ने यह विधेयक लाकर निर्भीकता का कार्य किया है क्योंकि इसके राष्ट्र पर व्यापक दूरगामी प्रभाव होंगे जो बहुत अच्छे हैं विशेषकर चेयरमैन और शासक (गवर्नर) की नियुक्ति जैसा कि विधेयक में प्रस्तावित है। इसका पहली बार प्रस्ताव किया गया है और यह क्रांतिकारी परिवर्तन है। भारत के राष्ट्रपति के अध्यक्ष और शासकों की नियुक्ति करेंगे जो कि समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। इस समिति में राज्य परिषद् के अध्यक्ष, और प्रेस परिषद् के अध्यक्षों और भारत के राष्ट्रपति के एक नामनिर्दिष्ट सदस्य होंगे।

चूंकि आपने दिन के अन्त में बोलने वालों के लिए बहुत थोड़ा समय रखा है अतः मुझे उन मुद्दों को नहीं दोहराना चाहिए। जिनका उल्लेख विद्वान वक्ता पहले ही कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वैसे भी आपको नहीं दोहराना चाहिए।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : अवश्य महोदय ।

जैसा मैंने कहा, विधेयक में एक बहुत अच्छा उपाय निहित है । किन्तु विधेयक के खंड 4 में मुझे अध्यक्ष के लिए कोई सर्वोत्तम स्थान प्रतीत नहीं होता है । "गवर्नर" शब्द मेरे कानों को ही अच्छा नहीं लगता है । जैसा कि श्री इन्द्रजीत ने और आडवाणी जी ने सुझाव दिया यह तो न्यासियों का बोर्ड, निर्देशकों का बोर्ड और उनके ऊपर अध्यक्ष होगा । मैं नहीं जानता कि अध्यक्ष की क्या शक्तियां होंगी । मन्त्री को यह मालूम होना चाहिए जो हमें वाद-विवाद का उत्तर देते समय जानकारी देंगे ।

सभी शक्तियां सचालक मण्डल द्वारा कार्यकारी निदेशक को दे दी जाएंगी । मैं नहीं जानता कि अध्यक्ष किस प्रकार अपना काम करेंगे । कार्यकारी संचालक, संचालक (वित्त) पूर्ण कालिक संचालक होगा और अध्यक्ष अंशकालिक रूप में काम करेंगे । मंत्री इसके प्रभाव समझते हैं अध्यक्ष पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं हैं । अत: वे कहेंगे कि अध्यक्ष बदलते रहेंगे और हम स्थायी कर्मचारी हैं । अत: अध्यक्ष का न तो सर्वश्रेष्ठ पद हैं ओर न ही उसका कोई कार्यकारी शक्ति प्राप्त है । विधेयक के भावना के अनुसार अध्यक्ष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा । मैं नहीं जानता कि इस विधेयक के अनुसार अध्यक्ष का क्या काम है ।

सबसे पहले मुझे श्री इन्द्रजीत का मुद्दा उठाना चाहिए । उन्होंने सुझाव दिया है कि संचालक मण्डल का कार्यकाल छ: वर्ष का नहीं होना चाहिए । दूर संवेदन के द्वारा वह इसका पूर्वानुमान कर सके । मैंने अपनी टिप्पणियों में यह सुझाव भी दिया है यह अवधि तीन वर्ष की होनी चाहिए क्योंकि यदि वे छ: वर्ष किसी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पद पर रहे तो यह किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यन्त नीरस होगा । मैं नहीं जानता कि लोगों का ध्यान किस प्रकार होगा क्या कोई इस पर के लिये चुन लिया जाएगा । मेरी यह शंका है । यद्यपि भारत के राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करेंगे फिर भी मैं नहीं जानता कि पर्दे के पीछे क्या होगा । अन्तत: यह सूचना मन्त्री पर निर्भर करता है । आडवाणी जी न एक अच्छा सुझाव दिया है कि भविष्य में इस मन्त्रालय को सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के बदले सूचना मन्त्रालय कहा जाए । ऐसा इस लिए क्योंकि प्रसारण क्षेत्र अब प्रसार भारती के अधीन जा रहा है ।

श्री साठे ने एक मुद्दा उठाया है । वह मुद्दा यह है कि प्रसार माध्यम में लगभग 38 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं ।

ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रबन्ध निदेशक या चेयरमैन के अधीन वह कार्य करेंगे और फिर भी किसी भी मामले में उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा । अन्य सभी सार्वजनिक उपक्रमों में हम स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं. हम यह मांग कर रहे हैं कि मन्त्रालय उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें । हम चाहते कि शक्तियां ऊपर से निचले स्तर तक दी जायें । हम प्रबन्ध में हिस्सेदारी चाहते हैं । यहां श्रमिकों को किसी उच्च स्तर के नौकरशाह की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए जिससे वह अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं । अत: निचले स्तर के किसी व्यक्ति को इस प्रकार के अधिकार दिए जाने चाहिए । निचले स्तर के व्यक्ति को भी उच्चस्तर तक पहुंचने के पर्याप्त अवसर

उपलब्ध होने चाहिए। विधेयक में ऐसा प्रावधान नहीं किया है। मैं इस बात से चिंतित हूं। निगम के गठन के पश्चात् कुछ लोग इसमें जायेंगे और कुछ नहीं। लेकिन जैसा कि श्री इन्द्रजीत ने संवर्ग और सुविधाओं के विषय में कहा है इन सब बातों को इस प्रकार तय किया जाना चाहिए कि लोग आसानी से निगम में जा सकें। वह स्वयं की इच्छा से वहां जायें। लेकिन मान लो कि कुछ लोग रह जाते हैं। वह क्या करेंगे। सरकार को इतनी आसानी से सभी शर्तों एवं सुविधाओं को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। ऐसे मामलों में जल्दबाजी ठीक नहीं होती।

विधेयक के पृष्ठ तीन पर कहा गया है कि सलाह के लिए कई समितियों का गठन किया जाएगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करें। उनके पास इस पर विचार करने के लिए समय है। इन समितियों में सदस्यों के रूप में गवर्नर होंगे लेकिन साथ ही पत्रकार और अन्य प्रसिद्ध लोगों को भी आमन्त्रित किया जायेगा, लेकिन ऐसे लोगों को मतदान का अधिकार नहीं होगा। आपके पास कुछ गवर्नर हैं। शायद वह प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं लेकिन कई प्रसिद्ध लोग जैसे श्री वर्गीस जिन्होंने आपको रिपोर्ट दी वह बाहर रह जायेंगे। इस प्रकार अन्य लोग मैं हरेक का नाम नहीं ले सकता रह जायेंगे। लेकिन जिन प्रसिद्ध लोगों को आमंत्रित किया जायेगा उन्हें समिति का सदस्य बनाया जायेगा लेकिन उनको मतदान का अधिकार नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि कोई प्रसिद्ध पत्रकार ऐसा समिति का सदस्य बनना चाहेगा।

समय की भी बाधा है। विधेयक पर मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे। लेकिन यह संशोधन सुझाव बन जायेंगे। अतः मैं इन संशोधनों पर चर्चा नहीं करूंगा मैं इन पर चर्चा नहीं कर सकता। इनमें से एक है कि भर्ती बोर्ड में हमें अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वास्तव में श्री इन्द्रजीत ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। श्री इन्द्रजीत द्वारा उठाया गया अन्तिम मुद्दा मेरा पहला मुद्दा है। अन्ततः किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है, क्या परम्पराएं और मान्यताएं रहेंगी और किस प्रकार के लोग भर्ती किये जायेंगे यह सब इन बातों पर निर्भर करेगा। लेकिन यदि आप अब भी भर्ती बोर्ड का गठन करते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को भर्ती बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

जैसा कि श्री चित्त बसु, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री वसन्त साठे और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि राज्य सरकारों को दूसरा चैनल उपलब्ध होना चाहिए। यह मेरा दूसरा मुद्दा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। मेरे साथियों ने इसकी सही ढंग से और पुरजोर सिफारिश की है। मैं उनका भी समर्थन करता हूं। दूसरा चैनल सरकारों को इस कारण भी दिया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्र में यह अफवाह है।

जिसको उर्दू में एहसास कहते है। और यह हिन्दी भाषी क्षेत्र में फैली हुई है। कुछ लोग भारत की एकता और अखण्डता की बात करते हैं। लेकिन हर समय उनके दृष्टिकोण में भारत से अभिप्राय हिन्दी भाषी क्षेत्रों से ही है। भारत एक विशाल देश है। हमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें क्षेत्रीय/कम संस्कृतियों का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि संस्कृतियों के

विकास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री जवाहर लाल नेहरू ने इस बात पर जोर दिया था कि हम एक हैं लेकिन इस वास्तविकता को उन लोगों द्वारा नहीं स्वीकारा गया जिनका भारत की एकता का अपना एक अलग ही विशिष्ट नजरिया है। कुछ लोगों के लिए राष्ट्रीयता की अवधारणा बहुत संकीर्ण है। उन्हें खुले विचारों का होना चाहिए। श्री जवाहर लाल नेहरू ने सुझाव दिया था कि हमने भारत में अनेकता में एकता स्थापित की है। इस अनेकता को नष्ट किया जा रहा है।

मैं कश्मीर का एक उदाहरण देता हूं। मैं प्रसार भारती विधेयक की चर्चा के दौरान कश्मीर का मसला नहीं उठा रहा हूं लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई जिनसे बाहरी कारण भी हो सकते हैं, जिनसे कश्मीर में ऐसी स्थिति पैदा हुई है। लेकिन इसका एक कारण रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन श्रीनगर भी है। अभी एक प्रतिनिधि मण्डल ने मेरे घर का दौरा किया और उन्होंने कहा "हमें कुछ नहीं चाहिए।" हम दूरदर्शन को सुनते हैं। लेकिन क्या आप हमारा एक भलाकर सकते हैं? इस रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन श्रीनगर को आप दिल्ली ले आइये। हमें यह नहीं चाहिए क्योंकि यह झूठा प्रचार कर रहें हैं जैसा कि सरदार जी कह रहे थे वह समाचारों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। वह कश्मीर की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं।

माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। हम यह चाहते हैं वह हमारी भाषा को न बिगाड़ें। वह हमारी संस्कृति में हेर-फेर न करें। उन्होंने ऐसा ही किया है। मेरे पास इसके सबूत हैं उदाहरण के तौर पर, वह दूरदर्शन पर कहते हैं :

शाम का वक्त, वक्त का करता होता है उनको मुखफक कहते हैं।

इसे वव (बोओ) और रव्प (खाओ) कहते हैं। हमने दूरदर्शन के लोगों और आकाशवाणी के लोगों को यह बताने के लिए एक सांस्कृतिक अकादमी का गठन किया है उन्हें वव (बोओ) और रव्प (खाओ) शब्दों का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं हैं क्योंकि वे भाषा के शब्दजाल में उलझाकर हमारी कश्मीरी भाषा को बिगाड़ रहे हैं। हम इस ध्वनि विज्ञान को अस्वीकार करते हैं क्योंकि भाषा कुछ सिद्धान्तों पर आधारित है। हमारे अरबी भाषा और फारसी भाषा पर आधारित शब्दों को वैसे का वैसा ही रहने देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। यह क्षेत्रीय प्रेस पर निर्भर करता है। इससे ऐसी धारणा बनती है कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। मैं यह शिकायत इस लिए कर रहा हूं ताकि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें। मैं आपको विस्तार में बता सकता हूं, कि किस तरह रेडियो कश्मीर, श्रीनगर और दूरदर्शन, श्रीनगर के कार्यालय श्रीनगर में होने के लायक ही नहीं हैं। मंत्री महोदय उन्हें, जहां चाहें, ले जा सकते हैं। इसीलिए कश्मीर के लोग बी० बी० सी० सुनते हैं। यह रोजाना का मामला है। मंत्री महोदय इसका पता कर सकते हैं।

महोदय, मेरे दो सुझाव हैं। मेरा पहला सुझाव विज्ञापनों के सम्बन्ध में है। मेरी आपत्ति यह है कि मुख्य चैनल पर विज्ञापनों पर समय नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से मुकाबला नहीं कर सकते। श्री चित्त बसु या श्री बसुदेव आचार्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों

के विरुद्ध बात कर सकते हैं। मैं उनके साथ हूं। हमें उनसे संघर्ष के लिये लम्बी तैयारी करनी होगी। उन्होंने टेलिविजन पर कब्जा कर लिया हो चाहे वह बिस्कुट हो या आस-पड़ोस की चीजें। लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आकर प्रचार कर सकती हैं अतः विज्ञापनों के लिए एक अलग चैनल बनाया जा सकता है। मैंने संशोधन के जरिए एक बात रखी थी। इस बारे में आम-सहमति है, श्री आडवाणी जी सहमत हैं साथ ही श्री चिदम्बरम और श्री साठे, इस बात पर सभी सहमत हैं कि एक संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। मैंने यह प्रस्ताव किया था कि यह समिति इन कार्यों को देखेगी। लेकिन सभी लोगों को सुनने के पश्चात् मैंने अपने प्रस्ताव में परिवर्तन किया। यह कहना चाहिए कि समिति सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति और अन्य वित्तीय समितियों की तरह होनी चाहिए न कि प्राक्कलन समिति की तरह। लेकिन यदि यह इन मामलों को नहीं देख सकती तो कम से कम नीतिगत मामलों पर तो यह सलाह दे ही सकती है। माननीय मन्त्री महोदय ने भी इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया है अथवा उन्हें अपने भाषण में इसका उल्लेख कर इसे मान लेना चाहिए क्योंकि इस पर आम सहमति है। प्रसार भारती से सम्बन्धित नीति निर्धारित करने के लिए एक संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए :

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री अनन्तराव देशमुख (वाशिम) : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में ही मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सभी जो यहां बैठे हैं, 'इलेक्ट्रानिक मीडिया' की स्वायत्तता चाहते हैं। परन्तु महोदय, भारत में हम केवल बी०बी०सी० चार्टर अथवा उस हद तक अमरीकी प्रणाली लागू नहीं कर सकते। हमें स्वायत्तता के अपने रूपान्तर के विकास की आवश्यकता है। मेरे विचार में 'इलेक्ट्रानिक मीडिया' को स्वायत्तता देने के मुद्दे पर सभा में मतभेद नहीं है। झगड़ा स्वायत्तता के रूपान्तर पर है। मेरे साथी इस रूपान्तर के स्वरूप पर विस्तार से बोल चुके हैं और वही बात फिर से कह कर मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता। ना ही मैं अपने संशोधनों का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्हें मैं उपयुक्त समय पर प्रस्तुत करूंगा। इस सभा को यह दिखाना मेरा प्रयास रहेगा कि यदि हम यह मान भी लें कि स्वायत्तता के स्वरूप पर सरकार का इरादा स्पष्ट है और वे सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये बिना 'इलेक्ट्रानिक मीडिया' को स्वायत्तता प्रदान करना चाहते हैं तो फिर भी इस विधेयक के कई उपबन्धों से सरकार के इरादे झूठे साबित होते हैं। मैं इसका खुलासा करूंगा। हम इस विधेयक का कैसे समर्थन कर सकते हैं जिसमें वास्तविक कार्यकुशलता पर ध्यान दिए बिना संरचनात्मक परिवर्तन की सरकारी सनक पर ध्यान दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कुछ उद्देश्य निगम का पथ-प्रदर्शन करेंगे। ये उद्देश्य इतने भिन्न और व्यापक हैं कि मानदण्ड स्थापित करने में ये निगम की वास्तव में कोई सहायता नहीं कर पायेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि आप इस विधेयक के पृष्ठ संख्या 10 की ओर ध्यान दें तो इसमें यह कहा गया है कि इनमें से एक उद्देश्य उपयुक्त प्रौद्योगिकी के चुनाव के माध्यम से व्यापक प्रसारण क्षेत्र मुहैया कराएगा इत्यादि, इत्यादि। मैं इस विषय पर माननीय मन्त्री से बहस करना चाहता हूं। वास्तव में इसका क्या अभिप्राय है? यहां तक कि यदि आप अनुच्छेद 14 को लें, जिसमें शिकायतों के निवारण तन्त्र का प्रावधान है तो जहां तक शिकायतों के निवारण का सम्बन्ध है, यह अनुच्छेद असहाय है, अतः हम इस विधेयक का समर्थन कैसे कर सकते हैं? यह विधेयक यहां बैठे दो दलों के भावशून्य के टकराव का भी एक

उदाहरण है जो सत्ता के लक्ष्य हेतु फिर भी एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। मैं अपनी बात का खुलासा करूंगा और मैं बहस संक्षेप में करूंगा। उदाहरण के तौर पर कल श्री आडवाणी ने वर्गीज समिति की रिपोर्ट पर बोलते हुए सभा में एक बात कही थी और व उस बात को आराम से भूल गए जो उन्होंने पहले कही थी। 1979 में उन्होंने स्वायत्तता के प्रश्न पर कहा था :

> "यदि सरकार उस हद तक नहीं गई जिस हद तक वर्गीज सामने चाहती थी तो यह इसलिए कि, उनका कहना था," हमने स्वायत्तता की कल्पना की थी जबकि समिति ने स्वतंत्रता की कल्पना की थी। "श्री आडवाणी ने आगे कहा" वर्गीज समिति ने न्यायपालिका के समानान्तर एक स्वतन्त्र, संवैधानिक संस्था की सिफारिश की थी जिस पर विधायिका का कोई नियन्त्रण नहीं है। नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।"

और हम यह भी देखेंगे कि मानमीय मन्त्री, श्री पी० उपेन्द्र का इस सम्बन्ध में क्या कहना था। उनकी बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित है और यह 28 दिसम्बर, 1989 के "दि ट्रिब्यून" में प्रकाशित हुई थी। मैं इसे उद्धृत करता हूं।

> "सूचना मन्त्री, श्री पी० उपेन्द्र ने कहा है कि इस सम्बन्ध में आकाश भारती रिपोर्ट, जो वर्गीज समिति की रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, ना कि प्रसार भारती विधेयक के नाम से, उनका मार्गदर्शन करेगी।"

जैसा कि श्री उपेन्द्र के लिए इस विधेयक के प्रतिपादन के लिए पथप्रदर्शन उसी वर्गीज आयोग रिपोर्ट ने किया है जिसे आडवाणी 1979 में फेंक देना चाहते थे। फिर भी हम देख रहे हैं कि उनका दल विधेयक का समर्थन कर रहा है। मजेदार बात यह है कि श्री जॉर्ज वर्गीज, आकाश भारती रिपोर्ट तैयार करने में जिनका मुख्य योगदान रहा है, जो संयोगवश इस विधेयक को तैयार करने में मार्गदर्शक रहा है, ने स्वयं कहा है कि स्वाभिमानी व्यक्ति इस निगम के ऐसे बोर्ड में शामिल नहीं होना चाहेगा। इस विधेयक को तैयार करने में सरकार द्वारा अपनाए गए लापरवाह नजरिये के बारे में मैं एक उदाहरण दूंगा। चूंकि समय की बहुत अधिक कमी है इसलिए मैं उनकी विदेश यात्रा पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। परन्तु इस विधेयक को संसद में पुरःस्थापित करते समय उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस निगम को सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता के बारे में हम चिन्ता न करें क्योंकि चुनाव आयोग, नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक तथा अन्य संस्थाओं को भी धनराशि सरकार द्वारा ही दी जाती है, इसलिए, हमें इस पहलू के बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए तथा उनके निगम को भी सरकार से धनराशि मिलने वाली है। मैं नहीं जानता कि मन्त्री महोदय ने एक संवैधानिक संस्था तथा सांविधिक संस्था में अन्तर कैसे नहीं महसूस किया। उदाहरण के तौर पर संवैधानिक संस्थाओं पर किया गया व्यय भारत की संचित निधि में से लिया जाता है और उस पर यहां चर्चा नहीं की जाती। जबकि वर्तमान परिस्थिति में ऐसा नहीं होने वाला है। मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। उदाहरण के तौर पर, आकाशवाणी और दूरदर्शन ने आठवीं योजना में अपनी आवश्यकता क्रमशः 25000 करोड़ तथा 5000 करोड़ रुपए प्रस्तुत की है। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह सभा को यह आश्वासन देंगे कि इसे स्वीकृति दे दी जाएगी - नहीं इसे स्वीकृति नहीं दी

जाएगी, अथवा क्या आप एसे ही न्यायपालिका के साथ कर सकते हैं ? भगवान के लिए, कृपया सभा को गुमराह मत करिए। यदि आप विधेयक को पारित कराना चाहते हैं तो कराइए परन्तु सभा को गुमराह मत करिए। इस विधेयक को स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष समाचार, संतुलित विचारों का प्रस्तुतीकरण तथा राष्ट्रीय लोकाचार के अनुरूप स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना चाहिये। यदि हम यह मान भी लेते हैं कि सरकार के उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट हैं तो यह सुनिश्चित करने के उद्देश्यों को उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित किया जाए, निगम तथा सरकार के बीच आपको कहीं भी सटीक प्रतिमान नहीं मिलेगा। बेशक, हम कह सकते हैं कि सरकार ने पारस्परिक क्रिया हेतु कोई प्रावधान न करके हस्तक्षेप हेतु प्रावधान किया है। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 22 में यह प्रावधान है कि राज्य की सुरक्षा के हित में अथवा जन व्यवस्था के हित में किसी प्रसारण को रोकने या शुरू करने हेतु निगम को निर्देश जारी करने का अधिकार सरकार अपने पास रखती है। बेशक, बाद वाले मामले में निगम अच्छी तरह कह सकता है कि यह प्रसारण विशेष सरकार निर्देशों के अनुसार किया गया है। यह मुझे एक विज्ञापन की याद दिलाता है कि "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" तथा सिगरेट को आकर्षक पैकेटों में पेश किया गया है। इस बात की क्या गारन्टी है कि इस अनुच्छेद विशेष का सरकार दुरुपयोग नहीं करेगी ? मन्त्री जी ने स्वयं इस बारे में कहा है। 'खुला मंच' कार्यक्रम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक अन्य घटना का उदाहरण दूंगा जो 15 जुलाई 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुई थी। श्री उपेन्द्र ने स्वयं माना है कि उनके मन्त्री मण्डल के कई सहयोगी अपने कार्यक्रमों को दिखाने हेतु दूरदर्शन को टेलीफोन कर रहे हैं। क्या यह हस्तक्षेप नहीं है ? क्या आप इसे हस्तक्षेप नहीं कहेंगे ?

हम इस विधेयक का समर्थन कैसे कर सकते हैं जिसमें स्वयं श्री उपेन्द्र के अनुसार कई त्रुटियां हैं ? मैं एक उदाहरण की ओर इंगित करूंगा जिसमें स्वयं श्री उपेन्द्र ने कहा है कि इस विधेयक में कई त्रुटियां हैं। 23 जनवरी के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह कहा गया था कि "वर्तमान अवस्था में यह विधेयक पूर्ण नहीं है और इसमें कई त्रुटियां हैं— सूचना और प्रसारण मन्त्री श्री पी० उपेन्द्र जिन्होंने इस विधेयक को पुरःस्थापित किया, ने यह बात कही है। फिर भी वह हमसे इस विधेयक को समर्थन देने की आशा रखते हैं जिसके बारे में वह स्वयं कहते हैं कि इसमें कई त्रुटियां है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें इस विधेयक को परिचालित करना चाहिए इस पर और चर्चा होनी चाहिए इस पर और अधिक परस्पर बातचीत होनी चाहिए। अथवा उनके पास एक और विकल्प है; वह एक संसदीय समिति नियुक्त कर सकते हैं। उनके पास एक अन्य विकल्प और है; हमने उनको जो भी संशोधन दिए हैं वह उन्हें स्वीकार कर लें। कृपया जल्दबाजी न करें और किसी भी तरह के कानून को पारित करने से पहले उसका अच्छी तरह से अध्ययन करें।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस की नीति क्या है ?

श्री अनन्तराव देशमुख : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस विचार से सहमत हूं जैसा कि मेरे सहयोगी स्वायत्तता के स्वरूप के बारे में कह चुके हैं। इसलिए मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल सभा को, जिस अव्यवस्थित ढंग से मन्त्री महोदय द्वारा यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने ढग से भाषण जारी रखिये ।

श्री अनन्तराव देशमुख : यदि आप धारा 4 पर करें तो सरकार ने तीन सदस्यों की समिति के गठन का प्रावधान किया है । यह कहना असंगतपूर्ण नहीं होगा कि इनमें से दो वास्तव में सरकार द्वारा मनोनीत किए जायेंगे और फिर भी सरकार इसे स्वायत्तता देने की बात करती है, इसे सरकारी पकड़ से मुक्ति दिलाने का बात करती है। इस कारण ही मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कृपया जल्दबाजी मत कीजिए क्योंकि आज हम जिस विधेयक को देख रहे हैं वह एक रणनीति का परिणाम है किसी वचनबद्धता का नहीं है । इसलिए जैसा कि मेरे सहयोगियों ने कहा है कि कृपया इन संशोधनों को स्वीकार कीजिए और फिर आप निश्चित रूप से हमारे समर्थन की आशा कर सकते हैं ।

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : अध्यक्ष महोदय, विनम्रतापूर्वक मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे इसलिए कुछ कहना है कहीं ऐसा न हो कि मेरे दल के सम्बन्ध में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो जाए। अन्यथा मैं नहीं बोलूंगा । मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपके विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं कृपया इसे व्यक्तिगत तौर पर न लिया जाए, एक तरह से अधिकांश नियमों का पालन नहीं किया जाता है । कुछ नियमों का पालन होना चाहिए ।

चाहे जो बात भी हो, मैं अपनी बात बिल्कुल संक्षेप में कहूंगा और मैं वैसा कुछ भी कहने नहीं जा रहा हूं जिसकी चर्चा मेरे मित्रों ने विशेषकर वामपंथी मित्रों ने की है । मैं भी ताजा स्थिति से अवगत हूं, आज हुई सर्वदलीय चर्चा के परिणामों से भिन्न हूं ।

इस विधेयक को पुरःस्थापित किया जाना एक नई बात है और शायद पिछली कांग्रेस सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रसार माध्यम को स्वायत्तता दिए जाने पर विचार नहीं किया था । अन्यथा वे बहुत पहले ही इस विधेयक को प्रस्तुत कर देते । यह एक नया प्रयास है। आज हुई सर्वदलीय चर्चा के पश्चात् मैं यह आशा करता हूं कि इन चर्चाओं का परिणाम सभी सदस्यों को, चाहे वे सत्ता पक्ष में हो या समर्थक दल में हो या विपक्षी दल में, स्वीकार्य होगा । इस सन्दर्भ में मैं सिर्फ यह अनुरोध करता हूं कि पिछली चर्चा में किए गए कुछ संशोधनों को लाने के पश्चात् इस विधेयक को पारित कर दिया जाना चाहिए । यह संशोधित विधेयक इस दिशा में पर्याप्त है जिसके द्वारा हम नये अवसर की ओर उन्मुख हो सकते हैं ।

7.00 म० प०

इस संस्था की कार्यप्रणाली द्वारा प्राप्त हमारे अनुभव के आधार पर तदनंतर इस अधिनियम में संशोधन लाने के अनेक अवसर इस सभा को प्राप्त होंगे । इसलिए आर० एस० पी० की ओर से मैं पूर्ण समर्थन देता हूं । हम इस नई सरकार का स्वागत करते हैं जिसने जनता से किए गए अपने वायदे को पूरा किया है । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री नन्दू थापा (सिक्किम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दल इस विधेयक का स्वागत करता

है और मैं इसका समर्थन करता हूं। जैसा कि हमने देखा है कि इस विधेयक से संबंधित सभी मुद्दे अब चर्चाओं और संशोधनों द्वारा लगभग सम्मिलित किए जा चुके हैं। इसलिए अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। स्वतन्त्रता के बाद विगत 43 वर्षों के दौरान भारतीय लोकतन्त्र लगभग सभी परीक्षणों से गुजर चुका है। इस देश में लोकतन्त्र की जड़ें गहरी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः इस बात की आशंका अथवा गुंजाइश नहीं है कि यदि सरकारी नियन्त्रण के बिना ही प्रसार माध्यम की व्यवस्था लोगों के हाथ में सौंप दी जाए तो इससे देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रभावित होगी अथवा भंग हो जायेगी।

हम सभी जानते हैं कि रेडियो. और दूरदर्शन, शक्तिशाली इलेक्ट्रानिक प्रसार माध्यम समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इसने आपातकाल के बुरे दिनों को भी झेल लिया है। इस प्रकार वह इस स्तर पर पहुंचा है।

इस विधेयक के बारे में बोलते हुए शासक बोर्ड के सम्बन्ध में मैं अपने कुछ मित्रों से सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि शासक बोर्ड का कार्यकाल छः वर्ष का नहीं बल्कि तीन वर्ष का होना चाहिए। शासक बोर्ड के लिए छः वर्ष बहुत ही लम्बा समय हो जाएगा। प्रारम्भिक स्तर पर हम यह नहीं जानते हैं कि प्रसार माध्यम अथवा परिषद अथवा प्रसार भारती एजेंसी का संचालन सही हाथों में है अथवा गलत।

एक अन्य बात जिस ओर मैं विशेषरूप से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा के बारे में है। विश्व के करीब-करीब सभी देशों में विदेश प्रसारण सेवा सरकार द्वारा नियन्त्रित की जानी है। निश्चित रूप से यह भी सरकार द्वारा नियंत्रित की जाएगी। लेकिन इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार को बहुत ही स्पष्टता-पूर्वक और अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। पूरे विश्व में सरकार की छवि, सरकार के कार्यक्रम और सरकार की नीतियाँ आकाशवाणी के विदेश प्रसार सेवा के कार्यक्रम पर निर्भर करती है। इसलिए हम चाहते हैं कि विदेश प्रसार सेवा के बारे में सरकार को पुनः एक बार बहुत ही सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए हम नहीं जानते हैं कि कल जब इलेक्ट्रानिक प्रसार माध्यम स्वायत्त हो जायेगा, यह किस प्रकार से कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि हम स्वायत्तता का विरोध कर रहे हैं।

सिक्किम राज्य से एक मात्र सदस्य होने के नाते मैं सभी सदस्यों से सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं। यदि कुछ त्रुटियां हैं जो कि सामने आ सकती हैं तो हम भविष्य में हमेशा उनमें सुधार ला सकते हैं और उन पर विचार कर सकते हैं। यह अभी परीक्षण स्तर पर है। इसलिए उन्हें इस स्तर पर विधेयक में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

डा० लक्ष्मि दुबे (छतरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के कारण मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। मैं माननीय मन्त्री महोदय को भी, जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, बधाई देता हूं। उनका उद्देश्य अच्छा हो सकता है। लेकिन मुझे अभी

प्रतीक्षा करनी है और यह देखना है कि किस प्रकार वे इसे लागू करने जा रहे हैं। उद्देश्य और कारणों के वक्तव्य द्वारा प्रशंसनीय विचार सामने आये है जिनका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में वे प्रसार भारती के नाम से जाने जाने वाले भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना का प्रस्ताव रखते हैं और इसे उन कार्यों का निष्पादन सौंपते हैं जो कि वर्तमान में आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा किये जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक स्वायत्तता देने हेतु नवीन और परिवर्तनशील विचार लाये जायेंगे। इस प्रसार माध्यम को स्वायत्तता देने के बारे में कोई दूसरा विचार नहीं है कोई भी व्यक्ति इस विधेयक के विरुद्ध नहीं है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा यह स्वायत्तता वास्तविक होनी चाहिए सिर्फ कागजों में नहीं। सिर्फ एक निगम स्थापित करने और उसे स्वायत्तता देने के लिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यह स्वायत्तता वास्तव में दी जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में वे किस प्रकार वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करने जा रहे हैं? यहां तक कि कांग्रेस दल ने भी कहा है कि वह एक निगम स्थापित कर उसे स्वायत्तता देना चाहते हैं जब निगम स्थापित किये जाते हैं तो नियमों के अनुसार वे निगम रहते हैं लेकिन वास्तव में अधिकांश निगमों में हमें किसी भी प्रकार की स्वायत्तता नहीं दिखती है। हम अधिक अधिकार देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में निगमों की स्थापना करते हैं लेकिन वास्तव में इस प्रकार के सभी निगमों का नियन्त्रण सत्तारूढ़ सरकार करती है। हम इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए और उनकी उपलब्धि में सुधार लाने के लिए निगमों की स्थापना की जाती है। जब मन्त्रालय कुछ कार्यों का निष्पादन नहीं कर पाते हैं तो उन्हें एक निगम का नाम यह देखने के लिए दे दिया जाता है कि वे उचित रूप से कार्य करें। निश्चित रूप से इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी ने जन सभाओं में अक्सर कहा है कि सरकार को अपने प्रचार के लिए प्रसार माध्यमों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और यह भी कहा है कि सरकार के कार्यक्रमों को इसमें अत्यधिक शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रचार के लिए प्रसार माध्यम के दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। यह उनका विचार था। मैं उनकी मंशा की प्रशंसा करता हूं। लेकिन अधिकारीगण उनके इस विचार को किस प्रकार लागू करेंगे? हमें इसकी जानकारी नहीं है। तमिलनाडु में क्या हो रहा है? मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का सहयोगी दल ही तमिलनाडु में सत्तारूढ़ है वे किस प्रकार प्रसार माध्यम का उपयोग कर रहे हैं? यद्यपि यह केन्द्रीय मन्त्री के नियन्त्रण में है, वे अपने कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं। हम इस बात के विरुद्ध हैं। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के गठन से पूर्व उस राज्य के मुख्यमन्त्री दूरदर्शन और आकाशवाणी की कार्यप्रणाली की आलोचना करते थे। उन्होंने कहा कि यह पक्षपाती है और उन्होंने मद्रास दूरदर्शन के सामने प्रदर्शन किया था और धरना भी दिया था। उन्होंने यह आलोचना की थी कि उनके कार्यक्रमों को पूरी तरह से सम्मिलित नहीं किया जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? तमिलनाडु में जब कोई टी० वी० चलाता है, आप देखेंगे कि मद्रास दूरदर्शन केन्द्र द्वारा ज्यादातर तमिलनाडु सरकार के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। उसमें भी तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री को अक्सर दिखाया जाता है। मद्रास दूरदर्शन अन्य दलों की चिन्ता नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी और ए० आई० ए० डी० एम० के० के नेताओं के वक्तव्य और कार्यक्रमों को बिल्कुल सम्मिलित नहीं किया जाता है। मैं नहीं जानता कि क्या राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार जो उपदेश दे रही है उसका पालन भी कर रही है या नहीं उन्हें मद्रास दूरदर्शन केन्द्र को निष्पक्ष ढंग से कार्य करने की सलाह देनी चाहिए और इस निगम को भी यही कार्य सिखाना चाहिए। धारा

4 शासक बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति से सम्बन्धित है । उन्हें इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि वे शासक बोर्ड का गठन करते समय वे इसके सदस्यों का चुनाव किस प्रकार करेंगे । इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं । जब वे इस प्रकार के निगम का गठन कर रहे हैं और इसे स्वायत्तता प्रदान कर रहे हैं, उन्हें अंशकालिक आधार पर काम करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए ।

जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है पूर्ण-कालिक व्यक्ति की नियुक्ति करना अधिक अच्छा है ।

परिषद की कार्य-प्रणाली के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि परिषद एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां सभी शिकायतों को प्राप्त किया जा सके और जनता की शिकायतों का समाधान किया जा सके । परिषद ही सर्वेसर्वा नहीं होनी चाहिए । यह एक अर्द्ध न्यायिक निकाय मालूम पड़ता है परन्तु इसके पास उन सभी समस्याओं और शिकायतों का समाधान करने की पर्याप्त शक्ति नहीं है जो इसे प्राप्त होगी ।

निगम में एक अन्य बात की कमी है । और वह कमी, जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, कर्मचारियों की भागीदारी का अभाव है । प्रबन्ध में कर्मचारियों की कोई भागीदारी नहीं है । अत: मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि निगम के शासक दल में कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाये ।

अनेक माननीय सदस्यों ने मांग की है कि दूसरा चैनल भी राज्यों को दिया जाना चाहिए । जब हम एक ऐसे निगम की मांग कर रहे हैं जोकि एक स्वायत्त निकाय है, जिस पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण नहीं हो सकता, तो हम राज्यों को दूसरा चैनल किस प्रकार दे सकते हैं ? अत मेरा यह सुझाव है कि हम अनेक चैनल रख सकते हैं, परन्तु एक निकाय एक चैनल पर ही नियन्त्रण रख सकता है । यह निकाय कुल मिलाकर निगम के समान हो सकता है । इस प्रकार यदि हमारे पास विभिन्न निगम होंगे, तो हम अच्छे कार्यक्रम देख सकते हैं और प्रतिस्पर्धा के कारण हम राजस्व प्राप्ति में भी वृद्धि कर सकते हैं । इस निगम पर सरकार द्वारा परोक्ष रूप से नियन्त्रण किया जा सकता है । मेरा सुझाव है कि इन विभिन्न निकायों में जन-प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए । सरकार इस निगम को जो भी स्वायत्तता प्रदान करे, जन-प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जाये जो सुझाव दे सकें और निगम के सुधार में कुछ योगदान कर सकें । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि एक ऐसी संस्था बनायी जाये जिसमें संसद सदस्य सम्मिलित हों । इस संस्था को वित्तीय समितियों के समान ही शक्ति दी जानी चाहिए ताकि यह अपनी कार्य-प्रणाली पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर सके । स्वायत्तता के नाम पर निगम को प्रसार माध्यमों का का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये । अत: इस बात पर विचार करने का यह सही समय है कि जन-प्रतिनिधियों का निगम पर परोक्ष रूप से नियन्त्रण हो । यह अत्यधिक आवश्यक है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष गंगवार [illegible]

श्री जे०पी० अग्रवाल (चांदनी चौक) : एक मिनट उपाध्यक्ष महोदय, कल महाबन्द का अह्वान किया गया है उनकी वजह से हमें संसद में आने की बड़ी मुश्किल होगी। हम पुरानी दिल्ली में रहते हैं। जो पिछले दिनों हालात हुए आपको मालूम ही है कि चिदम्बरम साहब को मारा गया और उनको गाड़ी से घसीटा गया। हमें कैसे सुरक्षा मिलेगी, कैसे संसद में आयेंगे।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय. इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले काफी सदस्य काफी बातों को कह चुके हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, केवल दो-चार बातें सुझाव के रूप में संक्षेप में कहना चाहूंगा। धारा 14 के अन्तर्गत जनता की शिकायतों के सन्दर्भ में वाली बात कही गई है। उसके बारे में कोई अन्तिम समय सीमा नहीं दी गई है। मैं चाहूंगा इस बारे में विचार हो तो शिकायतों के निर्धारण की समय सीमा बांधी जाये और उनका प्रभावी ढंग से निवारण किया जाये। जिससे जनता को लग सके वास्तव में सही ढंग से काम की शुरूआत हो गयी है। इसके अलावा हमारे साथियों ने टी० वी० रेडियो के निगम के अन्दर अन्य कर्मियों को सम्मिलितकिये जाने की बात की है तो उनकी राय को भी शामिल किया जाये। एक और बात सदस्यों ने कही कि 6 वर्ष का समय एक लम्बा समय है तो कम से कम 3 या 4 साल का अधिकतम समय दिया जाये।

मान्यवर, एक मुख्य बात मैं कहना चाहूंगा और जैसाकि बताया गया है कि इससे आमदनी करीब दो-ढाई सौ करोड़ की होगी मैं समझता हूं कि 400 करोड़ का सालाना व्यय है। अगर इस व्यय के लिये अपनी व्यवस्था नहीं की गयी तो आने वाले समय में इस पूरी व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और हमारा निगम ऐसे लोगों के पास चला जायेगा जिससे आय नहीं बढ़ेगी। इससे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि एक बड़ा ही अच्छा कदम उठाया जा रहा है कि आजादी के बाद जिस लड़ाई को निरन्तर लड़ा जा रहा है कि हिन्दुस्तान में एक मजबूत लोकतंत्रीय व्यवस्था हो और इस मत की अभिव्यक्ति सही ढंग से हो सके तो ऐसे व्यवस्था व्यवस्था जरूर की जानी चाहिये। कुछ लोग यहां आपत्ति भी कर रहे थे, उन सब को दूर करने के लिये जैसाकि बताया गया कि पिछले दिनों बी०बी०सी० से हमें महत्वपूर्ण खबरें मिल रही हैं, इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये कि इसका पुनरावृत्ति न हो आने वाले समय में जो भी सरकार आये वह इसमें हस्तक्षेप न करे। मैं ज्यादा न कहते हुए सदन से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण बिल को सम्पूर्ण सहयोग देते हुए सर्वसम्मति से पास करे ताकि देश के अन्दर एक मजबूत लोकतंत्रीय व्यवस्था स्थापित की जा सके।

[अनुवाद]

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, सर्वप्रथम तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्ण रूप से विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक ने अब मुख्य विपक्षी दल के शासन काल में 12 वर्ष का वनवास काटा है और किसी तरह से इसका पुनर्जन्म हुआ है।

अब इसे कल पारित किया जायेगा बशर्ते इसे कांग्रेस दल द्वारा प्रस्तुत सहयोग प्राप्त हो। मुझे यकीन है कि यदि कल उनका उचित सहयोग प्राप्त होगा है तो हम इस विधेयक को पारित कर सकते हैं।

सर्वप्रथम तो इस विधेयक में प्रसार माध्यमों को स्वायत्तता देने का प्रस्ताव है न कि स्वतन्त्रता जो कि जनता दल के चुनाव वादों में से एक है। जैसा कि वायदा किया गया था, उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। प्रसार माध्यमों की स्वायत्तता उनके चुनाव वादों में से एक है और जनता इन्हें शीघ्र पूरा करने की आशा करती है तथा यह भी आशा करती है कि यह वादा पूरा किया जायेगा।

सदस्यों को भेजे गये प्रारूप विधेयक में निगम से देश के हितों की रक्षा करने और संविधान में दिये गये सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करने की उम्मीद की गयी है। सौभाग्य से मन्त्री महोदय खण्ड संख्या 22 में उचित परिवर्तन करने के लिए राजी हो गये हैं और उस विचार को छोड़ दिया गया है, जिस पर प्रारम्भ में विचार किया गया था।

हमारा विश्वास है कि जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, अर्थात स्वतन्त्रता एवं सच्चाई से जानकारी प्राप्त करना, जनता के लिए सर्वोपरि है। प्रसार भारती विधेयक का उद्देश्य प्रसार माध्यमों को सरकार और नौकरशाही के नियन्त्रण से मुक्त कराना है। इसका वास्तव में स्वागत किया जायेगा। यद्यपि जनता को इस बात का डर है कि शासक बोर्ड की नियुक्तियां बिना पक्षपात के नहीं हो सकती हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं उन्हें शासक कहने के बजाय न्यासी अथवा निदेशक कहा जाये। अतः इस बात का सुझाव दिया गया है कि इस देश के ललित कलाओं एवं संगीत के प्रशासकों के अतिरिक्त फिल्म उद्योग में लगे प्रतिभाशाली व्यक्ति गवर्नर बनाये जा सकते हैं।

क्योंकि हम 21वीं सदी की ओर जा रहे है, अतः युवकों और महिलाओं की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना है। मैं सुझाव देता हूं कि शासक बोर्ड अथवा निदेशक बोर्ड में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

इस विधेयक में इन दो वर्गों से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में पर्याप्त कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। हम इस प्रयास का स्वागत करते हैं। प्रसार भारती विधेयक में सामाजिक न्याय के पहलू पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसमें शोषण एवं असमानता के साथ-साथ छूआछूत जैसी बुराई से संघर्ष करने की बात कही गयी है।

इस देश में बड़ी-बड़ी बातें और पवित्र विचारों के बारे में बातें करना एक आम बात है। मैं आग्रह करता हूं कि जनता में विश्वास जगाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का ईमानदारी से कार्यान्वयन करना जरूरी है।

मैं विधेयक के एक अत्यधिक सम्बद्ध भाग की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं जिसमें क्षेत्रीय प्रसारण पर जोर दिया गया है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसमें दो नियमित चैनल होने चाहिए जिनमें से एक चैनल से राष्ट्रीय प्रसारण हो और दूसरा चैनल विस्तृत रूप से क्षेत्रीय भाषाओं के लिए

आरक्षित किया जाना चाहिए हम इस देश की अखण्डता को केवल क्षेत्रीय भाषाओं के लिए प्रसारण इकाईयों का विकास करके ही कायम रख सकते हैं। नये चैनलों और रिले केन्द्रों की स्थापना के समय यह चेतावनी दी गयी थी कि इन्हें दूर-दराज के उन क्षेत्रों में प्रसारण पहुंचाने के सभी प्रयास किये जाने चाहिए जहां कि प्रसार माध्यमों को अभी पहुंचाना बाकी है। इसके साथ ही, लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या ही इस प्रसार माध्यम का लाभ उठा पाती है, परन्तु अनेक ऐसे क्षेत्र भी है जिनमें इस सुविधा की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

प्रस्तावित निगम के उत्तरदायित्व में वृद्धि कर दी गयी है क्योंकि प्रस्तावित निगम दो विद्यमान इकाईयों का एकीकरण है।

अन्त में, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इसमें एक स्थाई अध्यक्ष होना चाहिये। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले; और अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के लिए कुछ शुल्क जैसे लाइसेंस शुल्क होना चाहिए। मेरा यह विचार भी है कि इन शासकों को शासक नहीं बल्कि न्यासी कहा जाये।

बुद्धिजीवियों के मन में जिस बात का डर है, वह निगम द्वारा लोगों को जानकारी देने के मामले में निष्पक्ष और ईमानदार बने रहने का है। अध्यक्ष, कार्यपालक शासक और परिषद का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इनमें जनता के सभी वर्गों को पर्याप्त रूप से एवं अच्छी प्रकार से प्रतिनिधित्व मिल सके। भर्ती बोर्ड, निधियां प्रदान करने वाली एजेन्सियां और दोनों इकाईयों की विद्यमान सम्पत्तियों के एक जगह होने से निगम लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काफी सशक्त हो सकता है।

हम एक विकासशील समृद्ध राज्य के पिछड़े क्षेत्र के निवासी हैं। लोगों को प्रसार माध्यमों के उचित प्रयोग से काफी लम्बे समय से वंचित रखा गया है। यह आशा की गयी है कि इस विधेयक से प्रसार भारती का गठन होगा जो कि सार्थक होगा और इसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करेगा। मैं इसके शीघ्र गठन का स्वागत करता हूं और मन्त्री महोदय को सफलता की कामना करता हूं।

श्री पलाई के० एम० मैथ्यू (इडुक्की) : मैंने कल और आज हुए सभी के भाषणों को बहुत ध्यान से सुन हूं। यह सभा स्वायत्तता शब्द का वास्तविक विस्तार, उसकी महानता और सार के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। स्वायत्तता के सम्बन्ध किसी एक नतीजे पर पहुंचने के लिए मुख्यत: यह चर्चा चल रही है।

इस सम्बन्ध में, मैं एक बहुत ही इस कड़वे सच का उल्लेख करना चाहता हूं, कि आमतौर पर इलैक्ट्रानिक प्रसार-माध्यम राजनीतिक नियंत्रण पर ही टिका हुआ है। बी० बी० सी० के जाने-माने विशेषज्ञ, प्रो० एन्थनीस्मिथ ने कहा है कि :

> "रेडियो और टेलीविजन को कहीं भी पूर्ण स्वायत्तता प्रदान नहीं की हुई है; और वास्तव में इन्हें स्वायत्तता दी ही नहीं जा सकती, तथा ये दोनों संचार-माध्यम, किसी पिछले सुधार से उबरने अथवा आगामी सुधार की प्रतिक्षा में रत राजनीतिक जरूरत की स्थिति में सर्दैव पूर्व हालत में बने रहते हैं।"

अतः इसका अर्थ हुआ, जैसा यहां पर मेरे बहुत से साथी पहले ही बता चुके हैं, उस वास्तविक स्वायत्तता को जानना बहुत ही कठिन है, बल्कि यह संभव नहीं है। अब, इस पृष्ठ भूमि के साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री के समक्ष कुछ समस्याएं और मुद्दे रखना चाहूंगा।

विधेयक के उपबन्धों में कहा गया है कि इस विधेयक में कतिपय संवैधानिक उद्देश्य निहित हैं, कतिपय संवैधानिक उद्देश्यों, जैसे सामाजिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्यों की रक्षा तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और शिक्षा, साक्षरता कृषि, पर्यावरण; स्वास्थ्य; कल्याण तथा ऐसे ही क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना शामिल है; सम्पर्क के प्रयोजन से ऐसा किया गया है संचार माध्यम पर पूंजावादियों, दक्षिण पंथियों तथा साम्प्रदायिकवादी व्यक्तियों का नियंत्रण होने के कारण इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे हो सकेगी देश के कतिपय वर्गों, कतिपय क्षेत्रों या केवल कतिपय हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछेक लोग और उनसे गठित शासी-निकाय इस उद्देश्य को पूरा कैसे कर सकता है? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं।

अन्य बात, जो इस विधेयक में शामिल है कि संचार-माध्यम किसी राय या विचारधारा का समर्थन करने के लिए नहीं है। लेकिन यह विधेयक इस प्रकार का कोई विवरण नहीं देता, कि इसे व्यवहार में कैसे लाया जाए? विभिन्न विचारों और विभिन्न दृष्टिकोण के मार्ग में आप एक लौह-दीवार, एक प्रतिक्षेप खड़ा कर रहे हैं। आम सभा से वंचित खुला मंच इसका अपने आप में एक उदाहरण है। अतः मैं और उदाहरण नहीं देना चाहता। निःसंदेह, विधयक में कतिपय आडम्बरपूर्ण उद्देश्य हैं, जब आप इन उद्देश्यों को लागू करने के लिए एजेन्सी की या मुख्य कारणों की जांच करेंगे तो आपको इनका खोखलापन नजर आयेगा।

अब आगे देखें, 10 सदस्यों का बोर्ड है, जिसमें से छः व्यक्ति अशंकालिक हैं। यही मुख्य कारण है। लेकिन ट्रेड युनियनों का कोई प्रतिनिधि नहीं है मेरे विचार से यूनियनों, खेतिहर मजदूरों, आदिवासियों और अछूतों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसमें श्रमिकों की हिस्सेदारों, का कोई प्रावधान नहीं है निर्माताओं, कलाकारों, इन्जीनियरों, मीडिया-आलोचकों, विचारकों श्रोताओं और समाचार-वाचकों में से, इसमें कोई शामिल नहीं है ऐसे गैर-प्रतिनिधि बोर्ड या निकाय के इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बहुत से मित्रों ने कार्य-करण संबंधी स्वायत्तता के बारे में सुझाव दिया है। लेकिन मै सुझाव दूंगा कि इसे ऐसी स्वायत्तता कला निकाय बनाया जानी चाहिए। जिसमें सभी की भागीदारी हो, क्योंकि विधेयक में निरुपित किये गये कार्य को केवल ऐसा निकाय ही पूरा कर सकता है।

विधेयक में कहा गया है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति को बोर्ड के निदेशक मंडल में शामिल किया जायेगा। तथा इसी प्रकार की अन्य और बातें कही गई हैं।

लेकिन हम जानते हैं कि विशेषतया हमारे देश में बहुत से मामलों में महत्व राजनीति संरक्षण की देन है। अतः इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए।

तत्पश्चात् जबाबदेही के बारे में जिस बात पर चर्चा हो चुकी है, मैं उसे दोहराना नहीं

चाहता। मीडिया के प्रबन्ध मंडल या नियंत्रकों को अन्ततः भारत की जनता के प्रति मेरा अभिप्राय संसद के माध्यम से, उत्तरदायी होना चाहिए। मुझे बस यही कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव।

[हिन्दी]

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम नहीं है।

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : मैं माननीय भद्रपुरुष की तुलना में इस सदन में अधिक लम्बे अर्से से हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि जब ऐसी चर्चा चल रही हो, तो कोरम का प्रश्न उठाया गया हो।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आपके सदस्य बोलना चाहते हैं इसीलिए यह चर्चा चल रही है। अन्यथा हम इस चर्चा को पहले ही समाप्त कर देते।

कोल की घंटी बजने दीजिए। घंटी बजाई जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे म. पू. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है क्योंकि कोरम नहीं है।

7.40 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 29 अगस्त, 1990/7 भाद्र, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक: सम्राट प्रेस, बी-88, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली।

पी०एल०एस० 48/9 13/90 (एन०)
225

© 1990 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक सम्राट प्रेस, बी-88, ओखला इंडिस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 द्वारा मुद्रित।